(1)

राजस्थान विधान सभा को कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 3] षष्ठम् विधान सभा के तृतीय सत्र का इकतीसवां दिवस [संख्या 24

बृहस्पतिवार,

30 मार्च, 1978

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री लक्ष्मणसिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री शंकरलाल।

भू-सीलिंग के तहत अधिग्रहण की गई भूमि

596. श्री शंकरलाल (जैतारण) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में किन किन जिलों में कितनी भूमि, भू-सीलिंग कानून के तहत राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण की गई थी और अधिग्रहण की गई कितनी भूमि भूमि-हीन किसानों में प्रबाट कर दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) सीलिंग कानून के तहत अधिग्रहण की गई कितनी भूमि के लिए किन किन जिलों में राज्य सरकार द्वारा स्टे ग्रार्डर जारी कर अग्रिम कार्यवाही को रोक दिया गया है और ऐसे मामलों का आखिरी निर्णय राज्य सरकार द्वारा कब तक ले लिया जायेगा ? अधिग्रहण में आई हुई भूमि पर राज्य सरकार द्वारा भू-पति के हक में जारी किये गये स्टे ग्रार्डर की जमीनों की एक सूची गांव व आसामीवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि सीलिंग द्वारा प्राप्त भूमि, जो भूमिहीनों में प्रावंटित की जा चुकी है, पर कई स्थानों पर भूतपूर्व भूपतियों द्वारा पुनः कब्जा कर प्रावंटितियों को जबरन बेदखल किये जाने की शिकायतें राज्य सरकार को व राजस्व अधिकारियों को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उन पर कहां कहां क्या कार्यवाही की गई ?

(4) सीलिंग कानून के तहत अब और कितनी भूमि किन किन जिलों में राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण किये जाने की सम्भावना है और ऐसे पेंडिंग मामलों का निर्णय कब तक हो जायेगा ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

राजस्व मन्त्री (श्री पुरुषोत्तम मन्त्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को स्थगित करने के लिए निवेदन करता हूं।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं, सभी माननीय सदस्यों से भी निवेदन करता हूं और उन्हें

Page No 2

(2)

(श्री शंकरलाल)

स्मरण दिलाता हूं कि यह प्रश्न गत सत्र में सितम्बर माह में आया था, उस समय भी स्थगित कराया गया था। आपने आदेश फर्माया था कि इसका जवाब दिया जाएगा। इसके बाद फिर यह स्थगित प्रश्नों की सूची में आया, उस समय भी सरकार ने जवाब नहीं दिया। आपके कहने पर माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने सदन में आश्वासन दिया था कि इस प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। उसके बाद छ: महीने से ज्यादा निकल गए, पिछले साल के तीन महीने, अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर निकल गये और इस साल के तीन महीने निकल गये लेकिन इन छ: महीनों में भी मन्त्री महोदय इस प्रश्न का जवाब नहीं दे सके। इससे ज्यादा निकम्मापन सरकार का और क्या हो सकता है।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा (पाली): यह तो जानबूझ कर टाला जा रहा है। सरकार के पास जवाब तो है लेकिन जवाब को छिपा रही है सरकार। करीब छ: महीने के बाद भी गवर्नमेंट के पास रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो, यह आश्चर्यजनक बात है।

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : मेरा निवेदन है''

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : राजस्व विभाग की जिस दिन मांग थी उस दिन भी इसके लिए तैयारी की जा सकती थी। भूमि सुधारों के बारे में सरकार की क्या नीति है, जनता पार्टी की सरकार भूमि सुधारों के बारे में क्या करना चाहती है, यह सदन को पता होना चाहिए। अगर प्रश्न को स्थगित कराते हैं तो इसका जवाब इसी सत्र में अवश्य आ जाना चाहिये।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : श्रीमान्, 16-3-78 को यह प्रश्न यहां असेम्बली में आया और 30-3-78 को सचिवालय में आया है। इसमें सारे जिलों के बारे में सूचना मांगी गई है कि कितनी भूमि अवाप्त की गई है। 26 जिलों के बारे में भी सूची मांगी गई है तो दस दिन में यह सूचना कैसे एकत्रित हो सकती है।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सारे आंकड़े मौजूद हैं।

श्री मूलचन्द डागा : इमर्जेन्सी के टाइम में यह एक साल पहले सारी जमीन अलाट की गई, सरकार के पास पूरा रिकार्ड आ गया, आंकड़े प्रकाशित हो गए, जन सम्पर्क डिपार्टमेंट के पास आंकड़े हैं जो उसने निकाले हैं फिर भी आज आप कह रहे हैं कि हमारे पास आंकड़े नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल : आप तो इस बात का उत्तर दे दें कि गत सत्र में यह प्रश्न आया था या नहीं ?

श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल) : यह कांग्रेस सरकार की उपलब्धि थी जिसको यह सरकार छिपाना चाहती है·······

(व्यवधान)

सरकार अब इस मामले में क्यों उदासीन है ? केवल तीस साल की बातें तो करते हैं लेकिन जो उपलब्धि है उसको क्यों छिपा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय, इस सम्बन्ध में कुछ जानकारी समाचार पत्रों में भी आई थी। शायद आपको इसका पता नहीं होगा। यदि सरकार के लिए सम्भव हो तो इसी सदन में इस प्रश्न का उत्तर दें, तो उत्तम होगा।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : हुक्म की तामील की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : भूतपूर्व राजाओं की बहुत सी जमीन ली गई थी, थोड़े बहुत ने रिट कर रखी है। इस बारे में प्रकाश डाल सकें तो ठीक रहेगा।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : यही कोशिश की जाएगी, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री शंकरलाल : छः महीने तक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएं, यह गलत है। ये किस बात को छिपाना चाहते हैं ? छः महीने तक प्रश्न का उत्तर नहीं आए यह विधान सभा में आज तक नहीं हुआ है।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कोई बात छिपाने की मन्शा नहीं है। सारी बात सामने रखना चाहते हैं।

श्री शंकरलाल : कौन सी तारीख को जवाब दे देंगे ?

श्री नूरा (मसूदा) : अध्यक्ष महोदय, सीलिंग जैसे मामले में जानकारी मिलना जरूरी है इसलिए सारी सूचना इकट्ठी करके जवाब दिया जावे। माननीय मन्त्री महोदय कहें कि इस सत्र में जवाब दे दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : सारे जिलों के बारे में सूचना चाही है जो बहुत विस्तृत है। 16 तारीख को ही उनको प्रश्न मिला है।

श्री जयनारायण सालोदिया।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सरकार के पास सारे आंकड़े मौजूद हैं।

श्री नूरा : गवर्नमेंट के पास सारी व्यवस्था है, वायरलैस से भी सूचना इकट्ठी की जा सकती है।

श्री अध्यक्ष : श्री जयनारायण सालोदिया।

सहायक रजिस्ट्रार के पदों पर हुई पदोन्नतियों में अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्ति

597. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सहकारी विभाग में गत एक साल में किस किस तारीख को असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार के पद पर कितने लोगों को प्रमोशन दिया गया और उसमें कितने अनुसूचित जाति व जन जाति के लोग हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सच है कि उपरोक्त प्रमोशन सूचियों में एक भी आदमी अनुसूचित जाति व जन जाति का नहीं है ? यदि हां, तो किस कारण से ?

सहकारिता मन्त्री (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) गत एक साल में दिनांक 2-5-77 को 3 अधिकारियों की सहायक रजिस्ट्रार के पद पर पदोन्नति विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश से की गई

Page No 4

(५)

(श्री कैलाश मेघवाल)

थी। इन पदोन्नति में कोई भी अनुसूचित जाति व जन जाति का व्यक्ति नहीं था। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा दिनांक 2-1-78 को 17 अधिकारियों को सहायक रजिस्ट्रार के पद पर एडहोक पदोन्नति की गई है जिसमें कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जाति व जन जाति का नहीं है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। यह सत्य है कि प्रमोशन सूची में अनुसूचित जाति व जन जाति के लोगों का नाम नहीं है, क्योंकि वे एलीजी-बिलिटी जोन में नहीं आते हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री जयनारायण सालोदिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि यह प्रमोशन जिन लोगों को दिए हैं, उनकी योग्यता और अनुसूचित जन-जाति के लोगों की योग्यता में क्या फर्क है? जहां तक मेरी जानकारी है सभी मेट्रिक्यूलेट हैं और हमारी जाति के लोग भी मेट्रिक्यूलेट हैं। तो इन की और उनकी योग्यता में अन्तर क्या है?

श्री वृद्धिचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के जो अधिकारी थे वे एलीजिबिलिटी जोन में नहीं आते हैं, यह किस प्रकार से कह रहे हैं? इसको एक्सप्लेन करिये कि किस प्रकार से जोन में क्यों नहीं आते हैं?

श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा) : क्या 26 पर्सेंट अतिरिक्त रिजर्वेशन वाला रूल यहां पर भी लागू करेंगे?

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, योग्यता और एलीजिबिलिटी जोन के बारे में सवाल पूछा गया है। और कहा गया है योग्यता सभी की एक है। मैं निवेदन करूं कि जो प्रमोशन रूल्स 31-10-75 के हैं, और इसमें सब रूल (2) और सब रूल (6) है, इसमें है :

"Revised Criteria for Eligibility for promotion to Junior, Senior and other posts encadred in the Service"

इसका जो सब रूल (6) है इसमें एली जीबिलिटी जोन रखी है।

"The zone of eligibility for promotion shall be five times the number of vacancies to be filled in on the basis of seniority-cum-merit or merit, as the case may be :

"Provided that in case of non-availability of sufficient number of suitable persons for selection on the basis of merit, the Committee may, at its discretion, consider persons of outstanding merit outside the zone of eligibility but falling within six times the number of vacancies to be filled on the basis of merit."

यह जो सब रूल है इन के अनुसार जब तीन व्यक्तियों को प्रमोशन दिया उस वक्त 30 व्यक्तियों की सूची बनाई गई। उस

Page No 5

(5)

(श्री कैलाश मेघवाल)

एलीजिबिलिटी जोन में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग नहीं आ सके और इस कारण प्रमोशन के लिए कन्सीडर नहीं हो सके। इसी तरह से जब 17 व्यक्तियों का प्रमोशन किया उस वक्त भी 85 व्यक्तियों की सूची सीनियोरिटी कम मैरिट के आधार पर बनाई गई। उन 85 व्यक्तियों में भी एलीजिबिलिटी जोन में कोई शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स का व्यक्ति नहीं आने से इनके बारे में विचार नहीं किया जा सका। प्रमोशन हुए हैं वे इन रूल्स के तहत हुए हैं।

श्री बन्शीलाल सारस्वत (नागौर): क्या आप यह उचित समझते हैं कि यह जो नियम बने हुए हैं ......

श्री अध्यक्ष : पहले प्रश्नकर्ता।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं मंत्री महोदय, से निवेदन करूंगा कि जिस तरह के ये रूल्स बने हुए हैं, इनके अनुसार तो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्स ट्राइब्स के लोगों में से किसी का दस साल में भी प्रमोशन नहीं होगा। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि क्या सरकार इन रूल्स को बदलना चाहती है? अगर नहीं बदलना चाहती है तो अलग से शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की सीनिअोरिटी लिस्ट होनी चाहिए और जितने पद हैं उनके लिये उनमें ही कम्पीटीशन होना चाहिए।

श्री शिवचरणसिंह (बयाना) : यह रूल्स जिन अधिकारियों ने बनाए थे, क्या वे शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को उनका राइट दिलाना चाहते हैं? क्या यह उनकी मनोवृत्ति में है?

श्री रावतराम (सुजानगढ़) : आपने फर्माया कि जब प्रमोशन की बात आई तो फाइव टाइम्स और लोगों की लिस्ट बनाई गई, उसमें भी शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोग नहीं आ सके, तो क्या सरकार इस फाइव टाइम्स को बढ़ा कर टेन टाइम्स करने का विचार रखती है ताकि शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के व्यक्ति उसमें शामिल हो सकें?

श्री जयनारायण सालोदिया : मेरा निवेदन यह है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोगों की अलग से सीनियोरिटी लिस्ट हो। उनके लिए पर्सेंट के हिसाब से जितनी जगह हैं उनके लिए कम्पीटीशन उनमें ही अलग से होना चाहिए तभी शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोग आ सकेंगे। फाइव टाइम से टेन टाइम करने से भी कुछ नहीं होगा। पांच आ जायेंगे लोग 95 रह जायेंगे। और इस तरह से दस साल में भी कोटा पूरा नहीं हो सकेगा।

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त है। श्री गुरुशरण।

श्री जयनारायण सालोदिया : मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं, साहब।

मंत्री महोदय इसका स्पष्टीकरण कर दें कि सरकार का क्या विचार है?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों के लिए संरक्षण संविधान में दे रखा है इसके अनुसार पद उनसे भरे जायं इस बात के लिए सर-

(श्री कैलाश मेघवाल)

कार पूरी तरह से चिंतित है। माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया कि एलीजिबिलिटी जोन को रिवाइज किया जाय, इस पर राज्य सरकार विचार करेगी।

श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल) : आप चिन्तन मत करिए। निर्भय होकर निर्णय कर लीजिए।

श्री मूलचन्द डागा : आप रूल्स में अमेन्डमेन्ट करना चाहते हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : सरकार जल्दी ही निर्णय ले लेगी ?

श्री समरथ लाल (राजगढ़): अध्यक्ष महोदय, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के कर्मचारियों की जो पदोन्नति की जाती है, क्या उसमें उस कर्मचारी का परमानेन्ट होना जरूरी है ? क्या यह सही है कि टेम्परेरी व्यक्ति को प्रमोशन की लिस्ट में नहीं लिया जाता है, उसको प्रमोशन के लिए कन्सीडर नहीं किया जाता है ? क्या पदोन्नति के लिए विभाग में उसका परमानेन्ट होना आवश्यक है ?

श्री जयनारायण पालोदिया : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को एक जानकारी और देना चाहता हूं। एक आदमी शिड्यूल्ड ट्राइब्स का था, वह प्रमोशन की लिस्ट में आने वाला था। डिपार्टमेंट ने उसको इस लिये सस्पेन्ड कर दिया कि वह लिस्ट में न आ सके। क्या मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे ?

श्री मूलचन्द डागा : Very very serious.

श्री अध्यक्ष : श्री गुरुशरण छाबड़ा।

भूतपूर्व प्रधान पंचायत समिति, सूरतगढ़ व भूतपूर्व सरपंच एवं पटवारी से बकाया की वसूली का मामला

598. श्री गुरुशरण छाबड़ा (सूरतगढ़) : क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या श्री बीरबल भादू भूतपूर्व प्रधान पंचायत समिति, सूरतगढ़, भूतपूर्व सरपंच भागीरथ खीचड़ फिरंगीलाल पटवारी की तरफ प्रतिभूति बांडों की रकम बकाया है? यदि हां, तो कितनी कितनी ?

(2) क्या इस रकम की वसूली के लिए सहायक निदेशक, अल्प बचत जयपुर ने अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी श्री गंगानगर को पत्र संख्या अबली|विअ|गबन|10(65)17164 दिनांक 19.12.73 लिख कर तुरन्त वसूली के लिए लिखा था ? उसके बाद जब कि राज्य सरकार ने इस पक्ष में इनको गबन माना तो इसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(3) यदि अब भी राज्य सरकार इसे गबन मानती है तो राज्य सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

मंत्री, पंचायत राज (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) इस सम्बन्ध में अल्प बचत योजना विभाग द्वारा जांच करवाई जा रही है। जांच पूर्ण होने पर ही वस्तुस्थिति की जानकारी दिया जाना संभव होगा।

(2) जी हां। श्री बीरबल भूतपूर्व प्रधान पंचायत समिति सूरतगढ़, श्री भागीरथ सिंह भूतपूर्व सरपंच तथा श्री फिरंगी पटवारी के विरुद्ध गबन सम्बन्धी आरोपों के

(श्री कैलाश मेघवाल)

मामले में अभी तक जांच निदेशक अल्प बचत विभाग एवं जिलाधीश गंगानगर के के यहां विचाराधीन है। इस प्रकरण में अब तक केवल श्री बीरबल भूतपूर्व प्रधान पंचायत समिति, सूरतगढ़ से दिनांक 28-7-66 को एक रसीद के 50/— रुपये मूल व 38.25 रुपये ब्याज, कुल 89.25 रुपये वसूल किये गये हैं।

(3) विचाराधीन जांच पूर्ण होने पर ही जांच प्रतिवेदन के आधार पर गबन संबंधी आरोपों के लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना संभव होगा।

श्री गुरुशरण छाबड़ा : मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या निदेशक ने इस मामले को गबन का केस होना स्वीकार किया है ? यदि किया है तो अब तक गबन के केस में कार्यवाही किस वजह से नहीं हुई ?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के आने के बाद यह सारा मसला मेरे सामने आया है। इसका संबंध अल्प बचत विभाग से है जो वित्त मंत्री महोदय के परव्यू में आता है। परन्तु इसका उत्तर टाला नहीं जाए, इसलिए इसका उत्तर दे रहा हूं। जिस व्यक्ति ने 58/— रुपये दिये थे, उसने अपने बयान बदल दिए हैं। इस बारे में जांच की जा रही है। 50/— रुपये दबाव से जमा करवाए या नहीं करवाए, दोनों स्तर पर जांच विचाराधीन है जिलाधीश गंगानगर और निदेशक अल्प बचत विभाग इसकी जांच कर रहे हैं। जांच के बाद किसी प्रकार का गबन पाया गया तो भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं के अन्तर्गत निश्चित रूप से कार्यवाही की जाएगी।

श्री गुरुशरण छाबड़ा: अध्यक्ष महोदय, यह 1965 का मामला है और आज 1978 है। तो यह जांच कब तक होगी ? सरकार यह स्वीकार कर चुकी है कि यह गबन का मामला है। वसूली के लिए आदेश दिए जा चुके हैं। इसके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसलिए नहीं की गई है पंचायत समिति के भूतपूर्व प्रधान चौधरी बीरबल तत्कालीन राज्य मंत्री श्री मनफूल सिंह के छोटे भाई हैं। उनके दबाव से गबन का केस रजिस्टर नहीं किया गया और जांच नहीं हुई। जो जांच की बात की जा रही है वह टालने के लिये की जा रही है। गबन स्वीकार किया जा चुका है, तो क्या उनके खिलाफ अदालत में कार्यवाही की जाएगी? उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता है? क्यों टाला जा रहा है ?

श्री शिवचरण सिंह : यह मामला पंचायत विभाग का है या स्माल सेविंग्स डिपार्टमेन्ट का है ? फण्ड्स किस विभाग के हैं ?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता (कोलायत): 9 महीने तक जनता सरकार चुप क्यों बैठी रही ?

श्री कैलाश मेघवाल : इस तरह के कई मसले दबे हुए हैं। परन्तु जब विधान सभा में प्रश्न उठते हैं या ध्यान आकर्षण प्रस्ताव आता है, तब इस तरह के मसले सामने आते हैं। यह अल्प बचत विभाग से भी संबंधित है और पंचायत के प्रधान व सरपंच होने की दृष्टि से मेरे विभाग से भी सम्बन्धित है। क्योंकि उन्होंने एजेन्ट बन

(श्री कैलाश मेघवाल)

कार्य किया इसलिये हमारे परव्यू में भी आता है। जैसा कि माननीय सदस्य कह चुके हैं, उस कारण से इसमें विलम्ब हो सकता है। अब जरूर इस केस की पूरी जांच की जाएगी।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां)। क्या मंत्री महोदय जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेवार है, जिन्होंने समय पर कार्यवाही नहीं की, उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : करेंगे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा।

बागोर से रायपुर सड़क का कार्य

599. श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बागोर से बावलास होती हुई बस रायपुर जाती है जो बरसात के दिनों में बन्द रहती है ?

(2) क्या यह सही है कि इस सड़क के इर्द गिर्द हजारों रुपये की मुरंम पड़ी हुई है ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस मुरंम के सड़क पर डाल देने मात्र से सड़क ठीक हो जाएगी व बरसात में बसें बन्द नहीं होंगी ? अगर हां, तो राज्य सरकार इसको कब तक पूर्ण करेगी ?

मंत्री सार्वजनिक निर्माण विभाग (श्री जय नारायण पूनिया) : (1) जी हां। यह सड़क कच्ची और नदियों व नालों पर कई जगह पुल व पुलियायें नहीं बनी हुई हैं।

(2) जी हां। इस सड़क पर मुरंम पड़ी हुई है।

(3) जी नहीं। अकेले मुरंम डालने से ही सड़क बन कर तैयार नहीं हो जाती है। नदी व नालों पर पुल व पुलियाएं भी तैयार करनी पड़ेगी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष महोदय, बागोर से रायपुर जो सड़क जाती है, वह ग्राम बावलास होती हुई जाती है। यहां पर हजारों रुपये की मुरंम पड़ी हुई है। बीच में कोई नदी नहीं आती है। यह पांच-छः साल से पड़ी हुई है और बेकार जा रही है। क्यों नहीं सरकार मजदूर लगा कर मुरंम को सड़क पर बिछा देती है ? बरसात के दिनों में यह गांव शहर से अलग हो जाता है। इसलिए क्या मन्त्री महोदय यह विश्वास दिलाएंगे कि यह मुरंम सड़क पर बिछवा दी जाएगी ?

श्री जयनारायण पुनिया : अध्यक्ष महोदय, यह सड़क 25 किलोमीटर है। 13 किलोमीटर मैटल और 12 किलोमीटर फेअर वेदर रोड है। इस पर पुल बनाने की लागत 7 लाख रुपये अनुमानित है और मैटल रोड पर 10 लाख रुपये की लागत अनुमानित है। पूरी सड़क डामर की बनाई जाए तो 12 लाख रुपये की लागत अनुमानित है। इस प्रकार इसकी कुल लागत 30 लाख रुपये होने की सम्भावना है....

श्री कौशलकिशोर जैन (भीलवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय कह रहे हैं कि 13 किलोमीटर मैटल रोड है, परन्तु यह

(श्री कौशल किशोर जैन)

मेटल रोड नाम मात्र की है। मैं इस सड़क पर गया हूं। यह इतनी खराब सड़क है कि कोई बस इस पर नहीं जा सकती। कच्ची सड़क से बस जाती है। इसलिए इसको तुरन्त पक्का कराया जाए।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि जो मुरंम वहां पर पड़ी हुई है वह बेकार जा रही है। बरसात के दिनों में यह गांव लगातार चार महीने तक शहर से कट जाता है। अगर मुरंम बिछा दी जाती है तो गांव वालों को आराम हो जाएगा। रास्ता खुल जाएगा। क्या मन्त्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि केवल 5 किलोमीटर जो यह सड़क है गांव की, उस पर मुरंम बिछवा देंगे? यह आश्वासन चाहता हूं।

श्री जयनारायण पूनिया : इस पर विचार करेंगे।

श्री निर्मलकुमार सकलेचा : विचार कब करेंगे? रुपयों का इन्तजाम करो।

श्री जयनारायण पूनिया : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की फेमिन के अन्तर्गत 75,000 किलोमीटर सड़कें बनी हुई हैं। उनको मेटल रोड बनाया जाए तो यह कोई छोटी समस्या नहीं है....

श्री निर्मलकुमार सकलेचा : इसलिए तो कह रहे हैं कि आप पैसों का इन्तजाम कीजिये।

श्री अध्यक्ष : श्री अजीतसिंह।

सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक टौंक के मुख्य व्यवस्थापक एवं अधिकारियों के विरुद्ध आडिट रिपोर्ट में लगाये गये आक्षेप

600. श्री अजीतसिंह (टौंक) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक टौंक के मुख्य व्यवस्थापक व अन्य अधिकारियों के विरुद्ध आडिट रिपोर्ट में लगाये आक्षेपों की जांच पूर्ण हो चुकी है?

(2) सैन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक की 1975-76 की आडिट रिपोर्ट के अनुसार कितने रुपये अनियमित ढंग से खर्च हुए माने गये?

(3) आडिट रिपोर्ट के अनुसार कौन-कौन अधिकारी दोषी पाये गये?

सहकारिता मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल): (1) टौंक सैन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि. के मुख्य व्यवस्थापक के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त होने पर जांच की जा चुकी हैं एवं जांच रिपोर्ट के आधार पर मुख्य व्यवस्थापक को आरोप पत्र दिया जा चुका है।

आडिट रिपोर्ट में लगाये गये आरोपों पर मुख्य व्यवस्थापक व अन्य अधिकारियों के विरुद्ध जांच करने हेतु आदेश दे दिये गये हैं।

(2) सैन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि., टौंक की ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 75 76 के अनुसार 38,139.31 पैसे की राशि का अनियमित ढंग से व्यय होना पाया गया है।

(श्री कैलाश मेघवाल)

(3) ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार निम्न-लिखित अधिकारी दोषी पाये गये हैं:—

नाम	पद	राशि
1 नामी कुमार सेठी	प्रधान व्यवस्थापक	36510.81
2 रामदयाल पटेल	संचालक	316.50
3 अल्फताज हुसेन	उपाध्यक्ष	702.75
4 कपूरचन्द जैन	संचालक	375.00
5 दशरथ सिंह	संचालक	234.25
	योग	38139.31

इनके विरुद्ध राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 74 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

(4) मामला राज्य सरकार के विचारा-धीन है।

श्री अजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार आज तक कार्यवाही क्यों नहीं हुई है जब कि आठ वर्ष हो गये हैं ? उसके लिए कौन जिम्मेदार है ? अब आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? आपने जो आरोप लगाये हैं वह भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में ऑडिट रिपोर्ट में है। मेरा ख्याल है कि 70 लाख रुपये का ऑडिट रिपोर्ट में घोटाला बताया है।

श्री मूलचन्द डागा : ओ हो।

श्री अजीत सिंह : गबन और घोटालों के लिए एफ. आई. आर. दर्ज कराने के लिए आप कब आदेश दे रहे हैं?

श्री ईश्वरचन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि उन्होंने उनको निलम्बित क्यों नहीं किया है ? मुख्य व्यवस्थापक मैट्रिक फेल है। शिक्षा के मामले में वह बहुत कमजोर हैं लेकिन बेईमानी करने में सबसे आगे हैं। उनके और भी रिश्तेदार हैं। सिर्फ आरोप पत्र देकर ही क्यों रह गये हैं ?

श्री बालचन्द्र आर्य (उग) : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जो इस प्रकार के भ्रष्टाचार अधिकारी लोग करते हैं, क्यों नहीं उनको कठोर कदम उठाकर निलम्बित करें ? उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही क्यों नही की जाती है ताकि भविष्य में दूसरे लोग इस प्रकार की कार्यवाही नहीं करें ? गरीब किसानों की तो कुर्की की जाती है, मैं पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं उनके खिलाफ कठोर कदम उठाया गया ?

श्री मूलचन्द डागा : यह कोई बात हुई।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : मैं मन्त्री महोदय से जानकारी चाहूंगा, विधान सभा में प्रश्न उठने पर कार्यवाही की गई है। इससे पहले कार्यवाही न होने के लिए किस अधिकारी की जिम्मेदारी मान रहे हैं और उसके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री ईश्वर चन्द्र : उनके कई रिश्तेदार भी हैं। वह कितने हैं ?

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहती हूं कि ऐसी संस्थाएं हैं जिनका आठ आठ साल से ऑडिट नहीं हुआ है, क्या सहकारी विभाग इस बारे में कुछ विचार रखता है ?

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर जो भ्रष्टाचार हुआ उसकी जांच हुई या नहीं ? जो वहां के मुख्य व्यवस्थापक थे उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई ?

श्री ईश्वर चन्द्र : मुख्य व्यवस्थापक के लड़के, उनके भतीजे, कौन कौन सी पोस्ट पर हैं ? कम से कम 10 रिश्तेदार हैं।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : क्या मुख्य व्यवस्थापक हैं, वह शिड्यूल्ड कास्ट के हैं ? क्या उनके बारे में जांच हो सकती है ?

श्री शिवचरण सिंह : यह कार्यवाही नहीं की जाये, इसके लिये कोई आदमी आपके पास आया।

श्री मूलचन्द डागा : मामला विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया उत्तर आने दें। यह गम्भीर विषय है। आरोप लगाये गये हैं।

मन्त्री महोदय।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य अजीतसिंह ने 70 लाख रुपये के घोटाले की बात कही है, अभी तक जो फाइलें पहुंची हैं, उनमें इस प्रकार के घोटाले की बात नहीं आयी है। माननीय सदस्य ने विधान सभा में यह बात कही है तो निश्चित रूप से इस बात की जांच कराई जाएगी और जो घोटाले होंगे उन पर निश्चित रूप से कार्यवाही की जाएगी।

श्री मूलचन्द डागा : जब आपने आरोप पत्र दे दिया तो अब क्या जांच कराई जायगी ?

श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) : मन्त्री महोदय ने घोटाला ही नहीं बताया है तो जांच क्या करायेंगे ?

श्री मूलचन्द डागा : आपने आरोप पत्र दे दिया तो क्या जांच नहीं की थी उससे पहले ?

श्री कैलाश मेघवाल : मैं माननीय डागा साहब से निवेदन करूंगा जो जांच होती है, उसमें कोई तथ्य सामने आते हैं। लेकिन अगर कोई नया तथ्य आता है तो उसकी भी जांच कराई जाती है। उनको आरोप पत्र दिया गया है। लेकिन जो 70 लाख रुपये के घोटाले की बात कही गई है, उसके लिए मेरा कहना है, जो आरोप पत्र दिया गया है, उसमें यह भी आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपने लड़के को गलत ढंग से नौकरी दी है। मैं विश्वास दिलाता हूं, जो प्रशासक है उनको यह आदेश दे दिये हैं कि तुरन्त उस अधिकारी को निलम्बित कर दिया जाये। अनुपालना हुई या नहीं लेकिन राज्य सरकार ने यह निर्देश दे दिया है।

दूसरा जो प्रश्न उठाया गया है, 8 साल की ऑडिट रिपोर्ट के बारे में तो यह नयी बात आई है। निश्चित रूप से 8 साल की ऑडिट रिपोर्ट चैक कराकर जो गलती होगी उसके बारे में कार्यवाही की जाएगी।

माननीय विधायिका ने जो प्रश्न उठाया है, वह निश्चित रूप से सराहनीय है। अभी तक जो घोटाले सामने आये हैं, उनसे ऐसा

Page No 12

(श्री कैलाश मेघवाल)

लगता है कि जो ईमानदार अधिकारी हैं, उनको ऐसे स्थानों पर लगाया जाय। सरकार गम्भीरतापूर्वक विचार कर ईमानदार अधिकारियों को लगायेगी। जो भ्रष्ट हो गये हैं, उनको अलग किया जाएगा। पिछले 30 वर्ष के शासन में इस प्रकार का लोगों को मौका मिला है।

श्री मूलचन्द डागा : We don't require a certificate from you.

श्री रतनलाल शर्मा (भिनाय) : वह दखलन्दाजी कर रहे हैं।

श्री शंकरलाल : क्या माननीय सदस्य की राय में 30 साल से.......

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नं बस्ट।

बून्दी क्षेत्र में भू-सुधार का कार्य

601. **श्री ओमप्रकाश शर्मा (बून्दी) :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या बून्दी क्षेत्र में सी.ए.डी. के माध्यम से भू-सुधार कार्य चल रहा है? यदि हां, तो किस ग्राम में और किस प्रकार की जमीन में ?

(2) भू-सुधार योजना से बून्दी क्षेत्र में कितनी एकड़ जमीन उपजाऊ हो सकी है ?

(3) क्या यह सही है कि भू-सुधार योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार ऊबड़-खाबड़ जमीन को उपजाऊ बनाने वाली है? यदि हां, तो बून्दी क्षेत्र के कौन कौन से ग्राम में ?

कृषि मन्त्री (श्री दिग्विजयसिंह) : (1) बून्दी जिले की तालेड़ा तथा केशोराय पाटन पंचायत समितियों में सी.ए.डी. के माध्यम से भूमि विकास कार्य चल रहा है। यह कार्यक्रम उक्त पंचायत समिति क्षेत्र के सभी गांवों में, जो चम्बल नहर क्षेत्र की निम्नांकित नहरों से सिंचित होते हैं, लिया जा रहा है।

तालेड़ा पंचायत समिति में :—

कलन्दा डिस्ट्रीब्यूटरी, गुडली माइनर व चितावा डिस्ट्रीब्यूटरी के बीच का क्षेत्र तथा डिस्ट्रीब्यूटरी पाटन व कोटा दिल्ली रेलवे लाइन के बीच का समस्त क्षेत्र-रंगराज पूरा गांव तक। ग्रामों की सूची संलग्न है।

(2) भूमि सुधार योजना से बून्दी जिले में 3960 हैक्टेयर भूमि, जिसमें भूमि सुधार कार्यक्रम लिया गया है, पूर्णतया खेती योग्य हो सकी है।

(3) यह सही है कि भूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार ऊबड़ खाबड़ भूमि को समतल कर खेती योग्य बनाने वाली है। यह कार्यक्रम बून्दी जिले की पंचायत समिति तालेड़ा तथा केशोराय पाटन के उन सभी गांवों में, जो नहरों (मांजड़, कुलन्दा, चितावा तथा पाटन डिस्ट्रीब्यूटरी व गुडली माइनर) से सिंचित होती हैं, लिये जाने का प्रावधान है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

Page No 13

(13)

श्री ओमप्रकाश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, अब तक जो भी भू-सुधार कार्य हुए है वह ऐसी जमीन पर हुए हैं जो पहले से ही समतल है। जो जमीन ऊबड़ खाबड़ है उस पर काम नहीं हुआ है, समतल जमीन पर काम हुआ है, उसका काश्तकारों को भार पड़ रहा है। मैं आपको मार्फत माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि असमतल भूमि को किस प्रकार से समतल किया जायगा ?

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस नई बात की तरफ ध्यान दिलाया है कि समतल भूमि पर काम किया गया है, इसकी मैं जांच करवाऊंगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन—

(व्यवधान)

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) : क्या कृषि मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि भू-सुधार के क्या क्या काम किये जा रहे है ? दूसरा प्रश्न यह कि प्रति हैक्टेयर भू-सुधार पर क्या लागत आती है ? तीसरा प्रश्न मेरा यह है कि जहां जमीन कट जाय वहीं भू-सुधार का काम किया जाय, लेकिन भूमि के कटाव को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है ? सरकार ने क्या कोई प्रिवेन्टिव मेजर्स लिये हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : प्रिवेन्टिव मेजर्स क्या है ?

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, इस वक्त मेरे पास जानकारी नहीं है। वैसे रिप्लाई के वक्त मैंने सारा विवरण दिया है, मैं पुनः आपको जानकारी दे दूंगा।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो जमीन वास्तव में ऊबड़-खाबड़ है, उसका सुधार होना चाहिए। माननीय मंत्रीमहोदय ने विश्वास दिलाया है कि वे इसको जांच करायेंगे। जो जमीन पहले से ही समतल है और जो सिंचित हो रही है उस पर भू-सुधार कार्य करने से किसानों को कोई लाभ नहीं होने वाला है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री ताराचन्द।

गांधी शताब्दी वर्ष के अन्तर्गत जिला भरतपुर में भूमिहीनों को दिये गये पट्टे

602. श्री ताराचन्द (रूपवास) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गांधी शताब्दी वर्ष के अन्तर्गत सन् 1970 से सन् 1976 तक भरतपुर जिले में भूमिहीन व्यक्तियों को प्रत्येक तहसील में वर्षवार कितने पट्टे दिये गये ?

(2) इन व्यक्तियों में से कितने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों को पट्टे दिये गये और कितने अन्य सवर्णों को ?

(3) इन पट्टेदार व्यक्तियों में से राज्य सरकार ने मौके पर कितनों को कब्जा दिलवाया और कितने व्यक्ति पट्टेदार, जिनको आज तक कब्जा नहीं मिल पाया है, इस भूमि से वंचित रहे ?

(4) क्या राज्य सरकार उन पट्टेदार व्यक्तियों से लगान ले रही है जिनको पट्टे वितरित हो चुके हैं परन्तु कब्जा अन्य व्यक्तियों ने किया हुआ है ?

(श्रीताराचन्द्र)

(5) क्या राज्य सरकार उन व्यक्तियों को, जिनको राज्य सरकार द्वारा पट्टे दिये गये हैं, जमीनें वापस दिलाने को तैयार है? यदि हां, तो कब तक ?

राजस्व मन्त्री (श्री पुरुषोत्तम मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय ।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान्, गरीबों का शोषण हो रहा है, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन । श्रीमती उजला अरोड़ा ।

(व्यवधान)

श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, क्या ये स्थगन मन्त्री हैं ।

श्री बनवारीलाल शर्मा (बनी पार्क, जयपुर): अध्यक्ष महोदय, जहां तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को भूमि अलाटमेंट का प्रश्न है और भूमिहीनों को भूमि देने का प्रश्न है, सरकार की बहुत जबरदस्त घोषणाएं हुई हैं । उसके बाद भी इतने महत्वपूर्ण प्रश्न को स्थगित करने की अनुमति चाही जाती है, यह उचित नहीं है । जब तक आसन इसके लिए अनुमति नहीं दे तब तक प्रश्न स्थगित नहीं होता । यह महत्वपूर्ण प्रश्न है । मन्त्री महोदय एक घन्टे, दो घन्टे, तीन घन्टे की अनुमति ले सकते हैं, आज नहीं तो कल जवाब दे दें लेकिन ज्यादा लम्बा समय लेना, 6 दिन....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपके सुझाव पर विचार करूंगा । स्थान ग्रहण करें ।

श्रीमतीउजला अरोड़ा ।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : आपने थोथी घोषणाएं की हैं ।

नशाबन्दी और शराब के नये ठेके

603. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या आबकारी मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे ।

(1) क्या राज्य सरकार राजस्थान में जनता पार्टी के घोषणा-पत्र के अनुसार पूर्ण नशाबन्दी लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार हर वर्ष शराब की दुकानों के नये ठेकों की संख्या में बढ़ोतरी करती जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि जून, 1977 के बाद भी शराब के नये ठेके दिये गये ? यदि हां, तो किन किन को और क्यों ?

आबकारी मन्त्री (श्री आदित्येन्द्र): (1) जी हां, राष्ट्रीय नीति के अनुसार सम्पूर्ण देश में मद्यनिषेध लागू किये जाने हेतु अधिक से अधिक चार वर्ष की सीमा निश्चित की है । हम राजस्थान राज्य में इस अवधि से पूर्व ही मद्यनिषेध लागू कर देंगे ।

(श्री आदित्येन्द्र)

(2) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता ।

(3) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने प्रश्न के खण्ड (1) और (3) का उत्तर दिया है कि प्रश्न ही नहीं उठता । मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जो ठेके नीलाम किये, वह क्या पहले से 10% ज्यादा शराब बिकने की गारन्टी पर नीलाम नहीं किये ?

(व्यवधान)

श्री सूर्यप्रकाश (खेरवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, एक सप्लीमेन्ट्री प्रश्न ।

श्रीमती नारंगी देवी (किशनगंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहती हूं कि जिन जिलों में शराबबन्दी लागू की गई है उनके पास वाले जिलों में उतनी ही ज्यादा दुकानें खुल गई हैं, क्या इससे नशाबन्दी आन्दोलन पर और जो नशाबन्दी की नीति है उस पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता ?

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा: श्रीमान्, 78-79 का जो बजट पेश किया गया उसके आधार पर मैं यह कहना चाहता हूं कि आपकी आमदनी बराबर बढ़ रही है । आपने 40 पर्सेन्ट जनता पर ...

(व्यवधान)

यह क्या तरीका ?

श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा): भरतपुर में शराबबन्दी कब होगी ? यह बता दीजिये ।

श्री बजरंगलाल शर्मा : Charity begins at home. क्या मैं माननीय वित्त मन्त्री महोदय से पूछ सकता हूं कि शराबबन्दी भरतपुर और जयपुर के बनीपार्क से क्यों नहीं शुरू की, जहां आपके निवास स्थान है ?

श्री नरेन्द्र पाल सिंह (बायती) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि जिन जिन जिलों में शराबबन्दी की गई है, उन जिलों के पास लगने वाले जिलों में क्या दुगुनी और तीन गुनी गारन्टी पर ठेके उठा रहे हैं ? दूसरा प्रश्न यह है कि जो शराब बनी थी वह इस वर्ष पिछले वर्ष से ज्यादा खरीदी गई, इसका क्या कारण है ?

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद जहूर (कामां) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब लाटरी बन्द कर दी गई तो दूसरे स्टेट्स की लाटरी बराबर यहां बिक रही है,

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्रीमती श्यामा कुमारी-

श्रीमती श्यामा कुमारी सेगर (कपासन): माननीय अध्यक्ष महोदय मैं यह कहना चाहूंगी कि आप इसको अनैतिक व्यापार मानते हैं और शराबन्दी करना चाहते हैं. आप जहां पर बन्द करते हैं वहां पर चोरी छिपे घर-घर में शराब की भट्टी चल रही

(श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर)

है, मुझको यह जानकारी मिली है। इसके विषय में आपका क्या विचार है?

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : वह बिल्कुल सही है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या श्रीमती उजला अरोड़ा को बोलने दीजिये। माननीय सदस्या को प्राथमिकता दीजिये, उनका प्रश्न है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगी कि आपने प्रथम प्रश्न के उत्तर में यह बताया कि चार वर्ष से पूर्व मद्य निषेध कर देंगे मेरा प्रश्न है कि आप यहां कब तक बन्द कर देंगे? क्या आप यह तिथि बताने की स्थिति में है? दूसरे, इस वर्ष 1977 में कितने ठेके नये दिये गये, कृपया यह बतायें? तीसरे, वर्ष कितने ठेके दिये है और इस गत-वर्ष कितने दिये गये? इस बात का उत्तर द तो समाधान हो सकता है।

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) :

अध्यक्ष महोदय, बाकी प्रश्न रह जायेंगे।

(व्यवधान)

श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर: अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सप्लीमेंट्री प्रश्न है। अगर जनता पार्टी ने अपने घोषणा–पत्र में कोई अव्यावहारिक घोषणा कर दी है तो क्यों नहीं उस पर फिर से विचार करते?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री पद्मसिंह राठौर (निम्बाहेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, "इस पार प्रिये तुम हो मधु है उस पार न जाने क्या होगा" इस तरह से नशाबन्दी करेंगे तो कितनी ही प्रेमिकाएं निराश होंगी।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : इसका उत्तर दिलवाइये, बड़ा अच्छा सवाल है।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह।

श्री हरिसिंह (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, नशाबन्दी के मामले में सरकार पूर्वाग्रह से काम ले रही है। इस तरह से समाज में चलना बहुत खतरनाक है, इसलिए

(व्यवधान)

श्री ईश्वर चन्द्र : अध्यक्ष महोदय हमारे यहां पर आंशिक बन्दी है उसके बारे में मुझे एक शेर याद आ गया, वह मैं अर्ज किये देता हूं।

इलाही क्या करूं तोबा, कोई मै रोज पीता हूं

उड़ा लेता हूं सावन में कभी यारों के कहने से।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी इस पर एक शेर याद आ गया है वह अर्ज किये देती हूं :

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

लब पे तोबा है हाथ में सागर है,

आज दोहरा गुनाह करता हूं।

एक माननीय सदस्य : यह क्या हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार जयपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस पर एक शेर अर्ज करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : अच्छा है शायरी चलने दो

श्री गुल मोहम्मद : पीना हराम है पिलाना हराम है पीने के बाद होश में आना हराम है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब समाप्त करें। काफी शायरी हो गयी। माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अध्यक्ष, महोदय, एक अर्ज करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री भैरवलाल कालाबादल : अध्यक्ष महोदय, शराब की चर्चा हो रही है तो कितने लोग बोल रहे है। और क्या हालत इनकी हो रही है। जब यह शराब पी लेते होंगे तो इनकी हालत क्या होती होगी।

(व्यवधान)

एक मानीय सदस्य : शराब की चर्चा पर ही इनको तो नशा आने लग गया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब शराब की चर्चा को समाप्त करें। यह माननीय सदस्य पदमसिंह जी के हस्ताक्षेप से शुरू हुई थी। अब इसे समाप्त करिये।

श्री मानीराम

मन्त्री महोदय जवाब देना चाहते है। वित्त मन्त्री जी जवाब दें।

श्री आदित्येन्द्र : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने यहां पर यह प्रश्न उठाया कि राजस्थान में शराबबन्दी पूर्णतया कब से लागू हो जायगी। मैंने यह जवाब दिया कि राजस्थान में पूर्णतया नशाबन्दी निश्चित रूप से 1-8-81 से लागू हो जायेगी। वैसे हमारे देश में पूर्ण नशाबन्दी लागू करने की तारीख 1-4-1981 है लेकिन हमारे यहां हम इसके बहुत पहले ही लागू कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, वह तारीख कौनसी होगी यह तो मैं अभी बताने की स्थिति में नहीं हूं लेकिन यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अगले दो महीनों में आपको यह मालूम हो जायेगा। हमारे राजस्थान में पूर्ण नशा-बन्दी कब से लागू होगी यह तारीख भी पता लग जायेगी जहां तक इस बात का सवाल है कि राज्य सरकार इस साल भी दुकानों की संख्या में बढ़ोतरी की है, यह बात सही नहीं है। इस साल शराब की दुकानों में बढ़ोतरी नहीं हुई है पिछले साल यानि 1-4-77 को शराब की दुकान 1,669 थीं उसके स्थान पर 1-4-78 को सिर्फ 1227 रह जायेगी

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, भरतपुर में कौनसी तारीख को पूर्णतया मद्य निषेध लागू हो जायेगा ? बताने की कृपा करेंगे क्या ?

(व्यवधान)

Page No 18

(१८)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त हो जाइये। काफी शराब पर चर्चा हो गयी। अब समाप्त करें।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कुमार सकलेचा। अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि आप राजस्थान में किस प्रकार शराब बन्दी करेंगे? सिर्फ दुकानों की संख्या में कमी करने से या शराब बन्द कह देने से तो शराब बन्द नहीं होगी। आप लोगों को कैसे राजी करेंगे जिससे कि राजस्थान में शराब बन्द हो जावे? वह नीति बतायें।

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय हमें तो राज्य सरकार से यह पूछना है कि शराब बन्द करने के लिये किस माध्यम से क्या प्रयास किये जायेंगे, उसके बारे में थोड़ा बता दें। आप शराब पीने वालों को कैसे रोकेंगे, यह बतायें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया शराब की चर्चा को समाप्त करें। नैक्सट श्री मालाराम

खेतड़ी ठिकाने के कर्मचारियों को पेन्शन

604 श्री मालाराम (खेतड़ी): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे : खेतड़ी ठिकाने के कितने कर्मचारियों को पेन्शन दी जा रही है? पेन्शन की दर क्या है और क्या यह दर जीवनयापन के लिये पर्याप्त है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

राजस्व मन्त्री (श्री पुरुषोतम मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की सूचना प्राप्त नहीं हुई है इसलिये इसको स्थगित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न स्थगित किया गया।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य शान्त रहें। कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य माननीय सदस्य

नेक्सट स्थगित प्रश्न।

श्री कौशल किशोर जैन : अध्यक्ष, महोदय, मेरा प्रश्न है 605, यह बस अगला प्रश्न ही है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है गबन का मामला है। इस प्रश्न को लिया जाय।

(व्यवधान)

श्री मन्जूर अली (सवाई माधोपुर): अध्यक्ष महोदय मुझे सिर्फ 15 सैकिन्ड के लिए इजाजत फर्मा दें। अध्यक्ष

(व्यवधान)

महोदय, आज रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट के जितने सवाल पूछे गये हैं उन सभी को स्थगित किया गया है। इसका कारण यह बताया है कि प्रश्नों के उत्तर प्राप्त नहीं हो सके है इसका मतलब यह हुआ कि रेवन्यू डिपार्टमेन्ट मन्त्री महोदय से कोआपरेट नहीं कर रहा है। आप ताड़ना दीजिये।

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न संख्या 605 है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि दस लाख रुपये के गबन का मामला है। या तो आप इस प्रश्न का जवाब दिलवा दें या इस प्रश्न को स्थगित करवा दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। आपको लिखित उत्तर तो मिल ही जायेगा। फिर क्या?

(व्यवधान)

Page No 19

(19)

श्री अध्यक्ष :

माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें ।

श्री कौशल किशोर जैन : अध्यक्ष महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दस लाख रुपये का गबन है । बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है । आप इसको स्थगित करवा दें ।

श्री अध्यक्ष : माननीय, सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें । स्थगित प्रश्न लिये जायेंगे । पूर्व के प्रश्नों पर चर्चा समाप्त । सिर्फ स्थगित प्रश्न ले रहा हूं ।

प्रश्न संख्या 42

श्री बृजेन्द्र पाल सिंह ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

स्थगित प्रश्न । श्री रघुनाथ विश्नोई ।

भीनमाल तहसील में नाजायज कब्जों के मामले

47. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि रानीवाड़ा, प्रजोदर, रानीवाड़ा–सेवड़िया एवं डूंगरी प्राम्बपुरा सेवाड़िया रास्तों पर नाजायज कब्जे शीघ्र हटाने बाबत काश्तकारों द्वारा कलेक्टर जालोर के पास कई दरख्वास्तें पेश की गई थीं ? अगर हां, तो क्या यह भी सही है कि ऐसे नाजायज कब्जों को हटाने बाबत 91 आर. एल. र. के बहुत कई मामले दर्ज तहसील भीनमाल द्वारा किये गये थे ? अगर हां, तो उनके बारे में अब तक क्या क्या कार्यवाही की गई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि अभी तक उक्त पूरे रास्ते पर नक्शे के अनुसार बेदखली के आदेश होने के बावजूद भी नाजायज कब्जे नहीं हटाए गए है ? अगर हां, तो इसमें किसकी जिम्मेदारी है और इस बारे में कब तक राज्य सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाये जायेंगे ?

(3) उक्त तीनों गावाई पूरे रास्तों पर से वास्तविक नक्शे के अनुसार नाप कर कब तक हटवा दिये जायेंगे ? नहीं हटने वालों के विरुद्ध कब तक राज्य सरकार द्वारा क्या कानूनी कार्यवाही की जावेगी ?

राजस्व मन्त्री (श्री पुरुषोत्तम मन्त्री) : (1) जी हां, रानीवाड़ा-प्रजोदर, एवं रानीवाड़ा-सेवड़िया मार्गों पर हुए अतिक्रमणों के बाबत दरख्वास्तें प्राप्त हुई थीं जिन पर तहसील कार्यालय भीनमाल में धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कुल 20 अतिक्रमियों के विरुद्ध मामले दर्ज किये गये एवं दिनांक 14-10-70 को इन अतिक्रमियों को बेदखल करने के आदेश किए गए । डूंगरी प्राम्बपुरा सेवाड़िया मार्ग रानीवाड़ा प्रजोदर का ही दूसरा नाम है ।

(2) बेदखली के आदेशों के बावजूद अभी तक भौतिक रूप से कब्जे नहीं हटाये गए हैं । अब शीघ्र ही जिलाधीश को इस हेतु कार्यवाही करने के आदेश दिये गये हैं ।

(3) मौके पर अतिक्रमण हटाने से पूर्व नक्शे के मुताबिक माप करके कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर दी जावेगी । अतिक्रमण काफी संख्या में होने के कारण हटाने में विलम्ब हुआ है । शीघ्र कार्यवाही हेतु जिलाधीश को आदेश दे दिये गए हैं ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अतिक्रमण कब तक हटा देंगे ? बरसात से पूर्व ? कब तक इम्पलीमेंट करा देंगे ?

श्री पुरुषोतम मन्त्री : जो आदेश दिए गए हैं उनमें बहुत शीघ्र कार्यवाही करने के लिए कहा गया है। जैसा माननीय सदस्य ने कहा, उसमें सीमा बांध दी जाएगी।

श्री अध्यक्ष : श्री कौशलकिशोर जैन।

नगर विकास न्यास भीलवाड़ा द्वारा गांधी नगर विस्तार योजना हेतु जमीन खरीदने का मामला

605. श्री कौशलकिशोर जैन (भीलवाड़ा) । क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1970 में नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा द्वारा गांधीनगर विस्तार योजना के अन्तर्गत खसरा सं. 2001, 2002 व 2003 व उसके आस-पास की भूमि खरीदने का निश्चय किया गया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त जमीन उसके पश्चात् श्री रामेश्वरलाल झंवर सोहनलाल भैंसा तथा प्रेमचन्द जैन के परिवार ने खरीद ली ?

(3) क्या इन तीनों परिवारों ने इस जमीन को हल्का-ए-आबादी करने के लिए प्रार्थना पत्र दिए ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त तीनों परिवारों ने मकान न होने के गलत प्रमाण-पत्र दिए ?

(5) तत्कालीन जिलाधीश ने किस आधार पर इस जमीन को हल्का-ए-आबादी में परिवर्तित किया।

(6) क्या यह भी सही है कि उक्त फाइल पर 1977 में राज्य सरकार ने कुछ निर्णय किया है ?

(7) क्या उस निर्णय से राज्य सरकार को दस लाख का घाटा नहीं है ?

राजस्व मन्त्री (श्री पुरुषोतम मन्त्री) : (1) जी हां, परन्तु वर्ष 1974 में पूर्व के निर्णय को बदल दिया गया।

(2) जी हां। श्री रामेश्वरलाल झंवर आदि 7 व्यक्तियों ने इन भू-खण्डों में से कुछ जमीन खरीद ली।

(3) जी हां। सातों विक्रेताओं ने प्रार्थना-पत्र दिये थे।

(4) इनमें से छः ने इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया था कि उनके नाम का कोई रिहायशी बंगला भीलवाड़ा में नहीं है। श्री बनवारीलाल ने यह शपथ-पत्र प्रस्तुत किया था कि उनके नाम का कोई बंगला (जायदाद) भीलवाड़ा में नहीं है।

(5) तत्कालीन जिलाधीश भीलवाड़ा ने इस भूमि को राजस्थान भू-राजस्व (शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि को आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ परिवर्तन) नियम 1971 के अन्तर्गत आबादी में परिवर्तित किया था।

(6) भीलवाड़ा के निवासी श्री चांदमल सोनी द्वारा एक अपील इस परिवर्तन के विरुद्ध राज्य सरकार को प्रस्तुत की गई थी जो तकनीकी खामियों एवं अदम हाजरी के कारण खारिज की गई थी।

(श्री पुरुषोत्तम मन्त्री)

(7) इस निर्णय को राज्य सरकार ने स्वत: ही रिव्यू करने के आदेश दे दिए हैं।

राज्य सरकार को कोई घाटा हुआ हो ऐसा कहने का कोई आधार नहीं है।

श्री कौशल किशोर जैन : मंत्री महोदय ने भाग (7) में बताया कि इस योजना में सरकार को घाटा नहीं हुआ। मेरा निवेदन है कि सन् 1970 में कोई 5 बीघा 8 बिस्वा जमीन आराजी नं. 2001, 2002 व 2003 गांधीनगर विस्तार योजना के नाम पर भीलवाड़ा में आवंटित की गई थी, उसके बाद शपथ पत्र दिए गए मकान न होने के। एक दो परिवार के 8 व्यक्ति हैं जिनके पास एक नहीं दो दो मकान भीलवाड़ा में हैं। सन् 1974 में मामूली मूल्य पर यह भूमि आबादी में परिवर्तित की गई। भूमि परिवर्तन राशि 6 वर्षों में जमा करानी थी। 42,000) रु. की यह जमीन है इसके 50-60 भूखंड काट कर कंवर व दूसरे आदमी बेचना चाहते हैं, उसकी कीमत 10 लाख रुपये होती है। 10 लाख रुपये का ब्याज केवल 1 लाख 20 हजार रुपए प्रति वर्ष होता है। यह जो परिवर्तन किया गया तकनीकी आधार पर श्री जगदीश प्रसाद, जिलाधीश के निर्णय को आपने बहाल कर दिया, उसको बदलना चाहिए। यह 10 लाख रुपये का मामला है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह गांधीनगर विस्तार योजना जिलाधीश ने क्यों रद्द की ?

श्री ईश्वरचन्द्र : सन् 1977 में राज्य सरकार ने तकनीकी आधार पर अपील खारिज कर दी याने जनता पार्टी सरकार ने खारिज की। मन्त्री महोदय स्वयं वकील हैं उनको मेरिट्स के आधार पर फैसला करना चाहिए। अगर मन्त्री महोदय ने गलती कर दी है तो वह घोषणा करें, वह इस मामले का रिव्यू करें। जिन लोगों ने ये प्लाट्स लिए हैं वे लखपति व करोड़पति हैं, झूठे शपथ पत्र देकर जमीन पर उन्होंने कब्जा कर लिया है और करोड़पति से अरबपति बन रहे हैं। इसलिए इसकी सुनवाई करें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : स्वर्गीय उमराव सिंह ढाबरिया ने जिस मामले के लिये कहा था यह वह मामला है जिसको लेकर एक कांग्रेसी नेता ने कहा है कि मैं अपनी सरकार के जमाने में जो काम दो लाख रुपये में न करा सका वह आपकी सरकार के जमाने में 15 हजार रुपये में करा लिया। दूसरे, 'भीलवाड़ा' सन्देश ने इस मामले का प्रकाशन किया और चुनौती दी कि अगर हमारी खबर गलत निकले तो मुकदमा चलाया जाए। यह अब ऐसा अखबार है जिसके लिए सदन के नेता सदा कहते रहे हैं कि वह भरोसे काबिल है। राम प्रसाद लड्ढा पर आरोप लगाए गए थे। उस अखबार ने चुनौती के साथ छापा है, गम्भीर मामला है, इस बारे में समुचित, सन्तोषजनक उत्तर देने की कृपा करें।

श्री गुलाबचन्द्र कटारिया (उदयपुर): गांधीनगर विस्तार योजना किन बातों को लेकर बनाई ? उसके बनाने के पीछे मन्तव्य क्या था ? उस योजना को तोड़ने के पीछे क्या दुराग्रह था ? प्लान ड्राप करके कुछ परिवारों को प्लाट आवंटित किये गये ?

श्री कौशल किशोर जैन। जनता सरकार की तस्वीर भीलवाड़ा जिले में धूमिल

Page No 22

(22)

(श्री कौशल किशोर जैन)

हो रही है, यह हमारे लिए चिंता का विषय है। यह जन चर्चा का विषय हो रहा है कि जो कांग्रेस सरकार ने नहीं किया, जो काम एक लाख रुपये में कांग्रेस हुकूमत में नहीं करा सके वह 8 महीने की जनता सरकार के समय में 15 हजार रुपये देकर भंवर ने करवा लिया। यह हमारी पार्टी की साख का सवाल है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया भाषण न दें।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : ये 15 हजार रुपये जनता पार्टी के किस मन्त्री को दिए गए ?

(व्यवधान)

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मन्त्री महोदय ने बताया कि आवंटियों ने शपथ पत्र दिया है कि उनके निजी मकान नहीं हैं, जब कि उनके पास मकान हैं। क्या आपने जांच करवाई कि उनके पास मकान हैं या नहीं ? उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने को तैयार हैं ? केवल अधिकारियों द्वारा लिखा गया उत्तर पढ़ने से मन्त्री की साख खराब होती है।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : यह जो अपील तकनीकी कारणों से खारिज हुई, यह मेरे जमाने की बात नहीं है। जिन लोगों ने गलत एफीडेविट्स दिए हैं, वह फाइल मैंने तलब कर ली है रिव्यू करने के लिए, मेरे पास विचाराधीन है, जो उचित कार्यवाही होगी, की जाएगी। अगर एफीडेविट्स गलत हैं तो भारतीय दण्ड संहिता का जो कानून है उसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी। मैं यह आश्वासन देता हूं।

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : मैं पूछना चाहता हूं, क्या यह सही है कि आज से तीन महीने पहले जिलाधीश भीलवाड़ा ने इस बारे में राज्य सरकार को अवगत कराया था कि यह फाइल तुरन्त रिव्यू की जाए ? मन्त्रीजी कह रहे हैं कि मेरी जानकारी में नहीं है। भीलवाड़ा कलेक्टर ने ....

श्री अध्यक्ष : फाइल मंगवा ली है।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : मैंने निवेदन किया है कि फाइल मैंने तलब कर ली है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री बजरंग लाल शर्मा : फाइल आपके पास है या किसके पास है ? यों तो पूरा सेक्रेटेरियेट है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : माननीय अध्यक्ष, एक प्रश्न। मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगी कि 15 हजार रुपये रिश्वत देने की बात कही गयी है उसके लिये आपको क्या कहना है ? ये किसको दिये गये हैं ?

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : मुझे कोई ध्यान नहीं है 15 हजार रुपये के लिये।

श्री निर्मलकुमार सकलेचा : 15 हजार रुपये किस अधिकारी ने लिये ?

श्री बजरंगलाल शर्मा : यह फाइल किसके पास है ?

श्री अध्यक्ष : केबिनेट के पास है। जोइन्ट रेस्पान्सिबिलिटी है। केबिनेट के पास है।

श्री मंजूर अली : माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम यह है कि जो सवाल प्रश्नोत्तर काल में नहीं लिये जा सकें और बाकी रह जाएं तो उनका जवाब प्रश्नकर्ता के पास भेज दिया जाता है। प्रश्न संख्या 625 का जवाब भी पहुंचेगा ही लेकिन मुझे इस जवाब पर कानूनी एतराज है। सवाल यह है, अध्यक्ष महोदय, "क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत भूठा, पंचायत समिति रायपुर, जिला पाली के पंचायत चुनाव में श्री प्रेमराज द्वारा किन्हीं अधिकारियों के विरुद्ध चुनाव में दबाव एवं हेराफेरी के आरोप लगाकर राज्य सरकार को तार द्वारा शिकायत की गयी है? यदि हां, तो ये अधिकारी कौन कौन हैं? इस संदर्भ में राज्य सरकार ने आज तक क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों?"

अध्यक्ष महोदय, मिस कन्डक्ट के आरोप अधिकारियों के खिलाफ हैं नियम यह है :

"It shall not ask for information on a matter which is under adjudication by a court of law having jurisdiction in any part of India."

श्री रघुनाथ बिश्नोई : यह लागू होता ही नहीं है।

श्री मंजूर अली: यदि इसका जवाब आ भी गया हो तो उनके पास न भेजा जाय क्योंकि इसकी वाइड पब्लिसिटी होगी और जुडिशियरी प्रिजुडिस हो जावेगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, उत्तर इस सम्बन्ध में मिल जायगा कि मामला सब जुडिस है।

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें।

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 4-3-78)

राजकीय क्षेत्र के उद्योग

42. श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसींद): क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में कितने व कौन कौन से उद्योग राजकीय क्षेत्र में स्थापित किये गये हैं?

(2) इनकी स्थापना से अब तक प्रति वर्ष प्रत्येक उद्योग उपक्रम को कितनी हानि अथवा लाभ हुआ?

(3) प्रत्येक उद्योग/उपक्रम के हानि में जाने के क्या कारण हैं?

(4) उद्योग/उपक्रम लाभ में चले उसके लिए राज्य सरकार द्वारा और क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं?

उत्तर

(1) राजकीय उपक्रम विभाग/उद्योग एवं खनिज विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में निम्न उद्योग राजकीय क्षेत्र में स्थापित है:—

1—गंगानगर शुगर मिल्स लि., जयपुर
2—राजस्थान स्टेट टैनरीज लि., टोंक
3—हाईटेक प्रेसीजन ग्लास लि., धौलपुर
4—राजकीय ऊनी मिल्स, बीकानेर
5—राजकीय लवण स्रोत, पचपदरा
6—राजकीय लवण स्रोत, डीडवाना
7—राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, डीडवाना

(राजकीय उपक्रम मंत्री)

8-राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम, जयपुर

9-राजस्थान स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लि., जयपुर।

10-राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लि.।

(2) इनकी स्थापना से अब तक उद्योगों/उपक्रमों को जो लाभ हानि हुई उसका ब्योरा संलग्न है।

(3) उद्योगों/उपक्रमों में हानि के रहने के निम्न कारण हैं:

1. गंगानगर शुगर मिल्स लि., जयपुर:

इस संस्थान में पिछले 20 वर्षों के कार्यकाल में केवल 3 वर्षों में हानि रही। वर्ष 1963-64 में हानि का मुख्य कारण गन्ने की कमी तथा रिकवरी प्रतिशत कम होना था। वर्ष 1971-72 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के कारण गन्ने एवं चुकन्दर की फसल को एक ओर तो नुकसान हुआ और दूसरी ओर युद्ध की वजह से मिल का क्रसिंग सीजन देरी से प्रारम्भ हुआ जिससे रिकवरी प्रतिशत पर भी प्रभाव पड़ा। वर्ष 72-73 में भी शुगर फैक्ट्री के लिये कम गन्ना एवं चुकन्दर उपलब्ध होने से शुगर मिल केवल 64 दिन ही चली। एवं रिकवरी का प्रतिशत भी कम रहा।

2. राजस्थान स्टेट टैनरीज लि., टौंक:

इस संस्थान में प्रारम्भ में होने वाले खर्चों की अधिकता के कारण कार्यशील पूंजी में कमी होना, क्षमता से कम उत्पादन होना, माल की मांग कम होना, कम्पनी को चमड़े के अन्य लम्बे समय से सुव्यवस्थित कारखानों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना, चमड़े के विश्व बाजार में गिरावट एवं आर्थिक मंदी, भारत सरकार द्वारा निर्यात की परिभाषा में परिवर्तन करना।

3. हाइटेक प्रेसीजन ग्लास लिमिटेड, धौलपुर:

यह संस्थान राजकीय कम्पनी के रूप में वर्ष 62-63 से कार्य कर रहा है। इस संस्थान में हानि के निम्न कारण रहे हैं:

1. फैक्ट्री का अपूर्ण हालत में प्रारम्भ किया जाना।

2. गोदामों के अभाव में कांच के सामान की भारी टूट-फूट होना।

3. उचित एवं पर्याप्त भण्डारन क्षमता के अभाव में भट्टी के तेल पर बहुत हानि होना।

4. शक्ति का उत्पादन डीजल जनरेटिंग सैट के माध्यम से किया जाने के कारण मंहगा पड़ना।

5. कच्चा माल, डीजल, फर्नेस आयल काफी दूर से मंगाया जाना जिसकी वजह से उत्पादन लागत काफी ऊंची होना।

मंत्रिमण्डल के निर्णय के अनुसार इस संस्थान को एक जुलाई, 68 से गंगानगर शुगर मिल्स को लीज पर दे दिया गया है अतः उसके पश्चात जो लाभ-हानि के आंकड़े दर्शाये गये हैं वह गंगानगर शुगर मिल्स से प्राप्त लीज राशि के आधार पर हैं।

4. राजकीय ऊनी मिल, बीकानेर:

(राजकीय उपक्रम मंत्री)

राजकीय ऊनी मिल्स, बीकानेर में हानि के निम्न मुख्य कारण रहे हैं :—

1. अधिष्ठापित क्षमता का पूर्ण उपयोग न किया जाना।

2. ऊंची उत्पादन लागत।

3. अपर्याप्त वितरण व्यवस्था।

4. सक्षम स्पीनिंग मास्टर की सेवाएं प्राप्त न कर सकना।

5. जनवरी, 1974 से कालीन धागे की कीमतों में निरन्तर विश्व-व्यापी गिरावट।

5. राजकीय लवण स्रोत, पचपदरा

इस संस्थान में विभिन्न वर्षों में हानि होने के मुख्य कारण उत्पादकों एवं राज्य सरकार के मध्य याचिका का होना, न्यायालय के आदेशानुसार अधिक उत्पादन कर देना, रेलवे द्वारा उपयुक्त मात्रा में खाली गाड़ियों का आवश्यकतानुसार उपलब्ध न होना है। इसके अतिरिक्त नमक उत्पादन के लिये मौसम का अनुकूल होना भी आवश्यक है। यह स्रोत राजस्थान के दूरस्थ स्थान पर स्थित है जहां से व्यापारियों को नमक ले जाने में काफी असुविधा होती है।

6. राजकीय लवण स्रोत, डीडवाना :

इस संस्थान में वर्ष 1973-74 में 0.37 रु. लाख रुपये की हानि रही जिसका प्रमुख कारण नमक उत्पादकों द्वारा नमक का विक्रय विभाग को न करके सीधा ही बाजार में किया जाना है।

7. राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, डीडवाना :

इस संस्थान में निम्नलिखित इकाइयां हैं:

1. सोडियम सल्फेट वर्क्स।

2. सोडियम सल्फेट प्लाण्ट।

3. सोडियम सल्फाइड फैक्ट्री।

सोडियम सल्फेट वर्क्स में प्रारम्भ से अब तक लाभ की स्थिति रही है।

सोडियम सल्फेट प्लांट में प्रारम्भ के 3 वर्षों में लाभ की स्थिति रही। शेष वर्षों में हानि के निम्न कारण हैं:-

1. बिजली में व्यवधान आना।

2. फर्नेस आयल की कीमतों में निरन्तर वृद्धि होना।

3. रेयन मिलों के द्वारा बाई-प्रोडक्ट के रूप में इस रसायन का उत्पादन करना जिसके कारण बाजार में इसका प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना।

4. पूर्व में इस रसायन की विक्रय दर 1800/-रुपये प्रति टन हो गई थी जब कि वर्तमान में विक्रय दर 600/-रुपये से 625/-रुपये प्रति टन है। इसी प्रकार फर्नेस आयल की दरों में पूर्व की अपेक्षा चार गुना से भी अधिक वृद्धि हो गई है।

सोडियम सल्फाइड फैक्ट्री में शुरू के वर्षों में हानि रही जो कि नई इकाई के लिए स्वाभाविक है। वर्ष 71-72 से यह इकाई निरन्तर लाभ की स्थिति में चल रही है।

8. राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम

इस इकाई में वर्ष 1974-75 एवं 76-77 में हानि रही जिसके मुख्य कारण निम्न प्रकार से हैं :-

1. निगम के विनियोजन का अधिकांश भाग राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के कार्य क्षेत्र में लगाना, जैसे औद्योगिक क्षेत्रों का विकास, निजी क्षेत्र की कम्पनियों में हिस्सा पूंजी का सहयोग, उद्यमियों को मुफ्त परामर्श एवं मार्ग-दर्शन इत्यादि में लगता है।

2. निगम द्वारा प्रारम्भ की गई इकाइयां औद्योगिक परियोजनायें हैं जो अभी शैशवकाल में हैं। इन परियोजनाओं में जब तक व्यावसायिक उत्पादन प्रारम्भ नहीं हो जावेगा निगम को विनियोजित राशि पर लाभांश प्राप्त नहीं होगा।

3. निगम कुछ खनिजों के माइनिंग लीज लेकर खनन कार्य कर रहा है। कुछ खानों पर विकास कार्य करना पड़ता है। कुछ खानों पर रिजर्व खतम हो जाने के पश्चात् भी काम बन्द नहीं किया जा सकता है क्योंकि वहां पर जनजाति के श्रमिक बेरोजगार हो जाते हैं।

4. निगम द्वारा स्थापित फैक्ट्री में फरवरी, 77 से व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ किया गया है। इसमें कुछ हानि हुई है।

9. राजस्थान स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड

इस संस्थान के अन्तर्गत निम्न इकाइयां कार्यरत हैं :-

1. फर्नीचर मेकिंग सेन्टर, जयपुर।

2. राजस्थान वर्स्टेड स्पीनिंग मिल्स, चूरू एवं लाडनूं।

3. मयूर बीड़ी इण्डस्ट्रीज, टौंक।

फर्नीचर मेकिंग सेन्टर प्रारम्भ से ही लाभ में चल रहा है।

राजस्थान वर्स्टेड स्पीनिंग मिल्स, चूरू एवं लाडनूं में प्रारम्भ के 5 वर्षों में काफी हानि रही जिसका मुख्य कारण यह है कि मिल्स का स्थापना-खर्च काफी अधिक था तथा नई इकाई होने के कारण उत्पादन भी कम हो रहा था। प्रारम्भ में इस मिल में लेपी टाप्स का उत्पादन नहीं होता था तथा उनका क्रय बाहर से किया जाता था जो महंगा पड़ता था। इन मिलों में चार-चार सौ तकुए और लगाये गये। साथ ही वो कार्डिंग मशीनें पोलेण्ड से टाप्स के उत्पादन हेतु मंगाने पर ये इकाइयां लाभांश में परिवर्तित हुई। वर्ष 74-75 में इन मिलों को पुनः हानि उठानी पड़ी जिनका मुख्य कारण मरीना ऊन की खरीद के लिए जाने के पश्चात उसकी कीमत में अप्रत्याशित गिरावट आना है। वर्ष 75-76 से ये मिलें पुनः लाभांश में चल रही हैं।

मयूर बीड़ी इण्डस्ट्रीज, टौंक में हानि के निम्न कारण हैं:-

1. प्रारम्भ में भारी तादाद में तेन्दू पत्ते की खरीद।

2. उत्पादन मूल्य अधिक होना।

3. बिक्री कम होना।

(4) वर्ष 1972 के मुकाबले निरन्तर मजदूरी दर में वृद्धि होना।

10. राजस्थान माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

यह इकाई निरन्तर लाभ में रही है।

उद्योग/उपक्रम लाभ में चलें इसके लिए राज्य सरकार द्वारा निम्न प्रयास किये जा रहे हैं:-

1. शुगर फैक्ट्री की मशीनरी 70 साल पुरानी है एवं अपना जीवन लगभग पूरा कर

(राजकीय उपक्रम मंत्री)

चुकी है। इसके आधुनिकीकरण हेतु एक योजना हाथ में ली गई है जिसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा स्वीकार कियाजा चुका है। उनके द्वारा इस योजना के लिये 1.34 करोड़ रु. का ऋण स्वीकृत हो चुका है। इसके साथ ही शुगर फैक्ट्री की उत्पादन क्षमता को 1000 टन से 1300 टन प्रति दिन तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। गन्ने की रिकवरी में वृद्धि हेतु जल्दी पकने वाले गन्ने की किस्म को प्रचलित किया जा रहा है। कम्पनी ने ऐसी किस्मों को लोकप्रिय बनाने हेतु 1.50 रु. प्रति क्विंटल देने का भी निश्चय किया है।

2-राजस्थान स्टेट टेनरीज लि. के कार्यों को सुचारु रूप से चलाने के लिये नये तकनीकी संचालक की नियुक्ति की गई है जो इस व्यवसाय के विशेषज्ञ हैं। प्रबन्ध संचालक का कार्यालय जयपुर से टोंक स्थानान्तरित किया जा रहा है। कार्यशील पूंजी की कमी को दूर करने के लिये बैंकों से प्रबंध किया जा रहा है।

3-हाईटेक प्रेसीजन ग्लास लि. वर्तमान में गंगानगर शुगर मिल्स लि. के पास लीज पर है। उत्पादन लागत को कम करने की दृष्टि से फैक्ट्री में दो फर्नेस बनाई गई है जिसमें से एक 10 टन की कौल फायर्ड फर्नेस है जिससे आबकारी बोतलें बनाई जा रही हैं। लेबोरेटरी ग्लास वेयर्स के उत्पादन के लिए तेल से चलने वाली फर्नेस लगाई गई है। लेबोरेटरी ग्लास वेयर्स की बिक्री के लिये सतत् प्रयत्न किये जा रहे हैं जिसकी वजह से इनकी बिक्री में पिछले वर्षों की तुलना में आशातीत वृद्धि हो रही है। फैक्टरी में उत्पादन डायवर्सीफाई करने की दृष्टि से टम्बलर बनाने के लिये प्रेसिंग मशीन लगाने का निर्णय लिया गया है जिससे टम्बलर्स का उत्पादन इसी माह में प्रारम्भ हो जाने की आशा है।

4-वर्तमान में राजकीय ऊनी मिल्स, बीकानेर, मैसर्स जगन्नाथ जीवनमल वूलन मिल्स प्रा. लि., जयपुर को रु.18 12,012 प्रति वर्ष पर दस वर्ष के लिये पट्टे पर दी हुई है। जैसा कि मंत्रिमण्डल के द्वारा निर्णय लिया गया था।

5-राजकीय लवण स्रोत, पचपदरा में नमक की खानों को रिनोवेट कराया जा रहा है ताकि उत्तम नमक का उत्पादन हो सके। विक्रय दर में सुधार किया गया और सभी मंडियों में माल पहुंचे इसके लिये रेलवे से वेगन प्राप्त करने की चेष्ठा की जा रही है। बड़े रसायन उद्योगों को कास्टिक सोडा बनाने के लिये नमक उपलब्ध कराया जा रहा है। साल्ट वाशरी लगाने की योजना पर विचार किया जा रहा है। खानों से नमक निकालने के बाद जो बिटर्न बचता है उसको बाहर फेंकने के लिये पम्प की खरीद करने पर विचार किया जा रहा है जिससे एक तरफ नमक की शुद्धता पर असर पड़ेगा एवं दूसरी ओर उत्पादन भी बढ़ेगा।

6-राजकीय लवण स्रोत, डीडवाना में निजी तौर पर नये क्यार बनाकर नमक उत्पादन शुरू किया गया है एवं नमक बाजार को मद्देनजर रख कर नमक की किस्म व उत्पादन में बढ़ोतरी के प्रयास किये जा रहे हैं।

7. राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, डीडवाना, सोडियम सल्फेट एवं सोडियम सल्फाइड की इकाइयों को लाभांश में लाने के

Page No 28

(28)

(राजकीय उपक्रम मंत्री)

लिये निम्न कदम उठाये जा रहे हैं:-

1. सोडियम सल्फेट संयंत्र को कोयले पर चलने वाले बायलर द्वारा चलाये जाने पर विचार किया जा रहा है। इसके लिये नेशनल प्रोडक्टिविटी कौंसिल द्वारा जांच कराई जा रही है। जांच परिणाम लाभदायक पाये जाने पर वांछित डिजाइन में बदलाव किया जावेगा।

2. वर्तमान में स्टाक की प्रचुरता को देखते हुए उत्पादन में कमी कर दी गई है। जिससे माल ज्यादा संग्रहित न हो एवं उसके ब्याज आदि का भार विभाग पर न पड़े।

8. राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम जयपुर में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये उपयुक्त अनुदान दिया जावे। नये उद्योगों को परिवर्तन के लिए निगम को धनराशि की मांग की आवश्यकता पर लम्बी अवधि के लिये ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त होना चाहिए जैसे कि दूसरे राज्यों में हुआ है। खनन् परियोजनायें जो रिजर्व के खतम होने से अव्यावसायिक हो गई हैं उन्हें बंद कर देना चाहिये।

9. राजस्थान स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लि० को फर्नीचर मेकिंग सेण्टर में निरन्तर लाभ हो रहा है फिर भी लाभांश में वृद्धि के लिये प्रयास जारी हैं।

राजस्थान वर्स्टेड स्पिनिंग मिल्स, चूरु एवं लाडनूं में उत्पादन में निरंतर वृद्धि हो रही है जिसके विक्रय हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। प्रारम्भ में उत्पादित धागा पंजाब लुधियाना, अमृतसर में विक्रय किया जाता था। अब श्रीनगर, आगरा, दिल्ली व जयपुर में भी कार्पेट यार्न काफी तादाद में विक्रय करना प्रारम्भ कर दिया है। मयूर बीड़ी इण्डस्ट्रीज टौंक में वन विभाग के गोदामों में देख कर व परख कर तेन्दू पत्ता खरीदने की कार्यवाही जारी है। कमीशन एजेण्टों के माध्यम से बिक्री बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं। इसके लिए आई० एस० आई मार्क प्राप्त कर लिया गया है। प्रमुख समाचार पत्रों में समय-समय पर विज्ञापन प्रकाशित किये जा रहे हैं। रक्षा विभागों में भी बीड़ी विक्रय के प्रयास किये जा रहे हैं। इसकी बिक्री में बढ़ोतरी होने पर उत्पादन कीमत में कमी होने के फलस्वरूप ही यह लाभांश में परिवर्तित हो सकती है।

10. राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल लि० निरन्तर लाभ में रहा है फिर भी लाभांश में वृद्धि के लिये प्रयास किये जा रहे है।

(ब्यौरे के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें।)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

धौलपुर में कृषि उपज मण्डी का शिलान्यास

400. श्री जगदीश सिंह (धौलपुर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) धौलपुर कृषि उपज मंडी का जो शिलान्यास भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री हरिदेव जोशी ने आज से करीब दो वर्ष पहले किया था वह आज तक मंडी क्यों नहीं बनाई गई ?

(2) क्या इसमें कोई कानूनी अड़चन है? यदि हां, तो इसके समाधान के लिए क्या कार्यवाही हो रही है और कब तक पूरे किये जाने की आशा है ?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, धौलपुर को इसके मण्डी यार्ड के लिये कृषि विभाग की नर्सरी, की भूमि जो लगभग 24 बीघा थी, राज्य सरकार द्वारा आवंटित की गई थी।

यह भूमि मण्डी के लिये प्रर्याप्त नहीं

(कृषि मंत्री)

थी तथा इस तक की पंहुच भी एक तंग सड़क से होकर थी जो मंडियों के आने जाने के लिये पर्याप्त नहीं थी। अस्तु इस के पास के 38 बीघा या अन्य भूखण्ड अवाप्त करने की कार्यवाही की जा रही है। यह कार्यवाही पूरी हो जाने पर पूरे मण्डी यार्ड का निर्माण कार्य आरम्भ हो सकेगा।

(2) अवाप्त की जा रही भूमि मिल जाने पर निर्माण कार्य विधिवत सम्पन्न किया जा सकेगा। अभी तक इसमें कोई कानूनी अड़चन नहीं आई है।

टौंक जिले में विचाराधीन उन्नत बीज उत्पादन योजना

401. श्री अजीत सिंह (टौंक): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या टौंक जिले में उन्नत बीज उत्पादन हेतु कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है ?

(2) क्या राज्य सरकार का टौंक में उन्नत बीज शोधक प्लान्ट लगाने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) टौंक जिले में उन्नत बीज उत्पादन हेतु वर्तमान में विभागीय बीज उत्पादन योजना के अन्तर्गत करीब 200 एकड़ रबी बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया गया है। टौंक जिले में इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1968 से विभिन्न किस्मों का बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया जाता रहा है।

(2) इस जिले में मुख्यालय पर पिछले तीन वर्षों से बीज (विधायन) शोधन सुविधायें उपलब्ध हैं तथा वांछित तकनीकी कर्मचारी एवम् बीज विधायन उपकरणों की व्यवस्था भी कर दी गयी है।

तहसील कोटपूतली में सार्वजनिक निर्माण के भवनों को दिया गया रुपया

404. श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) तहसील कोटपूतली में 5 वर्ष के लिये सरकारी भवनों के लिये कितना रुपया कहां कहां के लिये कब कब दिया गया ?

(2) क्या वह रुपया पूरा काम में लिया गया ?

(3) तहसील के कौन कौन से भवन सार्वजनिक निर्माण विभाग के कब्जे में हैं और जो निर्माण विभाग के अधीन नहीं है उनको कब तक ले लिया जायेगा ?

(4) उनको लेने के लिए विभाग की तरफ से क्या कार्यवाही हो रही है ?

उत्तर

(1) तहसील कोटपूतली में पिछले 5 वर्ष में सरकारी भवनों के लिये आवंटित की गई राशि का विवरण संलग्न सूची (क) में दर्शाया गया है।

(2) काम में ली गई राशि का विवरण सूची में अंकित है।

(3) तहसील कोटपूतली में जो भवन सार्वजनिक निर्माण विभाग के कब्जे में हैं उनका विवरण सूची (ख) में दर्शाया गया है। अन्य भवनों के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(4) यह नीति सम्बन्धित मामला है जिस पर विचार किया जायगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

तहसील आसीन्द के गांवों में भयंकर ओला वृष्टि

405. श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : क्या अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि 'दिनांक 16 फरवरी, 78 को तहसील आसीन्द के गांवों में भयंकर ओलावृष्टि हुई ? यदि हां, तो किन किन गांवों में क्या नुकसान हुआ ?

(2) क्या यह भी सही है कि ओलावृष्टि से करीब 40 गांवों में 50 प्रतिशत नुकसान हुआ है ?

(3) क्या यह भी सही है कि भयंकर ओलावृष्टि के कारण तहसीलदार आसींद, उपखण्डाधिकारी गुलाबपुरा ने शीघ्र राहत कार्य चालू करने के प्रस्ताव भेजे हैं ? यदि हां, तो कहां कहां कार्य चालू किये गये ? यदि नहीं, तो राज्य सरकार कब तक चालू करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। जिलाधीश भीलवाड़ा से प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 16 फरवरी, 1978 को तहसील आसींद के 38 ग्रामों में ओलावृष्टि हुई। इनमें से 35 ग्रामों में 50 प्रतिशत से कम व तीन ग्राम मेनपुरा, रघुनाथपुरा एवं पाण्डरू में 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान हुआ। जिन 35 ग्रामों में 50 प्रतिशत से कम नुकसान हुआ उनके नाम निम्न प्रकार हैं :—

1. मानास 2. भालरा 3. भालरिया 4. पापड़िया 5. बोलतगढ़ 6. हाथीया 7. बराना 8. भाटी खेड़ा 9. देवपुरा 10. मोसमपुरा 11. कांदलास 12. मालासेरी 13. पालड़ी 14. भादरपुरा 15. धोली 16. कालियास 17. जोधड़ास 18. घरसनी 19. आमेसर 20. मोतीपुर 21. बड़ना 22. सरेरी 23. सारड़ा 24 ईरास 25. खारड़ी 26. खालसों का खेड़ा 27. रामपुरा 28. सापोला 29. पाटन 30. ओजीयाना 31. मेरूपुरा 32. मोटरास 33. खेगढ़ 34. सवाई गढ़ 35. जबानपुरा।

(2) जी नहीं : खण्ड (1) में वर्णित केवल 3 ग्रामों में ही 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान के अनुमान है।

(3) ओलावृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में जिलाधीश, भीलवाड़ा से प्राप्त राहत कार्यों के प्रस्तावों पर सहायता विभाग विचार कर रहा है। इससे पूर्व सभी प्रभावित क्षेत्रों के जिलाधीशों को तार द्वारा अधिकृत किया जा चुका है कि आवश्यकतानुसार परीक्षण अथवा राहत कार्य प्रारम्भ करें।

जून 1977 से फरवरी 1978 तक सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा राज्य में किये गये कार्य

408. श्री रामकृष्ण दास गुप्ता (कोलायत): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जून 1977 से फरवरी 1978 तक राज्य में कितने निर्माण कार्य, सड़क पुल अथवा सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत होने वाले कार्य स्वीकृत किये गये तथा कितने काम चालू किये गये और कितने निर्माण कार्य पूरे कर दिये गये ?

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)

जिलेवार निम्न विवरण के साथ पूरा ब्यौरा सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(क) जिला (ख) निर्माण कार्य का प्रकार (ग) स्वीकृत धनराशि (घ) लागत धनराशि (ङ) स्वीकृति की तिथि (च) काम पूरा होने की तिथि (छ) निर्माण कार्य कहां किया गया पूरा विवरण।

(2) उक्त अवधि में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जिला कोटा में कितनी धनराशि का निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया और पूरा किया गया? सब-डिविजन, तहसील तथा उस क्षेत्र का पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग के सड़क, पुल इत्यादि कार्य की सूची जिलेवार तथा दूसरा खोला गया ब्यौरा संलग्न है।

(2) कोटा जिले में निर्माण कार्य में जो धनराशि स्वीकृत की गई है वह संलग्न सूची के नम्बर-5 में दर्शाया गया है। कार्य की स्वीकृति तहसील व सब डिविजन वाईज न होकर जिलेवार स्वीकृति की सूची संलग्न की जाती है।

(ब्यौरे के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

पंचायत समितियों के प्रधानों के चुनाव का मामला

409. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा): श्री कुन्जीलाल (बामनवास) श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय): क्या पंचायत राज एवं विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में पंचायत समितियों के प्रधानों के चुनाव फिलहाल नहीं हो रहे हैं? यदि हां, तो क्यों? यदि नहीं, तो कब तक कराये जाने की संभावना है?

(2) क्या यह सही है कि फिलहाल पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों की कोई मीटिंग आदि नहीं हो रही है? यदि हां, तो क्यों? यदि होगी, तो उनका क्या प्रारूप होगा?

(3) क्या यह सही है कि चयनित सरपंचों की मीटिंग पंचायत समिति स्तर पर नहीं होगी? यदि नहीं, तो क्यों? यदि होगी, तो किस रूप में, तथा किसकी अध्यक्षता में?

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत राज संस्थाओं के गठन का मामला अभी विचाराधीन है। शीघ्र निर्णय लेकर तदनुसार कार्यवाही की जावेगी।

(2) जी हां। पंचायत समिति एवं जिला परिषद् के गठन होने तक इनकी कोई बैठक बुलाना संभव नहीं है। प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(3) ग्राम पंचायतों के सरपंच के रूप में तो चयनित सरपंचों की बैठक पंचायत समिति स्तर पर कभी भी आवश्यकतानुसार हो सकती है। ऐसी बैठक प्रशासक पंचायत समिति की अध्यक्षता में हो सकती है।

Page No 32

(32)

पंजीयक, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर के मुख्यालय में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी

410. श्री जय नारायण खालोदिया (निवाई) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

आफिस रजिस्ट्रार सहकारी समिति जयपुर में कुल कितने कर्मचारी आफिसर, एल. डी. सी., यू. डी. सी. हैं? उनमें कितने लोग ऐसे हैं जो दस वर्ष से अधिक समय से यहीं जमे बैठे हैं ? नाम व पद वार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

प्रधान कार्यालय में इस समय 24 अधिकारी, 32 वरिष्ठ लेखक एवं 50 कनिष्ठ लेखक कार्यरत है। उनमें से 15 वरिष्ठ लेखक एवं 13 कनिष्ठ लेखक एवं एक अधिकारी जिसकी सूची निम्न प्रकार है, दस वर्ष से अधिक समय से अपने पदों पर, प्रधान कार्यालय में कार्यरत है।—

अधिकारी	वरिष्ठ लिपिक	कनिष्ठ लिपिक
1—श्री पी. एच. शुक्ला	1 श्री राधा मोहन शर्मा	1 सु श्री रवि सक्सेना
प्रचार अधिकारी	2 श्री मोहनलाल गुप्ता	2 श्री देवकी नन्दन पारीक
	3 श्री सुरेशचन्द कपूर	3 श्री साधू राम शर्मा
	4 श्री जिनेन्द्रकुमार जैन	4 श्री नरेशचन्द्र पालीवाल
	5 श्री दामोदर प्रसाद चोमाल	5 श्री राधेश्याम माटाणी
	6 श्री आशाराम माथुर	6 कु. सुधा मल्होत्रा
	7 श्री दामोदर शर्मा	7 श्री के. के. यादव
	8 श्री एच. एच. मैसी	8 श्री ओंकारलाल शर्मा
	9 श्री जगदीशनारायण शर्मा	9 श्री श्रीकृष्ण शर्मा
	10 श्री पुरुषोत्तम रस्तोगी	10 श्री कन्हैयालाल गोस्वामी
	11 श्री लालचन्द शर्मा	11 श्री सोहनलाल गर्ग
	12 श्री धनपतमल पटवा	12 श्री रामस्वरूप वर्मा
	13 श्री बृजेशचन्द्र शर्मा	13 श्री श्यामनाथ धर्माधिकारी
	14 श्री मदनसिंह राणावत	
	15 श्री मदनलाल गुप्ता	

Page No 33

(33)

रणधा डूंगरी जिला जैसलमेर में रॉक फास्फेट

411. श्री कानसिंह (शिव): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) रणधा डूंगरी सब-तहसील सब-जिला जैसलमेर से रॉक फास्फेट प्राप्त होने के बाद राज्य सरकार आगे क्या कार्यवाही कर रही है ?

(2) क्या यह सही है कि शिव क्षेत्र के (अकाली, कोटडा, हाथीसिंह की ढाणी बिसू धुबली, गुगं आदि) 15-20 जगह बेन्टोनाइट निकलता है और बाहर भेजा जाता है ? यदि हां, तो क्या इसका पाउडर बनाने का कारखाना शिव क्षेत्र में लग सकता है ? इसके लिये राज्य सरकार क्या कर सकती है ?

उत्तर

(1) रणधा डूंगरी (बिरमानिया) जिला जैसलमेर में राक फास्फेट के भण्डार मिले हैं परन्तु निम्न श्रेणी के होने के कारण उनका उपयोग अभी सम्भव नहीं है। इस राक फास्फेट के शोधन की क्रिया की सम्भावनाओं की जानकारी हेतु इन चट्टानों के नमूने इण्डियन ब्यूरो आफ माइन्स की प्रयोगशाला, नागपुर को भेजे गये हैं और तकनीकी जानकारी प्राप्त होने पर ही इसके उपयोग के बारे में कार्यवाही की जा सकेगी।

(2) जी हां। बेन्टोनाइट का पाउडर बनाने का कारखाना लगाने के लिये आधारभूत सुविधायें जैसे बिजली-पानी की आवश्यकता होती है। ये सुविधायें शिव क्षेत्र में उपलब्ध नहीं हैं। जब तक शिव क्षेत्र में कुछ अन्य उद्योगों की सम्भावनायें प्रबल नहीं हो जाती तब तक केवल एक कारखाने के लिए इन आधारभूत आवश्यकताओं का जुटाना आर्थिक रूप से लाभप्रद नहीं है।

झामर कोटड़ा माइन्स

412. श्री गोविन्दसिंह शक्तावत (कुम्भलगढ) क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झामर कोटड़ा माइन्स का 2 वर्ष पूर्व खनन माल की मात्रा कितनी थी तथा उस समय का बिक्राव कितना था ?

(2) झामर कोटडा माइन्स में 76-77 में उत्पादन कितने टन हुआ तथा उसी वर्ष बिकाव कितने रुपये का था ?

(3) झामर कोटड़ा का राक फास्फेट मद्रास की पार्टियों को किस भाव बेचा जाता है तथा लोकल पार्टियों को किस भाव से ?

(4) वर्तमान में झामर कोटड़ा माइंस के माल की मांग अधिक है फिर विशेष रियायत क्यों दी जा रही है ?

(5. रॉक फास्फेट के माल को उदयपुर में ही पिसवाकर क्यों नहीं बेचा जाता है ? इसमें क्या कठिनाइयां है ?

उत्तर

(1) झामरकोटड़ा माइन्स की दो वर्ष पूर्व खनन माल की मात्रा 3, 51, 198 टन थी तथा विक्रय 2, 60, 748 टन था।

(खनिज मंत्री)

(2) वर्ष 1976–77 में उत्पादन 5,00,340 टन था तथा इस वर्ष बेचान 5,88,973 टन किया गया जिसमें 1-4-76 का ओपनिंग बेलेन्स 3,08,457 टन भी शामिल है जिससे राज्य सरकार को 17,47,63,646.56 रु० की आय हुई।

(3) राज्य सरकार द्वारा झामर कोटडा माइन्स की राक फास्फेट की मूल बिक्री दर सभी पार्टियों के लिये 300/-रुपये प्रति टन एफ०ओ०आर०उदयपुर सिटी निर्धारित की हुई है परन्तु 1500 किलो मीटर से दूर स्थित पार्टियों के द्वारा परिवहन पर 15/- रु० प्रति टन के हिसाब से विशेष छूट दे रखी है। राज्य सरकार के इन्हीं आदेशों के तहत मद्रास की पार्टियों को 15/-रुपये प्रति टन के हिसाब से छूट दी जाती है।

(4) झामरकोटडा रॉक फास्फेट में सिलीका की मात्रा अधिक होने, रिएक्टीविटी कम होने तथा ज्यादा एक्सट्रीम हार्डनेस होने के कारण इसका उपयोग फास्फेटिक खाद बनाने में सीमित मात्रा में ही हो पाता है। झामरकोटडा रॉक फास्फेट का मूल्य उपरोक्त डिस्पोरिटीज एवम् आयातित रॉक फास्फेट के मूल्य को ध्यान में रख कर निश्चित किया जाता है। यदि आयातित राक फास्फेट का मूल्य झामरकोटडा राक फास्फेट से कम होगा तो फर्टीलाइजर प्लान्ट आयातित रॉक फास्फेट ही काम में लेंगे। इन कारणों से विशेष रियायत दी जा रही है।

(5) राज्य सरकार की ओर से कोई प्रतिबन्ध नहीं है और नहीं कोई कठिनाई है, फास्फेटिक कारखाने जितनी मात्रा में और जैसा पिसा हुआ रॉक फास्फेट लेना चाहें उपलब्ध किया जा सकता है।

कृषि प्रधान पंचायत समितियों में कृषि प्रसार अधिकारी एवं ग्राम सेवकों का मामला

413. श्री विजयेन्द्र पाल सिंह (आसीन्द): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य के जिलों की कृषि प्रधान पचायत समितियों का 80% कार्य कृषि है एवं इसलिये सरकार ने कृषि प्रसार अधिकारी व ग्राम सेवक नियुक्त किये थे ?

(2) क्या यह भी सही है कि इन पंचायत समितियों ने कृषि में अच्छी प्रगति भी की है ?

(3) क्या यह भी सही है कि एक मार्च से इन पंचायत समितियों से कृषि प्रसार अधिकारियों व ग्राम सेवकों को हटा दिया गया है ? यदि हां, तो पंचायत समितियों में कृषि कार्य कौन करेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां। 17 कृषि सघन जिले की पंचायत समितियों के सामुदायिक विकास मद के 60 प्रतिशत व कृषि के मद के समस्त ग्राम सेवक दिनांक 1-3-78 से पंचायत समितियों से हटा कर जिला कृषि अधिकारी के नियन्त्रण में रिवर्स डेपुटेशन पर लगा दिये गये हैं। इन पंचायत

(पंचायत मंत्री)

समितियों में कृषि कार्य अब जिला कृषि अधिकारी की सीधी देखरेख में कृषि विभाग के कर्मचारी व रिवर्स डेपुटेशन पर भेजे गये ग्राम सेवकगण, कृषि प्रसार अधिकारीगण आदि के ही माध्यम से किया जावेगा।

ग्राम सेवक पंचायत समिति, मकराना के निलम्बन का मामला

414. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या पंचायत व विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री बंशीसिंह ग्राम सेवक पंचायत समिति, मकराना जिला नागौर को तत्कालीन विकास अधिकारी ने निलम्बित किया था? यदि हां, तो कब और किस आरोप में? आरोप पत्र की प्रति सहित सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) निलंबित करने के बाद अब तक क्या क्या कार्यवाही की गई? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह भी सही है कि निलम्बित काल में इनको पंचायत समिति, मकराना से रिलीव कर दिया गया था? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि श्री बंशी सिंह को निलंबन काल का जीवन निर्वाह भत्ता अभी तक नहीं मिला है? यदि हां, तो क्यों और अब कब तक दे दिया जायेगा?

(5) क्या आपातकाल के दौरान इनके साथ हुई ज्यादतियों के संबंध में राज्य सरकार ने कभी इनको राहत देने के प्रश्न पर विचार किया है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों?

(6) क्या यह भी सही है कि तत्कालीन विकास अधिकारी ने इस मामले में मनमानी करके गलत कार्य किया है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

(7) इसका अन्तिम निर्णय कब तक हो जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां। श्री बंशी सिंह ग्राम सेवक को अपने मुख्यालय पर नहीं रहने व कार्य नहीं करने के कारण दिनांक 28-4-76 को निलम्बित किया गया था। अभी तक श्री बंशीसिंह ग्राम सेवक को नियमानुसार आरोप पत्र नहीं दिया गया है। अतः आरोप-पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(2) निलम्बित करने के पश्चात् विभागीय जांच संबंधी कोई भी कार्यवाही अभी तक नहीं की गई है। अतः विवरण सदन की मेज पर रखने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(3) जी हां। श्री बंशीसिंह को पंचायत समिति घोरीमना में स्थानान्तरण करने के लिए पूर्व में दिये गये आदेश की पालना में कार्य मुक्त कर दिया गया था।

(4) जी हां। इस बाबत जांच की जा रही है। श्री बंशीसिंह को निलम्बन काल का निर्वाह भत्ता शीघ्र चुकाने के लिए पंचायत समिति मकराना को आदेश दे दिये गये हैं।

(36)

(पंचायत मंत्री)

(5) यह मामला आपातकालीन स्थिति के पूर्व का है फिर भी श्री बंशीसिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों के आधार पर श्री बंशी सिंह के विरुद्ध विचाराधीन विभागीय जांच को एक माह में पूर्ण करने और निलम्बन काल का निर्वाह भत्ता शीघ्र चुकाने के लिए विकास अधिकारी, पंचायत समिति मकराना को दिनांक 27–3–78 को आदेश दे दिये गये हैं।

(6) इस बाबत जांच की जा रही है। संबंधित विकास अधिकारी का स्पष्टीकरण मांगा गया है।

(7) श्री बंशीसिंह के मामले में विकास अधिकारी मकराना को एक माह की अवधि में अवश्य ही निर्णय लेने के लिए दिनांक 27–3–78 को आदेश दिये जा चुके हैं।

पंचायत समिति, दांतारामगढ़ की पंचायतों में पट्टे एवं वरिष्ठ लिपिक के स्थानान्तरण का मामला

415. श्री मदनसिंह दांवा (दांतारामगढ़) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, दांतारामगढ़ की ग्राम पंचायतें मेढा, सुरेरा, दांता, काकरा, हासरोली, भीमा क्याना, मगरासी डूरिया के भूतपूर्व पंच एवं सरपंचों ने अपने परिवार के सदस्यों के नाम से पट्टे बनाये हैं? अगर हां, तो किन किन पंचायतों के सदस्य एवं सरपंच उन मीटिंगों में मौजूद थे?

(2) क्या यह भी सही है कि पंचायत समिति, दांतारामगढ़ के वरिष्ठ लिपिक श्री सागरमल शर्मा का स्थानान्तरण जिला वर्ग कर्मचारी समिति, सीकर ने किया था? अगर हां, तो कब?

(3) क्या यह भी सही है कि श्री शर्मा के स्थानान्तरण करने की सहमति पहले विकास अधिकारी, दांतारामगढ़ ने दे दी थी? अगर हां, तो बाद में पंचायत विकास विभाग में दोहरी रिपोर्ट कैसे की कि श्री शर्मा का स्थानान्तरण मेरी राय के विरुद्ध किया गया है? इसके लिये अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की जावेगी?

(4) क्या यह भी सही है कि श्री शर्मा के खिलाफ जिलाधीश, सीकर को शिकायत प्राप्त होने पर ही स्थानान्तरण किया था? अगर हां, तो विकास विभाग ने निरस्त क्यों किया?

(5) क्या यह भी सही है कि श्री शर्मा ने आपातकालीन समय में कई अध्यापकों को डी. आई. आर. व मीसा में नोटिस अपने हस्ताक्षरों से दिये हैं? अगर हां, तो ऐसे कर्मचारी के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करेगी? अगर नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पंचायत समिति दांतारामगढ़ की ग्राम पंचायतें, मेढा, सुरेरा, दांता, काकरा, हासरोली, भीमा, क्याना, मगरासी व डूरिया के भूतपूर्व सरपंचों द्वारा अपने परिवार के सदस्यों के नाम से पट्टे बनाने व ऐसी कार्यवाही संबंधी बैठक में भाग लेने वाले पंच व सरपंचों के बाबत अभी जांच कराई जा रही है। जांच पूर्ण होने पर ही सही जानकारी दिया जाना संभव है।

(पंचायत मंत्री)

(2) जी हां। दिनांक 7-10-77 को श्री सागर मल वरिष्ठ लिपिक का पंचायत समिति दांतारामगढ़ से स्थानान्तरण किया गया था।

(3) जी नहीं। श्री सागरमल वरिष्ठ लिपिक के स्थानान्तरण के संबंध में पंचायत समिति दांतारामगढ़ ने राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सेवा नियम 1959 के नियम 28 के प्रावधानों के अनुसार कोई सिफारिश नहीं की थी और न सहमति ही दी थी। प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(4) श्री मदन सिंह, विधायक ने अपने पत्र दिनांक 1-9-77 से श्री सागर मल वरिष्ठ लिपिक के विरुद्ध एक शिकायत जिलाधीश सीकर को की थी। जिला कर्मचारी वर्ग समिति ने इस शिकायत को ध्यान में रखते हुए इनके स्थानान्तरण करने के आदेश दिये थे। इसके विपरीत विकास अधिकारी ने श्री सागरमल का कार्य सन्तोषजनक होना व इनके विरुद्ध कोई शिकायत नहीं होना बतलाया है। श्री सागरमल पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सेवा के कर्मचारी होने के कारण पंचायत समिति दांतारामगढ़ के ही प्रशासनिक नियन्त्रण के कर्मचारी हैं और उनके विरुद्ध किसी भी शिकायत संबंधी जांच करा कर दोषी पाये जाने पर दण्डित करने व स्थानान्तरण कराने के लिए नियमानुसार पंचायत समिति दांतारामगढ़ ही सक्षम है। जिला कर्मचारी वर्ग समिति अपने स्वयं के विवेक से स्थानान्तरण करने के लिए सक्षम नहीं है। अतः जिला कर्मचारी वर्ग समिति का स्थानान्तरण आदेश नियम विपरीत होने से राज्य सरकार ने उक्त आदेश को निरस्त करने के लिए दिनांक 5-11-77 को आदेश दिये हैं।

(5) जिलाधीश सीकर के आदेश की पालना में परिवार नियोजन अभियान के अन्तर्गत स्थापित नियन्त्रण कक्ष के इन्चार्ज की हैसियत से श्री सागरमल ने परिवार नियोजन कार्यक्रम में असहयोग करने वाले कर्मचारी के विरुद्ध आन्तरिक सुरक्षा कानून एवं डी. आई. एस. आई. आर के अन्तर्गत कार्यवाही करने के नोटिस पंचायत समिति के अधीनस्थ कर्मचारियों/अध्यापकों को अपने हस्ताक्षर से भेजे थे जिसके लिए उन्हें जिलाधीश सीकर द्वारा अधिकृत किया गया था। अतः श्री शर्मा का कोई दोष ही नहीं होने से उनके विरुद्ध किसी कार्यवाही करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

राजस्थान न्यायिक एवं उच्च न्यायिक सेवाओं में अनुसूचित जाति/जन-जाति के अधिकारियों का आरक्षण

416. श्री हीरालाल आर्य (पीपलदा): क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान न्यायिक सेवा व राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा में पदोन्नतियों में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के अधिकारियों के लिए आरक्षण का प्रावधान रखा गया है अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) राजस्थान न्यायिक सेवा में कुल कितने अधिकारी हैं उनमें से अनुसूचित जाति एवं जन जाति के कुल कितने अधिकारी किस किस ग्रेड के हैं ?

(श्री हीरालाल आर्य)

(3) राजस्थान न्यायिक सेवा में अप्रेल 1974 से कुल कितने अधिकारियों को पदोन्नति दी गई तथा किस किस पद पर ? इनमें अनुसूचित जाति एवं जन जाति के कितने अधिकारी है ?

(4) क्या यह सही है कि राजस्थान न्यायिक सेवा मे अनुसूचित जाति एवं जन जाति के अधिकारियों की जानबूझ कर उपेक्षा की जाती रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। क्योंकि राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 1955 व राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा नियम, 1969 में पदोन्नति में आरक्षण रखे जाने का प्रावधान नहीं है।

(2) राजस्थान न्यायिक सेवाओं में इस समय 323 अधिकारी हैं, जिनमें से 24 अधिकारी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के हैं . इनमें से एक अधिकारी 1959 के, दो 1967 के, एक 1970, दो 1971, दो 1972, दो 1973, चार 1974, तीन 1975 एवं सात 1976 के है।

(3) अप्रेल, 1974 से राजस्थान न्यायिक सेवा के 31 अधिकारियों को राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा में (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश के पदों पर) पदोन्नत किया गया। 55 अधिकारियों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद पर पदोन्नत किया गया एवं 17 अधिकारियों को सिविल जज के पदों पर पदोन्नत किया गया। इनमें एक अधिकारी अनुसूचित जाति के हैं, जिन्हें दिनांक 2-6-77 से सिविल जज के पद पर पदोन्नत किया गया।

(4) जी नहीं। यह मामला उच्च न्यायालय से सबंधित है और उच्च न्यायालय यह उपेक्षा नहीं कर रहा है।

जयपुर में उच्च न्यायालय की बैंच हेतु केन्द्रीय मंत्रिमंडल का निर्णय

417. श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर): क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बैंच स्थापित करने के बारे में केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कोई निर्णय लिया गया था व उसकी सूचना क्या राज्य सरकार को दी गई ? यदि हां, तो निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें :

(2) क्या वर्तमान सरकार इस प्रश्न के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को दृष्टिगत रख कर गंभीरता से पुनर्विचार करने का इरादा रखती है ?

(3) क्या यह सही है कि नई बैंच बनने के समय पूर्वी क्षेत्र के विचाराधीन मामलात को दोनों पक्ष एवं उनके वकीलात ने जोधपुर रखने में सहमति प्रकट की फिर भी वे मुकदमात एवं मामलात स्थानान्तरित कर दिये गये ? राज्य सरकार का इस बारे में क्या दृष्टिकोण है ?

उत्तर

(1) जी हां। महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा जो आदेश मिले है उनकी एक प्रति संलग्न है।

(2) जी नहीं। इस पर पूर्व में गंभीरता से सभी पहलुओं पर विचार किया जा चुका है।

उत्तर

(3) यह सही नहीं है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर में खण्डपीठ स्थापित होने पर पूर्वी क्षेत्र के विचाराधीन मुकदमों को पक्षकारों एवं उनके अभिभावकों द्वारा जोधपुर में रखने की सहमति प्रकट करने के उपरान्त भी जयपुर बेंच में स्थानान्तरित कर दिये गये। वस्तु स्थिति यह है कि जयपुर बेंच बनने के समय राजस्थान हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसियेशन एवं राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसियेशन को यह लिखित सूचना दिनांक 14-12-76 को दी गई थी कि ऐसे मामले जो जयपुर बेंच से संबंद्ध जिलों में उद्भूत हुए हैं, लेकिन जिनमें दोनों पक्षों के वकील जोधपुर में ही बहस व पैरवी करना चाहते हैं, की सूची प्रस्तुत करें। उक्त सूची में दूसरे पक्ष के अधिवक्ता की सहमति के रूप में उनके हस्ताक्षर भी अंकित कराने के लिए कहा गया था। जिन अधिवक्तागणों ने उपरोक्त सूचना की पालना करते हुए सूची प्रस्तुत की उनके मामले जयपुर बेंच में नहीं भेजे गये।

(आदेश प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

आर. आई. एम डी. सी. द्वारा सवाई माधोपुर में ग्लास बोटल्स का कारखाना

418 श्री उमरावसिंह गूजर (महुआ) क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर में राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम द्वारा करीब 3 करोड़ की लागत से एक ग्लास बोटल्स का कारखाना स्थापित किया जा रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि इसके संयुक्त क्षेत्र में स्थापित करने के लिये एक भूतपूर्व कांग्रेसी संसद सदस्य से समझौता भी किया गया था ? इसको आगे कार्यान्वित करने के लिये एक मैसर्स जयपुर बोटल्स एण्ड कन्टेनर्स लि. नाम की कम्पनी भी काफी समय तक कार्यरत थी, जिस पर लगभग पांच लाख रुपया भी खर्च हुआ है ?

(3) क्या यह सही है कि वर्तमान समय में इस जिले को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ देखते हुए, इस प्रकार के बड़े उद्योगों की स्थापना करना अति आवश्यक है लेकिन इस ओर निगम की तरफ से आगे कोई कार्यवाही की प्रगति नजर नहीं आ रही है? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि इस प्रकार की कई परियोजनायें राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित करने के लिये निगम ने अपने हाथ में ले ली हैं और कई ऐसी परियोजनायें, जो सार्वजनिक क्षेत्र में और संयुक्त क्षेत्र में स्थापित की जाती थीं लेकिन इनकी भावी कार्यवाही के लिये निगम उदासीन है ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम द्वारा लगाये जाने वाला ग्लास बोटल्स का कारखाना अब तक किन किन कारणों से नहीं लग सका है? क्या इसमें ऐसा भी कोई कारण है जिसको राज्य सरकार केन्द्र के माध्यम से हल नहीं कर सकती है ? यदि कर सकती है तो राज्य सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किये गये ? अब यह कारखाना कब तक लग जायगा ?

(6) ग्लास बोटल्स कारखाने को लगाने के लिये निगम द्वारा अभी तक कितनी धनराशि का विनियोजन किया जा चुका है ?

(श्री उमरावसिंह गूजर)

(7) निगम की ऐसी कितनी परियोजनायें हैं जिन पर धन राशि का विनियोजन हुआ है और किन किन कारणों से अब तक स्थापित नहीं हुई हैं ? यदि नहीं हुई, तो ये परियोजनायें कब तक लग जायेंगी ?

उत्तर

(1) जी हां। प्रथम चरण की परियोजना लागत 336.00 लाख रु. आंकी गई थी।

(2) जी हां। श्री आर. के. पोद्दार के साथ 8 अगस्त, 72 में इस परियोजना को संयुक्त क्षेत्र में लगाने हेतु समझौता किया गया था। परियोजना के क्रियान्वयन के लिये जयपुर बोटल्स एण्ड कन्टेनर्स लि. नामक कम्पनी गठित की गई थी। परियोजना के क्रियान्वयन में लगभग 4.50 लाख रु. खर्च किये गये हैं।

(3) निगम की नीति है कि किसी भी स्थान के रिसोर्सेज को ध्यान में रखकर सम्पूर्ण राज्य में औद्योगिक विकास किया जाय। इसी कारण सवाई माधोपुर में ग्लास एवं बोटल्स का उद्योग स्थापित करने हेतु निगम ने प्रयत्न किया। चूंकि यह उद्योग "बीयर" बनाने के कारखानों पर आश्रित था तथा सरकार की मद्यनिषेध नीति के आधार स्वरूप वित्तीय संस्थानों ने ऋण सुविधा देना स्वीकार नहीं किया है और ऋण न मिलने के कारण इस उद्योग को स्थगित करना पड़ा।

(4) निगम सार्वजनिक एवम् संयुक्त क्षेत्र में परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रयत्नशील है। अब तक क्रियान्वित परियोजनायें इस प्रकार हैं :

(अ) सार्वजनिक क्षेत्र।

1. स्कूटर्स अलवर में, 2. टी.वी. सेट जयपुर में।

(ब) संयुक्त क्षेत्र :

1. ब्लेन्डेड व सिन्थेटिक यार्न, बांसवाड़ा 2. स्टील बिलेट्स जयपुर

जिन अन्य परियोजनाओं का क्रियान्वयन का कार्य हाथ में लिया गया है वे इस प्रकार है।

1— ग्रेनाइट कटिंग व पालिशिंग··· सार्वजनिक क्षेत्र, जोधपुर।

2— एस. जी. आयरन व मैलियेबल आयरन कास्टिंग-संयुक्त क्षेत्र, अलवर।

3— ग्लास बल्ब व शेल्स संयुक्त क्षेत्र, अलवर।

4— एलिमेन्टल फासफोरस— संयुक्त क्षेत्र, उदयपुर।

5— न्यायवसाल—संयुक्त क्षेत्र।

6— ड्रग फार्मूलेशन— संयुक्त क्षेत्र हरमाड़ा (जयपुर)।

7— घड़ियां असेम्बली : सरकारी क्षेत्र

8— ऊनी धागा मिलें संयुक्त क्षेत्र (भीलवाड़ा, जोधपुर, जयपुर, सीकर एवम् अजमेर, बाड़मेर, नागौर जिलों में)

इसके अतिरिक्त कई अन्य परियोजनाओं में क्रियान्वयन का कार्य विभिन्न चरणों में है।

—

Page No 41

(४१)

(उद्योग मंत्री)

(5) परियोजना के लिये 201-60 लाख रुपया के ऋण के लिये प्रार्थना-पत्र केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं को अगस्त, 75 में प्रस्तुत किये गये थे। परन्तु अक्टूबर, 75 में केन्द्र सरकार द्वारा मद्य निषेध किये जाने के बाद वित्तीय संस्थाओं ने परियोजना को आवश्यक होना स्वीकार नहीं किया व अभी तक ऋण के लिये स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। इस कारण क्रियान्वयन का कार्य स्थगित है।

31-12-77 तक रुपया 2.46 लाख विनियोजन किया जा चुका है।

(6) ग्लास बोटल्स परियोजना के अतिरिक्त निगम अन्य चार परियोजनाओं को, जिनमें खर्चा हुआ व जिनका क्रियान्वयन स्थगित करना पड़ा, इस प्रकार है :

	खर्च की गई राशि (लाखों में)
1-स्पोन्ज आयरन	0.19
2-कास्टिक सोडा	0.04
3-सोडा एश व अमोनियम क्लोराइड	0.47
4-क्रायोलाइट व एल्यूमिनियम फ्लोराइड	0.4
	0-74

इस सब में 74 हजार रुपया खर्च हुये हैं। यह राशि प्रोजेक्ट के प्रारम्भिक खर्च एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने, इत्यादि में ही खर्च हुई है। इनके क्रियान्वयन में उपयुक्त कच्चे माल का उपलब्ध न होना, तकनीकी नो हाऊ की उपलब्धि में कठिनाई, वित्तीय साधनों के अभाव के कारणों से प्रगति न हो सकी। क्रियान्वयन स्थगित करना पड़ा है।

भारत सरकार को इन परियोजनाओं के आशय पत्र दिनांक 21-1-77, 1-7-76, 19-7-76 को वापस (सरेन्डर) कर दिये हैं।

राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा 1973-74 में क्रय किया गया सामान

419. श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा वर्ष 1973-74 में कुल कितना सामान क्रय किया गया जिसमें से जोधपुर संभाग से कितना और जयपुर संभाग से कितना किया ?

उत्तर

वर्ष 1972-73 में राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा कुल क्रय	जयपुर संभाग से क्रय	जोधपुर संभाग से क्रय
66,92,(00,00	44,58,940,00	82,321,00

राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा 1972-73 में क्रय किया गया सामान

420. श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा वर्ष 1972-73 में कुल कितना सामान क्रय किया गया जिसमें से जोधपुर संभाग से कितना और जयपुर संभाग से कितना किया ?

उत्तर

वर्ष 1972-73 में राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा कुल क्रय	जयपुर संभाग से क्रय	जोधपुर संभाग से क्रय
35,50,000,00	17,62,476,00	1,05,747,00

Page No 42

(42)

रायपुर तहसील जिला पाली की प्रेम केबल्स फैक्ट्री पीपलिया कलां का मामला

421. श्री सुखलाल सेणचा (रायपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे.—

(1) क्या यह सही है कि प्रेम केबल्स फैक्ट्री, पीपलिया कलां, तहसील रायपुर जिला पाली की जब यह फैक्ट्री कोटा में स्थित थी इसको व फैक्ट्री के डाइरेक्टर को राज्य सरकार द्वारा ब्लैक लिस्ट घोषित कर दिया गया था ? राज्य सरकार द्वारा अब उक्त फैक्ट्री को कितना व कौनसा कच्चा माल दिया जाता है और क्यों ?

(2) कच्चा माल दिये जाने की राज्य सरकार की क्या प्रणाली है ? राज्य सरकार द्वारा कोई ऐसी व्यवस्था की गई है कि जो यह देखे कि कच्चे माल का उपयोग उक्त फैक्ट्री द्वारा बराबर किया जाता है या नहीं?

(3) इस फैक्ट्री का टर्न-ओवर कितना है ? क्या यह फैक्ट्री घाटे में चल रही है अथवा लाभ में ? अगर लाभ में चल रही है तो एक महीने का लाभ बताने की कृपा करें ।

(4) इस फैक्ट्री के बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स की संख्या कितनी है, उनके नाम व डाइरेक्टर्स के कितने कितने शेयर उक्त फैक्ट्री में हैं व उनका वेतन कितना है ? वे अन्य राज्यों में चल रही किस किस फैक्ट्री में डाइरेक्टर्स हैं ?

(5) क्या राज्य सरकार का कोई प्रतिनिधि इस फैक्ट्री के बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स में नियुक्त है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार मजदूरों के प्रतिनिधि को बोर्ड में प्रतिनिधित्व देने का विचार रखती है ?

(6) क्या यह भी सही है कि एक ही बाउन्ड्री में रोलिंग मिल, प्रेम केबल्स व प्राइट मेटल तीनों फैक्ट्री चल रही हैं ? यदि हां, तो प्रत्येक में कितने कितने मजदूर कार्यरत हैं ?

उत्तर

(1) जी हां । मैसर्स प्रेम केबल्स पीपलिया कलां, तहसील रायपुर जिला पाली को प्राप्त होने से पहले कोटा में मैसर्स प्रेम इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन के नाम से औद्योगिक बस्ती के शेड नं. 7 व 8 बी में स्थित थी । उस समय इस इकाई द्वारा आवंटित कच्चा माल कोटा स्थित फैक्ट्री में न लाने के कारण फैक्ट्री को निदेशक उद्योग द्वारा दिनांक 16-12-64 को ब्लेक लिस्ट कर दिया गया था । लेकिन बाद तहकीकात के यह पाया गया कि उक्त इकाई ने आवंटित कच्चा माल पीपलिया कलां फैक्ट्री में ट्रान्सफर कर दिया था, निदेशालय द्वारा इसका नाम काली सूची से निकाल दिया गया था तथा अप्रेल-दिसम्बर 61 से 30-4-63 तक विभिन्न प्रकार का कच्चा माल संलग्न सूची के अनुसार विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया था । वर्तमान में यह फैक्ट्री मैसर्स प्रेम केबल्स पीपलिया कलां तहसील रायपुर में स्थित है एवं एक मध्यम श्रेणी का उद्योग है जिसको कच्चा माल डी.जी.टी.डी. (डाइरेक्टर जनरल टेक्नीकल डिपार्टमेंट) भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है । इस इकाई को इसके लाइसेन्स संख्या एस 6 (6)/64 एल. आर. आई/63 दिनांक 27-7-63 के अनुसार 2000 मै. टन एल्यूमिनियम वार्षिक कन्डक्टर बनाने की क्षमता है ।

(2) सरकार (उद्योग विभाग) द्वारा लघु उद्योग इकाइयों को विभिन्न प्रकार का दुर्लभ एवं आयातित कच्चा माल, विभिन्न एजेन्सियों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है तथा

(उद्योग मंत्री)

इस प्रकार उपलब्ध कराये गये कच्चे माल की उपयोगिता की जांच जिले के विभागीय अधिकारियों द्वारा समय समय पर की जाती है। मैसर्स प्रेम केबल्स प्रा. लि. पीपलिया कलां, जिला पाली मध्यम श्रेणी का उद्योग है जिसको राज्य सरकार द्वारा कोई कच्चा माल उपलब्ध नहीं कराया जाता है। इस विभाग की जानकारी के मुताबिक इस इकाई को राज्य सरकार (डी.जी.डी.डी.) की सिफारिश पर एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर के द्वारा कच्चा माल उपलब्ध कराया जाता है। उपलब्ध कराये गये माल की उपयोगिता जांच भी डी.जी.टी.डी. द्वारा की जानी अपेक्षित है।

(3) उपलब्ध सूचना के मुताबिक इस इकाई द्वारा वर्ष 1975-76 की बैलेन्स शीट के मुताबिक वर्ष 1975-76 में 2, 50 32, 662/ - के एल्यूमिनियम कन्डक्टर्स की बिक्री की गई है। इस वर्ष में 6,78,477/- रु. का लाभ हुआ है जो 56,540/-मासिक होता है। इससे पूर्व के वर्ष में 1,39,435/- का लाभ हुआ है। वर्ष 75-76 के बाद की सूचना उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में इकाई की उत्पादन क्षमता 2हजार मै. टन एल्यूमिनियम कन्डक्टर्स बनाने की है।

(4) इस फैक्ट्री में बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स की संख्या चार है जिनके नाम, पद एवं वेतन निम्न हैं।

1. श्री पारस राज शाह, प्रबन्ध संचालक वेतन 4000/- प्रति माह.

2. श्री पुखराज बोहरा, संचालक वेतन 1000/-प्रति माह

3. श्री पंकज पी. शाह, संचालक अवैतनिक.

4. श्री अशोक पी. शाह. संचालक, वेतन 500/-प्रतिमाह।

फैक्ट्री में डाइरेक्टर्स के कितने-कितने शेयर हैं तथा डायरेक्टर्स राज्य के बाहर कितनी फैक्ट्रियों के बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स में डाइरेक्टर हैं, इसकी जानकारी विभाग को नहीं है।

5. जी नहीं! चूंकि यह प्रा. लि. इकाई है और संचालक मंडल में राज्य सरकार का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। मजदूरों का प्रतिनिधित्व भी बोर्ड में नहीं है। यह कम्पनी पूर्णतया निजी उद्योग है। तथा राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। अतः सरकार का इस सम्बन्ध में कोई विचार करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

6. यह सही है कि मैसर्स प्रेम केबल्स प्रा. लि. कम्पनी है और मैसर्स ब्राइट मैटल नामक इकाई पीपलिया कलां में कार्यरत है। उसमें क्रमशः 30 व 6 श्रमिक काम करते हैं। (विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

सीमेन्ट की चद्दरों का कोटा

122. श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली):- क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य को नालीदार लोहे और सीमेंट की चद्दरों का वार्षिक व माहवार कितना कोटा मिलता है?

(2) इनके वितरण का क्या माध्यम बना रखा है?

(3) वितरण की क्या दर रखी है और उसके प्रबन्ध के तरीके से क्या राज्य सरकार सन्तुष्ट है?

उत्तर

(1) राज्य को नालीदार लोहे व सीमेंट की चद्दरों का कोई मासिक अथवा

(उद्योग मंत्री)

वार्षिक कोटा निर्धारित नहीं है। राजस्थान लघु उद्योग निगम लोहे व इस्पात के उत्पादकों को आवश्यकता के अनुसार लोहे की नालीदार चद्दरों का इण्डेन्ट प्रेषित करता है। उत्पादक (स्टील प्लांट) उपलब्धता के अनुसार निगम को माल आवंटित करते हैं।

(2) सीमेन्ट की नालीदार चद्दरों का आवंटन एवं वितरण विभाग/निगम द्वारा नहीं किया जाता है क्योंकि इसके वितरण पर कोई नियन्त्रण नहीं है।

(3) उद्योग विभाग द्वारा नालीदार चद्दरों का वितरण राजस्थान लघु उद्योग निगम के माध्यम से कराया जाता है तथा निगम द्वारा माल का वितरण उद्योग विभाग की सिफारिश के अनुसार किया जाता है। उद्योग विभाग लघु उद्योग इकाइयों को उनकी मांग व माल की उपलब्धि के अनुसार प्राप्त माल का आवंटन करता है। वर्तमान में नालीदार चद्दरों की वितरण दर 4,803/-रुपये प्रति मै.टन है तथा वितरण व्यवस्था से राज्य सरकार सन्तुष्ट है।

कृषि यन्त्र बनाने हेतु फर्मों को कन्ट्रोल का कोटा

423. श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कृषि यंत्र बनाने के लिये विभाग किन किन फर्मों को कन्ट्रोल से कोटा देता है और उनको निर्धारित रेट पर बिकवाने की क्या नीति बना रखी है ?

(2) इसका विभाग किस तरह से प्रबन्ध करता है ?

(3) क्या यह सही है कि कृषि यंत्रों के नाम से जो कोटा देते हैं वह सब चोर बाजारी से बिकता है और इस तरह एक भी फर्म कन्ट्रोल से नहीं बेचती ?

उत्तर

(1) कन्ट्रोल के लोहे व इस्पात के कोटे का वितरण सभी पंजीकृत लघु उद्योग इकाइयों को, जिनमें कृषि यन्त्र बनाने वाली इकाइयां भी हैं, उद्योग विभाग द्वारा किया जाता है। यह कोटा लघु उद्योग इकाइयों को राजस्थान लघु उद्योग निगम के विभिन्न डिपो द्वारा उनकी आंकी गई क्षमता तथा निर्धारित नीति के अनुसार इकाइयों को जारी की गई पास बुकों पर माल की उपलब्धता के अनुसार आवंटित किया जाता है। निगम द्वारा कच्चे माल की विक्रय दर वर्तमान में माल की कुल लागत पर केवल दो प्रतिशत कमीशन जोड़कर निर्धारित की जाती है।

(2) उद्योग विभाग द्वारा राज्य की लघु उद्योग इकाइयों की आंकी गई क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा हिन्दुस्तान स्टील लि. को मासिक एवं इण्डियन आयरन स्टील कं. को त्रैमासिक इण्डेण्ट्स प्रेषित किये जाते हैं तथा उत्पादकों द्वारा उपलब्धता के अनुसार कच्चा माल भेजा जाता है। प्राप्त माल को अनुपात में इकाइयों को उपलब्ध करा दिया जाता है।

(3) जी नहीं। कृषि यन्त्र बनाने वाली इकाइयों द्वारा चोर-बाजारी करने

(उद्योग मन्त्री)

सम्बन्धी कोई मामला विभाग की जानकारी में नहीं है। इकाइयों को आवंटित कच्चे माल की उपयोगिता की जांच जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा समय समय पर की जाती है। आवंटित माल इकाइयों को राजस्थान लघु उद्योग निगम के माध्यम से निर्धारित दर पर उपलब्ध कराया जाता है अतः फर्म द्वारा कन्ट्रोल से नहीं बेचने का प्रश्न ही नहीं है।

माणक चौक जयपुर में स्थित ठिकाना बाई जी का मन्दिर

402. श्री भैरव लाल कालाबादल (खानपुर): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर नगर में माणक चौक चौपड़ पर स्थित ठिकाना बाई जी मंदिर श्री लक्ष्मीनारायण जी का व नीचे की दुकानों का निर्माण आदिवासी मीणा जाति की बाईजी विचित्र कुमारी जी ने करवाकर वर्तमान महन्त पं. बन्शीधर दैवज्ञ के पूर्वज ग्राम बिलोची निवासी महन्त श्री जगन्नाथ जी को गुरु-दक्षिणा में भेंट किया था ? यदि हां, तो उक्त मंदिर की सेवा पूजा का अधिकार किसके पास है और वर्तमान में मंदिर का प्रबन्ध कौन करता है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त मन्दिर का प्रबन्ध तत्कालीन महन्त ने कुछ समय के लिये धर्मार्थ विभाग को सौंप कर तीर्थ यात्रा के लिये प्रस्थान किया था ? यदि हां, तो पुनः वर्तमान महन्त को राज्य सरकार के जी. ए. डी. के पत्रांक 12852।एफ. 91 (107) जी. ए. II/54 दिनांक 21-1-1955 के अनुसार निर्णय किया जाकर मन्दिर को वापस सम्भालने के पश्चात् भी भोग राग की शेष सम्पत्ति दुकानादि क्यों नहीं सौंपी गई ?

(3) क्या यह सही है कि भूतपूर्व राज्य सरकार ने सहायक राजस्व सचिव से दिनांक 2 जुलाई, 1958 को पत्र प्रसारित करवाकर जी. ए. डी की दिनांक 21-1-1955 की आज्ञा निरस्त करवा दी थी ? यदि हां तो, पिछली सरकार द्वारा आदिवासी मीणा समाज के धार्मिक गुरु द्वारा पर किये गये कुठाराघात को समाप्त करने के लिये वर्तमान सरकार क्या कर रही है ?

(4) क्या यह सही है कि दिनांक 30 सितम्बर, 1977 को आदिवासी मीणा समाज के विधायकों का एक शिष्ट मंडल मुख्य मंत्री जी से मिला था और मंदिर की भोग राग की शेष सम्पत्ति दुकानादि को सौंपने का अनुरोध किया था ? यदि हां, तो मुख्य मंत्री ने क्या आदेश प्रसारित किये ?

(5) क्या यह सही है कि मन्दिर की जीर्ण-शीर्ण हालत हो गई है तथा गिरने की स्थिति बन रही है ? आय के स्रोत भी नहीं है, सरकार समाज के ट्रस्ट को नीचे की दुकानें सौंप रही है ? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) यह सही है कि मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायण जी माणक चौक जयपुर का निर्माण जयपुर राज्य की राजकुमारी विचित्र कुमारी जी ने कराया था। परन्तु यह सही नहीं है कि राजकुमारी विचित्र कुमारी मीणा जाति की थीं। यह भी सही नहीं है कि उक्त मन्दिर महन्त पं. बन्शीधर दैवज्ञ के पूर्वजों को गुरु दक्षिणा में भेंट किया गया था देवस्थान विभाग ने अपने आदेश दिनांक

(देवस्थान मंत्री)

21-1-55 द्वारा मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायण जी का प्रबन्ध उक्त पुजारी को दिया था। उसी आदेश से उक्त मन्दिर के प्रबन्ध के लिये देवस्थान विभाग के बजट से सहायता दी जाती थी। यह व्यवस्था अस्थाई की गई थी। देवस्थान विभाग ने ता. 2-7-58 को दूसरा आदेश प्रसारित किया कि उक्त मंदिर को देवस्थान विभाग के चार्ज में ले लिया जावे श्री बंशीधर को दूसरे मन्दिर में बतौर पुजारी नियुक्त कर दिया जावे। इसी प्रकार दूसरा आदेश दिनांक 20-12-60 को प्रसारित किया गया कि 2-7-58 के आदेश की पालना कराई जाये।

श्री बंशीधर दैवज्ञ ने इस कार्यवाही से बचने के लिये 20-7-1961 में देवस्थान विभाग के विरुद्ध दावा पेश करके स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। उक्त दावा तारीख 26-11-77 को खारिज हो गया।

अब श्री बंशीधर दैवज्ञ ने उक्त फैसले के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील करके अस्थाई स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है। अस्थाई स्थगन आदेश के कारण श्री बंशीधर दैवज्ञ अब भी मन्दिर का प्रबन्ध देख रहा है।

(2) जी नहीं। मन्दिर सदैव से सरकारी सम्पति रहा है। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 21-1-55 के अनुसार सिर्फ मन्दिर का प्रबन्ध श्री बंशीधर को अस्थाई रूप से सौंपा गया था।

उक्त आदेश दिनांक 21-1-55 में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि मन्दिर से सम्बन्धित मकान एवं दुकानों की आय पर श्री बंशीधर का कोई अधिकार नहीं होगा। अतः दुकान आदि को सौंपने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) यह सही है कि राज्य सरकार ने अपने आदेश संख्या 11500 एफ. ई. (5) देव/58/दि. 2-7-58 द्वारा पूर्व आदेश सं. 15852 एफ 91(107)जी.ए./54 दिनांक 21-1-1955 को निरस्त कर दिया था। मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायण जी कभी भी मीणा समाज का गुरुद्वारा नहीं रहा। अतः मीणा समाज पर कोई कुठाराघात का प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) जी नहीं।

(5) यह सही नहीं है कि मन्दिर जीर्ण शीर्ण हालत में है तथा गिरने की स्थिति में है। देवस्थान विभाग के विरुद्ध न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश होने के कारण कोई मरम्मत नहीं की जा सकती है।

श्री बंशीधर अनधिकृत रूप से मन्दिर की जायदाद में किरायेदार रख कर किराया वसूल कर रहा है। अतः यह गलत है कि आय के स्रोत नहीं है। सरकार कोई दुकान नहीं बेच रही है।

जयपुर में जिलाधीश, उपजिलाधीश एवं तहसीलदारों के कार्यालय में विचाराधीन मामले

425. श्री राम करण सिंह (कोट पूतली): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) जिला जयपुर में जिलाधीश, उप जिलाधीश, तहसीलदारों के कार्यालय में दो

(श्री रामकरण सिंह)

वर्ष से पुराने कितने किस किस के मुकदमे किस-किस अदालत में विचाराधीन हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इन कार्यालयों में इतने दिन केसेज पड़े रहने के क्या कारण है?

(3) उक्त मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए राज्य सरकार क्या कोई समय की पाबन्दी करेगी कि इतने दिनों में केस का फैसला होना चाहिये?

उत्तर

(1) जयपुर जिले में जिलाधीश, उप जिलाधीशों एवं तहसीलदारों के कार्यालयों में दो वर्ष से पुराने कुल 1300 निम्न संख्या में विचाराधीन चल रहे हैं जिनकी पक्षकारों का नाम बताते हुए सूची संलग्न है।—

1.	जिलाधीश जयपुर	62
2.	अति. जिलाधीश (द्वितीय), जयपुर	65
3.	उप जिलाधीश, जयपुर	263
4.	उप जिलाधीश, आमेर	127
5.	उप जिलाधीश, दौसा	317
6.	उप जिलाधीश, सांभरलेक	97
7.	उप जिलाधीश, कोठपूतली	68
8.	तहसीलदार, जयपुर	148
9.	तहसीलदार, चाकसू	24
10.	तहसीलदार, आमेर	10
11.	तहसीलदार, ज. रामगढ़	26
12.	तहसीलदार, दौसा	7
13.	तहसीलदार, बासवा	74
14:	तहसीलदार, लालसोट	9
15.	तहसीलदार, सिकराय	3
	योग —	1300

(2) उपरोक्त कार्यालयों में केसेज दो वर्ष विचाराधीन रहने के निम्न कारण हैं:—

1. गत वर्ष फरवरी व मार्च में लोक सभा आम चुनाव, मई–जून में विधान सभा आम चुनाव जुलाई–अगस्त में अतिवृष्टि व बाढ़ के कारण सहायता कार्य अक्टूबर व नवम्बर में राजस्व अभियान तथा जनवरी व फरवरी 78 में पंचायत चुनाव का कार्य होने के कारण केसेज का निस्तारण न हो सका।

(2) इन कार्यालयों में केसेज की सुनवाई के साथ साथ विभिन्न प्रशासनिक कार्य भी रहता है तथा कानून व व्यवस्था का भी कार्य रहता है।

(3) बहुत से केसेज में पक्षकारों पर नोटिसों की तामील न हो सकने, पक्षकारों की अनुपस्थिति के कारण, पक्षकारों की ओर से सबूत व साक्ष्य प्रस्तुत करने में विलम्ब करने में पक्षकारों की प्रार्थना पर उनकी सहमति या खर्चे पर तारीख तब्दील करा देने अधीनस्थ न्यायालयों से समय समय पर रिकार्ड न आने उच्च न्यायालयों से स्थगन आदेश आ जाने पर रिकार्ड तलब कर लेने आदि विभिन्न कारणों से विलम्ब हो जाता है।

(4) प्रत्येक मामले में अलग अलग बिन्दू होते है और उनमें कुछ की पेचीदगियों को सुलझाने में विशेष समय लगना स्वाभाविक है। सभी प्रकार के मामलों को सुलझाने में विशेष समय लगना स्वाभाविक है। सभी प्रकार के मामलों को ध्यान में रखते हुए फैसलों का मापदंड कायम करना संभव नहीं है।

(राजस्व मंत्री)

समय पर पुराने मुकदमे शीघ्र निपटाने बाबत दिनों की सीमा निर्धारण करना सम्भव नहीं है। राजस्व अधिकारियों को प्रशासनिक आदेश दिये जाना सम्भव है।

[सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभी पुस्तकालय में रखदी गई]

चूरू जिले की तहसीलों में रिवीजन आफ सेटलमैन्ट

426. श्री मेघराज पंवार (चूरू) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चूरू जिले की हर सात तहसीलों में रिवीजन आफ सेटलमेंट किस-किस संवत में किये गये तथा इन तहसीलों के गांवों का तरह पडता असेसमेंट सर्किलवाइज तथा गांव की जमीन की किस्म अव्वल, दोयम व सोयम के अनुसार लगान की दरों में किस कदर वृद्धि की गई पुराने पडते की दरों को कम्पेयर करते हुए प्रत्येक तहसील, असेसमेंट सर्किल तथा किस्म जमीन के अनुसार बतलाने की कृपा करें।

(2) इस लगान बढोतरी का असर प्रत्येक तहसील के पुराने मतालबे पर कितना-कितना हुआ ? तहसीलवार रूप में बतलाने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जिला चूरू की 7 तहसीलों में रिवीजन सेटलमैंट निम्न सम्वतों के लिये लागू किये गये : -

1- तह. चूरू सं. 2028 से 2047 तक

2- तह. रतनगढ सं. 2030 से 2049 तक

3- तह. राजगढ सं. 2025 से 2044 तक

4- तह. सरदारशहर सं. 2018 से से 2037 तक

5- तह. डूंगरगढ सं. 2016 से 2033 तक

6- तह. तारानगर सं. 2022 से 2041 तक

7- तह. सुजानगढ सं. 2028 से 2047 तक तहसीलदार असेसमेंट सर्किलवार ग्रामों की किस्म जमीनों की पुरानी व नई दरों की तुलनात्मक सारणी संलग्न है।

8- लगान बढोत्तरी की सूचना तहसील पर निम्न प्रकार है:—

नाम तहसील	तहसील की जमा	राज्य सरकार से स्वीकृत जमा	अन्तर
1- चूरू	1,79,586	3,20,587	1,41,001
2- रतनगढ	1,81,287	2,28,242	46,955
3- राजगढ	2,51,963	3,22,930	70,967
4- सरदार शहर	1,59,489	1,99,212	39,723
5- राजगढ	1 93,624	2,15,664	22,040
6- डूंगरगढ	1,93,104	2,09,644	16,540
7- सुजानगढ	3,42,540	4,58,049	1,15,509

इस बढोत्तरी में रेट की वृद्धि के अलावा भूमि की किस्म परिवर्तन से हुई वृद्धि भी शामिल है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

नावां का तहसील भवन

427. श्री श्योपत सिंह मकासर (हनुमानगढ): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नावां तहसील भवन के निर्माण हेतु खसरा नं. 360 में भूमि अवाप्त करने के आदेश राज्य सरकार द्वारा दिये गये थे ?

(2) क्या यह सही है कि निर्माण कार्य हेतु निविदायें आमंत्रित की जा चुकी थीं ?

(3) क्या यह सही है कि तहसील भवन में उक्त स्थान को बदला जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) विचाराधीन है।

राजस्व विभाग में विचाराधीन विभागीय जांच के मामले

428. श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य के राजस्व विभाग से किसी भी स्तर के कर्मचारी व अधिकारी के विरुद्ध एक वर्ष पुराने कितने विभागीय जांच के मामले विचाराधीन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करे।

(2) क्या राज्य सरकार उक्त मामलों के सम्बन्ध में कोई समय सीमा निर्धारित करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) इस जिले में राजस्व विभाग के कर्मचारियों के तीन मामले एक वर्ष से अधिक के विचाराधीन है।

(2) इसका सम्बन्ध राज्य सरकार से है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 16-3-78)

राज्य में रजिस्टर किये गये साहूकार

39. श्रीमती मदन कौर (पचपदरा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान मनी लैंडर्स एक्ट के प्रभाव में आने के बाद से अब तक इसके तहत कितने साहूकार रजिस्टर किये गये ? कृपया जिलेवार आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त एक्ट को प्रभाव में लाने के लिये संबंधित एजेन्सी क्या है ?

(3) क्या उक्त एक्ट की अवहेलना करके साहूकारी का धंधा करने के कोई मामले राज्य सरकार के ध्यान में आये ? यदि हां, तो इनकी जिलेवार संख्या क्या है और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) मनी लेण्डर्स एक्ट के प्रभाव में आने के बाद 16915 साहूकार रजिस्टर किये गये हैं। जिलेवार सूची संलग्न है।

(राजस्व मंत्री)

(2) मनी लैण्डर्स एक्ट को प्रभाव में लाने के लिये एजेन्सी रजिस्ट्रार (कलेक्टर) एवं सहायक रजिस्ट्रार (उपखण्ड अधिकारी, है)

(3) जिलेवार सूची संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 16-3-78)

राजस्व लगान से आय

41. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार द्वारा ढाई हैक्टेयर तक के खातेदारों को लगान माफ करने का जो निर्णय लिया गया है उसका उद्देश्य क्या है ?

(2) उक्त लगान माफ करने के निर्णय से कितने व्यक्तियों को लाभ पहुँचा तथा कितनी जमीन का कितना लगान माफ हो गया और कुल भूमि का कितना प्रतिशत लगान माफ हो गया ? पूर्ण विवरण जिलेवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) राज्य सरकार की कुल वार्षिक आय राजस्व लगान से कितनी है, जिसमें से कितनी माफ हो गई ?

(4) लगान वसूली पर जो खर्चा राज्य सरकार का होता था वह उतना ही होगा या कम ? यदि कम होगा, तो कितना ?

उत्तर

(1) राजस्व की छूट से छोटे कृषकों को लाभ देने का अभिप्राय है।

(2) 18 जिले के प्राप्त विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत हैं।

(3) राज्य सरकार की राजस्व लगान से कुल आय अनुमानतः 5.67 करोड़ है जिसमें से अनुमानत 1.36 लाख की कमी होना सम्भावित है।

(4) राजस्व खर्च में कोई कमी नहीं होगी।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 17-3-78)

देवस्थान के अधीन बीकानेर के मन्दिरों का खजाना

78. श्री जगदीशचन्द्र शर्मा (रतनगढ़) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) देवस्थान के अधीन बीकानेर के मन्दिरों का खजाना कुल कितने मूल्य का है और अब किस अधिकारी के चार्ज में है ?

(2) इस खजाने में कितने मूल्य के कीमती जवाहरात, कितने मूल्य के सोने के जेवरात, कितने मूल्य के सोने-चांदी के बर्तन हैं ?

(श्री जगदीशचन्द्र शर्मा)

(3) क्या 6 मार्च, 1977 को वित्त आयुक्त (राजस्थान) ने इस खजाने का चार्ज (सेवा निवृत्त) अधिकारी से एक कमेटी के समक्ष देने के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो उसके अनुरूप क्या कार्यवाही हुई ?

(4) क्या भूतपूर्व सांसद डा. करणीसिंह (बीकानेर) ने इस खजाने के विषय में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया था ?

उत्तर

(1) देवस्थान के अधीन बीकानेर के मन्दिरों का खजाना, जिसमें जेवरात, सोना, चांदी इत्यादि के आभूषण का मूल्य इन्वेन्ट्री रजिस्टर के अनुसार 4,00,059 रु. है। जो आभूषण भगवान के रोजाना धारण करने हेतु हैं, वे मन्दिर के पुजारी या मुखिया के चार्ज में दिये हुए हैं। शेष आभूषण बीकानेर ट्रेजरी के स्ट्रोंग रूम में आयुक्त, देवस्थान राजस्थान उदयपुर की ओर से विशेषाधिकारी द्वारा एवं अन्य सहायक देवस्थान (मुख्यालय) द्वारा रखे हुए हैं।

(2) बीकानेर के मन्दिर के आभूषण, सोना, चांदी, जवाहरात इत्यादि का मूल्य इन्वेन्ट्री रजिस्टर इकाई योग में दर्ज है। जो कुल जेवरात 4,00,059 रु. के हैं।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है।

(1) श्री रामकृष्णदास, सदस्य विधान सभा की ओर से बीकानेर शहर में कुओं से जो पेयजल मिलता है, उसमें लूणकरणसर लिफ्ट कैनाल से आने वाले पानी को मिलाये जाने से उत्पन्न स्थिति के विषय में।

(2) श्री रामनारायण चौधरी व श्री वृद्धिचन्द्र जैन, सदस्य विधान सभा की ओर से दिनांक 29 मार्च को अलवर में छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किये जाने के विषय में।

(3) श्री मूलचन्द डागा, सदस्य विधान सभा की ओर से सीकर में कुछ छात्रों द्वारा एक भूतपूर्व विधायक व उसके पुत्र पर हमला किये जाने की घटना के विषय में।

इन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

(4) सर्व श्री रामकरणसिंह व शिवचरणसिंह सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान कैनाल क्षेत्र में कृषि स्नातकों को आवंटित भूखण्ड उनके द्वारा बेचे जा रहे हैं, इस विषय में।

यह प्रस्ताव अत्यन्त अस्पष्ट है। अतः मैं इसे स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हूं।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव है उसके द्वारा मैं सरकार का ध्यान उस गम्भीर स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसके साथ बीकानेर की 3 लाख जनता के जीवन का सवाल जुड़ा हुआ है। कुओं से मिलने वाले पेयजल में लिफ्ट कैनाल से आने वाले पानी को मिला कर बीकानेर की 3

(श्री रामकृष्ण दास)

लाख जनता के जीवन से खेल खेलने जा रहे हैं। लूणकरणसर से लिफ्ट कैनाल के द्वारा बीकानेर की जनता को पेयजल उपलब्ध कराने की योजना से मुझे कोई एतराज नहीं है। बीकानेर की जनता की ओर से मैं सरकार को बधाई भी देना चाहता हूं। लिफ्ट कैनाल से पानी लेकर पेय जल के लिये उसका उपयोग किया जाय लेकिन जिस ढंग से और जिस तरह की कार्यवाही की जा रही है उससे मुझे एतराज है क्योंकि बीकानेर की 3 लाख जनता के जीवन का सवाल है। मैं आपका ध्यान उस ओर दिलाना चाहता हूं। वर्तमान में बीकानेर की जनता को पेयजल वहां के गहरे कुओं से निकाल कर दिया जाता है। यह तो सही बात है कि इतने 400 फीट गहरे कुओं से पानी खींच कर देने में नेचरली विकट स्थिति होती है लेकिन मेडिकल डाक्टर्स ने वहां के पानी को और जगह के पानी से अच्छा माना है। जयपुर में 95 प्रतिशत लोगों के पेट में वहां के पानी के कारण कीड़े हैं परन्तु बीकानेर में किसी के पेट में पानी से उत्पन्न होने वाले कीड़े नहीं है। वहां पर पेट के रोग भी बहुत कम हैं। सरकार की यह भूल है कि 6 मील दूर से लूणकरणसर लिफ्ट कैनाल के पानी को बीकानेर ला रहे हैं और उसके फिल्टर का कोई प्रोग्राम नहीं है। कांग्रेस सरकार ने उसको फिल्टर करने के लिये कुछ नहीं किया और जनता सरकार ने भी 9 महीने के अन्दर कोई फिल्टर प्लान्ट नहीं लगाया। 9 करोड़ रुपये की योजना है फिल्टर प्लान्ट स्थापित करके दिया जाय, यह प्लान है। केन्द्रीय सरकार ने भी कहा कि फिल्टर प्लान्ट का उपयोग कीजियेगा। मुझे यह ज्ञात हुआ है कि लूणकरणसर लिफ्ट कैनाल के पानी को बिना फिल्टर किये ही बीकानेर के कुओं से मिलने वाले पानी में मिलाया जायगा। कोई भी मेडिकल डाक्टर इसको स्वीकार नहीं करेगा। यह अनहाईजीनिक है। क्लोरीन डालने से नहर के पानी के कीड़े मर जावेंगे, यह संभव नहीं है। ऐसा कोई भी दुनिया का साइन्टिस्ट नहीं मानेगा और न ही करेगा। अगर इस तरह से लिफ्ट कैनाल के पानी को कुओं के पानी में मिला कर जनता को सप्लाई किया गया तो बीकानेर की जनता, तीन लाख जनता, बीमार पड़ जावेगी और राष्ट्रीय नुकसान होगा। मैंने सरकार को लिख कर दिया है राज्य मन्त्री को लिख कर दिया है। मुख्य मन्त्रीजी यहां नहीं है। अगले तीन महीनों में पाइप लाइन डाल कर बीकानेर की जनता को अनफिल्टर्ड वाटर देने का प्लान बना लिया गया है। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर आपने फिल्टर प्लान्ट की स्थापना किये बिना उसे कुओं से मिलने वाले पानी में मिलाया तो बीकानेर शहर की जनता आन्दोलन करेगी। जयपुर में भी फिल्टर प्लान्ट नहीं है। तो जो बीकानेर को लिफ्ट कैनाल का पानी सप्लाई करने की योजना है, अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए अधिकारियों ने डिसीजन लिया है कि दो महीने में हम पानी देंगे। इसके लिए राजस्थान की सरकार को बीकानेर शहर की जनता के आन्दोलन का सामना करना पड़ेगा। वहां पर ला एण्ड आर्डर की स्थिति पैदा हो सकती है। मैं राज्य मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि वह स्वयं बीकानेर शहर के रहने वाले हैं, इस प्रकार से क्रिमिनल साजिश मत कीजिए और बीकानेर की जनता की 3 लाख की आबादी की जिन्दगी के साथ खेल मत खेलिए। चीफ इन्जीनियर

(श्री राम कृष्ण दास गुप्ता)

और चेयरमैन नहर बोर्ड ने जो राय दी है

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

वह गलत दी है। मैं मानता हूं कि गंगानगर इलाके में बिना फिल्टर वाटर मिलता है, यह उनका दुर्भाग्य है। हम आपसे मांग करते हैं कि नहर के पानी को जहां जहां पीने के लिए दिया जाये वहां उसको फिल्टर किया जाये। यदि आप फिल्टर्ड वाटर की व्यवस्था नहीं कर सकते तो जिस शहर के लोगों को फिल्टर्ड वाटर मिल रहा है अपने आप 400 फीट गहरे कुओं से, उस सुविधा से उनको क्यों वंचित करते हैं? मेरा सवाल यह है। हमारे कुओं में पानी बहुत है। आगामी 30 साल तक बीकानेर की जनता को कुओं से पानी दिया जा सकता है। आज बिजली की कमी के कारण से बीकानेर के कुओं के लिये पूरा वोल्टेज नहीं देते। इस कारण से उनसे पूरा पानी नहीं दिया जा सकता। बीकानेर के कुओं के लिये आप पूरा वोल्टेज दें तो एक करोड़ गैलन रोज बीकानेर के कुओं से निकल सकता है। तो जहां गलती है उसको आप ठीक नहीं कर रहे हैं। बिजली और पावर में आप बीकानेर के साथ सौतेला व्यवहार करके यह जो गलत योजना बनाई गई है अन-फिल्टर्ड वाटर देने की, इसके द्वारा बीकानेर की 3 लाख जनता के जीवन के साथ आप खेल रहे हैं, इसको रोकिये और जो रुपया खर्च कर रहे हैं उसकी फिल्टर प्लान्ट पर खर्च कीजिए और फिर पानी दीजिए।

श्री जयकृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, अलवर राजऋषि कालेज महाविद्यालय के छात्रों ने आज.......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपके हस्ताक्षर नहीं हैं इस प्रस्ताव पर और आप बोल रहे हैं। आप हस्ताक्षर करके देते।

श्री जयकृष्ण शर्मा : अलवर का मामला है।

श्री अध्यक्ष : अलवर का मामला है तो फिर ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने दल के नेता से रिक्वेस्ट कर दी थी कि आप प्रस्ताव को भिजवा दें। समय के अभाव में मेरे दस्तखत नहीं हो पाये। मैं निवेदन करूंगा कि मुझे आज्ञा दी जाये।

अध्यक्ष महोदय, राज ऋषि महाविद्यालय के छात्रों ने हड़ताल कर रखी है और आज अलवर बन्द का आह्वान है। छात्रों ने इस बात को लेकर हड़ताल की कि अलवर के कुछ प्राध्यापक बहुत बड़ी मात्रा में ट्यूशन करते हैं। उनकी ऐसी मान्यता है कि एक एक प्राध्यापक पांच2 हजार रुपये महीने की ट्यूशन करता है। छात्रों में इस बात को लेकर एक रोष व्याप्त हुआ है और छात्रों ने इस बात के लिए विरोध प्रकट किया। परन्तु इस सबके पीछे, अध्यक्ष महोदय, एक राजनैतिक इतिहास है और वह यह है कि कुछ वहां पर अच्छे प्राध्यापक थे जो अच्छा पढ़ाते थे, कालेज के लिए जो एक अच्छी देन थे, शिक्षा जगत के लिये अच्छे शिक्षक थे उनके तबादले गत सत्र के अन्दर कर दिये गये। तीन प्राध्यापकों में से एक प्राध्यापक का तबादला किया और उसको दूर भेज दिया गया। उसके फलस्वरूप वह चण्डीगढ़ में अपना डेपूटेशन करा कर वहां चला गया। इससे राजस्थान उसकी सेवाओं से वंचित रहा। इसके साथ ही साथ दूसरे प्राध्यापक

(श्री जय कृष्ण शर्मा)

को भी बहुत दूर भेज दिया गया। और, यह आप जानते है कि लेक्चरार्स और प्रोफेसर्स बुद्धिजीवी होते हैं, वह किसी एक विचारधारा में नहीं रह सकते, भले ही कोई यह चाहे कि वह एक ही विचारधारा के हों। चाहे कोई भी सत्ता रही हो उनकी अलग अलग विचारधारा रही है और अलग अलग विचारधारा रहेगी। प्रोग्रेसिव विचारधारा के लोगों के साथ इस प्रकार की बात हुई। राजस्थान के मुख्य मन्त्री जी से और शिक्षा मन्त्री जी से अलवर के बहुत से लोग मिले और कहा कि सवाल इस बात का नहीं है कि आप किस प्रकार से उनके साथ व्यवहार करते हैं, यह सवाल अलवर के महाविद्यालय का है जो कि राजस्थान में बहुत बड़ा विद्यालय है। इसकी छात्र संख्या करीब 10 हजार है। इसलिए इतने बड़े महाविद्यालय के लिए ऐसे प्राध्यापकों से वहां के लड़कों को वंचित नहीं किया जाये। लोगों के कहने पर सरकार के कानों पर कोई जूं तक नहीं रेंगी और उन प्राध्यापकों को इधर-उधर बिखेर दिया।

जब इन प्राध्यापकों को वहां से दूर भेज दिया गया तो दूसरे प्राध्यापकों, जो कि इस महाविद्यालय पर हावी होना चाहते हैं, ने खूब ट्यूशन्स करना शुरू किया। लड़कों में एक प्रकार से शक पैदा हो गया कि यह प्राध्यापक लड़कों का नाजायज फायदा उठाते हैं। इसको लेकर महाविद्यालय के छात्रों ने एक मांग पत्र पेश किया।

कुछ दिन पूर्व आपने देखा कि सदन में कुछ पर्चे भी फेंके गये। उसका कारण यह था कि वहां पर लॉ कालेज के अन्दर जिन लेक्चरार का पोस्टिंग हुआ, मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे लेक्चरार्स का पोस्टिंग हुआ जिनकी महीने की वकालात की आमदनी सौ रुपये भी नहीं है। ऐसे वकील उन लड़कों को क्या पढ़ायेंगे? ऐसे ऐसे वकीलों का उन लड़कों को पढ़ाने के लिए पोस्टिंग हुआ जिनकी वकालात 100 रुपये महीने की भी नहीं चलती और जो इनकम टैक्स देने के लायक भी नहीं कमाते हैं। ऐसे लेक्चरार्स का उस कालेज में एक पार्टी के नाम पर पोस्टिंग किया गया।

यही नहीं इस सदन के माननीय श्रम मन्त्री और पहले के गृह मन्त्री जी जब अलवर अपनी पार्टी के जलसे में पधारे थे उस समय भी पार्टी के लोगों ने, जो कि सोशलिस्ट घटक के हैं, इनसे कहा था कि हमको तो जिन्दा रहने दो। हम बार के अन्दर बैठते हैं और वकील लोग हमारी मजाक उड़ाते हैं, ऐसे लेक्चरार्स का पोस्टिंग कराते हैं लॉ कालेज में। माननीय अध्यक्ष महोदय, यही नहीं उस समय के गृह मन्त्री जी के सामने इनमें आपस में खूब लड़ाई हुई। कहने वाले व्यक्तियों को उन्हीं की पार्टी के लोगों ने पीटा। इस सबका नतीजा है कि आज अलवर के अन्दर छात्रों के अन्दर एक बहुत बड़ा असन्तोष है। इसके विरोध में छात्र एक जुलूस निकाल रहे थे और प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन वह लेक्चरार असरदार लोग हैं, इसलिए जब वह जुलूस निकाल रहे थे तो उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, लाठी चार्ज किया गया। आज की यह सरकार लाठी चार्ज करने को मामूली सी बात समझने लग गई है। चाहे विधान सभा के सामने किसानों के प्रदर्शन का सवाल हो, चाहे राज ऋषि कालेज के लड़कों के प्रदर्शन

(श्री जय कृष्ण शर्मा)

का सवाल हो, जनतन्त्र की स्थापना करने वाली सरकार अपने विरोध में एक शब्द भी सुनने को तैयार नहीं है और लाठी के जोर पर उनको दबाना चाहती है। मैं यह कहता हूं कि क्या यही आपका मापदण्ड है ? आप के विरोध में छात्र कुछ कहता है तो यह विद्यार्थी एक ऐसी कड़ी है जिसने आपको आज सत्ता में बैठाया है। आप लाठियों से उनको दबाना चाहते हैं, यह कभी भी वे बर्दाश्त नहीं करेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अलवर के अन्दर विद्यार्थियों के आन्दोलन से चिन्ताजनक हालत है। अलवर आज बन्द है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सरकार में बैठने वाले लोगों से कहना चाहता हूं यदि आपने समय रहते इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और उनकी भावनाओं का आदर नहीं किया तो जैसे हमारे देश के महान नेता, जिनका नाम चीख चीख कर आप लोग कहते हैं, जय-प्रकाश नारायण की बेइज्जती हुई, उसी प्रकार वह समय दूर नहीं जब देश के सभी लोगों की बेइज्जती होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज से कुछ दिन पहले मेरे माननीय सदस्य ने कहा था कि राजगढ़ में इस प्रकार घटना हुई। आपके कानों में जूं तक नहीं रेंगी। आप जिसे एक छोटी सी बात समझते हैं, वह बहुत बड़ी बात है। विद्यार्थियों की समस्या है। जिस जमाने में हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी उस इतिहास को आप भूलें नहीं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं अपनी ओर से वार्निंग देना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि इन विद्यार्थियों की जो मांगें हैं उनकी ओर ध्यान दें। आपने गलत काम किये हैं, आपके शिक्षा मंत्री ने एक दो अध्यापकों, जो पूरा समय पढ़ाते थे, का तबादला कर दिया, यह अन्याय है। जो पूरे टाइम नहीं पढ़ाते हैं, महीने में तीन चार दिन आते हैं,केवल तनख्वाह लेने के लिये दस्तखत करते हैं, ऐसे प्राध्यापकों को आप संरक्षण देना चाहते हैं। दूसरा, जिन प्राध्यापकों को आपने अपाईंटमेंट दिया है, जिनके अन्दर योग्यता नहीं, उन प्राध्यापकों को आप संरक्षण देना चाहते हैं, उनको संरक्षण.......

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप किसको कह रहे हैं ? शिक्षा मंत्री तो हैं नहीं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अलवर के गृह मंत्री जी बैठे हैं।

(व्यवधान)

श्री जयकृष्ण शर्मा : समय रहते हुए आप चेतें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आन ए पाइंट आफ आर्डर। सवाल यह है कि माननीय सदस्य बोल रहे हैं। सम्बन्धित मन्त्री यहां बैठे थे, वे सदन से क्यों चले गये। जोइन्ट रेस्पान्सिबिलिटी की बात को मैं अस्वीकार नहीं करती लेकिन सवाल यह है कि जिस विषय पर बोला जा रहा है उस पर उन्हें स्टेटमेंट देना है।

श्री रामनारायण चौधरी : मिनिस्टर इस तरह से उठकर चला जाये, यह आपका, आसन का अपमान है। राज्य सभा में होम मिनिस्टर छोड़कर चला गया था तो सदन के नेता ने माफी मांगी थी। यह आपका अपमान है, सदन का अपमान है।

श्री नूरा : गृह मन्त्री जी, लोग घायल हुए हैं और आप प्रेम से सुन रहे हैं। प्रेम से जवाब दीजिये।

श्री सम्पतराम (गृह मन्त्री) : जिन माननीय सदस्यों ने आपत्ति की है, वे स्वयं सारी व्यवस्था को जानते हैं, कौन स्टेटमेंट देगा, गवर्नमेंट के कौन मिनिस्टर्स बैठे हैं। जो कोई बात है, निश्चित रूप से उसका उत्तर मिलेगा और सरकार इसका उत्तर देगी। सारा जो विवाद हो रहा है, वे तथ्य हमारे नोटिस में हैं।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : शिक्षा मन्त्री जी यहां होते हुए उठ कर चले गये। आप तो बैठे हैं, गम्भीरता को समझते हैं।

श्री सम्पतराम : तथ्य जो भी है, थोड़ी देर में सामने आ जायेंगे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जो वहां के अध्यापक हैं, वे कालेज में न पढ़ा कर निजी तौर से पढ़ाते हैं, अर्थात् ट्यूशन करते हैं। सवाल इस बात का है, माननीय शिक्षा मन्त्री जी यहां नहीं हों, फिर किस तरह व्यवस्था की जायेगी?

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : अगर शिक्षण संस्थाओं में शांति रहेगी....

श्री जयकृष्ण शर्मा : यह जो प्रश्न उठाया गया, इसमें बहुत बड़ा राज है। यह ललित किशोर के किये हुए कारनामे हैं, उन्हीं के दल के शिक्षा मन्त्री कैसे स्वीकार करें कि ललित किशोर के कारनामों का यह नतीजा है। जैसे कई माननीय सदस्यों ने कहा था कि मिनी मुख्य मन्त्री हैं, मिनी एजूकेशन मिनिस्टर हैं घोटाले करवाने वाले वे लोग हैं। यह मामला बड़ा संगीन है। जो अपाइंटमेंट्स हुए हैं उनकी वजह से इस संगीन मामले की शुरुआत हुई है वरना लड़कों के अन्दर यह भावना नहीं होती। यह सब इसी बात का द्योतक है। आज अलवर बन्द है, अलवर ही नहीं, सब शिक्षण संस्थायें बन्द हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अलवर के अन्दर जब स्टूडेन्ट्स निकलते हैं अपने सिर पर कफन बांध कर निकलते हैं। झगड़े में जो दूसरे लोग होते हैं उनका भी नुकसान होता है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जो जड़ है जब तक उस जड़ को नहीं खोदेंगे, प्रशासन में इस तरह की भावना पैदा नहीं करेंगे, इस प्रकार की कार्यवाही नहीं करेंगे तब तक यह हो नहीं सकता कि वहां पर झगड़े न हों, झगड़े होंगे....

श्री चिरन्जीलाल गर्ग (पुष्कर) : आप अपनी जड़ की फिक्र करो।

श्री जयकृष्ण शर्मा : कभी कभी साहब ऐसा होता है कोई आदमी बड़ के पेड़ के नीचे सोता हुआ है उसके मुंह में अचानक फल आकर गिरे, तो कहता है मैंने तोड़ा है। मेरी इस बात को आप याद रखें....

(व्यवधान)

जिसका सात समुन्दर तक राज था, वह नहीं रह सके। कल परसों का दिन याद करो जब आपकी जड़ें खुदी हैं। कभी भी भूल नहीं पायेंगे

श्री सम्पत राम : पाइंट आफ आर्डर। यह एडजोर्नमेंट मोशन है, इसकी मर्यादा है, इसका अपना दायरा है। मैं निवेदन कर रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य बार बार कह रहे है आज अलवर बन्द है, सारी शिक्षण संस्थाएं बन्द हैं, दुकानें बन्द है। यह सूचना गलत है। एग्जामिनेशन हो रहे हैं सारी दुकानें खुली हुई हैं, शिक्षण संस्थाएं खुली हुई हैं। यह मैं सूचना के लिये आपको कहना चाहता हूं।

श्री जय कृष्ण शर्मा : मैं बताना चाहता हूं

श्री सम्पत राम : बताने की जरूरत नहीं है।

श्री जय कृष्ण शर्मा : जो टेप में भर दिया वही आप कह रहे हैं। कलेक्टर और एस. पी. ने कह दिया, उसी को आप यहां कह रहे हैं।

श्री सम्पत राम : मैं दावे के साथ कहता हूं ..

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, तथ्य पर जाना चाहिये। मैं कहता हूं, आप चेलेन्ज को स्वीकार करें। सारे स्कूल खुले हुए हैं, एग्जामिनेशन हो रहे हैं। पूर्ण शान्ति है। सत्य बात कहनी चाहिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं दुकानें खुली हुई हैं, स्कूल खुले हुए हैं, सारी शिक्षण संस्थाएं खुली हैं और माननीय सदस्य कह रहे हैं अलवर बन्द है, शिक्षण संस्थाएं बन्द हैं, दुकानें बन्द है। मैं समझती हूं और मेरा यह सुझाव है कि सदन के दो तीन माननीय सदस्यों को फौरन वहां भेज दिया जावे ताकि वहां की वास्तविक स्थिति का पता लग जाय।

श्री अध्यक्ष : कार से भेजने की क्या आवश्यकता है, टेलीफोन से भी पता लग सकता है। माननीय मंत्री महोदय स्टेटमेंट दे रहे है उस पर भी ध्यान दें।

श्री जय कृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपनी बात कही है और जिम्मेदारी के साथ कही है। मैं गृह मंत्री जी से कह रहा हूं, वे तो बहुत कुछ कह रहे हैं और हमेशा कहते आये हैं यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ ...

श्री सम्पतराम : हमेशा नहीं, मैं निवेदन करता हूं आप स्वयं जानकारी करें। मैं सदन के प्रत्येक माननीय सदस्य से निवेदन करता हूं कि वहां शिक्षण संस्थाएं चल रही हैं, स्कूल खुले हुये हैं, एग्जामिनेशन हो रहे हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : क्या मंत्री महोदय मैंने जो सुझाव दिया है कि तीन आदमियों को वहां भेज दें, इसको मानने को तैयार हैं? क्या मंत्री महोदय, मैंने जो सुझाव दिया है उसको मानने को तैयार है? माननीय गृह मंत्री जी, मंजूर है क्या? मान्य है क्या मेरा सुझाव ?

श्री सम्पत राम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं मैं सुनता कानों से हूं आंखों से नहीं ...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मेरा सुझाव आपको मान्य है क्या ? मैं कह रही हूं, मेरा सुझाव मंजूर है क्या गृह मंत्री जी को? माननीय अध्यक्ष जी, यह तो घटा टोप का राज्य है।

श्री अध्यक्ष : गृह मंत्री जी ने उत्तर दे दिया, अब समाप्त करें भाषण।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी हठधर्मी कर रहे हैं। वे जो कुछ कह रहे हैं, सही कह रहे है और माननीय सदस्य जो कुछ कह रहे हैं वह गलत कह रहे हैं ? माननीय अध्यक्ष जी, आप कुछ व्यवस्था दीजिये।

श्री सम्पत राम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आज सुबह कलेक्टर से बात की है। जो आफिसियल जानकारी है, वह मैंने सदन में रख दी है। इसमें शक है तो जानकारी कर ली जाय। मेरी जिद का कोई प्रश्न नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सदन के तीन सदस्यों की एक टोली आज अलवर चली जाय और पता लगा ले कि माननीय गृह मंत्री जी कह रहे है वह सही है या माननीय सदस्य जो आरोप लगा रहे है, वह सही है।

श्री शिवचरण सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, यह तो निश्चित मानना पड़ेगा कि यह बहुत बड़ी चिन्ता का विषय है। अजमेर में झगड़ा हुआ, राजगढ़ में झगड़ा हुआ और अभी अलवर में हुआ है। यह बहुत बड़ा षड़यन्त्र चल रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी परिस्थिति पैदा न हो कि हमारे गृह मंत्री जी पर किसी प्रकार का इनडाईरेक्ट चार्ज हो। इस प्रकार के झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। इसके बारे में गृह मंत्री जी को कोई स्पष्ट घोषणा करनी चाहिये या शिक्षा मंत्री जी को घोषणा के रूप में कुछ कहना चाहिये जिससे माननीय सदस्यों में शान्ति की भावना हो वरना इस प्रकार के झगड़े सारे कालेजों में बढ़ते चले जायेंगे।

श्री जय कृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने गृह मंत्री जी की बात सुनी। जो कुछ उनके पास इस विषय में टेप है वही वे कह रहे हैं। मैं वास्तविक स्थिति को कह रहा हूं। मैं कोई कलेक्टर या एस. पी. की बात नहीं कह रहा हूं

आज अलवर में जो हो रहा है उसको स्थगन प्रस्ताव द्वारा मैंने यहां उठाया है। उसकी वजह से ही कोई बात कर रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं। मैं फिर दोहराना चाहता हूं, अलवर के महाविद्यालय में, अलवर की शिक्षण संस्थाओं में, अलवर के लोगों में एक तरह का असन्तोष है, अलवर में अराजकता है। अलवर में कल शाम को अश्रु गेस के गोले छोड़े गये। 7-00 बजे के करीब स्टूडेन्ट्स एक मीटिंग करना चाहते थे, उनको अश्रु गैस के गोले छोड़कर डिसपर्स किया गया। उससे जनता के लोग और स्टुडेन्ट्स भयभीत हुये है। चाहे इस घटना को आप तोड़ मरोड़ कर इस हाउस में किसी भी प्रकार रखें। चाहे हरिजनों का काण्ड हो, चाहे खेतड़ी का काण्ड हो और चाहे कोई दूसरे काण्ड हो आपका अपना जवाब देने का एक तरीका है तथ्यों से आप दूर करना चाहते हैं। मैं सरकार को कहता हूं कि सरकार को आगाह करने का हमारा काम है। सरकार को आगाह हम कर रहे हैं। आप जो गलती कर रहे हैं उन गलतियों को सुधारने के बजाय प्रशासन को पूर्ण प्रश्रय

(श्री जय कृष्ण शर्मा)

देना चाहते हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि इसके नतीजे आपको देखने को मिलेंगे और वह नतीजे खराब होंगे। इसलिये गृह मंत्री जी इसको मामूली बात न समझ कर कलेक्टर की बात को टेप करके इस सदन में मत पढ़ो। आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं। मैं अलवर की बात से वाकिफ हूं। अलवर वह जिला है जहां कम्युनिस्ट पैदा हुये हैं, अलवर वह जिला है जहां राजा-महाराजाओं को हराया है। आप भी अलवर जिले से पूर्ण वाकिफ हैं। अलवर जिला हमेशा अपने हकों के लिये लड़ना जानता है। अलवर की जनता के जजबातों को तोड़ मरोड़ कर विधान सभा में मत रखो। यही मेरा निवेदन है और यही मेरी चेतावनी है।

श्री अध्यक्ष : श्री राम नारायण।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने अलवर के मामले में एक स्थगन प्रस्ताव आपकी सेवा में प्रस्तुत किया है। मान्यवर, यह उचित नहीं है कि लड़कों की बात सुनी न जाय। छात्रों की समस्या का समाधान निकालना तो दूर रहा छात्र शान्तिपूर्ण जुलूस निकालें तो उनको जुलूस निकालने नहीं दें, चेलेन्ज करके अपनी बात को कहें और छात्रों को अपनी बात कहने का मौका नहीं दें। मान्यवर कल अलवर में शान्तिप्रिय छात्र अपना शान्ति-पूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। उनसे नाजायज ट्यूशन फीस ली जा रही है, उनको नाजायज तरीके से दबाया जा रहा है। सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिये और जन-मानस बनाने के लिये शान्तिपूर्ण तरीके से जो जुलूस निकाल रहे थे। बिना किसी नोटिस के, बिना किसी चेतावनी के, बिना कोई कारण बताये और बिना मजिस्ट्रेट के द्वारा धारा 144 लगाये जुलूस पर पुलिस द्वारा अश्रु गैस छोड़ी गई, 150 स्टूडेन्ट्स और वहां के शान्ति प्रिय नागरिकों के सिर तोड़ दिये गये, आंखों से अंधा कर दिया गया। इस प्रकार की ज्यादती करने वाली पुलिस के बारे में, मान्यवर, एक स्थगन प्रस्ताव दिया गया है और सदन का मानस बनाने के लिये चेतावनी दी है। मान्यवर, क्या छात्र सीरियसली इन्जर्ड हुए हैं, गम्भीर रूप से घायल हुए हैं, वह आज हॉस्पिटल के अन्दर भर्ती हैं? मान्यवर, समस्या क्या है? समस्या यह है कि छात्रों को सुना नहीं जाता, उनकी वाजिब बात को सुनते नहीं हैं, उनकी ग्रीवान्सेज को दूर नहीं किया जाता है। इसकी वजह से

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

राजगढ़, सीकर, अजमेर, नसीराबाद, ब्यावर और जयपुर, ऐसा कोई जिला नहीं है, राजस्थान का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहां छात्रों के अन्दर भयंकर असन्तोष न हो। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप बार बार घोषणा करते हैं कि हमने लोकतन्त्र की देश के अन्दर पुनर्स्थापना की है, लेकिन आप छात्रों की वाजिब बात सुनते नहीं हैं, उनको शान्तिपूर्वक जुलूस और प्रदर्शन नहीं करने देते हैं, उनकी सभाओं को शान्तिपूर्वक होने नहीं देते हैं, उनके ऊपर अश्रु गैस का प्रयोग करते हैं, तो क्या आपका यही लोकतन्त्र है? आपने इसी लोकतन्त्र की पुनर्स्थापना की है, तो आप सरकार को छोड़ दें। वह सरकार कहलाने के लायक नहीं है जो सरकार इस प्रकार के कर्म करे, जो छात्रों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ करे। उस खिलवाड़ को आप रोकिये। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राजस्थान

(60)

(श्री रामनारायण चौधरी)

के अन्दर जो शान्ति बनी हुई थी, राजस्थान के अन्दर जो अनुशासन था, राजस्थान जो प्रगति पर था, राजस्थान जो शान्तिपूर्वक आगे चल रहा था ......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें ।

श्री रामनारायण चौधरी : अभी एक सैकण्ड में समाप्त करता हूं ।

माननीय गृहमंत्रीजी आप वक्तव्य दें तो बतायें कि वह कौन सा कानून है जिसके अन्दर छात्रों पर.......

श्री सम्पतराम : मैं वक्तव्य दूंगा ।

श्री रामनारायण चौधरी : अश्रुगैस चला कर आप लोगों की आंखें फोड़ दें ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूर्व वक्ता इस बारे में काफी बोल चुके हैं । अब क्या बोलना है ?

(व्यवधान)

आप किस पर बोलना चाहते हैं ?

श्री समरथ लाल : मैं अलवर से आता हूं । मैं इस घटना के बारे में.... ..

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करिये । आपका नाम नहीं है ।

श्री समरथलाल : कुछ कहना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करिये । हो गई चर्चा ।

(व्यवधान)

श्री किशन सिंह भाटी : यह तो अलवर से आते नहीं, पाली से आते हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : माननीय अध्यक्ष महोदय, सारे समाचार पत्रों में रोज जो यह घटनाएं छपती हैं उनको पढ़ते है । जो शासन शान्ति-व्यवस्था कायम नहीं कर सकता है उसको कृपा कर के कुर्सी छोड़ देनी चाहिये । सारा जन-जीवन खतरे में पड़ गया है ।

तारीख 28 मार्च के दिन शाम को विधायक, जिनका नाम श्री जगनसिंह है, जो कि यहां के विधायक थे उनके साथ उनका लड़का राजकुमार था और 5-7 आदमी और थे जैसे निर्मलकुमारजी विधायक हैं, मौजूद थे, और श्री रामचन्द्र, जो भूतपूर्व विधायक हैं, मौजूद थे । इनकी उपस्थिति में यह घटना घटी और उनको इस प्रकार की चोटें पहुंचाई गई ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : शेम, शेम ।

श्री मूलचन्द डागा : इतना ही नहीं हुआ । यह घटना पुलिस की जो चौकी है उसके 10 गज के फासले पर हुई है और वहां पर इसके सिवाय खास बात यह थी कि पुलिस के लोग मौजूद थे । आज इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं । एक आदमी की हालत गम्भीर है, चिन्ताजनक है और हास्पिटल में एडमिट हुआ है ।

श्रीमन्, मै कहना चाहता हूं कि इसके पीछे क्या बात है ? यह क्यों घटना घटी ? सरकार निष्क्रिय हो गई है । हम आज 25 करोड़ धनराशि एप्रोप्रियेशन बिल के द्वारा पुलिस के लिए देंगे । एक तो डिफेन्स में ज्यादा खर्च होता है और दूसरे ज्यादा बजट की राशि पुलिस पर खर्च होती है । लेकिन मुझे दुःख होता है कि इधर बैठने वाले और उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों के लिए यह चिंता

(श्री मूल चन्द डागा)

का विषय है कि जन–जीवन सुरक्षित नहीं रहेगा तो इस राज्य का काम कैसे चलेगा ?

श्रीमन्, मैं बता देना चाहता हूं कि सीकर में 17 तारीख को यह घटना हुई। जिसकी खबर अखबारों में, समाचार पत्रों में छपी है, यह हमारे पत्रों में नहीं है, नवज्योति में नहीं है, लेकिन 'हिन्दुस्तान' अखबार निकलता है, जो सारे भारतवर्ष में जाता है, उस में छपी खबर के आधार पर कह रहा हूं। मैंने इस बात की जांच भी की है। कुछ लोग और उनके लीडर किशन सिंह ढाका, प्रोफेसर भगीरथमल को पीटने के लिए रात के 1 बजकर 30 मिनट पर जाते हैं। मुन्सिफ मजिस्ट्रेट का मकान है सुरेश गुप्ता का और एक सहायक अभियन्ता सत्यपाल आर्य रहते हैं उनके मकानों पर जाते हैं उस प्रवक्ता को, लेक्चरार को ढूंढने के लिए। वे उनके किवाड़ तोड़ देते हैं। उनके घर में घुसते हैं। उसके बाद सहायक अभियन्ता, जिसका नाम सत्यपाल आर्य है, का स्कूटर तक तोड़ देते हैं। आज वहां विद्यार्थियों की हालत क्या हो रही है। विद्यार्थियों के खिलाफ, उनमें से कुछ लोगों के खिलाफ बराबर कम से कम 7 मुकदमें दर्ज किये हुए हैं। मुकदमे भी बड़ी संगीन दफाओं में चालान किये हुए हैं, 307, 395, 197, 148, 149, फिर 452 में चालान किये हुए मुकदमें हैं। क्या सरकार के पास कोई कानून भी रह गया है या सरकार निष्क्रिय हो चुकी है, या सरकार गुण्डों को संरक्षण देना चाहती है ? जो ऐसे तत्व हैं मैं कहता हूं कि आप इस तरह से उनको संरक्षण दे रहे हैं, इस प्रकार की घटना जिस रात को घटी किशनसिंह ढाका मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के घर पर गया उस समय वहां पर हनुमानसिंह ए. एस. आई. मौजूद था। उसने रिपोर्ट की। उसने रिपोर्ट पुलिस थाने में की। वह रिपोर्ट क्यों दाब दी गई ? मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिये। आपका ए.एस. आई. जाता है और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराता है कि इस प्रकार घरों पर हमला हो रहा है, जो मुन्सिफ मजिस्ट्रेट का घर है, एक असिस्टेन्ट इन्जीनियर का घर है। उस रिपोर्ट के बाद कुछ कार्यवाही नहीं होती है। लेकिन किशनसिंह ढाका जब मुकदमा करता है उस मुकदमे के बाद कुछ लोगों के खिलाफ 382, 324, 147 और 148 के अन्दर मुकदमें रजिस्टर हो जाते हैं। सारी इन्जरीज सिम्पल एबेरेशन्स है कोई शार्प विपन से नहीं, कोई लाठी से नहीं। एक ओर सिम्पल इन्जरीज है और दूसरी ओर यहां से फोन जाता है महरबानी करके गृह मंत्री जी मेरे प्रश्न का उत्तर दें कि कौन मंत्री यहां से फोन करता है और कलेक्टर को कहता है। कलेक्टर मुकदमे को 307 में परिवर्तित कर देता है। मुकदमा दर्ज हो जाता हैं। पुलिस के मामले में हस्तक्षेप किया जाता है, इन्क्वायरी के मामले में हस्तक्षेप किया जाता है। वह मुकदमा 307 में कन्वर्ट किया जाता है वरना नियमानुकूल 307 दफा में मुकदमें कन्वर्ट नहीं होते हैं।

इस प्रकार से रोज की खबरों पर सदन में गम्भीर चिन्ता प्रकट की जाती है, आपने भी की है। कई बार अखबारों में ऐसी खबरें आ चुकी है, सारा जन जीवन खतरे में पड़ गया है। यह किस प्रकार की प्रोग्रेस है ? आपकी किस प्रकार की योजनाऐं हैं ? यह सारी चीजें अखबारों में छपी होंगी।

Page No 62

(62)

(श्री मूलचन्द डागा)

आप देखिये कि चारों ओर अशान्ति है। स्थिति तो यहां तक हो गयी है कि किशन सिंह को कलेक्टर देखने के लिए जाता है हास्पिटल में। उनको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। अगर इस प्रकार के लोगों को संरक्षण भी दिया जाय तो ...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्रीमान्, मैं आपकी आज्ञा मानूंगा। आपको मैं कहना चाहता हूं कि हमें चाहे कितने ही बात कहें, विरोधी दल में बैठने वालों की यह मंशा नहीं है कि कार्यवाही में कोई बाधा डालें। हमारा काम है कि हम सहयोग दें।

मेरा निवेदन है कि लॉ एण्ड आर्डर को मेंटेन किया जावे। गृह मन्त्रीजी, हम आपको कहना चाहते हैं कि आपके पास कोई एक्ट है, कोई कानून है प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए सारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, 107 और 151 धारा है। फिर यहां से फोन जावे तो यह इन्टरफीयरेंस करता है इन्वेस्टीगेशन में। मैंने सारी रिपोर्ट पढ़ कर नहीं सुनाई है क्योंकि समय नहीं है। मैंने सारे केसों को पढ़ा है, मैंने जोधपुर में प्रेक्टिस की है, मैं जानता हूं कि किस प्रकार ऐसे लोगों को संरक्षण दिया जाता है चाहे वह घटना पर घटना किए जायं। आपका गुण्डा एक्ट कब काम आएगा? क्या कार्यवाही करेंगे? इस प्रकार की हरकत करने वालों को, इस प्रकार के कार्य करने वालों को कैसे रोका जाएगा? जो शांतिप्रिय लोग हैं उनको पीट देते हैं, एम. एल. ए. तक को, विधायक को पीट देते हैं, उन पर कातिलाना हमला कर देते हैं, उस पर भी यह सरकार मौन रहती है। हमें इन्साफ चाहिए। गृह मन्त्रीजी को स्टेटमेंट देना चाहिए और खुद आकर बताना चाहिए कि किस प्रकार से कार्यवाही कर रहे हैं। लेकिन कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। दो महीने से घटनायें घट रही हैं। सीकर में अशांति, जयपुर में अशांति, अलवर में अशांति, क्या हो रहा है। यह राज ही बिगड़ गया, राज टूट गया, भैरोंसिंह शेखावत के पास राज रह गया। सारा राज्य छिन्न भिन्न हो गया। क्या राज रहा है? आज पुलिस के लिए 25 करोड़ का बजट पास कर रहे हैं। एप्रोप्रियेशन बिल पास कर रहे हैं। यह 25 करोड़ रुपया वापस ले लेना चाहिए। वित्त मन्त्रीजी, मैं आपको कहता हूं, यह गृह मन्त्रालय और यह गृह मन्त्री अशांति पैदा करते हैं। ये 25 करोड़ रुपया ले जायेंगे आपके पास में बैठ कर।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, मैं भी दो मिनट निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आपका नाम नहीं है।

श्री नूरा : इसीलिए मैं आपसे दो मिनट के लिए प्रार्थना कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, मैं आपको समय नहीं दे सकता।

श्री नूरा : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे सिर्फ दो मिनट का समय दिया जावे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका नाम नहीं है। मैं आपको समय नहीं दे सकता।

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपसे यह आशा नहीं थी कि आप मुझे दो मिनट भी नहीं देंगे।

श्री ईश्वरचन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक मिनट में निवेदन कर दूं।

श्री अध्यक्ष : आपका नाम भी नहीं है।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है....

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह उम्मीद नहीं करता था कि सिर्फ दो मिनट का समय नहीं देंगे।

श्री अध्यक्ष : आपका नाम नहीं है।

श्री नूरा : मैं बार बार प्रेस कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, नहीं। आपका भी नाम नहीं है।

श्री रामकरण सिंह : मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है, साहब। नहरी इलाकों में नहरी क्षेत्र में कृषि स्नातकों को जो जमीन दी गई है...

श्री अध्यक्ष : अस्पष्ट है आपका प्रस्ताव।

श्री शिवचरण सिंह : बिल्कुल स्पष्ट है। कितने घोटाले हैं, कितनी गड़बड़ी है।

श्री अध्यक्ष : कोई नाम नहीं है, किस को यह भूमि दी, किस को भूमि आवंटित हुई, कब हुई। ऐसी स्थिति में क्या सरकार जानकारी देगी।

श्री रामकरण सिंह : अभी जानकारी दी जा रही है।

श्री अध्यक्ष : दो मिनट बोल लीजिए।

श्री रामकरण सिंह : जैसा आप हुकुम देंगे वैसा ही करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, कृषि स्नातकों को नहरी क्षेत्र में जमीन दी है। यह वैसे तो बहुत अच्छी स्कीम है अगर इसको अच्छे ढंग से काम में लिया जावे। लेकिन यह जमीन जिन लोगों को दी गई है वह गलत शपथ पत्र के आधार पर, गलत हलफनामों के आधार पर दी गई है। जो नौकरियों में थे उन्होंने जमीन ले ली लेकिन जो बेकार थे और जिनकी अप्रोच नहीं हो सकी, उनको जमीन नहीं मिली। इसके अलावा यह जितनी भी जमीन दी गई है वह जमीन मन्त्रियों के रिश्तेदारों को, बड़े बड़े नेताओं को, उनके रिश्तेदारों को, भाई भतीजों या उच्चाधिकारियों को, जो इस साजिश में शामिल थे, मिल जुल कर दी गई है। जिन लोगों को जमीनें दी गई हैं वे आज भी उच्चाधिकारी है, उच्च पदों पर आसीन हैं। उच्चाधिकारियों के रिश्तेदार या नेताओं के रिश्तेदार हैं और ऊंचे ऊंचे पदों पर मौजूद हैं उनके जो चहेते हैं उनको ये जमीनें दी गई हैं। जिन लोगों ने झूठे शपथ पत्र दिए हैं उनको जमीन दी गई है। माननीय मंत्री जी ने अभी थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन आवर में यह कहा था कि शपथ पत्रों की जांच कराई जावेगी। मेरा निवेदन है कि इस समय जो बेरी आयोग है

Page No 64

(64)

(श्री रामकरणसिंह)

उसका इसके लिए सही उपयोग किया जावे। इस बेरी आयोग में इन सारे मामलों को दिया जावे और उनको देखा जाय। इस समय भी स्थिति यह है कि जिन लोगों ने जमीनें ली हैं वे सचिवालय में नौकरी कर रहे हैं, बैंकों में नौकरी कर रहे हैं, जो सरकारी और गैर सरकारी बड़ी बड़ी उच्च संस्थायें हैं उनमें अच्छे पदों पर अच्छे ग्रेड में काम कर रहे हैं। जिनको जमीनें दी गई हैं वे लोग जमीन लेने के साथ साथ रोजगार में भी हैं। उधर इन जमीनों को कईयों ने बेच भी दिया है। इस तरह से डबल फायदा उठा रहे हैं। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत इतना ही निवेदन करूंगा कि यह जमीनें (समय-समाप्ति-सूचक-घंटी) जिन लोगों को वास्तव में नाजायज ढंग से दी गई हैं उनको बेदखल किया जावे। इन लोगों की जमीन लेकर अन्त्योदय स्कीम के तहत जो लोग हैं, उन्हें दी जावें। यही मेरी राज्य सरकार से मांग है, इसे जल्दी से जल्दी असली जामा पहनाया जावे।

श्री ईश्वरचन्द्र : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट का समय लूंगा।

अध्यक्ष महोदय, आप शिक्षा मंत्री जी से कृपया एक वक्तव्य दिला दें। वरिष्ठ अध्यापक, तीन अध्यापक, प्रेम शर्मा, नरेश शर्मा और के. एल. गर्ग परीक्षा लेने के लिए ड्यूटी पर जा रहे थे तो पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया...

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : यह तो बड़ा एक्सेस है...

श्री ईश्वरचन्द्र : शिक्षा मंत्री जी से आप जवाब दिला दें कि इनकी गिरफ्तारी क्यों की गई है?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

आप शासन पक्ष के सदस्य हैं, आप माननीय मंत्री महोदय से स्वयं मिल सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : लेकिन साहब यह तो बड़ी चिन्ताजनक स्थिति है। कल तो स्टेटमेंट दिया था और आज उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। यह तरीका बिल्कुल गलत है।

श्री नूरा : ये सत्ता पक्ष के हैं इसलिए अगर ये सही बात कहें तो आप इनको इजाजत नहीं देंगे? हम तो आपसे न्याय की आशा करते हैं, किसी को भी सही बात कहने से नहीं रोका जाय। इन्होंने शिक्षकों की गिरफ्तारी की बात कही और यही बात मैं भी कहना चाहता था कि अजमेर के अन्दर लड़कों को सस्पेंड कर दिया गया है। बार-बार लड़कों ने मांग की है कि उनको वापस लिया जावे लेकिन उनकी मांग को नहीं सुना गया। इसी वजह से अजमेर बन्द हुआ, कल नसीराबाद बन्द हुआ है लेकिन किसी जगह सुनाई नहीं होती। गृह मंत्री जी की तो आदत है डण्डा बरसाने की, चाहे विद्यार्थी हों, चाहे किसान हों और चाहे मजदूर हों। ये डण्डे खाते खाते हम तंग आ गये हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की जो हालत हो रही है, इस तरह की

(समय-समाप्ति—सूचक घंटी)

Page No 65

(65)

(श्री तुरा)

जो घटनायें हो रही है उन्हें कोई सरकार के सामने लाते हैं, सदन के सामने लाते हैं तो उनको सुना जावे। एक विधायक महोदय जब शिक्षकों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना दे रहे थे तो आपने उनको एकदम रोक दिया जब कि उनको रोका नहीं जाना चाहिए था। सदन को बतावें कि गिरफ्तारी हुई या नहीं, यह मेरा निवेदन है। पुलिस के डण्डे खाना तो हमारे भाग्य में लिखा है। वह हम खायेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

श्री शिवचरण सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, सीनियर टीचर्स भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कल ही माननीय मंत्री ने आश्वासन दिया था सदन में, हम उनके पे-स्केल्स के बारे में सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। आपकी विधान सभा के दरवाजे पर अध्यापक भूख हड़ताल पर बैठे हैं और माननीय सदस्य आपको सूचना दे रहे हैं कि उनको गिरफ्तार किया गया है। जो लोग आपको सहयोग दे रहे हैं उनको परेशान किया जा रहा है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि हम और आप शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करें, उनसे प्रार्थना करें कि उनकी जो मांगें हैं उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

व्यवस्था का प्रश्न

विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि आदि अनुवर्ती सत्र या सत्रों में सदन पटल पर रखा जाना

श्री मूलचन्द डागा : प्वाइन्ट ऑफ आर्डर, सर। श्रीमान जी, जो आपके सामने अधिसूचनायें हैं, 22 अप्रेल 77 की अधिसूचना और 23 अप्रेल 77 की अधिसूचना इस बारे में आपकी रूलिंग हो चुकी है, आसन से रूलिंग हो चुकी है। मैं आपका ध्यान रूल 169 (2) की ओर दिलाता हूं। रूल 169 (2) इस प्रकार है:—

'Where the specified period is not so completed, the regulation, rule, sub-rule, bye-law etc. shall be relaid in the succeeding session or sessions until the said period is completed in one session'

एक माननीय सदस्य : हिन्दी में पढ़ें।

श्री अध्यक्ष : Which rule ?

श्री मूलचन्द डागा : Rule 1969(2)

"Where the specified period is not so completed . . .

अप्रेल के बाद दो सेशन हुए हैं उनके अन्दर भी आपने नहीं रखीं। आपने पहले निर्णय दिया था कि पहले सेशन में रखनी चाहिए लेकिन दो सेशन के बाद भी, अप्रेल 77 के बाद दो सेशन हो जाने के बाद अब रखने जा रहे हैं। यह आसन की आज्ञा की अवहेलना है। इनको इजाजत नहीं दी जाय। इस प्रकार से एक्जीक्यूटिव एजेंसीज हैं, जो अधिकार हैं, उनको जो डेलीगेटेड पावर हैं उनका मिसयूज कर रहे हैं। मैं आपको प्रार्थना करूंगा, आपको पहले भी रूलिंग हो चुकी है, आपने रूलिंग दी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : जो प्रश्न उठाया है उसको देख लेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : यह कहाँ तक वाजिब है, इनको पहले ताड़ना दें। ये फिर आ गए हैं, इन्होंने बेशर्मी अख्तियार कर ली है। ये तो मानते ही नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं अपनी रूलिंग को देख लूंगा और जो भी आवश्यकता होगी देख कर रूलिंग दे दूंगा।

श्री केदारनाथ (परिवहन मंत्री): मैटर में अमेंडमेंट करना था इसलिए देरी हुई थी...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आज ही आप उत्तर दें इतनी उतावली क्या है। देख लेंगे।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र
अधिसूचनाएं

श्री केदारनाथ : अध्यक्ष महोदय, मैं परिवहन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :—

1. अधिसूचना संख्या प. 5 (15)/ गृह/7/77 दिनांक 22 अप्रेल, 1977

2. अधिसूचना संख्या प. 9 (4)/गृह/ 7/76 दिनांक 23 अप्रेल, 1977

3. अधिसूचना संख्या प. 5 (73)/ गृह/ग्रुप-7/77 दिनांक 3 दिसम्बर, 1977

4. अधिसूचना संख्या प. 5 (51)/ गृह/ग्रुप-7/77 दिनांक 9 नवम्बर, 1977

5. अधिसूचना संख्या प. 5 (39 गृह/ ग्रुप-7/77 दिनांक 1 नवम्बर, 1977

6. अधिसूचना संख्या प. 5 (59) गृह/ग्रुप-7/77 दिनांक 25 अक्टूबर, 1977

7. अधिसूचना संख्या प. 5 (82) गृह/ग्रुप-7/77 दिनांक 3 जनवरी, 1978

8. अधिसूचना संख्या प. 5 (1) गृह/ ग्रुप-7/77 दिनांक 5 जनवरी, 1978

9. अधिसूचना संख्या प. 5 (77/गृह/ ग्रुप-7/77 दिनांक 13 दिसम्बर, 1977

10. अधिसूचना संख्या प. 5 (42) गृह/ग्रुप-7/77 दिनांक 1 नवम्बर, 1977

11. अधिसूचना संख्या प. 5 (79) गृह/ग्रुप-7/77 दिनांक 24 दिसम्बर, 1977

समिति का प्रतिवेदन
जन लेखा समिति का चौथा प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन :

ओंकारलाल चौहान : अध्यक्ष महोदय, मैं, सदस्य जन लेखा समिति, 1977-78, विनियोग लेखे 1972-73, वित्त लेखे 1972-73 एवं वर्ष 1972-73 के लेखों पर अंकेक्षण प्रतिवेदन से संबंधित अकाल सहायता, जल प्रदाय, राजस्थान नहर परियोजना, वन तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग विषयक मामलों पर समिति के चौथे प्रतिवेदन को पुरः स्थापित करता हूं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 63 पाठ्य पुस्तकों की निविदायें आमंत्रित किये जाने से धन का अपव्यय

श्री अध्यक्ष : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 63 पाठ्य पुस्तकों के टैण्डर आमन्त्रित किये जाने से धन के अपव्यय की ओर शिक्षा मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : शिक्षा मंत्री जी।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी जवाब दे रहे थे। जो पाइन्ट्स उठाये गये हैं, उनका जवाब नहीं दिया गया है। गृह मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया है। सीकर का मामला उठाया था।

श्री अध्यक्ष : शिक्षा मंत्री का वक्तव्य होने दीजिए।

शिक्षा मंत्री जी।

श्री भंवरलाल शर्मा (शिक्षा मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, बोर्ड राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत एक स्वायत्तशासी संस्था है। इसका सारा कार्य अधिनियम के अन्तर्गत गठित विभिन्न उप समितियों के माध्यम से होता है। पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकें निर्धारित करने की बोर्ड की एक निश्चित प्रक्रिया है। विभिन्न पाठ्यक्रम समितियां अपने विषयों में एक पाठ्यक्रम एवं पुस्तकों में परिवर्तन अथवा परिवर्धन की अनुशंसा पाठ्यचर्या समिति को करती हैं। तत्पश्चात् बोर्ड उन पर विचार कर अन्तिम निर्णय लेता है। अपनी स्वीकृत नीति के अनुसार विभिन्न विषयों में बोर्ड स्वयं की पुस्तकें विशेषज्ञों द्वारा लिखा रहा है और धीरे धीरे पुस्तकों को राष्ट्रीयकृत कर रहा है। अब तक लगभग 50 पुस्तकें राष्ट्रीयकृत हो चुकी हैं। इस प्रकार की राष्ट्रीयकृत पुस्तकों को छपवाने और वितरण की व्यवस्था विभिन्न पंजीकृत प्रकाशकों से निविदायें मांग कर की जाती है। जिसकी निविदा न्यूनतम होती है उसके साथ ही पुस्तक छपवाने का अनुबन्ध किया जाता है। इस वर्ष 50 ऐसी राष्ट्रीयकृत पुस्तकों की निविदायें मांगने पर उनकी कीमतें वर्तमान में चल रही पुस्तकों की कीमतों की तुलना में पर्याप्त कम आई। अतः छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक समझा गया कि इन 50 पुस्तकों को नई कीमतों के आधार पर छपवाना उपयुक्त होगा। बोर्ड से यह अनुरोध किया गया है कि यदि पिछले वर्ष के प्रकाशक भी निविदा में दी गई शर्तों की पूर्ति कर लेते हैं तथा इन नई दरों के अनुसार पुस्तकें छापने के लिए प्रस्तुत हों तो बोर्ड द्वारा नियमानुसार उनसे पुस्तकें छपवा ली जायें। इस प्रकार विद्यार्थियों को कम कीमतों में सैकिण्ड हैन्ड अथवा नई पुस्तकें प्राप्त हो सकेंगी। ये 50 पुस्तकें केवल दुबारा छपवाई जा रही हैं तथा इनमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। नये संस्करण की दृष्टि से जहां जहां आवश्यक है, वहां पर ही संशोधन किया जाएगा। इस प्रकार यह धारणा निर्मूल है कि इन पुरानी 50 पुस्तकों को नये प्रकार से कम दरों में छपवा लेने से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सन्दर्भ में कोई विघ्न पड़ेगा।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

उपरोक्त 50 पुस्तकों के अतिरिक्त 13 पुस्तकें ऐसी हैं जो बोर्ड इस वर्ष राष्ट्रीयकृत करना चाहता है। ये पुस्तकें मूलत: भाषाओं से सम्बन्ध रखती हैं। बोर्ड की निश्चित प्रक्रिया के अनुसार पाठ्यक्रम समितियां, जिनमें अनुभवी अध्यापक व विषयों के विशेषज्ञ होते हैं, ये निर्णय लेती हैं कि कब किस विषय में पाठ्यक्रम कितना परिवर्तित किया जाए, तत्पश्चात बोर्ड इन पर अन्तिम निर्णय लेता है। इन 13 पुस्तकों के बारे में पाठ्यक्रम समितियों ने यह स्पष्ट अनुशंसा की है कि इन्हें बदला जाना चाहिये तथा इनके स्थान पर राष्ट्रीयकृत पुस्तकें लाई जानी चाहिये तथा यह भी स्पष्ट किया है कि नई शिक्षा नीति के आ जाने के पश्चात भी इन भाषाओं की पुस्तकों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। बोर्ड एक स्वायत्तशासी संस्था है तथा विभिन्न प्रकार की समितियों की अनुशंसा के आधार पर उसमें निर्णय लिए जाते हैं। अतः राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि बोर्ड से यह अनुरोध करे कि वह इन 13 पुस्तकों को अगले वर्ष बदलने के अपने निर्णय पर पुनर्विचार करे। आशा है तदनुसार बोर्ड अपनी पाठ्यक्रम समितियों में इस विषय पर पुन: दूरदर्शिता से विचार विमर्श कर निर्णय लेगा।

श्री सुरेशकुमार: व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय, नियमों के अन्तर्गत मन्त्री महोदय के वक्तव्य के बाद कोई वाद-विवाद नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : आपने यह प्रश्न पहले भी उठाया था परन्तु यह सदन की परम्परा है। नियमों के अनुसार ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर वक्तव्य के बाद नहीं बोलते हैं। नियमों के अनुसार आपकी आपत्ति ठीक है किन्तु यहां पर कुछ उदारता बरत करके ध्यान आकर्षित करने का प्रस्ताव जिस माननीय सदस्य ने रखा है, उस सदस्य को पांच मिनट बोलने का अवसर दिया जाता है।

श्री सुरेशकुमार : तो इसके अनुसार नियमों में परिवर्तन किया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में विचार करके परिवर्तन लाना चाहते हैं, लेकिन convention some times overrule rules.

श्री नवरंगसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिन पुस्तकों को बदला जा रहा है, वे मन्त्री महोदय ने 50 पुस्तकें बताई हैं और 13 राष्ट्रीयकृत पुस्तकों के बारे में राज्य सरकार ने न बदलने के लिए लिखा है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि विद्यार्थियों की ये पुस्तकें जो प्रकाशकों के पास में हैं, उनकी कीमत 7 लाख रुपये हैं। इतनी बड़ी धनराशि का अपव्यय होगा। न केवल जिन प्रकाशकों के पास पुस्तकें हैं उनको इससे नुकसान होगा बल्कि राजस्थान के विद्यार्थियों को भी नुकसान होगा। मैं मंत्री महो- महोदय से यह कहना चाहूंगा जब तक इन पुस्तकों की बिक्री न हो तब तक अगर उनमें संशोधन करने की आवश्यकता है तो वह संशोधन अलग से कर दिया जाए। सात लाख रुपयों की पुस्तकें प्रकाशकों के पास पड़ी हैं और बोर्ड ने उनको एक तरह से नई

(श्री नवरंगसिंह)

छपवाने का निर्णय लिया है इस तरह से यह धन का दुरुपयोग है और प्रकाशकों को व्यक्तिगत रूप से नुकसान भी है। मेरी समझ में यह सहन करने लायक बात नहीं है। क्या मन्त्री महोदय इस बात पर विचार करने की कृपा करेंगे कि इन पुस्तकों को न बदल कर प्रकाशकों को संकेत कर दिये जायें ताकि वे इन सारी पुस्तकों को निकाल दें और अगले साल इनको बदला जाए।

दूसरी बात मैं मन्त्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि बहुत से गरीब विद्यार्थी सस्ती रेट पर सैकिण्ड हैन्ड पुस्तकें ख़रीदते हैं। जब ये सारी पुस्तकें आप बदलेंगे तो सैकिण्ड हैंड पुस्तकें उपलब्ध नहीं हो सकेंगी। तो इसका भी उत्तर मन्त्री महोदय देने की कृपा करें।

श्री कल्याणसिंह सांखला : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। बोर्ड एक स्वायत्त शासी संस्था है। इसके नियम बने हुए हैं। जो चयन समिति में लोग है, उनको किताबें लिखने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हीं को लिखने के लिए लगाना कहां तक उचित है, कृपया मंत्री जी बतायें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मन्त्री महोदय ने कहा है, वह स्वायत्त शासी संस्था है। उसके नियम है। नियम 28 में राज्य सरकार की पावर्स के बारे में उल्लेख है। इसमें निलम्बित करने की शक्तियां हैं। यानी राज्य सरकार को पावर्स हैं। वही मैंने कहा है, इसलिए मैंने राजस्थान विधान सभा में यह प्रस्ताव रखने की हिम्मत की है।

63 पुस्तकों के टेण्डर आमन्त्रित किये गये हैं। 13 पुस्तकें अलग ले लेते हैं जो 50 पुस्तकों में से जो बोर्ड का कृपा पात्र होगा, वह अधिक से अधिक लेगा। मेरा निवेदन है कि और लेखक आ जाये और उनसे पुस्तकें लिखवाई जाय तो इससे प्रतिस्पर्धा का अवसर मिलेगा। अगर बोर्ड लिखवा ले तो सारी बातों का झगड़ा मिट जाएगा। 25% रायल्टी देते हैं वह 10% कर दो।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

तो सस्ती किताबें लड़कों को मिल जायेगी। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को विचार करना चाहिए। यहां पर मेरा निवेदन है कि अगर 50 पुस्तकें बदली हैं, उनका केवल टाइटल बदल दिया गया है। मेरा निवेदन है कि किताबें लाखों रुपयों की पड़ी हैं। केवल उनका टाइटल बदलने से प्रकाशकों को नुकसान हो जायगा और जो गरीब विद्यार्थी पुरानी किताबें लेकर पढ़ सकते हैं उनको नुकसान हो जाएगा। मैं ये पुस्तकें सदन में लेकर आया हूं। पहले पहले वर्ष 90% दे दो। 25% बोर्ड दे देगा। दूसरे वर्ष 80%, तीसरे वर्ष 60%। दूसरे साल में रायल्टी दे दी गई है। किताब बिके या नहीं बिके। मैं समझता हूं कि यह हठधर्मी कोई नहीं करता है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : समाप्त कर रहा हूं।

245 टन कागज मिला है। 80 टन कागज मिलना चाहिए। शिक्षा की नीति में परिवर्तन होने वाला है इसलिए अगर इस वर्ष ले लिया तो अगले साल बदलना पड़ेगा।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के उदाहरण आपके सामने हैं। भारत सरकार के जो शिक्षा मन्त्री हैं, उन्होंने भी यह कहा है कि कोई भी सरकार नयी पुस्तकें प्रकाशित नहीं करेगी। मेरे पास अखबार की कटिंग है। बोर्ड इस प्रकार की नीति अपनाता है तो दूसरे प्रकाशकों की किताबें हैं, उनकी पुस्तकें चलने दें। प्रकाशकों की किताबें हैं एक की लोग नहीं खरीदें, दूसरे की किताबों को लोग ज्यादा खरीदें तो दूसरे व्यक्तियों की किताबें चलेंगी। दूसरा मेरा निवेदन है कि टेण्डर द्वारा पुस्तकें छपाई जाती हैं तो अन्य प्रकाशकों को पुस्तकें दी जायें।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : किसी एक ही प्रकाशक को न देकर दो तीन और प्रकाशकों को दे सकते हैं। ताकि किसी एक ही प्रकाशक की मोनोपोली नहीं रहे। किताबों की गुडविल दें। 25% रायल्टी भी रखें। मेरा निवेदन करना यह है कि व्याकरण की प्रकाशक की पुस्तक चल रही है। इसी प्रकार बोर्ड की गणित की पुस्तक के साथ ही प्रकाशक की पुस्तक टी.के. डांडिया द्वारा लिखी हुई छापू हैं। अतः व्याकरण की भी प्रकाशक की पुस्तक, जो अब तक चल रही थी, नहीं हटाई जाये। टेण्डर द्वारा पुस्तकें जो छपाई जायें उनमें विशेष तौर पर राजस्थान के प्रमुख प्रकाशकों को प्राथमिकता दी जाये टेण्डर से किसी प्रकाशक को दो-तीन से ज्यादा पुस्तकें छापने को नहीं दी जानी चाहिए। इससे एकाधिकार समाप्त हो जायेगा। पुस्तकें छापने को देते समय प्रकाशकों के स्तर, गुडविल, स्टेण्डिंग का अवश्य ध्यान रखा जाना चाहिए। एकदम नये या अनुभवहीन प्रकाशक को पुस्तकें नहीं दी जावें। इसके साथ ही बोर्ड जो 25% रायल्टी लेता है उसे घटा कर 10% करें जिससे छात्रों को पुस्तकें कम मूल्य पर मिल सकें। रायल्टी जो छात्रों की संख्या के आधार पर की जाती है, वह वास्तविक बिक्री के आधार पर लें।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें। माननीय सदस्य।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : समाप्त कर रहा हूं। मेरा निवेदन यह है -

श्री अध्यक्ष : समाप्त करते नहीं हैं। कहते हैं समाप्त कर रहा हूं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : केवल टाइटल बदलने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसके अलावा मैं मन्त्री महोदय को मेरा सुझाव दूंगा ..

श्री अध्यक्ष : आप सुझाव नहीं देंगे। ध्यान ग्रहण करें कृपया। आसन पैरों पर है।

(व्यवधान)

आप क्या पूछना चाहते हैं।

श्री शिवचरणसिंह: यह जो राष्ट्रीयकरण किया गया है, अध्यक्ष महोदय....

श्री कौशल किशोर जैन : शिक्षा की डिमाण्ड पर जब मैं बोल रहा था, मैंने इस सम्बन्ध में उस समय निवेदन किया था कि राज्य सरकार ने और अजमेर बोर्ड ने साहसिक कदम उठाया है 65 पुस्तकों का प्रकाशन करने के बारे में। प्रकाशकों का हित नहीं देखेंगे

(श्री कौशल किशोर जैन)

और राजस्थान के विद्यार्थियों का हित देखेंगे, इसके लिए मैं शिक्षा मन्त्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद दे दिया ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : ये दो लाबी के आदमी है ।

(व्यवधान)

श्री कौशलकिशोर जैन : एक प्रणाली समाप्त कर रहे हैं पुस्तकों के प्रकाशित करने की ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य । आसन पैरों पर है ।

(व्यवधान)

नहीं, माननीय सदस्य ।

श्रीमती उजला अरोड़ा ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि टेन्डर प्रणाली से पुस्तकें प्रकाशित करवाई हैं, इसलिए ज्यादा मूल्य हो गया है। इसके लिए मैं भी धन्यवाद देना चाहती हूं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो ।

श्री चिरंजीलाल गर्ग : × ×

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : × ×

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं निवेदन करना चाहती हूं.....

श्री अध्यक्ष : केवल दो मिनट, माननीय सदस्या ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : केवल दो मिनट ही कहूंगी ।

ग्यारह रुपये के लगभग एक बच्चे को पढ़ने की पुस्तकें होती हैं । मन्त्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जब तक भाषा की नीति और शिक्षा की नीति की स्पष्ट घोषणा नहीं होगी तब तक यह समस्या हल नहीं होगी । अगले वर्ष फिर पुस्तकें बदल देंगे तो विद्यार्थियों, और प्रकाशकों को नुकसान होगा । मन्त्री महोदय इसी वर्ष भाषा नीति और शिक्षा नीति में परिवर्तन करने जा रहे हैं यदि यह बात निश्चित है कि जो 63 पुस्तकें इस समय बाजार में सस्ते मूल्य में उपलब्ध हैं, उनका टेण्डर नहीं किया जाय । केवल जो पुस्तकें आगे पढ़ाई जाने वाली हैं उन्हीं का टेण्डर किया जाय । मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि आपको निर्णय लेकर भाषा नीति और शिक्षा नीति की घोषणा करनी चाहिए ।

दूसरी बात एक ही प्रकाशक द्वारा 13-13 और 14-14 पुस्तकें प्रकाशित कराई गई हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि दो या तीन पुस्तकों से अधिक एक प्रकाशन को नहीं दी जायं । साथ ही जो बोर्ड में····

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

निर्णायक हैं उनसे पुस्तकें नहीं लिखवाई जा कर जो अच्छे लेखक और विचारक हैं उनसे पुस्तकें लिखवाई जायं ।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि पिछले वर्ष आपातकालीन स्थिति के दौरान एक

× × अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

Page No 72

(72)

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

पुस्तक पढ़ाई जा रही थी जिसमें श्रीमती इन्दिरा गांधी का स्पष्ट उल्लेख था, उनके बारे में एक चेप्टर था। अभी-अभी आदेश दिये गये थे कि उसको बदल दिया जाय।

श्री मूलचन्द डागा : यह आदेश कैसे हुए ? श्रीमती इन्दिरा गांधी का पाठ किस प्रकार से उड़ा दिया जायगा ? Most objectionable.

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको आदेश देने की कृपा करें कि मुझे डिस्टर्ब न करें। स्कूलों में बच्चे इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं, उन स्कूलों में चिट्ठी लिख दी गई है कि यह चेप्टर नहीं पढ़ाया जाय, लेकिन फिर भी

(व्यवधान)

इस तरह से बच्चों को मिसगाइड न किया जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह निर्णय लिया जाय कि इस पुस्तक को हटा दिया जाय।

श्री मूलचन्द डागा : कैसे हटा दी जाय ? कोई ऐसा कानून नहीं है, इन्दिरा गांधी हिन्दुस्तान की 12 साल तक प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है और ...

(व्यवधान)

आप कह रहे हैं कि श्रीमती इन्दिरा गांधी का पाठ हटा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष। माननीय सदस्य, चर्चा समाप्त हुई।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : बहुत बड़ा गम्भीर मामला है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री मूलचन्द डागा : मन्त्री महोदय वक्तव्य दें कि पाठ नहीं हटायेंगे। नहीं तो ..

(व्यवधान)

खतम हो जायगी हिस्ट्री ।

(व्यवधान)

यह इस प्रकार की बात कर रही हैं और मन्त्री महोदय उत्तर नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। कोई ऐसी बात नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : यह कैसे कह रही हैं कि ..

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अब चर्चा नहीं होगी, बिलकुल चर्चा नहीं होगी ।

(व्यवधान)

अंकित न हो।

× × ×

श्री अजीत सिंह (टोंक) : जो नई किताबें छपवायेंगे वह टाइम पर मिल भी जायेंगी कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष : शिक्षा मन्त्रीजी सब सुन रहे हैं। वे विचार करेंगे इस पर और क्या हो सकता है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : किताबों में से पाठ हटा दें, इससे कोई काम चलने वाला नहीं है।

(व्यवधान)

× × × अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री मूलचन्द डागा : यह धांधली है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हो गई, माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

गृह मन्त्रीजी।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द सामरिया : अब तो आप चुप रहिये।

एक माननीय सदस्य : यह सब तानाशाही के चारण और भाट हैं।

श्री मूलचन्द डागा : आप सब लोग भाट हैं।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द सामरिया : उस समय आपकी आवाज नहीं निकली।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : अगर इन्दिरा गांधी चुनाव नहीं करातीं तो तुम यहां नहीं आते, उन्होंने चुनाव कराये हैं।

श्री चिरंजीलाल गर्ग : इमर्जेन्सी में

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रासिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात ......

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अलीबाबा और चालीस चोरों को जनता ने फेंक दिया।

श्री मूलचन्द डागा : यह गलत है।

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रासिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं माननीय सदस्यों से एक ही बात निवेदन करना चाहूंगा कि····

श्री अध्यक्ष : मेरी आज्ञा तो नहीं है, माननीय सदस्या।

(व्यवधान)

इस विधान सभा का स्तर कहां पहुंच गया।

श्रीमती सुमित्रासिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही सम्मान के साथ, आपका आदर करती हुई अर्ज कर देना चाहती हूं कि दोनों ही ओर के माननीय सदस्य उत्तेजित हो रहे हैं, एक ही प्रश्न है, चाहे श्रीमती इन्दिरा गांधी का पाठ आप पुस्तकों से हटा दें लेकिन इन्दिरा गांधी के नाम को आप भारत के इतिहास से नहीं मिटा पायेंगे। इन्दिरा गांधी के शासन की छाप इतिहास के पृष्ठों में अंकित रहेगी।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : कई राज्यों में कांग्रेस, आई, का शासन है, वहां इंदिराजी का राज है। अक्ल से काम लो।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। गृह मंत्री द्वारा वक्तव्य।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : शिक्षा मंत्री का सदन मे उत्तर आना चाहिए, वरना···

श्री अध्यक्ष : मैं मंत्री महोदय को विवश नहीं कर सकता उत्तर देने के लिए।

Page No 74

(74)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : वह उत्तर देना चाहते हैं, केवल आपकी आज्ञा चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मन्त्रीजी की इच्छा हो तो वह खड़े हों, मेरी आई कैच करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मंत्री जी कभी ना नहीं कर सकते । अब मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वह अपना उत्तर दें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उनको आदेश दिए जायं।

श्री अध्यक्ष : मैं जिस समस्या को लेकर आदेश देना उचित नहीं समझता हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : जिस समस्या पर मेरा ध्यान आकर्षित किया गया, वह तो कहीं रह गई और दूसरी समस्या खड़ी कर दी। मैं सदन का ध्यान उधर ही आकर्षित करूंगा जिससे मेरा सम्बन्ध है। चिंता यह व्यक्त की गई है कि जो पुस्तकें छापी जाती हैं उनके छापने से या तो जो पुस्तक विक्रेता हैं, उनको नुकसान होता है या कभी विद्यार्थियों को कीमत अधिक देनी पड़ती है। यह विवाद है। इन 63 पुस्तकों के बारे में मैंने जैसा निवेदन किया, 13 पुस्तकें बिल्कुल नई आ रही हैं जिनके लिए जो पाठ्यक्रम समिति है उससे हमने निवेदन किया है कि वे न छपवायें. एक वर्ष के लिए उनको स्थगित कर दें। अगली बार फिर देखेंगे। मैं समझता हूं, इतना पर्याप्त होगा। माननीय सदस्यों को सन्तोष होना चाहिए।

जहां तक 50 पुस्तकों का सवाल है टेन्डर मंगाए जाते हैं, टेन्डर प्रणाली से पुस्तकों की कीमत में अन्तर आता है, वह इतना अधिक है कि जिससे विद्यार्थियों को लाभ होगा। कहीं पर तो यह अन्तर 2.15 रु. का हो जाएगा। जिसकी कीमत 4.05 रु. थी वह अब 1.90 रु. में छापी जाएगी। जो 1.80 रु. में मिल रही है वह अब 78 पैसे में मिलेगी...

श्री मूलचन्द डागा : कागज खराब होगा।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : टेन्डर प्रणाली में अधिकांश पुस्तकों की कीमत निश्चित रूप से कम होगी....

एक माननीय सदस्य : पृष्ठ तो कम नहीं है?

श्री मूलचन्द डागा : छोटे छोटे बच्चों के हाथ में सुन्दर पुस्तकें दीजिए। कागज अच्छा होना चाहिए।

श्री सूरजपालसिंह : मंत्री महोदय का उत्तर आ गया। अब किस बात की चर्चा?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय का उत्तर आ गया। अब किस बात की चर्चा?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : लाखों रुपयों की पुस्तकें विक्रेताओं के पास पड़ी हुई हैं। आपने टेन्डर मंगाए हैं वे पूरी पुस्तकें देने को तैयार हैं, तो फिर विक्रेताओं का जो स्टाक पड़ा हुआ है वह बेकार हो जाएगा। बच्चों को नई किताबें मिल जायेंगी पुरानी किताबें बाजार में पड़ी हुई हैं। उनका उपयोग कैसे होगा? टाइटल्स बदले गए हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उनकी पुस्तकें बेकार जाने से क्या लाभ होगा? केवल किताबों के टाइटल्स बदले गए हैं। उनके

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

लिये कागज मगाने पड़ेंगे। पिछले दिनों कापियों पर चर्चा हुई थी तब कहा था कि अभी तक मिलों ने कागज नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। इस बारे में जो चर्चा थी वह हो गई। यदि मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहें तो कह दें, उलझन में न पड़ें, शीघ्र समाप्त करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : प्रश्न यह है कि जिन पुस्तक विक्रेताओं को नुकसान हुं उनको ध्यान में रखा जाए या विद्यार्थियों को सस्ती कीमत पर किताबें मिलें, यह ध्यान रखा जाए। दोनों में समन्वय हो सकता है। तो जिन्होंने यह ध्यान आकर्षित किया हुं वे आ जायं, मुझसे मिल लें। यदि कोई समाधान निकल सकता है तो मुझे आपत्ति नहीं।

श्री अध्यक्ष : गृह मन्त्री।

शासकीय वक्तव्य

नागौर जिले के पुलिस स्टेशन के गांव नावां के एक हरिजन युवक श्री हरजीराम को जिन्दा जलाने की घटना।

श्री सम्पत राम (गृह मंत्री)। अध्यक्ष महोदय, नागौर जिले के श्री हरजीराम मेघवाल की हत्या के विषय में मैंने जानकारी प्राप्त की है, जिसके अनुसार निम्न स्थिति पाई गई :

श्री मांगू पुत्र गोमा मोची साधारण ग्राम ने दिनांक 19-3-78 को प्रातः 10 बजे थाना डेगाना पर लिखित रिपोर्ट की कि उसका भाई हरजीराम, जो किसनाराम जाट वा. जा।। को ढाणी के करीब 5-6 साल से बतौर मजदूरी पर रहता है, गई रात करीब 12 बजे नंगा जला हुआ आया। उसने (हरजी) बताया कि उसे किशनाराम व चिमना राम जाट ने जलाया है। जिसे वह अस्पताल में लेकर आया है जो शफाखाना में है।

इस सूचना पर थाना डेगाना में अभियोग न. 21 दिनांक 19-3-78 धारा 307 आई. पी. सी. में दर्ज किया गया। रिपोर्ट कुनन्दा मांगू से पूछताछ पर उसने बताया कि उसके भाई हरजी ने उसे यह बताया कि किशनाराम व चिमना जाट ने उस पर किशना की औरत बिदामी के साथ खोटा काम करने का इलजाम लगाया व साथ साथ मे चोरी का इलजाम भी लगाया जिस पर वह दौड़ कर मुंजों में छुप गया। किशनाराम व चिमना ने उसका पीछा किया और जिस मुंजे में वह छुपा हुआ था उसमें जान से मारने की नीयत से आग लगा दी।

मृतक हरजी राम को अस्पताल डेगाना में प्राथमिक उपचार किया गया व जिस्म का मुआयना किया गया तो बदन काफी जला हुआ था व हालत खराब थी। इस पर चिकित्सा अधिकारी डेगाना ने पुलिस के निवेदन पर हरजीराम का डाइंग डिक्लेरेशन दिनांक 19-3-78 को ही प्रातः 11 बजे लिया। इसमें हरजीराम ने बताया कि जब वह खेत पर काम कर रहा था तो वहां किशना व चिमना बेटा नन्दा जाट दोनों भाई उसके पास आए। किशना ने कहा कि तू मेरी लुगाई के साथ खाता पीता है। जिस पर उसने मना किया कि वह ऐसा खोटा काम नहीं करता। बिदामी से

(श्री सम्पतराम)

पूछ लो। जिस पर दोनों भाइयों ने पहले तो बिरामी को पीटा व बाद में वापस आकर कहा कि चोरी क्यों की थी। वह लड़ाई करने लगे जिस पर वह डर से भाग कर मुंजों में छिप गया। जहां पीछा कर दोनों ने मुंजों में आग लगा दी और भाग गये मुंजे ज्यादा थे अत: वह उनमें से निकला तब तक पूरा जल गया। उठता पड़ता वह घर पहुंचा और सारी बात उसके भाई को बताई। सुबह अस्पताल में उसका भाई लाया है।

श्री हरजीराम की हालत चिन्ताजनक होने के कारण उसे उसी रोज अजमेर अस्पताल में भेजा गया जहां दिनांक 23-3 को उसकी मृत्यु हो गई।

अब तक की तफतीश से यह तथ्य सामने आये हैं कि मृतक हरजीराम का किसनाराम जाट की पत्नी के साथ अभी तक संबंध होने के शक के कारण यह घटना घटी है। तफतीश के दौरान यह बात भी सामने आई है कि इस वारदात में श्री किसनाराम एवं चिमनाराम जाटान के अतिरिक्त श्री रेवतिया भांभी का भी हाथ था। श्री रेवतियां भांभी श्री किशनाराम व चिमनाराम जाटान का पड़ौसी है।

इस मामले की तफतीश लगभग पूर्ण की जा चुकी है एवं सर्व श्री किशनाराम चिमनाराम व रेवतिया का दिनांक 23-3-78 को गिरफ्तार किया जा चुका है जो इस समय जुडिशियल कस्टडी में हैं।

उक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि जैसे ही पुलिस को इस वारदात के विषय में सूचना मिली, पुलिस ने तत्परता से कार्यवाही की। मृतक का डाईंग डिक्लेरेशन तुरन्त रिकार्ड करवाया एवं मृतक को तुरन्त उचित उपचार हेतु अजमेर भिजवाया। यह दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि श्री हरजीराम की मृत्यु हो गयी। पुलिस द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है एवं इस मामले में चालान अदालत में जल्दी ही प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि मुख्य मन्त्री महोदय के डिस्क्रिशनरी फन्ड से 2000 रुपये एवं गृह मन्त्री के डिस्क्रिशनरी फंड से 500 रुपये मृतक के परिवार के सदस्यों को उपलब्ध कराये जावेंगे।

अध्यक्ष महोदय एक स्टेटमेंट और पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष : इसके बाद में पढ़ देना।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : अध्यक्ष महोदय, गृह मन्त्रीजी ने जो अभी हाउस में स्टेटमेंट पढ़ा है यह स्टेटमेंट मेरे इस स्थगन प्रस्ताव पर दिया है जो कल मैंने सदन में दिया था कि नागौर जिले के पुलिस स्टेशन डेगाना के गांव नावां के एक हरिजन मेघवाल 23 वर्षीय युवक, श्री हरजीराम को वहां के कुछ लोगों ने आपसी लेन देन के मामले में क्रोधित होकर जिन्दा जला कर मार डाला। मान्यवर, यह वक्तव्य बिलकुल झूठा और मनगढ़न्त दिया हुआ है। इसमें अपराधियों को बचाने की गृह मन्त्री और पुलिस द्वारा साजिश की गयी है। अध्यक्ष महोदय, जब से जनता पार्टी का राज्य आया है तब से हरिजनों के ऊपर अत्याचार और उनकी औरतों के साथ

(श्री रामनारायण चौधरी)

बलात्कार किये जा रहे है, उनकी जमीनों पर कब्जे किये जा रहे है पर कोई सुनने वाला नहीं है। अभी डेगाना में हरजीराम को जिन्दा जला दिया इससे बड़ा जघन्य अपराध क्या हो सकता है। उसके बाद में इस प्रकार की स्टोरी गढ़ दी कि हरजीराम के किशनाराम को पत्नी बिदामी के साथ अनैतिक संबंध थे। इसके अलावा यह भी एक कहानी गढ़ दी कि हरजीराम ने किशनाराम के यहां पर चोरी की। यह जो चार्जेज लगाये गये है यह बिलकुल ही भूठे हैं। अध्यक्ष महोदय, इसमें एक इन्च पर भी सच्चाई नहीं है। सच बात तो यह है कि हरजीराम किशनाराम के यहां पर हाली था। उसने वहां पर करीब 6-7 साल तक काम भी किया पर बाद में उसने उनके यहां काम करना बन्द कर दिया। पैसों के मामले, लेन देन की बात से क्रोधित होकर किशनाराम और चिमनाराम ने उसको जिन्दा जला दिया। अध्यक्ष महोदय, जब वाकया हुआ उसके पहले किशनाराम किसी दूसरे व्यक्ति के खेत में काम कर रहा था। उस वक्त उन लोगों ने यानि किशनाराम और चिमनाराम ने हरजीराम को पेड़ से बांध दिया और उसके आग लगा दी। माननीय मन्त्री महोदय यह कहते हैं कि वह भाग कर मुंजों में छिप गया। इनको पता है मुंजे किसको कहते हैं? वह तो घास का ढेर होता है। अध्यक्ष महोदय, जिस व्यक्ति को पेड़ से बान्ध दिया था वह भाग कैसे सकता है? कोई पेड़ से बन्धा हुआ व्यक्ति भाग सकता है? उसके कपड़े पूरे जल गये थे। उसके जलने के बाद उसके भाई ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करायी। इसलिये आप जो कह रहे है वह गलत है। यह पूरी तरह से साजिश है। वहां के सरपन्च और पुलिस थाने के थानेदार ने हजारों रुपये इस मामले में खाये हैं इस कारण इस मामले को इस तरह का बनाया है कि हरजीराम के चिमनाराम के भाई किशनाराम की पत्नी बिदामी के साथ अनैतिक संबंध थे। यह काश्तकार किशनाराम और चिमनाराम सम्पन्न परिवार के लोग हैं। उन्होंने यह जालिम अपराध किया है। इसमें तीसरा नाम मांमी का जबरदस्ती घुसेड़ा गया है। इसमें भी साजिश है। एक हरिजन नाम और इसमें डाल दो ताकि मामला कुछ और रंग ले ले। सही बात तो यह है कि किशनाराम और चिमनाराम ने उस हरजीराम को पीटा और फिर पेड़ से बान्ध कर उसको जिंदा जला दिया। पैसों का, लेन देन का झगड़ा था। अध्यक्ष महोदय, मारने वाले लोग भी जाट हैं और स्थगन प्रस्ताव देने वाला मैं भी जाट हूं। अपराध करने वालों को किसी तरह से नहीं बख्शा जाना चाहिये। हरिजनों के साथ अत्याचार करना बहुत बड़ा अपराध होना चाहिये। यहां पर यह कहना गलत है कि जाट विरोधी एटमोसफियर बनाया जा रहा है अब यह दिनों दिन तस्वीर साफ होती जा रही है कि जनता पार्टी के राज्य में आज हरिजनों की हालत चिन्ताजनक हो रही है। जब से जनता पार्टी का राज्य आया है तब से रोजाना हरिजनों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, उनकी जमीनों को छीना जा रहा है और हरिजनों की महिलाओं के साथ बलात्कार किये जा रहे हैं। इस प्रकार के जो जघन्य अपराध हो रहे हैं उनके सम्बन्ध में कोई कार्यवाही जनता पार्टी की सरकार नहीं कर रही है। मैं, अध्यक्ष

Page No 78

(78)

(श्री रामनारायण चौधरी)

महोदय, इस सदन में चुनौती देना चाहता हूं कि यह सारी रिपोर्ट, जो सदन में गृह मन्त्रीजी ने पढ़ी है, बिलकुल गलत है।

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कोई स्पेसिफिक प्रश्न पूछें तो उसका जवाब भी दूं। वरना भाषण देने से तो कोई लाभ नहीं होगा।

श्री मूलचन्द डागा : There are two versions. The version which is narrated by him shoud be taken as true.

श्री रामनारायण चौधरी : आप को पूरी जांच करके स्टेटमेन्ट देना पड़ेगा। आप इस तरह का जवाब नहीं दे सकते। आप इसको मजाक नहीं समझें मैं गृह मन्त्री जी को चुनौती देना चाहता हूं और कहना चाहूंगा कि हरजीराम की मृत्यु पेड़ से बान्ध कर उसके कपड़ों में आग लगा कर की गयी है। मैं चेलेन्ज करता हूं अगर इसको कोई गलत साबित कर दे तो। अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मुंजे में आग लगाने से चूहा भी मर जाता है, वह भी नहीं बचता है, इन्सान तो बड़ी चीज है वह कैसे बचेगा। अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है कि गृह मन्त्री जी ने बहुत ही गलत और जालिम स्टेटमेण्ट पढ़ा है। यह मनगढ़न्त कहानी है। पुलिस द्वारा तीसरा नाम भांभी का डालने की कोशिश की गई है। यह बिलकुल सही है कि भांभी मारने वालों में था ही नहीं। यह बिलकुल झूठ है कि भांभी उसमें था। गृह मन्त्रीजी शिड्यूल्ड कास्ट के हैं और शिड्यूल्ड कास्ट के एक व्यक्ति को जिन्दा जला कर मार दिया गया है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप हरिजनों को प्रोटेक्शन दें न कि सम्पन्न परिवार वालों को। आप इस तरह से सम्पन्न लोगों को प्रोटेक्शन देकर हरिजनों को बरबाद करने पर क्यों तुले हुए हैं? मैं चेलेन्ज करता हूं, यह मनगढ़न्त कहानी गढ़ी गयी है। मुझे विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि हरजीराम का कोई रिश्ता किशनाराम की पत्नी बिदामी से नहीं था, न उसने कोई चोरी की थी। सिर्फ पैसों के लेन देन का झगड़ा था। बाकी सब मनगढ़न्त कहानी है। सिर्फ किशनाराम और चिमनाराम को बचाने के लिये किशनाराम की पत्नी के साथ नाजायज ताल्लुक की बात गढ़ी गई है ताकि अदालत को इम्प्रेशन हो और लोगों को बचाया जा सके। इसलिये, अध्यक्ष, महोदय, इसकी पूरी जांच करायी जाये, दोषी लोगों को सजा दी जाय और जो हरिजनों के साथ अत्याचार हो रहा है उसको रोका जाये।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, इसकी दुबारा इन्डिपेन्डेन्ट जांच की जानी चाहिये।

श्री खेतसिंह राठोड़ (शेरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, अभी सदन में गृह मन्त्रीजी ने जो स्टेटमेन्ट दिया है उसमें और स्थगन प्रस्ताव, जो माननीय सदस्य ने दिया है, में, इन दोनों के फेक्ट्स में बहुत बड़ा फर्क है। इससे तो ऐसा लगता है कि कहानी बनायी गयी है कि हरजीराम के किशनाराम की पत्नी के साथ नाजायज ताल्लुक थे। दूसरे यह कहा गया कि वह भाग कर मुंजों में छिप गया। अध्यक्ष महोदय, दोनों के फेक्ट्स में बहुत अन्तर है। पैसों के लेन देन के मामले में उस व्यक्ति को पेड़ से बान्ध कर

(श्री खेतसिंह राठौड़)

जला देना बहुत ही जघन्य अपराध है। मैं समझता हूं कि राजस्थान में यह पहला इन्स्टान्स है जब कि किसी हरिजन को बांध कर जिन्दा जला दिया गया है। राजस्थान सरकार ऐसे केस में भी सम्पन्न लोगों को प्रोटेक्शन दे रही है। ऐसे अपराधी के बारे में हमने यह तो सुना था कि बिहार की तरफ इस तरह से हरिजनों को जला दिया गया था। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसकी किसी दूसरे सीनियर आफिसर से जांच करायी जाय। इसके साथ साथ मैं तो कहूंगा कि इसकी इन्टेलीजेन्स डिपार्टमेन्ट से जांच करायी जाय। और यही नहीं मैं तो राज्य सरकार को, अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत यह निवेदन करूंगा कि इसको सी बी. आई. को दे दिया जाय। इस मामले की जांच करके दोषी व्यक्तियों का चालान किया जावे। यह मनगढ़ंत बात कही गयी है कि किशनाराम की पत्नी और हरजीराम के नाजायज ताल्लुक थे इसलिये झगड़ा हुआ और उसे मारा। इसलिये मेहरबानी करके सारे तथ्यों को सही पता लगाने के लिये आप इस सारे मामले को गम्भीरता से लें। यह हरिजनों का मामला है इसलिये आपको इसकी किसी सीनियर आफिसर से इम्पाशियल जांच करानी चाहिये। आप खुद इस मामले में दिलचस्पी लेकर कार्यवाही करें।

श्री बालकृष्ण थानवी : आपके कांग्रेस के जमाने में नसबन्दी के मामले में हजारों लोगों को जान से मार दिया गया था।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : यह क्या कांग्रेस की बात करते हो। काम करके बताओ कुछ। हरिजनों की बात चल रही है, उनकी रक्षा करो।

श्री माधोसिंह (रेवदर) : अध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी के सदस्यों के पास सिवाय भूतपूर्व सरकार को कोसने के कुछ नहीं है।

(व्यवधान)

श्री बालकृष्ण थानवी : आपातकालीन स्थिति के समय इस तरह की हजारों मौतें नसबन्दी के मामले में भूतपूर्व सरकार के जमाने में हुई।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : माननीय अध्यक्षजी, इस दुखदायी घटना के अन्दर न तो जनता सरकार के मंत्री गुनहगार हैं और न आप। एक घटना हुई है जिसमें किसी पोलिटिकल पार्टी का हाथ नहीं है। यह आपके खुद के सोचने की बात है। जो घटना हुई है और जिसे माननीय सदस्य ने रखा है कि उसको पेड़ से बांध करके आग लगायी गयी, इस घटना की सही जांच के लिये वे आपको सहयोग देने के लिये तैयार हैं। आप अलग से उनसे अपने चेम्बर में पूछें कि उनके पास क्या सबूत है। जिस ढंग से उन्होंने कहा है उस ढंग से सही पायें तो उचित होगा कि इसकी जांच करायी जाय। इस घटना से कोई राजनैतिक फायदा नहीं लेना चाहिये और न ही यह मंशा कांग्रेस के नेताओं की है। मेरा निवेदन है कि राजनीति से ऊंचा उठ कर मानवीय दृष्टि से इसको देखें। ऐसी घटना आयन्दा न हो और पुलिस इस प्रकार की घटना को छिपाने के लिये तथ्यों को तोड़े मरोड़े नहीं, इसलिये माननीय मुख्य मंत्रीजी

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

और गृह मंत्रीजी से निवेदन है कि आप चौधरी साहब की सहायता से इसकी जांच के लिये अच्छे अधिकारी को लगायें जिससे कि राजस्थान की बदनामी न हो।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह मेरे क्षेत्र का मामला है। मुझे दो मिनट कहने दीजिये।

श्री अध्यक्ष : 2 मिनट।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : जो घटना घटी है वह बहुत गम्भीर है इसमें दो राय नहीं है। माननीय गृह मंत्रीजी ने जो बयान दिया उसमें हालात ठीक है लेकिन फिर भी उनके कथन में थोड़ा बहुत अन्तर है। माननीय रामनारायण जी चौधरी ने जो बात बतायी वह भी ठीक हो ऐसी बात नहीं है। फिर भी क्योंकि मामला बड़ा गम्भीर है मैं इन दोनों की कन्ट्रोवर्सी में न पड़ते हुए यह चाहूंगा कि मामले की सी.आई.डी. से जांच करा ली जाय।

श्री सम्पतराम : माननीय अध्यक्षजी, यह बड़ी ही दुखद घटना है और इसलिये और भी दुखद हो जाती है कि समाज के सबसे गिरे हुए और पिछड़े हुए वर्ग के साथ यह घटना हुई है। इसलिये कुदरती तौर पर माननीय सदस्यों का और बाहरी जनता का भी एक तरीके से दिल दुखता है। माननीय रामनारायण जी ने जैसा बताया, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ज्यों ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने फौरन केस दर्ज किया है। पुलिस ने केस रजिस्टर करके डाइंग डिक्लेरेशन डाक्टर से लिखाया है। पुलिस ने कपड़े भी लिये हैं।

(व्यवधान)

आप फिर फर्मा देना ;

उसका हर प्रकार से उपचार कराने की कोशिश की गयी। कोई आदमी इस प्रकार से दुखी हो जाय, ऐसी घटना पुलिस के सामने हो जाय या किसी मानव के सामने हो जाय, पुलिस 302 का मामला बनाने की पहले कोशिश नहीं करेगी किन्तु उसको पहले बचाने की ही कोशिश करेगी। उस व्यक्ति को बचाने की हर प्रकार से कोशिश की गयी। उसको अजमेर भी ले गयी पुलिस फिर भी उसकी मृत्यु हो गयी। जैसा माननीय रामनारायण जी ने फर्माया और अन्य माननीय सदस्यों ने भी फर्माया यदि किसी अधिकारी ने कोई गलती की है तो मैं निश्चित रूप से उसकी निष्पक्ष तरीके से जांच कराऊंगा। जिस किसी आफिसर के लिये सदन मुझे बता दे मैं उसको इसकी जांच का चार्ज देने के लिये तैयार हूं। जहां तक माननीय रामनारायणजी चौधरी ने कहा कि जांच का मामला टाला गया है, चौधरी साहब से मैं बहुत अदब से निवेदन करूंगा कि चाहे किसी जागीरदार का सम्बन्ध हो या चाहे किसी का भी सम्बन्ध हो, समाज में शिड्यूल्ड कास्ट्स, राजपूत, जाट सब ही तो है। यह भी शिड्यूल्ड कास्ट का ही मामला हैं। आप राजनैतिक कलर इसको देते रहे हैं। यह नहीं दें। जिस हद तक आप चाहें यदि मैं जांच नहीं कराऊं तो मैं असत्य होऊंगा। मैं हर प्रकार से जांच कराने के लिये तैयार हूं। राजनीति इसमें बिलकुल नहीं आने दूंगा और ईमानदारी से जांच करा कर जो भी अधिकारी दोषी पाया जावेगा उसको बख्शा नहीं जावेगा। जो रिपोर्ट सरकार से आयी है वह मैंने आपके सामने रखी है। चौधरी साहब से

निवेदन करूंगा कि मैं स्वयं उनसे मिलूंगा। वे तथ्य देंगे उसके अनुसार मैं जांच कराऊंगा।

श्री रामनारायण चौधरी : दो मिनट का मुझे मौका दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : आप कह चुके हैं, माननीय सदस्य। उनके स्टेटमेंट पर फिर आप स्टेटमेंट दें, यह तो उत्तर-प्रत्युत्तर हो जायगा। उचित नहीं है।

श्री रामकरणसिंह : दो मुद्दे हटा दिये जायं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : It is rather unusual. कुछ हटाने का नहीं है।

(व्यवधान)

उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आप मुझे स्पष्ट नाम बता दीजिये उससे जांच करवा लेंगे। इससे अधिक क्या कह सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य बराबर कह रहे हैं, उनका नाम जरूर आयेगा अखबारों में।

अलवर शहर में छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठी-चार्ज

श्री सम्पतराम (गृह मंत्री) : माननीय अध्यक्षजी, राजगढ से आने वाले माननीय सदस्य ने अलवर में 28.3.78 को हड़ताल व उपद्रव के सम्बन्ध में जो कुछ फर्माया उसके सम्बन्ध में मैं एक तथ्यात्मक स्टेटमेन्ट सदन में देना चाहूंगा।

दिनांक 28.3.78 को राजऋषि कालेज के छात्रों ने अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल कर दी और जुलूस बना कर प्राचार्य के निवास पर गये। प्राचार्य अवकाश पर होने के कारण बाहर थे। अतः छात्र जुलूस में सिनेमा हॉल पर टिकिटों में कन्सेशन की मांग को लेकर गये। रास्ते में उन्होंने गर्ल्स कालेज को बन्द करवा दिया। गोपाल टाकीज पर पहुंच कर प्रदर्शन किया तथा सिनेमा के व्यवस्थापक से बातचीत की। व्यवस्थापक ने छात्रों की मांग को मान लिया मगर इसी बीच भीड़ में से कुछ तत्वों ने सिनेमा के सामने वाले शीशे को नुकसान पहुंचाया। तत्पश्चात छात्र रोडवेज बस स्टेण्ड पहुंचे और हिंसात्मक कार्यवाही की जिसके फलस्वरूप कई बसों को क्षति पहुंची। जब छात्र रोडवेज वर्कशाप में घुसे तो वहां रोडवेज कर्मचारियों तथा छात्रों में संघर्ष हो गया जिसके कारण करीब आधा दर्जन रोडवेज कर्मचारियों के चोटें आयीं। इन कर्मचारियों ने एक छात्र को पकड़ लिया जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तथा जमानत पर छोड़ दिया। इस झगड़े में कितने छात्रों को चोटें आयीं, इसकी सूचना अभी तक छात्रों ने जिला अधिकारियों को नहीं दी है।

इस घटना को लेकर रोडवेज कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। सायंकाल जिलाधीश व पुलिस अधीक्षक, अलवर नगर ने शिक्षण संस्थाओं के प्राचार्य से मंत्रणा कर व शान्ति व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए दिनांक 29 मार्च को सभी शिक्षण संस्थाओं को बन्द रखने का निर्णय लिया। जिला अधिकारियों

(श्री सम्पतराम)

ने कालेज छात्र संघ से भी बातचीत कर शान्ति व्यवस्था बनाये रखने तथा जुलूस न निकालने हेतु कहा। उन्होंने रोडवेज स्टाफ से भी बातचीत कर हड़ताल पर न जाने का आग्रह किया। जिसके फलस्वरूप कुछ बसों के चालू हो जाने की संभावना है। परन्तु रोडवेज कर्मचारी दोषी व्यक्तियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।

दिनांक 29.3.78 को कालेज के छात्र, जिनकी संख्या करीब 400–500 थी, रोडवेज कर्मचारियों से बदला लेने की नीयत से एकत्रित हुए। जिस पर उप अधीक्षक पुलिस एवं मजिस्ट्रेट ने उनसे ऐसा न करने को कहा व शान्ति बनाये रखने हेतु समझाया तथा यह भी आश्वासन दिया कि जिलाधीश व पुलिस अधीक्षक उनसे उनकी मांगों के बारे में कालेज में आकर परामर्श करने को तैयार हैं। मगर छात्र नहीं माने और उन्होंने जुलूस रोडवेज की ओर रवाना कर दिया। नगली के चौराहे के पास जब पुलिस ने उन्हें फिर समझाया तो छात्रों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया जिससे कई पुलिस कर्मचारियों के चोटें आयीं। 2 पुलिस गाड़ियों व थाने की गाड़ी तथा 2 प्राईवेट गाड़ियों को भी क्षति पहुंची है। इस पर स्थिति को नियंत्रण में करने के लिये पुलिस को हल्का लाठी चार्ज करना पड़ा। उपद्रवी छात्र शहर की तरफ गये और रास्ते में उपद्रवियों ने पुलिस पर भयंकर पथराव किया व ट्रकों व दुकानों को नुकसान पहुंचाया।

मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारियों ने उपद्रवी छात्रों को तितर-बितर होने के आदेश दिये मगर छात्र पथराव करते रहे। इस पर पुलिस ने कुछ छात्रों को धारा 151 सी आर.पी.सी. के अन्तर्गत गिरफ्तार किया।

दिन में पांच छात्रों का एक शिष्टमंडल जिलाधीश से मिला और पुलिस द्वारा गिरफ्तार छात्रों से मिलने की प्रार्थना की जिन्हें कोतवाली ले जाकर गिरफ्तार छात्रों से मिलवा दिया गया।

रोडवेज कर्मचारियों को जिलाधीश ने बसें चलाने हेतु कहा। सुरक्षा व्यवस्था का आश्वासन दिये जाने पर बसों का चलना प्रारम्भ हो गया।

छात्रों ने सायंकाल होप सर्कस पर मीटिंग करने का एलान नगर में किया। सायंकाल 6.30 बजे 400–500 छात्रों ने होप सर्कस पर मीटिंग की व कोतवाली का घेराव किया और कोतवाली पर पथराव किया जो करीब डेढ़ घंटे तक चलता रहा। पुलिस ने उन्हें तितर-बितर करने के लिये चेतावनी दी। मगर जब भीड़ पथराव करती रही तो पुलिस अधीक्षक व मजिस्ट्रेट महोदय को मजबूरन अश्रु गैस छोड़नी पड़ी करीब 7–8 गोले छोड़ने बाद भीड़ तितर-बितर हो गयी और टुकड़ियों में बंट गयी भीड़ ने फायर ब्रिगेड गाड़ी को आग लगा दी। कॉआपरेटिव बैंक को काफी नुकसान पहुंचाया और शहर में कई स्थानों पर तोड़-फोड़ व आगजनी की। आज तारीख 30.3.78 को प्रातः गिरफ्तार शुदा 10 छात्रों को छोड़ दिया गया। गिरफ्तार छात्रों में छात्रसंघ का अध्यक्ष भी है।

(श्री सम्पतराम)

अध्यक्ष महोदय, एक स्टेटमेंट और है।

श्री मूलचन्द डागा : What about Sikar ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, गृह मन्त्री जी से जैसा पहले कहा था और मैं अब भी कहता हूं कि मैंने अभी बात की है। केवल बहुत से जवान परीक्षाओं के लिए लगे हुए हैं सैकन्डरी और हायर सैकन्डरी की परीक्षायें हो रही हैं। इसके अलावा सब शिक्षण संस्थायें बन्द हैं। मैंने गृह मन्त्री जी के यहां स्टेटमेन्ट देने के बाद अलवर से बात की है, वह मैं हाउस के सामने रखना चाहता हूं।

सीकर में विद्यार्थियों के दो गुटों के आपसी झगड़े में भूतपूर्व सदस्य श्री भगवानसिंह आदि के घायल होने सम्बन्धी

श्री सम्पतराम : मैं सीकर के संबंध में भी स्टेटमेन्ट देना चाहता हूं।

गत कुछ दिनों से सीकर में छात्रों के 2 दलों में कुछ मनमुटाव चला आ रहा है। इनमें से एक ग्रुप एफ. एस. आई. व दूसरा एन. एस. यू. आई. से संबंधित है।

दिनांक 16-4-78 को कुछ विद्यार्थियों ने रमेशकुमार नाम के छात्र को कालेज में पीटा जिसकी सूचना उसने प्राचार्य को दी। दिनांक 17-3-78 को सायंकाल 6 बजे कल्याण सर्किल पर इन गुटों के बीच झगड़ा हुआ जिसमें एक गुट के सुभाष नामक छात्र को व दूसरे गुट के राकेश व राजेन्द्र के चोटें आई। दोनों ओर से रिपोर्ट होने पर अभियोग संख्या 26178 व 27178 धारा 147, 323 आई. पी. सी. में पंजीबद्ध किये गये थे।

छात्रों के इस झगड़े के बारे में मालूम होने पर छात्र संघ के अध्यक्ष श्री कृष्ण सिंह ढाका (एफ. एस. आई.) दोनों गुटों में राजीनामा कराने के उद्देश्य से श्री भागीरथमल व भगवानसिंह लेक्चरार के मकान पर गये जहां पर देर रात्रि तक प्रयत्न चलते रहे परन्तु कोई हल नहीं निकला। श्री कृष्णसिंह ढाका जब श्री भागीरथमल के मकान से लौट रहे थे, तो कुछ छात्रों ने उन पर लाठियों से हमला कर चोटें पहुंचाई। उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। वहां पर उन्हें भर्ती कर लिया गया। इस घटना के बारे में अभियोग संख्या 28178 धारा 147, 323, 148, 382 ता० हि० दर्ज किया जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

इस घटना की सूचना मिलते ही जाट बोर्डिंग हाउस के कुछ छात्र श्री भागीरथमल लेक्चरार के मकान पर पहुंचे और उनके मकान पर पथराव किया जिस पर अभियोग संख्या 29178 धारा 147, 336, 148, 427, 149 भा. द. सं. रजिस्टर किया गया।

दिनांक 18-3-78 को एस.एफ.आई. गुट के छात्रों ने एक जलूस निकाला और जिलाधीश के निवास स्थान पर पहुंच कर श्री किशनसिंह ढाका पर हमला करने वाले व्यक्तियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की तथा ढाका की चोटों का मुआयना किसी बोर्ड द्वारा कराने एवं श्री भागीरथमल लेक्चरार के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की मांग की।

(श्री सम्पतराम)

दिनांक 19-3-78 को कालेज के छात्रसंघ के पदाधिकारियों ने स्रीकर बन्द की घोषणा की जिसके फलस्वरूप दिनांक 20-3-78 को छात्रों ने दुकानें बन्द कराईं तथा एक जुलूस शहर के भागों से होता हुआ जिलाधीश कार्यालय पर पहुंचा जहां पर श्री त्रिलोकसिंह (एन. पी. एम.) व अन्य एफ. एस. आई. के छात्रों ने भाषण दिये तथा एक प्रतिनिधि मण्डल जिलाधीश से मिला और उपरोक्त मांगें फिर से दोहराई ।

पुलिस ने इन मुकदमों से सम्बन्धित छात्रों को गिरफ्तार करने के प्रयत्न किये परन्तु उनके उपलब्ध न होने पर अभियोग संख्या 27/78 में छात्रों के विरुद्ध तथा अभियोग संख्या 28/78 में 13 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 299 जा. फौ के अन्तर्गत मु. नं. 28/83 में चालान अदालत में प्रस्तुत कर दिया गया । श्री भागीरथमल लेक्चरार भी अभियुक्त थे । पुलिस ने दोनों ही गुटों के प्रमुख छात्रों के विरुद्ध एक इस्तगासा 107/116 (3) जा. फौ. में दिनांक 20-3-78 को एस. डी. एम. कोर्ट में प्रस्तुत किया ।

दिनांक 27-3-78 को उपरोक्त छात्रों में से 5 छात्रों ने अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण किया जहां उनकी जमानत के आदेश हुए । कल दिनांक 28-3-78 को जब श्री भागीरथमल लेक्चरार प्रिन्सिपल से मिलने जा रहे थे तो कुछ छात्रों ने उनका घेराव किया और श्री भागीरथमल ने पुलिस के सामने आत्म-समर्पण कर दिया ।

कल सायंकाल 7.30 बजे जाठ बोर्डिंग हाउस के समीप स्थित चाय के स्टाल पर श्री जगनसिंह, भूतपूर्व एम. एल. ए. तथा उनका पुत्र रामकुमारसिंह (एन.एस.यू.आई.) श्री रणमलसिंह एम. एल. ए. व श्री रामचन्द्र सिंह, भूतपूर्व एम. एल. ए. व श्री रामलाल बैठे हुए थे तो एस. एफ. आई. से सम्बन्धित छात्रों ने उन पर श्री किशनसिंह ढाका के नेतृत्व में हमला किया जिससे श्री जगनसिंह व उनके पुत्र रामकुमारसिंह व रामलाल गम्भीर रूप से घायल हुए जिनको तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां पर अभी हालत डाक्टर ने बयान देने के लायक नहीं बताई है । इस हमले की सूचना मिलते ही पुलिस ने अभियोग पंजीबद्ध किया है । प्रथम सूचना में 11 व्यक्तियों के नाम दिये गये हैं जिनमें से श्री चोथमल, लक्ष्मीनारायण, झाबरमल गिरफ्तार किये जा चुके हैं । पुलिस अभियुक्तों की तत्परता से तलाश कर रही है तथा समस्त स्थानों पर प्रबन्ध कर दिया गया है ।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान्, मैंने कहा था कि किशनसिंह ने डी.एस.पी. को जिसका नाम राम बल्लभ था, नंगा कर दिया और कमरे में बन्द कर दिया । सारी पुलिस फोर्स और मजिस्ट्रेट गया और फिर उसको छुड़ाया । वह मुकदमा बिगड़ा क्यों कर लिया ? जो प्रश्न मैंने पूछा है उसका उत्तर दें ।

दूसरी बात यह है कि जब मुकदमा रजिस्टर हो गया ...

श्री सम्पतराम : वह घटना कब की है ?

श्री मूलचन्द डागा : 1977 की घटना है और मुकदमा भी बिगड़ा किया ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : 1977 के मार्च के चुनावों की घटना है।

श्री सम्पतराम : माननीय अध्यक्ष जी, इसकी जानकारी मुझे नहीं है।

श्रीमती सुमित्रासिंह : सरकार ने इस केस को बिगड़ा किया है इसलिए जानकारी होनी चाहिए।

श्री मूलचन्द डागा : सवाल यह था कि जो मुकदमा 183 और 184 में किया था 307 में फिर कन्वर्ट कर दिया जब कि इन्जरी नहीं थी, कुछ भी नहीं था ? यह कैसे किया कन्वर्ट, सवाल यह है ? वारण्ट निकल चुके, कोर्ट में मुकदमा गया, 20 तारीख को पेशी थी उसके बाद फिर 307 में कन्वर्ट किया। पक्षपात हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। विधायी कार्य।

श्री जयकृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक मिनट कहना है क्योंकि गृह मन्त्री जी का उत्तर आया है। हमारी ओर से एक स्थगन प्रस्ताव रखा गया था, क्योंकि वह शिक्षण संस्था से संबंधित स्थगन प्रस्ताव था इसलिये शिक्षा के संबंध में मैंने बहुत सी बातें कही थीं। गृह मन्त्री जी ने केवल बल की वारदात का ही और वहां की जो स्थिति है उसके बारे में ही जिक्र किया है। जो प्राध्यापक ट्यूशन करते हैं और जो वहां के लेक्चरार्स की स्थिति है जिसकी वजह से यह सब कुछ हुआ है उसके बारे में गृह मन्त्री जी ने कुछ भी नहीं कहा। इसलिए स्थगन प्रस्ताव के द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करने का मेरा मकसद था वह मेरा मकसद बिल्कुल अधूरा रह गया। वहां की जो स्थिति है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने ध्यान आकर्षण कर लिया।

श्री जयकृष्ण शर्मा : जब तक यह जड़ रहेगी, यह झगड़ा रहेगा। आज शिक्षा विभाग की वजह से सब कुछ हुआ है। गृह मन्त्री जी, आपका काम रक्षा करना है, शिक्षण संस्था में झगड़ा हो, गृह मन्त्री जी रक्षा करें, रेलवे में हो आप रक्षा करें, सड़क पर हो, गृह मन्त्री जी उसकी रक्षा करें।

श्री मूलचन्द डागा : मेरा तो उत्तर दिलायेंगे। डी. वाई. एस. पी को नंगा रखा, वह मुकदमा बिगड़ा कर लिया। इसको उत्तर देंगे ?

एक माननीय मन्त्री : दे रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : आप बीच में क्यों बोल रहे हैं ?

श्री सम्पत राम : डागा जी की चिन्ता को भली भांति समझता हूं। थोड़ा धैर्य रखें।

राम बल्लभ का मुकदमा अभी वापस नहीं लिया है।

श्री सुमित्रा सिंह : किशन सिंह ... ...

श्री सम्पत राम : उससे सम्बन्धित है।

श्री मूलचन्द डागा : राम बल्लभ नामक डी. वाई. एस. पी. से जो मारपीट का मामला था, अभी सूचना मिली है, वह वापस नहीं लिया गया है। सी. आई. डी. में पेन्डिंग है।

विधायी कार्य-विधेयकों का पुरःस्थापन

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य।

राजस्थान लोक मांग वसूली (संशोधन) विधेयक, 1978

श्री आदित्येन्द्र (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं, राजस्थान लोक मांग वसूली (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सम्मति है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री आदित्येन्द्र : महोदय, मैं राजस्थान लोक मांग वसूली (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करता हूं।

राजस्थान विधान सभा कार्यवाहियां (प्रकाशन संरक्षण) विधेयक, 1978

श्री महबूब अली (राज्य मन्त्री, जन सम्पर्क): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा कार्यवाहियां (प्रकाशन संरक्षण) विधेयक, 1978 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सम्मति है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री महबूब अली : महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा कार्यवाहियां (प्रकाशन संरक्षण) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करता हूं।

राजस्थान भिक्षावृत्ति निवारण विधेयक, 1978

श्रीमती विद्या पाठक (राज्य मंत्री, समाज कल्याण) : अध्यक्ष महोदय, मैं, राजस्थान भिक्षावृत्ति निवारण विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करती हूं।

श्री अध्यक्ष: क्या सदन की सम्मति है कि विधेयक को पुर : स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्रीमती विद्या पाठक : महोदय, मैं राजस्थान भिक्षावृत्ति निवारण विधेयक, 1978 पुरःस्थापित करती हूं।

श्री अध्यक्ष : विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक।

माननीय वित्त मंत्री जी।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1978

श्री आदित्येन्द्र (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 1978 को विचारार्थ लिया जावे।

Page No 87

(87)

श्री मथुरादास माथुर : विचारार्थ करने का आपने प्रस्ताव कर दिया है, हमको बोलने का अवसर दिया जाये।

श्री रघुनन्दन व्यास : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री अध्यक्ष : अभी, माननीय नेता महोदय विरोधी दल के।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एप्रोप्रियेशन (संख्या 2) बिल, 1978 के जरिये राज्य के कन्सोलीडेटेड फण्ड से वित्त मंत्री जी 906 करोड़ 40 लाख 90 हजार रुपये की राशि एप्रोप्रियेट कराना चाहते हैं। जैसा कि यह सदन जानता है कि जनता सरकार को केन्द्र में आये हुए एक साल का समय व्यतीत हो गया है और 9 महीने की आप की भी आयु हो गई है। पिछला जो बजट 6 महीने का प्रस्तुत किया गया उस वक्त आपके सामने कुछ मजबूरियां थीं जैसा कि वित्त मंत्री जी ने उस वक्त कहा था क्योंकि साल के बीच में बजट प्रस्तुत करना पड़ रहा है इसलिये वे उसको प्रभावशाली मोड़ नहीं दे सकेंगे। अब जो बजट लेकर वित्त मंत्री जी आए उस बजट के सम्बन्ध में चर्चा हुई वित्त मन्त्रीजी ने उसमें कोई प्रभावशाली मोड़ दिया है, यह मैं नहीं कहूंगा लेकिन आंकड़ों की हेरा फेरी जरूर की है।

बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस केन्द्र के बजट में प्रारम्भ के अन्दर अप्रेल में 81 करोड़ का डेफिसिट था, वह अब जो केन्द्र का नया बजट प्रस्तुत किया गया उस बजट में 975 करोड़ का डेफिसिट रहा है लेकिन वित्त मंत्री जी ने राजस्थान का 75 करोड़ के घाटे का बजट दिया था, वहां आज सिर्फ 22 करोड़ का घाटा रखा है। उस 22 करोड़ के घाटे में कोई इस प्रकार का खर्चा किया है जिसको एनवीसेज करके चल रहे थे। कुछ और भी विकास के कार्यों पर चर्चा हुई है। पहले एप्रिप्रियेशन बिल के वक्त उसका उल्लेख किया गया था। मैं निवेदन कर रहा था, भारत सरकार के वित्त मंत्री 81 करोड़ से 975 करोड़ पर पहुंच गये और आप 75 करोड़ के घाटे को कम करके 22 करोड़ के ऊपर आ गये। लेकिन आये कैसे? जो कुछ भी हकानामी रही थी देश की वह जनता के सामने प्रस्तुत की है। जो आपने व्यू दिया है उसमें आपने उन चीजों का उल्लेख नहीं किया जिनमें इकानामी की है। इस घाटे की पूर्ति की है। सेन्टर से असिस्टेन्स कितनी मिली है? सेन्टर की असिस्टेन्स के अलावा टैक्स की रिकवरी कितनी की है? उसके साथ साथ सिविल खर्च की बात कही थी उसमें कितनी पूर्ति की है। यह जो आंकड़े आप बता रहे हैं, वह तोड़ मरोड़ कर दे रहे हैं इसका मतलब है, अनियंत्रित रूप से आपने आंकड़े दिये थे। फलक्चुएट कर के दिये थे। इस बजट में आपने यह बात कही थी कि पिछली सरकार द्वारा अपने शासन के अन्तिम दिनों में किये गये अनियंत्रित भारी व्यय के फलस्वरूप इस वर्ष के अधिकांश भाग में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ीं। लेकिन हमने अनुत्पादक एवं अनावश्यक व्यय में हर संभव कमी की तथा मुनाफाखोरी एवं जमाखोरी की प्रवृत्तियों पर बराबर अंकुश बनाये रखा। मैं जानना चाहूंगा वित्त मंत्री जी आपने कौन कौन सी जगह पर किस किस मद में कमी की है? सिविल एक्सपेन्डीचर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की। टैक्स कलेक्शन के अन्दर जो ट्रेन्ड था रही है, भारत

(श्री परसराम मदेरणा)

सरकार से असिस्टेन्स मिलने वाली थी उस असिसटेन्स को आप छिपाते रहे। आज असिस्टेन्स मिली है उसकी वजह से इस घाटे की पूर्ति कर पाये हैं। मैं निवेदन कर रहा था कि बजट पेश करते वक्त यह कहा जा रहा है, वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण में कहा कि प्राथमिकता को बदला है। हमने प्रायोरिटीज को चेंज किया है, कृषि की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे। हमारी योजनायें ग्रामोन्मुख हैं।

(2.20 म. प.)

श्री रामचन्द्र, (उपाध्यक्ष, पदासीन)

गावों की ओर बढ़ रहे हैं, यह बात भी कही है। वित्त मंत्री जी, बजट के अन्दर सिवाय अन्त्योदय योजना के कुछ दिखाई नहीं देता। अन्त्योदय योजना को लेकर माननीय वित्त मंत्री जी सदन के सामने उपस्थित हुए हैं। वह योजना कामयाब हुई है या नहीं, इसका बाद में उल्लेख करूंगा वित्त मंत्री जी, आपने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें 34 करोड़, 22 लाख का घाटा रहा है।

आप अपने राज्य के अन्दर रिसोर्सेज जुटाने में कतराये हैं, कोताही की है। जो कोताही की है वह स्पष्ट है। जो इकोनोमिक रिव्यू भारत सरकार ने प्रस्तुत किया है, भारत सरकार ने इसका उल्लेख भी किया है कि राज्य सरकार का रिसोर्सेज को टेप करने के अन्दर जो परफार्मेन्स रहा है उसका नतीजा है कि इनफ्लेशन इस देश में बढ़ा है। आपने पिछली साल टैक्स लगाये और इस वर्ष भी 6 करोड़ के आस पास शराब पर टैक्स बढ़ा कर रिसोर्सेज को टेप करने की बात कही है। 6 करोड़ का टैक्स लगाया है। आपको याद होगा, जो जनता सरकार द्वारा कमेटी स्थापित की गई थी उसने सिफारिश की थी कि इनडाइरेक्ट टैक्सेज नहीं लगाये जायें। इनडाइरेक्ट टैक्स का बोझ अन्ततोगत्वा पड़ता है वह कंज्यूमर पर पड़ता है और अधिक तौर पर गरीब पर पड़ता है। उस कमेटी की रिपोर्ट को बलाये ताक रख कर केन्द्र सरकार ने 550 करोड़ के नये टैक्स लगाये हैं और 1400 करोड़ के घाटे को कम करके 1050 करोड़ पर लाये। उन 550 करोड़ के टैक्सेज में आपने एक्साइज ड्यूटी बिजली पर लगाई है, कोल पर लगाई है। बिजली पर लगाई है, यह एक ऐसा मामला है जिसमें कम से कम राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को 6 करोड़ का टैक्स भारत सरकार को देना पड़ेगा। इस प्रकार 6 करोड का टैक्स भारत सरकार ले रही है। अभी तक इलेक्ट्रिसिटी में जहां तक कन्जम्पशन का सवाल है राज्य सरकार बढ़ाती रही है, उस पर और टैक्स लगा है यह पहली दफा है। जब दोनों रा-मेटीरियल पर टैक्स लगा है। इस कारण आपको टरीफ इन्क्रीज करना पड़ेगा और नहीं करते हैं तो जो 6 करोड का टैक्स लगाया है इससे न्यूट्रिलाइज हो जायेगा। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को बोल्डली भारत सरकार से कहना चाहिये था कि जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगाई है, इससे राज्य की वित्तीय स्थिति गड़बड़ा जायेगी, इसलिए इस टैक्स को मत लगायें।

इस टैक्स से सभी चीजों के, चाहे सीमेंट हो, चाहे और चीजें हो भाव बढ़ेंगे और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आपको भी नहीं बचेगा। उन्होंने यह बात जरूर कही है

(श्री परसराम मदेरणा)

किसान जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं उस पर टैक्स लगाने वाले नहीं है। कहने को तो यह कहा जा रहा है कि गांवों की ओर मुख मोड़ दिया है लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है, उसके बारे में जो आपका इकोनोमिक रिव्यू है उसमें उल्लेख किया है। पेज 95 पर लिखा है·······

"Total electricity consumed during the year under review is 27 thousand Mgwt. and 61.30% has been consumed as industrial power."

इसका मतलब यह है कि अभी तक राज्य के अन्दर 61 पर्सेंट से उपर कंजम्पशन हो रहा है वह इन्डस्ट्रीज पर हो रहा है और कृषि को आप ज्यादा प्रायोरिटी देने की बात कह रहे हैं। मैं समझता हूं यह केवल कहने की बात है, इम्प्लीमेन्टेशन इसका नहीं हो रहा है। आज किसानों को बिजली के सम्बन्ध में काफी मुश्किलें उठानी पड़ रही है। यहां किसानों का एक जुलूस आया था, शायद 6-7 तारीख के आस-पास आया था। उनके ज्ञापन में 22 मुद्दों में से 11-12 मुद्दे बिजली के सम्बन्ध में थे। बिजली का कंजम्पशन आज इन्डस्ट्रियल सेक्टर में ज्यादा हो रहा है और किसानों को नहीं दे रहे हैं, इससे कृषि पर विपरीत असर पड़ेगा। मैं समझता हूं निश्चित तौर से इस पर आप दुबारा विचार करेंगे।

जहां आपने इकानामिक सेचूरेशन का उल्लेख किया, वहां राजस्थान में यह कहा है कृषि में प्रायरिटी दी है। पहले कृषि में खर्च होता था इसमें पर्सेन्टेज में बढ़ोतरी की है। हमने योजना व्यय बढ़ाया है, प्लान आउट-ले जो 199 करोड़ का था वह 235 करोड़ का रख दिया है। यह तो बढ़ता आ रहा है, यह तो एक इन्क्रीजिंग ट्रेन्ड है। भारत सरकार का 17 पर्सेन्ट बढ़ा है और आपका 18 पर्सेन्ट बढ़ा है लेकिन जो योजना चल रही है चाहें वह आज कृषि के क्षेत्र में है, चाहे उद्योग के क्षेत्र में है, मैं निश्चित तौर से निवेदन करूंगा कि आपका इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन इस साल गिरा है, यह आप मानेगें। कुल जाकर आपका ग्रोथ आफ प्रोडक्शन 5 पर्सेन्ट हुआ है लेकिन उसके साथ साथ इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन का ग्रोथ नीचे आया है। पिछले वर्ष 1976-77 के अन्दर जहां 10.4 पर्सेन्ट था वह 77-78 में घट कर 5.6 पर्सेन्ट हो गया है।

खास तौर से जो प्रोडक्शन गिरा है वह बेसिक चीजों का गिरा है। पावर के कारण आपका प्रोडक्शन गिरा है, सीमेन्ट का प्रोडक्शन गिरा है। पावर का एडवर्स अफेक्ट प्रोडक्शन पर हुआ है। सीमेन्ट का प्रोडक्शन गिरने से निर्माण के कई काम रुके है और जो एम्पलायमेंट पोटेन्सियलिटी इन्क्रीज करना चाहते है, वह भी गिरी है। इसलिये निवेदन करना चाहता हूं आप कह रहे हैं कि हम आगे बढ़े हैं लेकिन पिछले एक वर्ष में जो कुछ उपलब्धियां रही है, हो सकता है राजनैतिक क्षेत्र में रही हो लेकिन आर्थिक क्षेत्र में नहीं रही हैं।

जो योजनाएं कांग्रेस सरकार ने प्रारम्भ की थी, उन्हीं योजनाओं को आप चला रहे है। मैं उसके सपोर्ट में और समर्थन में, भारत के प्रति रक्षा मंत्री जी से ब्लिटज ने जो इन्टरव्यू लिया और जिसमें उनसे

(श्री परसराम मदेरणा)

पूछा कि आर्थिक स्थिति कैसी है और उन्होंने जो बात कही है उसको इस सदन में उद्धृत करना चाहता हूं :—

"A 5% growth in the gross national product for the first time, the highest ever irrigation potential major, medium and minor-not a single year accounting for 2.22 million additional hectares of land 26% increase-again a record in the use of fertilisers bringing two million extra hectares of land under high yielding crops 40. 29 percent of the plan outlay for agriculture and rural development project to generate for million additional jobs in the first stage, new initiative for the protection of rights of the minorities, and for the first time a commission for backward classes as well."

आगे उन्होंने कहा है जो खास तौर से मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं।

"One can say that the increase in the fertiliser use and irrigation potential are really results of plans into operation before the Janta Government came into power. If these are left out, what remains are largely achievements of a political nature. It is not possible to break away entirely from the past especially in matters of economics. But the real thing is implementation"

जो कुछ आप कह रहे हैं इरिगेशन पोटेन्शियलिटी बढ़ाई है, फर्टीलाइजर का कन्जम्पशन इन्क्रीज हुआ है और उसके साथ दूसरे अचीवमेंट की बात कह रहे हैं वह तो एग्रीकल्चर में अच्छी वर्ष होने की वजह से स्टाक अच्छा रहा है और कुल मिलाकर 5 पर्सेन्ट ग्रोथ नेशनल प्रोडक्शन में हुआ है। मेरे कहने का मतलब है, जनता गवर्नमेंट में जो अचीवमेंट हुआ है, वह जैसा उन्होंने कहा है पोलिटिकल फील्ड में अचीवमेंट है लेकिन इकोनोमिक फील्ड में जो कुछ अचीवमेंट है वह पिछली योजनाओं के जो काम हाथ में लिये गये है, उनके कारण हमारी इकोनोमिक उपलब्धि रही है।

यही नहीं, आगे जब उनसे यह पूछा गया कि एग्रीकल्चर के ऊपर आप जो एम्फेसिस दे रहे हैं और एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो आप हिन्दुस्तान की पांच वर्षीय योजनाओं के आंकड़े उठाकर देख लीजिये सिवाय दूसरी पचवर्षीय योजना के एग्रीकल्चर सेक्टर में और इन्डस्ट्रियल सेक्टर के अन्दर एलोकेशन रिसोर्सेज का किया है उन्होंने एग्रीकलचर के संबंध में यह बात कही है।

Any person who has to do anything with Agriculture will appreciate that if water, power and fertilisers are taken away from Agriculture what re-

(श्री परसराम मदेरणा)

mains ? Ploughing, Sowing and Labour ! That is all. How can one absorb that amount in these operations ? As a matter of fact, any body who knows any thing of Agriculture will not make such a proposterous proposition."

मेरे कहने का मतलब यह है कि आप एक तरफ तो एग्रीकल्चर पर एम्फेसिस देने की बात कहते हैं दूसरी तरफ भारत के प्रतिरक्षा मंत्रीजी के जो विचार हैं, जो उन्होंने अपनी ओपीनियन दी है वह ओपीनियन निश्चित तौर से यह है कि पावर के सेक्टर में, और फर्टीलाइजर के सेक्टर में और पानी की पोटेंसियेलिटी को इन्क्रीज करने के लिए अलग अलग खर्चा हुआ है। आप राजस्थान का ही देख लें, राजस्थान का खर्चा भी बिजली और इरिगेशन प्रोजेक्ट के ऊपर टोटल प्लान आउटले का 60 परसेन्ट से ज्यादा हो रहा है।

आपको शायद याद होगा, कि जिस वक्त यह सरकार आपने सम्हाली थी उस वक्त आपने कहा था कि भूखा और नंगा राजस्थान मिला है, लेकिन सिक्स्थ फाइनेन्स कमीशन के सामने आपने जो मेमोरेण्डम प्रस्तुत किया है उस मेमोरेन्डम में आपने यथार्थवादी बात रखी है। राजस्थान के बैकवर्डनेस का सबसे बड़ा कारण आपने बताया है कि जो बड़ी बड़ी नदियां है वह राजस्थान के बाहर है, इरिगेशन पोटेन्शियल क्रियेट करने में भारी एक्सपेन्डीचर करना पड़ रहा है और बिजली की केपेसिटी और इन्फ्रास्टक्चर क्रियेट करने के अन्दर बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपने मेमोरेण्डम में इस बात को स्वीकार किया है कि राजस्थान की भौगोलिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण राजस्थान का विकास नहीं हो पाया है। राजस्थान का बड़ा एरिया है और 12 परसेन्ट इसमें शिडयूल्ड ट्राइब्स की पापुलेशन हैं, एरिया ज्यादा होने की वजह से आज जो हम सेवाएं उपलब्ध करा रहें है चाहे वह इकोनामिक सर्विसेज हों, चाहे वह डवलपमेंट के कार्यक्रम हों हमें बनिस्बत दूसरे राज्यों के उनके ऊपर ज्यादा खर्च करने की आवश्यकता है अब यह प्रश्न सामने आता है कि आज जो स्टेट्स डवलप्ड हैं, जो एडवान्स स्टेट्स है उनके मुकाबले में राजस्थान को कैसे लाया जाय आपने यहां पर एक सुझाव भी दिया है कि जो गाडगिल फार्मूला है इस फार्मूले में परिवर्तन होना चाहिए गाडगिल फार्मूले में परिवर्तन करने की बात करेगी तो वह नेशनल डवलपमेंट कौन्सिल करेगी। तो नेशनल डवलपमेंट कौन्सिल ने जहां हमारे मुख्य मन्त्रीजी उपस्थित थे, एक सब कमेटी की स्थापना की है। वह सब कमेटी इस मामले को भी देख रही है।

थोड़े दिनों पहले से यह भी चर्चा हो रही थी कि स्टेट्स को फिस्कल मामलों में आटोनोमी दी जाय या नहीं। यह विवाद यह डिबेट, यह मामला पूरे देश में चल रहा है। स्वयं वित्त मंत्रीजी इस बात को जानते हैं कि कौन्सिल की बैठक चण्डीगढ़ में होने जा रही है जिसमें आप शरीक नहीं हो रहे हैं। जहां राजस्थान के हित की बात आती है वहां हमारे मुख्य मंत्रीजी ने भी

(श्री परसराम मदेरणा)

इस बात को इस सदन मे दोहराया है कि पहले की राज्य सरकार, कांग्रेस सरकार और उन के मुख्य मंत्रियों ने राजस्थान के मामले की, राजस्थान के हित के सवाल की जोरदार तरीके से पैरवी नहीं की और अपने कर्त्तव्य से च्युत रहे हैं, तो आप 9 महीने के समय के अन्दर, जबकि भारत सरकार में आपकी इतनी पहुंच है, राजस्थान में कौन से बड़े कारखाने ले आये ? सिर्फ एक घड़ी का कारखाना आ रहा है ... .

श्री शिवचरणसिंह : वह पहले से ही तय हो चुका था ।

श्री परसराम मदेरणा : लेकिन घड़ियों के कारखाने में जो दुर्बीन लगाये हुए आदमी बैठेंगे वह राजस्थान के नहीं होंगे । क्योंकि एच०एम०टी. का कारखाना है इसलिए वह आदमी बैंगलोर से साथ लेकर आयेंगे ।

एक कारखाना आपने लगाया । दूसरी ओर इस बात की भी आपने तकलीफ की है कि राजस्थान के औद्योगीकरण के लिए छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं, लेकिन अभी तक कोई योजना आपकी नहीं आई जिससे पता लग सके कि आपने इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रियेट कर दिया है । राजस्थान में जिन चीजों का उत्पादन करना चाहते है उनका राजस्थान में बाजार है क्या ? और अगर यहां पर बाजार नहीं है तो बाहर कहां पर उनका बाजार है ?

यह कहना भी यथार्थ नहीं है और निराधार है कि पहले की योजनाओं में कुटीर उद्योगों को और छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन नहीं दिया गया है । बराबर इस बात पर ध्यान दिया गया है और जितना किया जाना चाहिए वह किया गया है, शायद उसमें कुछ कमी हो । स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन जो है वह छोटे और कुटीर उद्योगों को पनपाने के लिए है, और रात दिन वह उसके लिए जागरुक है । वह पहले से ही चालू किया गया है । कुछ करोड़ की राशि ही नहीं करोड़ों की राशि स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज और काटेज इन्डस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए खर्च की है । आज ही आपने प्रयास नहीं किया है पहले भी प्रयास किये गये है । लेकिन मैं नहीं समझा कि आप कौन सा स्टेण्ड लेने वाले है ?

डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने जब यह बिल कन्सोडरेशन की स्टेज पर था तो कुछ प्रश्न किये थे, आखिर स्टेट और सेन्टर के फिस्कल रिलेशन्स के सम्बन्ध में आपकी सरकार की क्या नीति है ? माननीय मुख्य मन्त्रीजी नेशनल डेवलपमेंट कौन्सिल की मीटिंग में यह कहकर आये थे कि मजबूत केन्द्र चाहते हैं और मजबूत राज्य चाहते हैं । तो मजबूती से मतलब क्या है । उनके बीच में खड़े होकर आपके उद्योग मंत्रीजी ने कह दिया कि पोलीटिकली और फिस्कली दोनों तरह से राजस्थान को मजबूत बनाना चाहते हैं । माननीय मुख्य मंत्रीजी के वह कितने स्पोक्समेन हैं यह मुझे मालूम नहीं है । माननीय मुख्य मंत्रीजी का क्या उद्देश्य है वह मुझे पता नहीं, लेकिन अगर रिसोर्सेज का एलोकेशन राजस्थान के हित में है तो राजस्थान में हम बिल्कुल राजनैतिक मतभेद भुलाकर एक हैं । इस बात को मैं मानता हूं

(श्री परसराम मदेरणा)

कि जहां तक राजस्थान के विकास का प्रश्न है इस सदन के सभी दल और सभी माननीय सदस्य राजस्थान की जनता को साथ लेकर, उनका सहयोग लेकर राजस्थान को आगे बढ़ाने का हरचन्द प्रयास करेंगे। उसमें राजनैतिक मतभेद नहीं है।

परसों यहां पर विचार हो रहा था थीन बान्ध के बारे में। थीन बान्ध के अन्दर पंजाब गुर्रा रहा है, वह यह बात निश्चित कह रहे हैं कि बिजली में हम राजस्थान को कोई हिस्सा नहीं देने वाले हैं। आपके तीन हैड वर्क्स को पंजाब कन्ट्रोल कर रहा है जब कि 1966 का कानून बन गया उसके बाद भी वह नहीं छोड़ रहा है।

आप कितना एलोकेशन करवा सकेंगे सेवन्थ फाइनेन्स कमीशन से? दूसरा एक सुझाव भी आया है और वह सुझाव कुछ इकानामिस्ट्स ने रखा है। उन इकोनामिस्ट्स ने यह सुझाव दिया है कि सेन्ट्रल असिस्टेन्स प्लान को हो यानि प्लानिंग कमीशन जो दे रहा है वह हो, नान प्लान गैप यानी नान प्लान की रेवेन्यू और एक्सपेन्डीचर का गैप है उसको मीट करने के लिए सेवन्थ फाइनेन्स कमीशन, जिसको स्टेट्यूटरी पावर कान्स्टीट्यूशन के आर्टिकल 275 और 206 के अन्दर हैं, कुछ एलोकेशन करता है वह करे। उनका कहना है कि इस आस्पेक्ट में केन्द्रीय सरकार ने अपना प्लानिंग का कन्सेप्ट बदल दिया है क्योंकि आपका प्लानिंग रालिंग प्लान का है, रालिंग प्लान का मतलब यह है कि प्लान ईअर टू ईअर रोल करता रहेगा। 1978 में आपने प्लान चालू कर दिया, 1983 तक उस प्लान की अवधि है, रोटेशन से 78-79 में एक साल हो गया तो अगले साल 1979 व 1980 के लिए फिर विचार करेंगे कि जो एलोकेशन आपको दिया है उसका इम्पेक्ट हुआ है कि नहीं? यह कन्सेप्ट प्लानिंग कन्सेप्ट के बिल्कुल विपरीत है। आपने प्लानिंग कन्सेप्ट को बिल्कुल रद्द कर दिया है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि देश के अन्दर आगामी सिक्स्थ फाइव ईअर प्लान का प्रारूप प्रस्तुत कर दिया गया है, तो इस प्रकार का कोई सिक्स्थ फाइव ईअर प्लान आपने बना लिया है अगर सिक्स्थ फाइव ईअर प्लान आपने नहीं बनाया है तो क्या जो प्लान आप बनाने जा रहे हैं उसमें रिसोर्सेज का सबसे बड़ा प्रश्न जो आपके सामने है, और उस रिसोर्सेज के प्रश्न को आप तभी हल कर सकेंगे जब कि आज जो स्टेट्स की फिस्कल आटोनामी की बात कही जा रही है उसके साथ ही साथ प्लानिंग कमीशन और फाइनेंस कमीशन दोनों ही वित्तीय प्रावधान करने वाली अलग अलग संस्थायें हैं। इकोनोमिस्ट्स ने यह सुझाव दिया है कि अगर आवश्यकता पड़े तो स्टेट्यूटरी प्राविजन किया जाय। भारत के प्रधान मंत्री जी ने स्टेट्यूटर्स प्रोविजन के सम्बन्ध में इतना ही कहा है कि अभी जो कांस्टीट्यूशनल फ्रेम वर्क है उस फ्रेम वर्क में ही हम काम कर रहे हैं। उन्होंने एक कमेटी बिठाई है। उन्होंने इस मामले को ओपन रखा है। क्या आप यह उचित नहीं समझते है? दोनों बोडीज एक हो जाती हैं और प्लानिंग कमीशन ईयरवाईज एलोकेशन करता है, राज्यों की अधिक पोटेंशियल

(श्री परसराम मदेरणा)

नीड्स को देखते हुए, राज्यों की आवश्यकता को देखते हुए, राजस्थान की आवश्यकता को देखते हुए, यहां के एरियाज और बैकवर्ड नेस को देखते हुए और रीजनल इकानोमिक इम्बेलेंस है, इन सब बातों को ध्यान में रख कर प्लानिंग कमीशन ज्यादा फन्ड्स अलाट करता है। प्रधान मंत्रीजी ने यह बात कही है कि हम इसीलिए स्टेट्यूटरीस प्रोविजन्स को लागू रखना चाहते हैं ताकि जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं उन्हें हम ज्यादा फन्ड एलोकेट कर सकें। फिफ्थ फाइनेंस कमीशन ने राजस्थान के वितीय साधनों को देखते हुए दूसरे राज्यों के मुकाबले में राजस्थान के साथ नर्मी का वर्ताव किया था। मुख्य मंत्रीजी जब यह बात कहते है कि वह हर बात को मनवा सकते हैं, बोल्डली मनवा सकते हैं तो हमारी तरफ गुर्राने से और हमारी तरफ आंख दिखाने से कोई मतलब नहीं है। राज्य की आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाने के लिए और इस राज्य की इकोनोमिक ग्रोथ को तेज करने के लिए, रोजगार के ज्यादा साधन उपलब्ध कराने के लिये आपको भारत सरकार से लड़ना चाहिए। अगर आप कोई मल्ल युद्ध करना चाहेंगे तो हम आपका समर्थन करेंगे ताकि राज्य का द्रुत गति से विकास हो सके।

यहां पर यह भी बात कही गई है कि कोआर्डिनेटिव एजेंसी क्रियेट की है। यहां पर कई बातें कही गई हैं जिनमें अन्त्योदय योजना की बात भी है। अन्त्योदय योजना के सम्बन्ध में मैने कहा था, अन्त्योदय योजना ठीक है, गरीब आदमी की गरीबी मिटनी चाहिए, जो पावर्टी लाइन से नीचे हैं उनकी हालत सुधारी जानी चाहिए। इसके लिए आपने कुछ गांवों को हाथ में लिया है। हमने यह कहा था कि आपका इसके लिए कोई प्लान नहीं है, आपका कोई विचार नहीं है। आपका इसके लिये विचार ही नहीं है आपने इसके क्रियान्वयन के लिए कोई सुदृढ़ संगठन का फार्मेशन भी नहीं किया है। आप यह कह कर रवाना हो गए कि हम राज्य की गरीबी को मिटा देंगे। आपने कितने परिवार ढूंढे हैं यह स्पष्ट नहीं है। अभी तक जितने भी मैं आंकड़े देख रहा हूं, आपने आर्थिक स्थिति पर यह किताब छपाई है उसमें आंकड़े और हैं, गवर्नर के भाषण में दूसरे आंकड़े दिये हैं, आपने अपने भाषण में तीसरे आंकड़े दिये हैं और जो आपने मेमोरेंडम सेवंथ फाइनेंस कमीशन को दिया है इसमें चौथे आंकड़े हैं। राजस्थान में कितने गांव हैं, 33 हजार है, 32 हजार हैं या 34 हजार कुछ हैं उनमें से कितने आदमियों को आपने छांटा है, यह बात अधरबम्ब में लटकी हुई है। सही आंकड़े क्या है यह मालुम नहीं है। सब जगह अलग अलग आंकड़े हैं। जिस वक्त में फैमिन रिलीफ मिनिस्टर और फूड मिनिस्टर था उस वक्त मैंने यहां पर दो आंकड़े ऐसे ही दे दिये थे तब जो आज मुख्य मंत्रीजी हैं, उन्होंने मेरे खिलाफ में एक प्रिविलेज का मोशन दिया था। मैंने हाउस में दो आंकड़े दिये थे। लेकिन अगर आप अपने आंकड़े देखें तो मालुम होगा कि बिल्कुल अलग अलग आंकड़े दिए जा रहे हैं। गवर्नर के भाषण में यह बात कही गई कि पांच हजार लोगों को हमने कर्जा उपलब्ध करा दिया है। फिर आपने बजट भाषण दिया, इस बजट भाषण में आपने कहा कि 35 हजार के लिये हमने कुछ न

(श्री परसराम मदेरणा)

कर दिया है। क्या कर दिया है? कलाबाजी या घिस्सा पट्टी की है या क्या किया है। आपने कुछ न कुछ क्या कर दिया है इन 36 हजार परिवारों के लिये? आपके जो टार्गेट है उन टार्गेट्स को आपने अचीव किया नहीं है। मुझे बड़ा संशय है इसमें। बड़ा भारी संशय इसलिए है कि दो तीन तरह के आंकड़े में देखता हूं।

पिछले बजट भाषण में हालांकि आपने कहा था कि बजट को मोड़ देने की कम गुंजाइश है। फिर भी बजट में जो एम्प्लायमेंट देने के लिए कहा था उसमें आप असफल रहे हैं। आपने कहा था कि 77-78 में जो हमारी योजना है इससे एम्पलायमेंट पोटेंशियल क्रियेट होगा, उससे 5 लाख 36 हजार बेकार लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान हो सकेंगे। अब आपने अपने बजट के पैरा 19 में इस बात का उल्लेख किया है कि लगभग 3 लाख 40 हजार व्यक्तियों को रोजगार के साधन मिल सकेंगे। इसका मतलब है कि 1 लाख 96 हजार लोगों को रोजगार दिलाने में पीछे रह गये हैं। केवल एलोकेशन आफ फण्डस कर देने से यह बजट उपलब्ध करा देने से कुछ नहीं हो सकेगा। जो आपकी योजना है इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं और जो टार्गेट आपने फिक्स किये हैं, फिजिकल टार्गेट अधिक हो रहे है या नहीं, यह देखने का बात है।

मेरा कहना है कि भारत के किसी मुख्य मंत्री ने जिस योजना को नहीं लिया, हमारे मुख्य मंत्री एकदम से ऐसी योजना को लेकर चल पड़े जिसका न तो कोई ध्यान है, न कोई विचार है, न उसके इम्पलीमेंटेशन के लिये मशीनरी तैयार है। अब आपने समग्र ग्रामीण योजना लाद दी है। इसका भी वही अन्त होने वाला है जो पहले वाली योजना का हुआ। पहली योजना पूरी नहीं हुई और अब 140 गांवों की नई योजना लेकर आ गए हैं। गवर्नर के भाषण में जिसका कोई उल्लेख नहीं उसे एकदम से बजट में आप लेकर आ गए। योजना क्या है, इसका किसी को पता नहीं। इसका भी अन्ततोगत्व यही हाल होगा....

श्री वृद्धिचन्द जैन : दुर्गति होगी।

श्री परसराम मदेरणा : दुर्गति होगी या क्या होगी, यह मैं नहीं कहता।

इसी तरह से इन्होंने और भी टार्गेट्स रखे हैं। पहले बजट में जो आपने टार्गेट रखे थे उनसे इस बजट में छुट्टी ले ली। आपने कहा था कि दो सौ गांवों में बीस तीस हैक्टेअर के अन्दर वन लगाये जावेंगे। यह आपने स्वयं लिखा था। उसका क्या हाल हुआ? आप इसे भूल गए। उसके बारे में आप कुछ भी बोले नहीं। दो सौ गांवों में जो बीस तीस हैक्टेअर में वन लगाने थे उन पर कितना खर्चा हुआ, कितना टार्गेट अचीव किया है, उस सम्बन्ध में आप बोले नहीं।

इसी तरह से दुग्ध सप्लाई के बारे में बहुत बड़ी बात कही थी। आपने कहा था कि हजारों लोगों को एम्पलायमेंट पोटेंशियल क्रियेट कर देंगे। आपने टार्गेट रखा था चार लाख से साढ़े चार लाख लीटर का 77-78 के अन्दर यह टार्गेट अचीव कर लेंगे किन्तु अब आ गए हैं उससे नीचे। अब कहते है कि 78-79 में 31 मार्च, 79 तक हम चार लाख के टार्गेट को अचीव कर लेंगे।

(श्री परसराम मदेरणा)

मेरे कहने का मतलब यह है कि एम्प-लायमेंट के जो टार्गेट बताए, जो फिजिकल टार्गेट आपने बताये थे वह आपने कोई पूरे नहीं किये।

एक बात का जरूर उल्लेख किया है कि हमने कुछ सेवाओं में उपलब्धि की है और वह भी खास तौर से मेडिकल सर्विसेज के बारे में बात कही है। एक ग्रामीण स्वास्थ्य योजना लागू की है। एक हजार गांवों पर एक जन स्वास्थ्य रक्षक लिया जाएगा। मैं जब इस बात को कह रहा हूं यहां पर तो जिम्मेदारी से कह रहा हूं। हर गांव में राजनैतिक तौर पर किसी आदमी को पकड़ रहे हैं, उसको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देकर स्वास्थ्य रक्षक लगायेंगे। वह कुछ दवाइयां भी देगा लेकिन नीम हकीम, वित्त मंत्री जी, खतराए जान। यह स्वास्थ्य रक्षक जो है, जानलेवा नहीं हो जावे। मेरा अनुभव यह रहा है कि मेरे गांव में उसने एक इन्जेक्शन लगाया और उसकी डैथ हो गई। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि वह मेडिकल का एक्सपर्ट नहीं है, ऐसे लोगों को लगा देंगे तो निश्चित तौर पर लोगों के अन्दर यह विश्वास नहीं रहेगा कि यह आदमी कोई ट्रेनिंग लिया हुआ है। कुछ दवाइयां देता है। आप जानते हैं कि एलोपैथिक मेडिशन्स से कई काम्प्लीकेशन्स होते हैं। अगर आपको कोई हिंगास्टिक चूर्ण ही बटवाना हो तो वैद्यों के मार्फत बंटावें लेकिन जहां तक एलोपैथिक मेडिशन्स का सवाल है यह देखना पड़ेगा कि किसका असर पड़ता है और कौन सी चीज सूट करती है, कौनसी नहीं करती है। डाक्टर इन्जेक्शन देने के पहले टैस्ट करता है। इसलिए इन लोगों को लेकर जो यह योजना चालू है यह योजना भी अपने आप में अपूर्ण योजना है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर कोई भी आलोचना की जाती है तो वह इसलिये की जाती है कि उसमें कोई कमी है वह नहीं रहनी चाहिये।

अभी एक कांफ्रेंस के अन्दर एडमिनिस्ट्रेटर्स को सम्बोधित कर रहे थे भारत के प्रधान मंत्री जी। उन्होंने कहा है कि आपको अपने विचार निर्भीकता से रखने चाहिये और बताना चाहिये कि कार्यक्रम में कहां कहां पर कमी है, कहां खतरा है और कहां कमियां हैं। मंत्रियों का भी यह कर्त्तव्य है कि अपने विचार रखने का पूरा मौका दें और उन पर गम्भीरता से सोच कर उनसे फायदा उठा कर कार्यक्रम बनायें। हम तो आपको जो कमियां हैं, जो असफलतायें है, जिनका कोई इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिनका कोई फाइनेंशियल रिसोर्सेज और बैंकिंग नहीं है, वह बता देते हैं, जैसा कि डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने बजट पर बोलते हुए कहा था कि कर्जा दे रहे हैं गाय और भेड़ वगैरह के लिये। उसका अंत में क्या असर होने वाला है। इसलिये मैं फिर आपको आगाह करूंगा और मैं भी कहना चाहूंगा कि अन्तिम आदमी के उदय में हम भी पीछे नहीं रहना चाहते लेकिन हमें इसके लिए विस्तार से सोचना होगा। यह इतना बड़ा हिन्दुस्तान है और इतने मुख्य मंत्री हैं, भारत में किसी ने इस तरह की योजना को हाथ में नहीं लिया और आपने एकदम से हाथ में ले ली योजना। दो अक्टूबर से चयन शुरू हो गया लेकिन दिसम्बर के एण्ड तक भी कोई प्रारूप नहीं था। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस वाले इन गरीब लोगों को, जो गरीबी की सीमा के

(श्री परसराम मदेरणा)

नीचे हैं, दण्ड देना चाहते हैं अन्त्योदय की आलोचना करके। आज आप सुनना नहीं चाहते। जो कुछ आपके दिमाग की उपज है वह फूलप्रूफ है, उसमें कोई कमी नहीं बताये, इसके ऊपर कोई कुछ नहीं कहे। इसलिए हम फिर आपको आगाह करना चाहते हैं कि यह जो आपकी उम्र है, उस उम्र में, वित्त मन्त्री महोदय आपके ऊपर यह समग्र-ग्राम विकास की योजना डाल दी है। यह सम ग्रामग्र विकास योजना और अन्त्योदय योजना के नाम से उस गरीब की आर्थिक स्थिति नहीं सुधरने वाली है। इस योजना में कोई खामी न रहे इसलिए इस योजना को लागू करने के लिए निश्चित तौर से पहले प्रारूप बना लिया जाए। प्रारूप नहीं बनाया गया है तो यह बलती है और निश्चित रूप से यह योजना असफल होने वाली है। आपके नेताओं ने और प्लानिंग करने वालों ने भी यह बात कही है कि किसी भी योजना के बनाने से पूर्व....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं इतना जानना चाहता हूं कि कितना समय और आप लेंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : 5 मिनट।

पहले योजना पर विचार कर लिया जाए, उसके बाद उसकी क्रियान्वित हो तो वह योजना सफल होगी। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो वह सब योजना अन्तोगत्वा विफल होगी। इसलिए यह योजना आपकी विफल हो, उसके पहले हमने इस योजना की जो खामियां है, उनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित किया है और आपको सुझाव दिये हैं हमारा यह कभी भी अभिप्राय नहीं है कि हम गरीबों को दंडित करें। हमारा हमेशा उद्देश्य यह रहा है कि गरीब से गरीब जो आदमी है, उसको विकास का फायदा मिले। ऐसी कोई योजना है तो हम निश्चित तौर से उसका समर्थन करेंगे। हमारी योजनाओं का लक्ष्य भी यही रहा है कि इकोनोमी रेपिडली व तेज हो, पार्टी कम हो, इम्इक्वेलिटी को नीचे लाया जाए और हमारी जो इकोनोमी है वह सैल्फ सफीशिएंट हो। पहले की हमारी योजनाओं का उद्देश्य हो या और आपकी जो योजनाएं हैं, उनका भी उद्देश्य यही है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो कुछ विकास के कार्य हैं, विकास की जो योजनाएं आप ले रहें है और उन योजनाओं के लिए जो धन का आवंटन आपने किया है, जो पैसा है, उसमें भारत सरकार से असिस्टेन्स आपको ज्यादा मिल रही है, इसकी वजह से आपने यह बढ़ोत्तरी की है। परन्तु इसमें आपके कोई उपलब्धि नहीं है। छठी योजना का जो प्रारूप आया है उसमें टोटल आउट ले करीब 285 करोड़ रुपये के आस पास है। इसमें से आपका क्या शेयर होगा ? आपने बजट पेश कर दिया और कह दिया भारत सरकार ने जो टैक्स लगाए हैं उसमें से हमें शेयर मिल जायगा। परन्तु भारत सरकार के वित्त मंत्री ने दूसरे दिन ही कहा है कि राज्यों को इससे जो हिस्सा मिलेगा वह 93 करोड़ रुपयों का होगा। इसके अन्दर से आपको हिस्सा ज्यादा से ज्यादा ढाई करोड, तीन करोड़ या चार करोड़ मिल जाएगा। यह आपके हिस्से में आएगा।

(श्री परसराम मदेरणा)

इसके अतिरिक्त कुछ टैक्स आपने लगाये हैं परन्तु दूसरी ओर केन्द्र ने एक्साइज ड्यूटी लगाकर 6 करोड़ रुपये आप से ले लिये हैं। इस प्रकार यह घाटे का बजट है। केन्द्र का भी घाटे का बजट है। 1050 करोड़ का डेफिसिट बजट है यह। दूसरे राज्यों ने भी अपने बजट पेश कर दिए हैं। इन राज्यों के बजट में कहीं पर 100 करोड़ का घाटा है वेस्ट बंगाल ने बजट पेश किया है, उसमें 150 करोड़ का घाटा दिखाया है। कर्नाटक ने अभी दो दीन पहले बजट पेश किया है, उसमें भी 120 करोड़ का घाटा दिखाया गया है। इस प्रकार डेफिसिट बजट रखने से कुल मिला कर राष्ट्रीय इकानोमी में इन्फ्लेशन ट्रेन्ड आएगा। चीजों के भाव बढ़ेगे, चीजों के भाव बढ़ने के कारण गरीबों को इसका बोझ उठाना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ भी योजनाएं आप हाथ में लें, चाहे वह समग्र ग्रामोदय की योजना है, चाहें वह अन्त्योदय की योजना हो, चाहे फोरेस्टरी की योजना को आप हाथ में ले या आप ग्रामोद्योगों की योजना को हाथ में लें मुख्य मंत्रीजी ने दावा किया है, तो हम इन्तजार करेंगे, 12 महीने तक। आपने यह कहा है कि एक साल के अन्दर अन्दर गांव गांव के अन्दर से चिमनियों से धुआं निकलता दिखाई देगा हम देखेंगे, इन गांवों से कितना धुआं निकलता है।

एक कामयाबी आपके मुख्य मंत्रीजी ने जरूर दिखाई है। एक आदमी को कार में बिठाकर वे लाए थे। 5 करोड़ रुपये का उद्योग अलवर में लगाने की अनुमति मिल गयी है। यह तो आपकी उपलब्धि है परन्तु आगे कोई बात आप कर सकेंगे या नहीं, इसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आपको इसके लिए एक आर्गेना-इजेशन तैयार करना पड़ेगा। सर्विसेज कोआर्डिनेट करने की आवश्यकता है, सर्विसेज को जुटाना पड़ेगा और उनमें समन्वय बिठाना पड़ेगा। कहां पर क्या पोटेन्शियलिटी है या नहीं है, कौनसा उद्योग कहां कहां लग सकता है, उसका मार्केट वहां पर है या नहीं, रा मेटेरियल मिलता है या नहीं, इन सबको देखने के लिये आर्गेनाइजेशन आप बनाएंगे तो यह काम संभव हो पाएगा।

इन शब्दों के साथ जो बजट आप एप्रोप्रिएट करने जा रहे हैं, 9 अरब से ऊपर की धन राशि का यह बहुत बड़ी धनराशि है। इस धनराशि का कोरिलेशन एम्प्लायमेंट पोटेन्शियल क्रियेट करने से है या नहीं है, इस ओर आपने इशारा नहीं किया है। निश्चित तौर पर आपको यह सैक्टर वाइज बताना होगा कि किन किन सैक्टर के अन्दर कितने कितने रिसोर्सेज का अलोकेशन है और इन इन सेक्टर में आप इतनी इतनी एम्पलायमेन्ट पोटेन्शियलिटी क्रियेट करने जा रहे हैं केवल एक अन्त्योदय योजना को आप गिनाते है तो मैं यह मानता हूं कि यह योजना कोई पोटेन्शियल क्रिएट करने वाली योजना नहीं है। बैकलाग बराबर बढ़ता जा रहा है। आज जो एम्पलायमेन्ट और सेमी एम्पलायमेन्ट की समस्या है, उसको आप इस बजट से नहीं हल कर सकेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री रघुनन्दन व्यास : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर सर ।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात निवेदन करना चाहता हूं । जो राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम है उसके नियम 154 के एप्रोप्रिएशन बिल में भी स्पीकर महोदय बोलने के लिए समय निर्धारित कर सकते हैं । तीन बज गये हैं और मेरे जैसे कई बोलने वाले माननीय सदस्य हैं । इसलिए इसमें भी आप समय निर्धारित कर दें तो अच्छा होगा ।....

श्री खेतसिंह : इसके लिये सदन का समय बढाया जाना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं उस समय देख लूंगा जब आवश्यक होगा ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशनपोल): उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन मांगों के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा जो इस सत्र में सदन में नहीं रखी गई हैं । सबसे पहले मैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र जयपुर शहर की समस्याएं सदन में रखना आवश्यक समझता हूं । जयपुर नगर में आवास की समस्या आज तक हल नहीं हो सकी है । इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की स्पष्ट नीति जानना चाहूंगा कि वह जयपुर की आवासीय समस्या को किस प्रकार हल करना चाहती है ? जयपुर नगर में 109 कच्ची और गंदी बस्तियां है । इनका समुचित विकास नहीं हुआ है एक भी कच्ची बस्ती ऐसी नहीं है जिसमें ठीक प्रकार से लोग बसा दिये गए हों और वहां पर सारी नागरिक सुविधाएं जुटा दी गई हों । न वहां पर विद्युत की सुविधा है, न जल की न सड़क की सुविधा वहां पर हैं, पिछली सरकार ने यह घोषणा की थी कि 31 अगस्त, 1971 तक जो लोग कच्ची बस्तियों में आबाद है, उनको बेदखल नहीं किया जायेगा। जनता सरकार ने 21 जून, 1977 तक इनकी अवधि बढ़ा दी । स्पष्ट नीति की घोषणा न होने के कारण जयपुर शहर में अवैध कब्जे हो रहे हैं । सर्वे इन कच्ची बस्तियों का नहीं हुआ । पहले 71 तक का निर्णय हो गया था परन्तु आज कोई कच्ची बस्ती में मकान बना लेता है तो वह 21 जून, 77 की सीमा में आ जाता है क्योंकि किसी प्रकार का रिकार्ड नहीं है इनका सर्वे नहीं हुआ है । इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार सदन में घोषणा करे कि फलां तारीख तक बसे हुए लोगों को नहीं हटाया जाएगा उनको जमीन दी जाएगी, नल, बिजली और समुचित नागरीक सुविधाएं पूरी कर दी जाएगी । यह मेरा आपसे निवेदन है ।

मेरा दूसरा निवेदन कृषि भूमि के बारे में है । बार बार इस सदन में चर्चा चली आ रही है, यू.आई.टी. जमीन नहीं दे रही है और आवासन बोर्ड मकान बना कर नहीं दे रहा है इसलिए नागरिक कृषि भूमि की ओर मुड़े । कृषि भूमि के कन्वर्शन चार्जेज के बारे में बार बार इस सदन में कहा गया है । इसकी दरों में काफी असमानता है । एक तरफ दस से तीस रुपये और दूसरी तरफ पन्द्रह से तीस रुपये यह कनवर्शन की काफी असमान दरें हैं । इनमें कमी करनी चाहिए । चाहें तो आप माफ कर दें । इन सारी बातों की स्पष्ट घोषणा सदन में होना जरूरी है । लोगों के मन में विभिन्न प्रकार की धारणा है कि कहीं हमारे मकान नहीं टूट जाएं । वहां पर पानी के कनेक्शन नहीं दिए जाते हैं । वाटर पाइप नहीं डाली जाती है इसलिए

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

यह जो कन्वर्शन वाला प्रश्न है, यह राजस्थान भर की ज्वलन्त समस्या है । इस कनवर्शन की समस्या को कब तक हल कर लिया जायगा कब तक इसका निदान हो जाएगा ? इस सम्बन्ध में राज्य सरकार निश्चित रुप से घोषणा करें ।

...मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर ड्रेनेज की व्यवस्था बिल्कुल निकम्मी है । 15 करोड़ की जो इसकी योजना बनाई है, उसका प्रथम चरण प्रारम्भ हो गया है । द्वितीय चरण में शहर के दक्षिण भाग में सीवेज डालने की जो योजना है, उसके लिए सरकार कितनी राशि उपलब्ध करायेगी । राज्य सरकार कितना देगी ? राज्य सरकार की जो सीवेज योजना है, उसके लिए कहते हैं कि केन्द्र से धन जुटायेंगे । जयपुर में स्थान स्थान पर पानी भरता है । जो नालियां बना दी गई हैं, उनकी सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं है । जयपुर शहर में प्रोपर ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है । इसलिए योजना का बनाया जाना बहुत आवश्यक है जो पानी वर्षा का भरता है विशेष रुप से विश्वेश्वर जी की चौकड़ी, नारी का नाका, आमेर रोड़ पर इतना पानी भर जाता है कि वर्षा काल में अगर विधान सभा का अधिवेशन होगा तो माननीय सदस्य यहां से निकल नहीं सकेंगे । एम. आई रोड़ पर पानी भर जाता है । जो फ्लड कण्ट्रोल स्कीम बनाई गई है उसके लिए भारत सरकार से कितना पैसा लेकर आने वाले हैं ? 4 लाख का अगर ले वित्त मंत्री महोदय, प्रावधान कर दिया जाये तो जयपुर शहर की जो गन्दी गलियां हैं, जो जयपुर शहर के लिये कलंक है, वह पक्की हो जायेंगी । नगर परिषद सिमेण्ट उपलब्ध करा दें तो गलियां पक्की हो जायेंगी और जयपुर शहर की हालत बदल जाएगी ।

मैं निवेदन करुंगा कि हवा महल को ग्रन्थालय बनाने की योजना थी, वह कब तक पूरी हो जायेगी ? राजस्थान में जयपुर के अन्दर पर्यटक आते हैं । पर्यटकों से हिन्दुस्तान में जितनी आमदनी है, सब से ज्यादा जयपुर से होती है ।

मैंनिवेदन करूंगा कि जयपुर को गुलाबी नगरी बनाने का अभियान शुरू किया गया था । वह अभी ठप्प पड़ा हुआ है । जयगढ़ का किला दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है । धर्मयुग में आप इसके बारे में पढ रहे होंगे । मेरा सुझाव है जयगढ़ का किला जनता के देखने के लिए खोल दिया जाय यह कहा गया था कि जनता के देखने के लिए वह खोल दिया जाएगा जिससे हिन्दुस्तान और बाहर के लोग आकर देख सकेंगे । नाहर गढ़ के किले का विकास करने के लिए भी कहा गया था ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह तो डिमाण्ड में आप बोल चुके हैं ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : यह इस समय आप कैसे बोल रहे हैं । यह भी बोलने की बात है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह एप्रोप्रिएशन बिल है । कोई महत्वपूर्ण बात हो वही कहें ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जयपुर शहर से अधिक और क्या इम्पार्टेण्ठ हो सकता है ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : आप तो हवा महल के बारे में कह रहे हैं ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : ये तो हवा महल के ही चारों तरफ घूमते रहते हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : हां, मैं हवा महल के चारों तरफ घूमता रहता हूं। आप अपने क्षेत्र में नहीं घूमते हैं ....

(व्यवधान)

यह बात मैं मानता हूं।

रोप वे की स्कीम बनाई गई थी। आर.एम आई डी.सी. की 35 लाख की योजना थी। 35 लाख रुपया खर्च करने को तैयार हैं। रोप वे के द्वारा लोग जयपुर से 10 रुपये में नाहरगढ़ तक जा सकें। जयपुर के लिए यह नया करिश्मा होगा। नया प्रयोग होगा।

आज राम निवास बाग और म्यूजियम की हालत खराब है। जलमहल जैसे सुन्दर स्थान का विकास नहीं ....

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आपके चेहरे की दाढ़ी को भी ठीक करवा लें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा चेहरा ठीक है। जब चाहूंगा, ठीक करवा लूंगा।

जल महल जैसा सुन्दर स्थान है उसका विकास करने की योजना थी। उसमें नावें चलाने का योजना थी। रिंग बांध बनाने की योजना थी। पुराना घाट, गलता, इनका विकास करने की आवश्यकता है।

जयपुर शहर में आर्ट काम्प्लैक्स बनाया जाये। राज्य की तीनों अकादमियों को एक जगह लाया जाये। ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, और साहित्य अकादमी के कार्यालयों को जयपुर लाया जाये। सभी को मिलाकर एक आर्ट कॉम्प्लैक्स बनाया जाये। रवीन्द्र मंच है, उसके पीछे वाले भाग को एयर कण्डीशन कराया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। जो चर्चा महत्वपूर्ण हो वह कर लीजिए।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : विद्युत के बारें में यहां पर चर्चा ही नहीं हुई हैं। राज्य सरकार उसके बजट को अलग से प्रस्तुत करने वाली है नहीं। विद्युत की व्यवस्था से लोग दुखी हैं। गांवों के अन्दर लोग बहुत दुखी हैं।

जयपुर शहर का मास्टर प्लान बना हुआ है। उसमें जो गृह निर्माण सहकारी समितियों की जमीन है, वह आबादी में दिखलानी चाहिए। कच्ची बस्तियों की भूमि भी आबादी में दिखलानी चाहिए। मास्टर प्लान में परिवर्तन करना जरूरी है।

जयपुर शहर में दफ्तर अलग अलग है। वह सारे के सारे एक जगह सैण्ट्रलाइज किये जायें। आफिसर्स के मकानों में दफ्तर चल रहे हैं और आफिसर्स दूसरे मकानों में रह रहे हैं। निजी मकान किराये पर दे रखा है। सारे आफिसर्स सचिवालय के पास होने चाहिए। मेरा यह भी निवेदन है कि सेशन जज का कार्यालय सचिवालय के पास, जहां राजस्थान महर का दफ्तर हैं, लाया जाये तो सभी कोर्ट पास में आ जायेंगी।

जयपुर शहर यातायात व्यवस्था, परिवहन व्यवस्था ठीक नहीं है।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

जयपुर शहर के स्कूलों की भी दुर्दशा है। धमार्थ डिपार्टमेंट और पी.डब्ल्यू.डी. के जो भवन हैं, उनमें औषधालय और स्कूल क्यों नहीं चलाये जाते ?

जयपुर चूड़ियों और छपाई के मामले में और अन्य मामलों में अग्रसर है। जयपुर की कलाकृतियों के लिए एक आर्ट गैलरी बनाई जाये ताकि लोगों को मालूम हो सके कि जयपुर में क्या क्या बनता है।

जयपुर में जनता बाजार को उद्योगों के आधार पर विकसित करें।

जयपुर में आर्ट्स एण्ड क्राफ्ट्स का कालेज खोला जाये। यह कालेज बनेगा तो एक बड़ी बात होगी।

बार बार उपाध्यक्ष महोदय का आदेश हो रहा है और घण्टी बज रही है, इसलिए मैं अधिक न कहता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मथुरादास माथुर।

श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना) : उपाध्यक्ष महोदय, बजट पर बहस करते हुए मैंने कहा था, यह बजट ग्रोथ ओरिएण्टेड नहीं है। यह ट्रेडर्स का बजट है। इसे मैं कॉमन मैन का बजट मानने के लिए तैयार नहीं हूं, यह मैंने कहा था। बजट चाहे हम राजस्थान का देखें या भारत सरकार के बजट पर नजर डालें, केन्द्र के बाद मुख्तलिफ स्टेट्स के बजट पेश हुए हैं उनमें राजस्थान का यह दूसरा बजट जनता पार्टी का पेश हुआ है, इन सब पर विचार करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये सभी बजट घाटे के हैं। भारत सरकार का जनता पार्टी सरकार का दूसरा बजट है, स्टेटमेण्ट आफ बजट 1978-79 का है उसके अनुसार 1 हजार 50 करोड़ के घाटे का बजट है 1 हजार 50 करोड़ के घाटे का बजट है यह 20 वर्ष में सबसे अधिक घाटे का बजट है। सन 1960 से लगाकर अब तक सबसे अधिक घाटे का बजट है। केन्द्रीय सरकार में जनता पार्टी का दूसरा बजट है वह बजट घाटे का है, तो उसके बारे में एक माने हुए अर्थशास्त्री का कहना है कि यह इन्फ्लेशनरी बजट है इससे इनफ्लेशन बढ़ेगा। इसका मंहगाई पर प्रभाव पड़ेगा। जो गरीब आदमी है, उसके ऊपर मंहगाई का वजन पड़ेगा। इस प्रकार इस बजट को गरीब आदमी का बजट या पुअरमैन का बजट नहीं कह सकते हैं। मैं जो कह रहा हूं, वह एक इकोनोमिस्ट की राय है, जो जनता पार्टी में रहे हैं। उन्होंने कहा है :

"In a statement, the economists said no budget which adds to inflationary fuel can be considered a poorman's budget what a pity that the first of the new roling plan should be ushered in with an inflationary hood."

यानि उनकी यह राय है। दूसरा यह कि बजट के बारे में उन लोगों ने क्या कहा है :

(श्री मथुरादास माथुर)

"Mr. Patel's budget, they said was an exercise in 'Soaking the saver, pampering the borrower and squeezing the poor."

अब यह बजट तो बड़े भाई का है, जो दिल्ली में पेश किया गया है। दूसरा यह कहा गया है:

A lower interest to the deposit and a cheaper credit for the businessman trader and the industrialist only proves that this is a trader's budget.

जनता पार्टी जिनके वोट से जीत कर आई है तो स्वाभाविक है कि यह ट्रेडर्स का बजट हो।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : शेम, शेम।

श्री मथुरादास माथुर : यह रोलिंग प्लान इनफ्लेशनरी बजट के साथ बना रहे हैं इसलिए इस बजट को जनता का बजट नहीं कहा जा सकता है।

अब मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके सामने बहुत पुरानी भाषा को न दुहराकर माननीय वित्त मन्त्री जी को उनमें घुमाने की कोशिश नहीं करूंगा। मेरे प्रश्नों का जवाब न पहले आया है, न अब आयेगा फिर भी मैं एक बात कहना चाहता हूं। श्रीमान, इस वक्त हमारे राजस्थान की वित्तीय स्थिति बड़ी दयनीय है। मैं तीन बातें कह रहा हूं। एक तो यह है कि राजस्थान के ऊपर जो कर्जा है, वह फी आदमी 404/-रु. है। भारत का औसत 272/-रु. है। राजस्थान में पर कैपिटा कर्जा 404/-रु. है। एवरेज आल इण्डिया का 272/-रु. है। दूसरा जो टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू है, उसका पब्लिक रेवेन्यू मिलाकर क्या रेशयो है। श्रीमान्, हम कर्जे में चल रहे हैं। राजस्थान में टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू को मिलाकर रेशयो 4.26 है और इण्डिया का एवरेज 2.68 है। ये आंकड़े इसलिए रख रहा हूं ताकि आपको वस्तु स्थिति मालूम हो। दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं, वह यह कह रहा हूं, कि राजस्थान का टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू जितनी है, उसका 1/4 यानि 25 प्रतिशत जो कर्जा लेते हैं। उसका ब्याज चुकाने में ही चला जाता है। तीसरे जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है, उस कर्जे को हम सर्विसिंग में खर्च कर रहे हैं। चौथी मैं यह तस्वीर पेश कर रहा हूं, विरोधी दल के नेता ने भी कहा है, इण्डस्ट्रियल आउटपुट 10.4 से घटकर 5.8 हो गया है। इसका मतलब है कि स्टेट की इकोनोमिक ग्रोथ गिरती जा रही है। इस सरकार के इस बजट से कुछ भी इकानामिक ग्रोथ नहीं हो सकती है।

श्रीमान्, अब मैं एक बात पेश कर रहा हूं, वित्त मन्त्री जी खास तौर से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट अण्डर टेकिंग है, उसको आपने कर्जा दिया है। ऐसा कर्ज देने के लिए सदन से इजाजत लेनी चाहिए लेकिन सदन से इजाजत नहीं ली गई है। मैं आपके सामने सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की जो धारा 65 है वह पढ़ कर सुनाना चाहता हूं

(श्री मथुरादास माथुर)

The Board may from time to time with the previous sanction of the State Government and subject to the provisions of this Act and to such conditions as may be prescribed in this behalf borrow any sum for the purpose of this Act.

बोर्ड कर्जा ले सकता हैं। फिर क्लाज 65 (3) में है:—"the maximum amount which the Board may at any time have on loan under sub section (1) shall be ten crores of rupees unless the State Govt. with the approval of the State Legislative Assembly fixes a higher maximum amount."

इस एक्ट के अन्तर्गत 10 करोड़ रुपया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कर्जा ले सकता है। अगर कर्जा ज्यादा लेना चाहें तो लेजिस्लेचर की इजाजत लेकर कर्जा ले सकता है लेजिस्लेचर की एक दफा इजाजत ली है। दो दफा इजाजत ली है। 6 नवम्बर, 1973 को यह प्रस्ताव पास हुआ हैं।

"This House approves & fixes the higher amount as 150 crorses which the board may have as loan under sub-section 3 of section 65 of the Electricity Act"

अब 150 करोड़ रुपया मैक्जिमम कर्जा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ले सकता है। इसके आगे इजाजत नहीं है। वित्त मंत्री जी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को कर्जा दें। इससे पहले बड़े बड़े आफिसर बैठे हैं। लेकिन उन्होंने आज तक आपको नहीं कहा है कि आज जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने कर्जा ले रखा है वह 31 मार्च, 1979 तक 283 करोड़ 51 लाख रुपये का कर्जा लिया है। राज्य सरकार ने बोर्ड को 150 करोड़ रुपये का कर्जा लेने का अधिकार दिया है जब कि 283करोड़ 51 लाख रुपये का कर्जा दिया है। जो 1976 में रिपोर्ट है उसमें एल. आई. सी. का कर्जा शामिल है, कारपोरेशन का कर्जा भी शामिल है, सब मिला कर 400 करोड़ का कर्जा है। न राज्य सरकार की इजाजत ली गई, न सदन की इजाजत ली गई और यह डेढ़ सौ करोड़ का कर्जा लेने की सीलिंग थी उसकी अवहेलना करके चार सौ करोड़ तक पहुंच गये। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह सदन के प्रिविलेज का ब्रीच है, यह राज्य सरकार की इम्पोटेंन्सी का नमूना है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को कहें कि और कर्जा किया जाय। यह बहुत बड़ा लीगल सवाल है। क्या जो यह कर्जा लिया गया है वह जायज लिया गया है? आप रिजर्व बैंक से इजाजत लीजिये। यहां पर आप कहते हैं कि हरित क्रांति में योगदान लेने हेतु एक करोड़ का योगदान कर रहे हैं। आप सहयोग दीजिये लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि ऐसे उल्टे काम क्यों करवाते हो हमसे। डेढ़ सौ करोड़ का कर्जा लेने की सीलिंग दी गई और फिर अपील करते हैं कि सहयोग दीजिये। गैर कानूनी मामले में कैसे सहयोग दें? मैं यह चाहूंगी कि इस पर विचार कीजिये कि इसका क्या इम्प्लीकेशन होगा। यह कर्जा जायज है या नहीं? इसकी लीगल इम्पलीकेशन्स व काम्पलीकेशन्स क्या है? इसकी उस

(श्री मथुरा दास माथुर)

समय चर्चा की जाएगी जब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का बजट आयेगा। राज्य सरकार के पास में जो मशीनरी है वह तो सिर्फ अपनी अपनी खेती खोदते हैं और खाते हैं। विद्युत मण्डल में बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े आफिसर्स हैं, क्या इतना भी नहीं बता सकते कि सेक्शन 65 में क्या लिखा है। उधर भी ध्यान उनका नहीं गया है। आज हम इस परिस्थिति में खड़े हो गए हैं जिसके अन्दर गैर कानूनी तौर पर विद्युत मण्डल कर्जा लेता जा रहा है....

श्री माणकचन्द सुराणा : 150 करोड़ की लिमिट किस तारीख को क्रास की ?

श्री मथुरादास माथुर। मैंने बता दी।

श्री माणकचन्द सुराणा : किस तारीख को क्रास की ?

श्री मथुरादास माथुर। 150 करोड़ रुपये की लिमिट थी, अब 400 करोड़ हो गई है। 12 महीने से तो आप ही शासन पर बैठे हुए हैं। एक बजट पेश किया है, दूसरा पास करने जा रहे हैं। इसलिये आपका धर्म है कि आप पाइंट आउट करें और रोकें।

श्री माणकचन्द सुराणा : आप बताइये कि कौनसी तारीख को लिमिट क्रास की ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं आपके दर्द को समझता हूं। आप यही कहेंगे कि कांग्रेस राज में क्रास हो गई थी। 1973 में, मैं बिल मंत्री नहीं था वरना यह लिमिट क्रास नहीं होती....

(व्यवधान)

आपने पूछा यह लिमिट कब क्रास हो गई ? मेरे पास विद्युत मण्डल की रिपोर्ट्स दो ही है, पूरी है नहीं। मैंने कोशिश की थी पूरी हासिल करने की लेकिन नहीं हुई। इसलिए कब यह लिमिट क्रास की, यह नहीं कह सकता। मैं कह सकता हूं कि जनता पार्टी के आने के बाद में कम से कम उन्होंने 150-175 करोड़ रुपये और ले लिये। मेरे पास आंकड़े मौजूद हैं।

तीसरा मामला। मैंने शुरू में ही कहा है कि वित्तीय मामले में और स्टेट की बहबूदी के मामले में भारत सरकार हो, चाहे फाइनेन्स कमीशन हो, हम सब एक हैं। विरोधी दल के नेता ने आज सदन में दोहराया है। आज की स्थिति में हमारे यहां पर कमीशन बैठे, प्लानिंग कमीशन कान्सटीट्यूशनल बोडी नहीं है, फाइनेन्स कमीशन कान्सटीट्यूशनल बोडी है वह हमारे नान-प्लान रेवेन्यू गैप को पूरा करता है। अब मैं बीस वर्ष पहले की बात करता हूं, चौथे फाइनेन्स कमीशन की। उसने नोन-प्लान रेवेन्यू गैप को पूरा करने के बजाय 52 करोड़ 42 लाख रुपये का शार्ट-फाल छोड़ दिया। पांचवे फाइनेन्स कमीशन ने 256 करोड़ का गेप छोड़ दिया, उसमें हमारी डेफीसिट रही। छठे कमीशन के समय हमारा एस्टीमेटेड अमाउन्ट है, सरकार के फिगर्स हैं उनके अनुसार 85.16 के करोड़ का नान प्लान रेवन्यू गेप है, वह छोड़कर जा रहे हैं। मैंने आंकड़े इसलिए रखे हैं कि आज के हालात में जो स्कीम आफ थिंग्स कान्सटीट्यूशनल बनी हुई है, उसमें डिवोल्यूशन के संबंध में आर्टीकल 275 काम करता है। यह फाइनेन्स कमीशन का प्रजेन्ट स्ट्रक्चर और एटीट्यूड बराबर हमारे सामने है, तीन फाइनेन्स कमीशन्स ने हमको डेफीसिट में खड़ा कर दिया "

श्री शिवचरण सिंह: कौन समझेगा ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : समझा रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर: डिवोल्यूशन से हमारा अभिप्राय है तीनों कमीशन्स, चौथे पांचवें छठी फाइनेंन्स कमीशन द्वारा नानप्लान रेवन्यू गैप को छोड़ने के कारण जो टैक्सेज हमें डवलपमेंट के लिए लगाने पड़े वे नहीं लगते उसको पूरा करना है इसलिये विकास रुक गया, इसका मतलब यह हुआ कि दिनों दिन स्थिति बिगड़ती गई और जनता टैक्स देती गई। मगर क्या विकास के लिये गैप को पूरा कर पायेंगे ? आज के हालात में प्रजेन्ट स्कीम आफ थिंग्स इन दी कान्सटीट्यूशन है सातवें फाइनेन्स कमीशन से समस्या हल नहीं होगी। मैंने उस दिन भी पाइंट रेज किया कि सेन्टर स्टेट फिसकल रिलेशन्स के बारे में आपको अपना एटीट्यूड बदलना चाहिए और यह बात कहनी चाहिए कि सेंटर के रिसोर्सेज का डिवोल्यूशन सिर्फ एक्साइज ड्यूटी, इन्कम टैक्स और एस्टेट ड्यूटी पर ही नहीं होना चाहिये, जितने सेन्टर के टैक्स रिसोर्सेज है सब पर डिवोल्यूशन होना चाहिए। मगर हमारे वित्त मंत्रीजी व मुख्य मंत्री एक बात कह देते हैं, जनता के सामने चौपड़ पर भाषण दिया कि सेन्टर को मजबूत चाहते हैं, राजस्थान को भी मजबूत चाहते हैं दोनों को मजबूत चाहते हैं। हम लोग भी ऐसा चाहते हैं मगर सवाल यह है कि केन्द्र मजबूत रहे, कोई आपत्ति नहीं, पर हमें भी फिसकली मजबूत रहने के लिए आज स्कीम आफ थिंग्स बदलना चाहिए···

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : आपने केन्द्रीय सरकार से मांग की थी ?

श्री मथुरादास माथुर : राज्य सरकार हिम्मत के साथ बोल्डली आगे आकर कहे हम भी उसका साथ देंगे तभी जाकर राजस्थान की वित्तीय स्थिति ठीक हो सकेगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, महत्वपूर्ण मुद्दे उठा रहे है फिर भी आशा है, संक्षेप में बोलेंगे।

श्री मथुरादास माथुर: मैं सिर्फ पाइंट ही मैन्शन कर दूं मगर वे समझ ही नहीं पायेंगे ···

श्री मूलचंद सामरिया: आप कहते हैं कि समझ ही नहीं पायेंगे। आपको इतने गरूर व गर्व के साथ बात नहीं करनी चाहिए।

श्री मथुरादास माथुर : मैं सिर्फ पाइंट रेज कर दूं और एक्सप्लेन भी कर दूं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : एप्रोप्रिएशन बिल पर इसी प्रकार की बहस होती है।

श्री मथुरादास माथुर : फाइनेन्स कमीशन की बात को एक्सप्लेन नहीं करूंगा तो कैसे समझेंगे, यही कहता हूं।

मुख्य मंत्री ने सदन में कहा और मैं भी कहता हूं कि सदन में परम्परा रही है, कुछ प्लान बजट रखते हैं मगर फिजीकल परफार्मेंस का बजट नहीं रखा जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां 10 करोड़ रुपये खर्च हो गये उसमें कितनी सड़कें बनीं कितनी माइलेज सड़क बनीं, फिजीकल परफार्मेंस आफ बजट इस साल नहीं रखा गया है। 1977-78 का जनरल बजट पेश किया गया, यह कापी मेरे पास है। इसलिए फिगर्स बनाने से ही काम नहीं होता है, फिजीकल परफारमेंस आफ बजट जब तक सामने नहीं

(श्री मथुरा दास माथुर)

आएगा तब तक सदन के सदस्य नहीं देख सकेंगे कि रुपया ठीक खर्च किया गया है या नहीं फिजीकल टार्गेट्स की पूर्ति हुई या नहीं।

उद्योग मंत्री बैठे थे चले गए। कल वह बोल रहे थे। मैं सबसे पहले जानना चाहता हूं कि राजस्थान की इंडस्ट्रियल नीति अब क्या है। भारत सरकार की इंडस्ट्रियल नीति की कापी आप नहीं कर सकते। हमारा इंडस्ट्रियल बैकवर्ड स्टेट है। राजस्थान इंडस्ट्रियल पालीसी बननी चाहिए, यह नहीं की जो आ जाए, भैरोंसिहजी को रास्ते में मिल जाए, उसे मोटर में बिठा दिया और इंडस्ट्री खड़ी करवा दी।

इस तरह आप रास्ते चलते किसी को इन्डस्ट्री खड़ी करने के लिये कह दें तो इससे तो आपकी इकानामी सुधरनी है नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान में हमने कोटा में इन्डस्ट्रीज लगवायीं। वह इन्डस्ट्रीज तो हमने लगवा दीं लेकिन मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि उससे हमारे स्टेट को क्या फायदा हो रहा है? आज सेल्स टैक्स तक तो पूरा उनका हमारे हाथ आता नहीं है। उनके हैड आफिसेज कानपुर, बम्बई, कलकत्ता वगैरह में है इसलिये सेल्स टैक्स भी आधा पड़दा हमें मिलता है। दूसरा सवाल यह है कि हमारे लोगों को एम्प्लायमेन्ट मिलता है या नहीं? वह लोग टेक्निकल लोगों को नौकरियों में लेते हैं इस प्रकार वहां पर जो खराबी बच जाती है वह चम्बल में आकर पड़ती है वह हमें मिलती है। तो इससे हमारी इकानामी क्या सुधरी? उसका क्या प्रोथ हुआ हमारे यहां के लोगों की हुई? क्या पर कैपिटा इनकम बढ़ी, यह बता दें। आपने क्या इन्डस्ट्रियलाइजेशन किया? आखिर आप हमें बताइये तो सही कि आपकी इन्डस्ट्रियल नीति क्या है? बाकी यों तो कुछ भी पर्पज हल होने वाला नहीं है। वैसे क्रिटीसाइज तो आपके उद्योग मन्त्रीजी कर देते है, यहां कल भी हाउस में डींगे हांक रहे थे कि पिछले तीस सालों में कांग्रेस सरकार ने इन्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट के लिये कुछ भी नहीं किया और हमने एक महीने में ही 27 औद्योगिक केन्द्र खोले हैं।

एक माननीय सदस्य : 27 नहीं 52 कह रहे थे।

श्री मथुरादास माथुर : हां ठीक है 52 कहा होगा। यह कहा कि 52 इन्डस्ट्रियल सेन्टर लगा दिये हैं और हाउस में खूब तालियां पिटी थीं। मैंने देखा, क्या हुआ। ऐसी क्या बात हो गयी। बाद में, मैंने पता लगाया तो पता पड़ा कि रूरल इन्डस्ट्रियलाइजेशन के लिये इन्होंने योजना बनाई है जिसमें एक गांव के पांच आदमी मिल जायेंगे और हर एक से 500 रुपये डिपोजिट करवा लेंगे। इससे क्या होगा? इस प्रकार ढाई हजार रुपये ही हुए। मान्यवर, कौनसी जमीन इन्होंने एक्वायर कर ली? यहां पर सड़कें बनवा दी हैं? हो सकता है कि कहीं किसी की कोई जमीन खाली पड़ी हो, उस पर तार बन्दी कर दी हो। सड़क आस पास होगी वह जमीन देखली हो। यह देख लिया हो कि वहां पर बिजली का प्रावधान है या नहीं। इस तरह से तो कोई आपको यश मिलना है नहीं उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करूं वैसे भी एक चमार भी अपने घर में

(श्री मथुरादास माथुर)

उद्योग लगा लेता है। इससे यह होगा कि रूरल इन्डस्ट्रियलाइजेशन वाले गांव में लोग अपनी पुरानी अदावत निकालगे। किसी की जमीन होगी उसको एक्वायर करवा देंगे, उद्योग के लिए तारबन्दी करवा देंगे। फिर आगे कुछ उद्योग वगैरह नहीं लगने हैं। अगर गांवों में आपने इन्डस्ट्रियलाइजेशन के लिये कोई शेड बनाये हों या और दूसरी मशीनरी वगैरह लगवायी हों, कोई बिजली का प्रबन्ध किया हो तब तो कोई बात भी है।

श्री त्रिलोकचन्द जैन : आपने प्रगति रिपोर्ट उद्योग विभाग की नहीं पढ़ी क्या ?

श्री मूलचन्द डागा : मैंने उसको पढ़ा है। उसमें कुछ नहीं है। कोई पालिसी की बात नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : आप अपने यहां पर रूरल इण्डस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं। करिये। पर उसके लिये पहले आप पालिसी तो बताइये, कहां कहां पर इण्डस्ट्रियल एरिया होंगे? आप क्या फेसेलिटीज दे रहे हैं? वैसे तो स्थिति यह है कि आपके यहां पर बाहर से तो कोई उद्योगपति आते नहीं हैं उद्योग लगाने के लिए क्योंकि उनके उद्योगों का यहां पर विकास होने की सम्भावना नहीं, या यों कह दो कि आप उन्हें फैसेलिटीज देने को तैयार नहीं हैं, या दे रहे हैं तो ऐसी कि जिनसे उनका काम नहीं चलता। जो इन्डस्ट्रीज थीं भी उनको एक तो भूतपूर्व कांग्रेस सरकार ने किराये पर दे दिया। जो इन्डस्ट्रियल डवलपमेंट हुआ भी है तो आपकी सभी इन्डस्ट्रीज में घाटा ही घाटा है। क्यों है इसके लिये आपने पब्लिक अन्डरटेकिंग्स कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी नहीं, उसकी सिफारिशों को आपने ध्यान में लाकर क्रियान्वित करने का फैसला किया नहीं। आपको यह तो पता लग गया कि भूतपूर्व कांग्रेस सरकार ने बीकानेर की जो वूलन मिल थी उसको किराये पर दे दिया था। अब ऐसा सुना जाता है कि सोडियम सल्फेट की इन्डस्ट्री जो डीडवाना में है, बहुत बड़ा उद्योग है, जिसकी मशीनरी हमने इम्पोर्ट की है, बहुत ही वेल्यूएबल मशीनरी है, जो हमने जर्मन कोलोबरेशन से लगायी थी उसको भी, हमने ऐसा सुना है, शायद आप बन्द कर रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले अखबारों में आया बताते हैं कि राजस्थान सरकार ने यह इश्तिहार छपवाया है कि सोडियम सल्फेट इन्डस्ट्री डीडवाना को कोई किराये पर लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो यह है आपकी इन्डस्ट्रियल पालिसी कि आप किराये पर उद्योग दे रहे हैं। यह क्या आपकी समाजवादी नीति है ? अगर उसमें आपको घाटा हो रहा है तो आप उसके रीजन्स का पता लगाइये और उनको रिमूव करिये।

श्री त्रिलोकचन्द जैन : आप जो घाटे का उद्योग छोड़ कर गये थे उनको ठीक कर रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर। यह क्या बात हुई? अगर कोई बीमार हो तो आप उसको ठीक करने के लिये डाक्टर को बुलाओगे या उसको मार दोगे? उसे तो आप ठीक कराने अस्पताल ले जाओ। तो, श्रीमान, मैं आपको यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी जनता पार्टी की इन्डस्ट्रियल पालिसी क्या

(श्री मथुरादास माथुर)

है'?' उसका क्या आधार है? आपका जो सरकारी बजट है उसमें तो कुछ भी नहीं दिया है। आपके जो आर. आई. एम. डी. सी और यह दूसरे कोर्पोरेशन्स है जैसे राजस्थान एग्रो इन्डस्ट्रीज कोर्पोरेशन वगैरह....

श्री उपाध्यक्ष : राज्य सरकार जो न्यू प्रिन्ट इण्डस्ट्रियल पालिसी के लिये तैयार कर रही है उसमें आप सहयोग दीजिये।

श्री मथुरादास माथुर: खैर, उसमें तो मैं सहयोग दूंगा। लेकिन जो आपके आर.आई. एम. डी. सी. और राजस्थान एग्रो इण्डस्ट्रीज कोर्पोरेशन हैं, राजस्थान एग्रो इण्डस्ट्रीज कोर्पोरेशन तो 27 लाख के घाटे में चल रहा है, इस साल का 19 लाख का घाटा है और 8 लाख पिछले साल का घाटा है। उसमें भी कोई काम नहीं हो रहा है, काफी मशीनरी बेकार पड़ी हुई है। दूसरे आपका जो आर. आई. एम. डी. सी. है वह जरूर कुछ काम कर रहा है उसमें भी क्या एक्युमल हो रहा है उसके कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह देखे हैं। यह जरूर है कि उसमें कुछ काम जरूर हुआ है। काम कहीं पर हुआ है तो मैं जरूर कहूंगा कि उसमें कुछ काम हुआ है। अभी वहां क्या काम हो रहे हैं उसके सम्बन्ध में जानकारी करने के लिए आज सुबह चेयरमैन आर. आई. एम. डी. सी को टेलीफोन किया था। उनको कहा था कि आपके यहां पर सन् 77–78 और 78-79 के बजट में कितना कितना इन्वेस्टमेंट किस किस मद में हुआ, उसकी सूचना मुझे देना। पर, उपाध्यक्ष महोदय, उसने भी मुझे आंकड़े नहीं दिये। शायद वह सोच कर नहीं दिये कि मैं अपोजीशन की पार्टी का हूं। सदन में या इधर-उधर उनकी पोल खोल दूंगा। मैंने तो इसलिए पूछा कि इससे हमारे यहां क्या इकोनामिक ग्रोथ के लिए हो रहा है। पर हुजूर कुछ पता नहीं लगा। तो मेरा निवेदन यह है कि राजस्थान एग्रो इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन के अन्दर कितना इन्वेस्टमेंट है कितनी सेविंग्ज है, इसका बिल्कुल पता नहीं है। सही बात तो यह है कि आपकी सरकार की नीति ढीली है, सरकार खुद ढीली है। परसों यहां पर चुनाव में आपकी पार्टी हार गई थी, और एक कांग्रेस का समर्थित केन्डीडेट जीत गया तो पोलीटिकली भी आप ढीले हो रहे हैं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : वह जनता पार्टी की अवैध सन्तान है।

(व्यवधान)

श्री मथुरादास माथुर : इसका मतलब यह है कि आपके यहां पर बटकथाव भाव भी जोर पकड़े हुए है। इसमें जो सर्वोदयी हैं वह तो खादी बोर्ड को एड दे रहे हैं, समाजवादी लोग आप में से हैं वह कह रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर में पैसा लगाओ और दूसरे जो हैं, इनमें से आपके मुख्य मन्त्री जी किसी सेठ को सड़क पर से मोटर में बिठा कर ले जाकर कह देंगे, साहब यहां पर इण्डस्ट्री खोल दो चाहे वहां की स्थिति उस इण्डस्ट्री के खोलने की नहीं हो। मैं यह नहीं कहता कि आप खादी के लिए पैसा मत दो लेकिन यह जरूर कहूंगा कि खादी से हमारी स्टेट की इकानामी में कोई सुधार नहीं हो रहा है।

श्री त्रिलोकचन्द जैन : एम्प्लायमेंट तो मिलता है।

श्री मथुरादास माथुर : यह तो सेमी एम्प्लायमेंट मिलता है। इसमें भी क्या है, आप एक व्यक्ति से आठ घण्टे तक काम करा कर उसको डेढ़ रुपया देते हैं। उनसे सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक काम लेते हैं, यह तो आप उनका शोषण कर रहे हैं।

(व्यवधान)

आपने खादी बोर्ड को दो करोड़ रुपया दे दिया। मैं इन्कार नहीं करता कि खादी से कोई एम्प्लायमेंट नहीं होता है लेकिन उससे सबके प्रांत की इकानामिक ग्रोथ तो नहीं बढ़ती है। जो भी थोड़ा बहुत फायदा होता है वह बीच वाले खा जाते हैं, जो वहां पर बैठे हुए हैं।

अन्त में, श्रीमान् मैं, एक बात कह कर समाप्त करता हूं कि इण्डस्ट्रियलाइजेशन के मामले में आपने कुछ नहीं किया है। एक बात आपको सुझाव के रूप में कहना चाहूंगा वैसे तो चूंकि यह सुझाव एक कांग्रेसी के द्वारा दिया जा रहा है इसलिए आप इसको मानोगे नहीं लेकिन है बहुत ही लाभप्रद राजस्थान की सरकार के लिए, उसकी इण्डस्ट्रीज के विकास के लिए और जनता के लाभ के लिए। उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को दवाइयों का खर्च रीएम्बर्स करती है, दूसरी दवाइयां भी बाहर से मंगाती है और महंगी मंगाती है, पेमेंट भी करती है। ऐसा कहा जाता है कि उसमें बुरी तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है। इसके अलावा कन्ज्यूमर्स को भी ऐसा कहा जाता है, गलत दवाइयां या नकली दवाइयां दी जाती हैं तो राज्य सरकार क्यों नहीं एम. आर. आई. डी. सी. के माध्यम से दवा का कारखाना खुलवा दे जिससे कि यहां दवाइयां बन जावें और सस्ती मिलें। इसका मैनेजिंग डायरेक्टर रमाकान्त यह काम भी करता है। आप दवाइयां बनाने का कारखाना क्यों नहीं खड़ा कर लें। पूरा मार्केट भी है दवाइयों के लिए। तो इस पर आप विशेष रूप से ध्यान दें तो उचित रहेगा।

वैसे, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे वित्त मंत्री जी बहुत ही भले हैं कभी झूठ नहीं बोलते हैं लेकिन इनसे जनता पार्टी वाले झूठ बुलवा लेते हैं। जैसे इन्होंने बजट स्पीच में कहा कि हमने दस लाख रुपये की इकानामी इस साल में सरकारी खर्च में करने कार्यवाही की है। फिर इसके बाद में एक प्रश्न के उत्तर में इन्होंने बताया कि हमने पांच लाख रुपये की इकानामी की है। उसके बाद में इन्होंने सदन को मेज पर विवरण रखने के लिए कहा था किन्तु वह आज तक सदन की मेज पर नहीं रखा गया है। This is contempt of the House and breach of privilege.

2½ लाख रुपया आपने सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट में मांग लिया। हमारे राष्ट्रपति तो छोटे मकान में रहना चाहते हैं और हमारे गवर्नर साहब बड़े मकान में रहते हैं। ईमानदारी से बात करना चाहते हैं तो हम आपको जरूर सहयोग देंगे। आप खाते बढ़ाते जाओ और वेस्टफुल एक्सपेन्डीचर करते जाओ, हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते।

Page No 111

(१११)

(श्री मथुरादास माथुर)

दारुबन्दी करनी है तो पूरी करो। यह नहीं कि ईमान भी गंवाओ और इज्जत भी गंवाओ। इल्लिसिट लिकर बनने लग जायेगी, स्मगलिंग होगा, और कोई नतीजा नहीं होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

भैरोंसिंहजी ने कहा कि दिल्ली में तो चलती नहीं, अपनी पार्टी में भैरोंसिंह जी की बड़ी चलती है। मुख्य मन्त्रीजो भैरोंसिंहजी आज तो सदन में है नहीं। उन्होंने दो बातों का वायदा किया। एक बात का तो यह वायदा किया था कि पेट्रोलियम और गैस का जो काम जैसलमेर में चल रहा था उसको वहीं रुकवा दूंगा। क्या वहीं रोक दिया? बाबू लोग जा रहे हैं वहां से। हमारी सरकार यहां बैठी है। दूसरा वायदा यह किया था कि राजस्थान में बड़ी इन्डस्ट्री लायेंगे क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टमेन्ट सेन्टर कर रहा है। कुछ हुआ हो तो बताओ।

यह जो आप एप्रोप्रियेशन बिल रखा है इसको मैं मिस एप्रोप्रियेशन बिल कहता हूं। सिर्फ सरकारी अधिकारियों और दीगर कुछ को देने के लिये यह धन आप टैक्सों से इकट्ठा कर रहे हों इसको हम पसन्द नहीं करते।

श्री उपाध्यक्ष : श्री माणकचन्द सुराणा

श्री माणकचन्द सुराणा (लूणकरणसर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बात की बड़ी बड़ी खुशी है कि अभी अभी सदन में दो बड़े विद्वतापूर्ण भाषण हुए, उन भाषणों में राजस्थान की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण किया गया और आर्थिक विश्लेषण करते हुए यह कहा गया कि मुख्य-२ मुद्दे केवल मेन्शन कर देंगे तो सरकार समझेगी नहीं। सरकार समझे या न समझे, मैं निश्चित रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे उनकी विद्वता में कोई शक नहीं है। जो माननीय सदस्य डीडवाना से आये हैं, गोपालगढ़ से आये माननीय सदस्य ने तो नहीं कहा, वे वित्त मन्त्री रह चुके हैं और मन्त्रिमण्डल के सदस्य और विधान सभा के सदस्य भी रह चुके हैं उनको इस प्रकार का एस्पर्शन वित्त मन्त्री पर और सदन पर नहीं करना चाहिये था।

श्री मथुरादास माथुर : मैंने यह कहा था कि पोइन्ट को डवलप नहीं करूंगा····

श्री एच. एन. शर्मा : क्या मैंने उस समय चैलेन्ज नहीं किया था?

श्री मथुरादास माथुर : सदन के सब ही माननीय सदस्यों को मैं काबिल समझता हूं। जब तक पोइन्ट को डवलप करके नहीं कहूं तो मैं उसको नहीं समझा सकता इसलिए मैंने पाइन्ट डवलप करने के लिये कहा था। आप मेरी बात समझे नहीं, तो अब समझ जाइये।

श्री माणकचन्द सुराणा : यदि सदन में एस्पर्शन करने की आपकी मंशा नहीं है तो ठीक है, लेकिन आपकी भाषा बिलकुल स्पष्ट रूप से थी।

एक माननीय सदस्य : यह आपकी समझ का अन्तर है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ने स्पष्टीकरण कर दिया।

श्री माणकचन्द सुराणा : इस एप्रोप्रियेशन बिल के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि इस एप्रोप्रियेशन बिल में सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट्स रखी गयी हैं। सिचायी के अन्दर 8 करोड़ 19 लाख रुपया रखा गया है जो कि एक महत्वपूर्ण बात है। इसी प्रकार लघु सिंचन में 2 करोड़ 22 लाख रुपया रखा गया है कृषि की मदमें 4½ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और कृषि हेतु ऋण में 53 लाख का प्रावधान है। केपिटल आउट ले ओन माइनर इरिगेशन लघु सिचन में 63 लाख का प्रावधान रखा गया है। इसी प्रकार शिक्षा पर 45 लाख रुपया रखा गया है और पब्लिक हैल्थ और सेनीटेशन पर 18 लाख रुपया रखा गया है। इस तरह से कुछ 52 करोड़ रुपये की सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट्स हैं और इसका सबसे बड़ा हिस्सा सिचायी पर खर्च होगा। कृषि और लघु सिचन पर भी अधिक खर्च होगा। एप्रोप्रियेशन बिल जनता पार्टी की सरकार ने रखा है। यह कहा जा रहा है कि 9 महीने में सरकार ने कुछ नहीं किया। डीडवाना से आये माननीय सदस्य तो यहां तक कह गये कि यह एप्रोप्रियेशन बिल नहीं मिस एप्रोप्रियेशन बिल है। किसी भी जनता सरकार के मन्त्री या विधायक पर किसी व्यक्ति के द्वारा आज तक अंगुली उठायी नहीं गयी है। इसलिये इस तरह की भाषा का प्रयोग करना किसी प्रकार न उचित है और न ही न्यायसंगत है।

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल : यह चार्ज जनता पर है

(व्यवधान)

श्री माणकचन्द सुराणा : मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के माननीय सदस्यों को इस बात का दुःख है कि आज जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सदस्य यह कहते हैं कि हमारा वोट सिचायी की तरफ है, हमारा वोट लघु सिचाई की तरफ है, हमारा वोट छोटे किसानों की तरफ है और हमारा वोट कृषि की तरफ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय प्रतिरक्षा मंत्रीजी का बयान, जो ब्लिट्ज में छपा, भोपालगढ़ से आये और विरोधी पक्ष के नेता ने कोट किया। लेकिन यह कोट नहीं किया प्रतिरक्षा मंत्रीजी ने यह भी कहा था कि मेरी सरकार ने छठी योजना में 42 प्रतिशत कृषि के लिये प्रावधान रखा है। इसके साथ ही जनता पार्टी गांवों के लिये अधिक प्रावधान रखने को चिंतित है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमें इस बात की भी चिन्ता है, कहीं ऐसा न हो कि गांवों के अन्दर जो गये भूपतियों की क्लास है, जो अब तक हमारे प्रावधानों का फायदा उठाते रहे हैं वे ही इन नए प्रावधानों का फायदा न उठा लें। वे माननीय सदस्य यह कहना भूल गये कि आज 70 परसेंट ग्रामीण पूंजी पर 30 परसेंट लोगों का कब्जा है। बजट के प्रावधानों के द्वारा ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन करके अधिक से अधिक फायदा मार्जिनल फार्मर को मिल सके, इस बात को देखने की जनता पार्टी की सरकार ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है। सिचायी मंत्रीजी ने निवेदन किया था कि इन प्रावधानों का फायदा बड़े लोगों को मिल जाय और छोटे लोग महरूम रह जाय, यह नहीं होना चाहिये। सिचायी की जो दरें रखी हैं, छोटे काश्तकार और बड़े काश्तकार के मामले में जनता सरकार को सोचना चाहिये। यह बयान इस

(श्री माणक चन्द सुराणा)

बात से अनभिज्ञ नहीं हो सकता है कि सम्पूर्ण सम्पत्ति की आय 50 परसेंट कृषि से आती है और 50 परसेंट उद्योगों से आती है। जो टैक्स का बर्डन है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह 80 परसेंट उद्योगों पर है और 20 परसेंट बर्डन कृषि पर है। मैं निवेदन करना चाहूंगा जनता पार्टी की सरकार को कि गांवों में 30 परसेंट सम्पन्न वर्ग है जिसमें 70 परसेंट ग्रामीण पूंजी लगी हुई है। छठी योजना में रिसोर्सेंज रेज करने की चिन्ता आपको भी है तो हमको भी है। ग्रामीण विकास के लिये अधिक पूंजी दी जानी चाहिये यह हम भी चाहते हैं लेकिन जो सम्पन्न वर्ग है, समृद्ध वर्ग है उससे भी रिसोर्सेज पैदा किये जाने चाहिये। और उन रिसोर्सेज का फायदा गांव के छोटे काश्तकारों को और मार्जिनल फार्मर्स को मिलना चाहिये···

श्री मूलचन्द डागा : किस ने मना किया ? किया क्यों नहीं ?

श्री माणकचन्द सुराणा : आज कांग्रेस के लोग कहते हैं कि पतीलों को 1½ रुपया मिल रहा है। जैसे आज से पहले तो 3 रुपये आप उनको अपनी सरकार के समय में देते थे जनता पार्टी की सरकार ने 1½ रुपया कर दिया। आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की अनावश्यक बातें कहने के लिए। आपने तीस साल राज्य किया। मैं इस बात को भी स्वीकार करता हूं···

श्री खेतसिंह राठौड़ : 5 साल यही सर्टिफिकेशन लेते रहो।

श्री शिवचरण सिंह : यह तो स्वीकार करेंगे कि बदलेंगे।

श्री माणकचन्द सुराणा : जादू का डंडा हमारे पास नहीं है। सारी कालिमा को सफेदी में बदल दें ऐसा डंडा तो हमारे पास नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव रखते हुए भी आपने कई सुझाव दिये थे। उस समय भी यही कहा था कि हम यह करेंगे वह करेंगे। तब हमने यही सोचा था कि आप भी ट्रेजरी बेन्चेज पर आने वाले हैं। वह दिन तो आया नहीं। आप तो मेरी तरह ही हैं।

श्री नवनीत पालीवाल : यह तो आप निश्चित मान लो कि आयेगा तो इधर से ही उधर से तो कोई आने वाला नहीं है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अभी तो 3 मंत्री और बनने वाले हैं। आप मंत्री अवश्य होंगे। ध्यान रखिये।

श्री माणकचन्द सुराणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह माननीय खेतसिंह जी इन्ट्रप्शन कर रहे हैं···

श्री उपाध्यक्ष : इन्ट्रप्शन नहीं है कटाक्ष है।

श्री माणकचन्द सुराणा : यह तो इनका कटाक्ष है, मेरा निवेदन करना यह है कि निश्चितरूप से यह बहुत बड़े सेटायरिस्ट है लेकिन इनका निशाना चूक जाता है। इन्होंने गलत जगह पर कटाक्ष कर दिया, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

मैं राज्य सरकार को यह निश्चितरूप से कहूंगा कि राजस्थान में रिसोर्सेज को रेज करना चाहिए। इसमें आप और हम दोनों एक साथ हैं। इसमें शक नहीं कि छठी

(श्री माणकचन्द सुराणा)

पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में अधिक से अधिक प्रावधान की आवश्यकता है। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि निश्चित रूप से राजस्थान में रिसोर्सेज रेज करने का बहुत बड़ा काम है जो चिन्ता कांग्रेस और इन्दिरा कांग्रेस ने इस संबंध में व्यक्त की है मैं भी कहना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, रिसोर्सेज बढ़ने चाहिए। रिसोर्सेज को कहां कहां से इकट्ठा किया जाये, छठी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप कितना हो, इसके ऊपर निश्चित रूप से सब पार्टियों का सम्मेलन बुलाया जाना चाहिए। राजस्थान में रिसोर्सेज छठी पंचवर्षीय योजना में कम न पड़ें, इस बात पर अवश्य चर्चा की जानी चाहिए।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों के प्रति हमें चिंता इस बात की जरूर है कि गांवों के नाम पर जो बजट प्राविजन हैं कहीं इन सारे प्राविजन का फायदा भूपति वर्ग को न मिल जाये और जो छोटे काश्तकार हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको इसका फायदा न मिले और वह नुकसान में न आ जायें। इसके लिए जो भूमि सुधार आपने किये हैं उनको भी निश्चित रूप से हमें जांचना पड़ेगा। आपने जो अपनी पुस्तिका छापी थी बीस सूत्री कार्यक्रम की उसमें सिवाय सीलिंग के केसेज कि उनको हमने 99 पर्सेन्ट डिस्पोज आफ कर दिया और कुछ नहीं बताया। आपने तो लिख दिया....

श्री रघुनाथ विश्नोई : री-ओपन किये हैं।

श्री माणकचन्द सुराणा : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, विश्नोई जी, मैं सदन में किसी बात को कहता हूं तो बिना तथ्यों के नहीं कहता। यह आपकी पुस्तिका है जो आपकी सरकार ने छापी है। 99 पर्सेन्ट केसेज के लिए लिख दिया कि डिस्पोज आफ कर दिये। क्या सीलिंग के केसेज इनकी सरकार ने डिस्पोज आफ कर दिये और सीलिंग लॉ का सही इम्पलीमेंटेशन किया ? आप कह नहीं सकते कि यह सही हुआ है। सीलिंग के केसेज गलत डिस्पोज आफ हुए हैं। सारे आंकड़े गलत दिये गये ..

श्री खेतसिंह राठौड़ : हमको भी आंकड़े आफिसर्स दिया करते थे और आपके पास भी आंकड़े आफिसर्स से ही आते हैं।

श्री माणकचन्द सुराणा : माननीय खेतसिंह जी बदल गए। उस समय आपातकाल के आंकड़े थे और आज स्वतंत्र भारत के आंकड़े हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : कोई फर्क नहीं है।

श्री माणकचन्द सुराणा : बहुत बड़ा फर्क है। अब आंकड़ों में कोई गफलतबाजी नहीं होगी।

तो मैं यह निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, आप तो भूमि सुधार भी अधूरे छोड़ गए। सीलिंग कानून में भी और जरूरत हुई तो हमें संशोधन करने पड़ेंगे और उसको बदलना पड़ेगा....

श्री वृद्धिचन्द जैन : हम भी यह चाहते हैं।

श्री माणकचन्द सुराणा : और इसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप कम से कम इससे सहमत हैं कि सीलिंग कानून का सही क्रियान्वयन आपकी सरकार नहीं कर पायी....

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपकी तरह से हम भी यही कहते थे कि आप सही नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप तो अब सही करो।

श्री माणकचन्द सुराणा : मैं इसके साथ ही यह निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, अन्त्योदय योजना के बारे में काफी कुछ डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा और कुछ भोपालगढ़ से आने वाले विरोधी दल के नेता महोदय ने भी उसकी चर्चा की। मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, अन्त्योदय योजना निश्चितरूप से राजस्थान के कायाकल्प की योजना है, समाज के और गांव के जो नीचे वर्ग का व्यक्ति है उसको ऊपर उठाने की योजना है....

श्री खेतसिंह राठौड़ : दिल से कहो। सच्ची बात कह दो।

श्री माणकचन्द सुराणा : आप क्या समझते हैं कि मैं दिल से नहीं कह रहा हूं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, अन्त्योदय योजना को सफल बनाने के लिए 1 लाख 65 हजार आदमियों का चयन हुआ है। सरकार कहती है कि यह क्रम एक साल नहीं बल्कि पांच साल के लिए रखेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, काम बहुत बड़ा है। 9 लाख आदमियों का चयन पांच साल में करना है। इस चयन में, उपाध्यक्ष महोदय, एक बात हमने पहले निवेदन की थी कि ओल्ड एज पेन्शन को अन्त्योदय योजना में शामिल नहीं किया जाना चाहिए और उसकी गिनती अलग से की जानी चाहिए। यह सुझाव आज भी मैं रखता हूं। आज यह भी निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, अन्त्योदय योजना की सही क्रियान्विति राज्य सरकार करेगी तभी जाकर ग्रामों में जो बेकारी और बेरोजगारी की समस्या है वह समस्या दूर होगी। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, यह भी मैं मानता हूं कि अन्त्योदय योजना में जो परिवार छांटे गये हैं अभी तक उनको मुकम्मिल राहत नहीं मिली है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार के सामने सुझाव रखूंगा कि अन्त्योदय योजना में चयनित जो लोग हैं उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए एक अन्त्योदय बोर्ड का गठन करें और राज्य स्तर के मंत्री उस बोर्ड को सम्भालें। खास तौर से 1 लाख 65 हजार परिवारों की समस्यायें हैं उनका समाधान करने के लिए बोर्ड का गठन किया जाना, उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं राजस्थान में आवश्यक है। अन्त्योदय बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। वह बोर्ड यह देखे कि चयन किये गये लोगों को भूमि मिलती है या नहीं, रोजगार मिलता है या नहीं, बैंकों से ऋण मिलता है या नहीं। इस बात को देखा जाना बहुत आवश्यक है।....

श्री नरेन्द्रपाल सिंह : माननीय सदस्य एक मिनट। यह जो बोर्ड के गठन की बात कह रहे हैं ऐसा नहीं हो कि सरकारी अधिकारियों को इस बोर्ड में बैठा दिया जाये। इस बोर्ड में वही आना चाहिए जो कि अन्त्योदय योजना में मदद करता हो। कहीं कांग्रेस सरकार की तरह गलत परम्परा हम न डाल दें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : ऐसे इम्प्लीकेशन के लिए 20 पाईन्ट प्रोग्राम में हमने भी एक

Page No 116

(116)

(श्री माणकचन्द सुराणा)

स्टेट कमेटी बनाई थी। आप हमारे आंकड़े झूठे बता रहे हैं, कल आपके बोर्ड की भी यही गत होने वाली है।

श्री माणकचन्द सुराणा : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अन्त्योदय बोर्ड में गरीबों से सहानुभूति रखने वालों को लिया जाये। माननीय सदस्य का सुझाव है, निश्चितरूप से राज्य सरकार को अन्त्योदय बोर्ड का गठन करना चाहिये और गरीबों से सहानुभूति रखने वालों को ही उसमें रखना चाहिये। मैंने भी निवेदन किया है, अन्त्योदय बोर्ड में पिछड़े वर्ग में से अनुसुचित जाति और जन जाति के व्यक्तियों को ही रखा जाये तो, उपाध्यक्ष महोदय, आदर्श उपस्थित होगा। राजस्थान में यह एक्सपेरीमेंट निश्चितरूप से किया जाना चाहिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह जगह आपको मिलेगी।

श्री माणकचन्द सुराणा : मेरे को एक्सक्लूड करने के लिए कह दिया है।

श्री शंकर लाल : आपका मतलब यह है कि इनको मन्त्रिमण्डल में नहीं लिया जायेगा?

श्री माणकचन्द सुराणा : मैं निवेदन करना चाहता हूं, अन्त्योदय योजना को आज सारे हिन्दुस्तान के अर्थशास्त्री देख रहे हैं, इसके एक्सपेरीमेंट को वाच कर रहे हैं। इसका मजाक बनाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : कौन कौन से अर्थशास्त्री देख रहे हैं ? आप अपने जे. पी. से पुछवा लो····

(व्यवधान)

श्री हुकमचन्द जैन : यह बोर्ड सम्भव है···

श्री खेतसिंह राठौड़ : श्रीमान्, आपके वित्त मन्त्री जी ने स्वयं कहा है कि इस योजना को समझ नहीं पाया हूं। औरों की क्या बात करते हैं आप ?

श्री माणकचन्द सुराणा : हमारे वित्त मन्त्री जी बहुत ही विनय वाले व्यक्ति हैं। यदि उनके द्वारा यह कह भी दिया गया है तो यह भलमनसाहत से कहा गया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, अन्त्योदय योजना को आप समझते हैं, डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य समझते हैं, विरोधी दल के नेता समझते हैं।

श्री शंकरलाल : क्या वित्त मन्त्री जी का कहा हुआ सही नहीं माना जाता ?

श्री माणकचन्द सुराणा : हम तो बहुत योग्य व्यक्ति समझते हैं। आप उनकी उम्र वाले व्यक्ति का भी उपहास करते हैं।

श्री शंकरलाल : हम उनकी राय से सहमत हैं।

श्री माणकचन्द सुराणा : आप उनकी राय से पीछे हट कर सहमत होना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस अन्त्योदय योजना····

एक माननीय सदस्य : आप उनकी राय का मखौल उड़ा रहे हैं।

श्री मूलचन्द सामरिया : उपाध्यक्ष महोदय, माथुर साहब बोले, एक व्यक्ति ने भी इन्ट्रप्ट नहीं किया। इनमें सुनने की क्षमता नहीं है। जो कुछ उन्होंने कहा, किसी ने इन्ट्रप्ट किया? इस तरह से मनाबर करके क्यों।

(व्यवधान)

श्री माणकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रसंग को यहीं छोड़ता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में इन्ट्रप्शन आफ दी हाउस कोई नई बात नहीं है। मैं सही इन्ट्रप्ट करता हूं।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कृषि के विकास के लिए राजस्थान में वर्षा की इन्टेन्सिटी के आधार पर, वर्षा जिस क्षेत्र में जितनी होती है उस क्षेत्र के अनुसार जोन्स बनाया जाना आवश्यक है। जहां कम होती है बीकानेर, जैसलमेर, नागौर में, इनका अलग जोन बनाया जाए। जहां कुछ अधिक है, अर्थशास्त्री की यह राय है, उपाध्यक्ष महोदय, लैण्ड क्राप और कल्चर को वहां समझते हैं जहां अधिक वर्षा होती है। कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं, कुछ मीडियम वर्षा वाले क्षेत्र हैं, इनके अलग अलग जोन्स बनाया जाना आवश्यक है। उस क्षेत्र की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, इसकी योजना बनाई जानी चाहिये।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, राजस्थान में जो सिंचाई के आंकड़े हैं वह आल इण्डिया का 27 पर्सेंट है। जो भूमि हमारी सिंचित है, सिंचाई विभाग और कृषि विभाग को यह जरूर देखना है कि उस सिंचित भूमि में उत्पादन बढ़ाने का पहला क्रम कैसे पूरा किया जा सकता है। वहां पर इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। वहां पर टेक्निकल नो हाऊ की जरूरत है। राजस्थान के सिंचित क्षेत्र से पैदावार उतनी उपलब्ध नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिये। आज दूसरे देशों में एक्सपेरीमेंट किये गये हैं। इजराइल में एक्सपेरीमेंट किये गये हैं। वह रेगिस्तानी क्षेत्र है, समुद्र के पानी को सिंचाई के योग्य बना कर उसका उपयोग किया गया है। राजस्थान सरकार को निश्चितरूप से अलग अलग जोन्स बनाकर क्राप पटर्न बनाना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, रेडियो के द्वारा, टेलीविजन सेट्स के द्वारा इसका प्रचार-प्रसार करना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में सिंचित क्षेत्र से जितनी क्राप मिल रही है उससे 50 प्रतिशत अधिक हो सकती है। वित्त मन्त्री और सरकार को मैं यह सुझाव देना चाहता हूं।

यहां उद्योग की बात कही गई। मैं निवेदन करना चाहूंगा, आपकी इन्डस्ट्रियल पालिसी क्या है, जनता सरकार की नीति क्या है, यह पूछने के साथ डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने कह दिया कि भारत सरकार की जो औद्योगिक नीति है, वह चलने वाली नहीं है। भारत सरकार की नीति सन 56 में बनाई गई। सन 77 तक राजस्थान की कोई अलग औद्योगिक नीति नहीं बनाई गई। 21 साल के बाद आज आपको राजस्थान की अलग औद्योगिक नीति चाहिए। डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने इस पालिसी के मखौल में कहा कि भैरोंसिंह जी के साथ हैं उनको उन्होंने कहा, यहां उद्योग यह लगा दो, जनसंघ वाले आ गये, सोशलिस्ट आ गये जो स्टेट सेक्टर में पैसा लगाओ। इस तरह

(श्री माणकचन्द सुराणा)

मजाक से न कोई प्रादर्श में प्रभाव पड़ सकता है न आपकी गम्भीरता की बात हो सकती है। आज भारत सरकार की नीति है उसमें सब तरह के प्रावधान है, वह नीति राजस्थान में लागू है। मैं निवेदन करना चाहता हूं अभी अभी हमारे माननीय श्री रामकिशन जी जो लोक सभा के मेम्बर है, ने सवाल उठाया था और भारत सरकार से यह पूछा था कि सरकारी कम्पनियों में कुल कितनी पूंजी भारतवर्ष में लगी हुई है? सरकारी कम्पनियों में लगी पूंजी भारत में कितनी है और राजस्थान में कितनी है। उपाध्यक्ष महोदय, आंकड़े यह है कि 11 हजार करोड़ की पूंजी सारे हिन्दुस्तान में लगी है और राजस्थान में 227 करोड़ की पूंजी लगा है। कितना अन्तर है। दो पर्सेन्ट के करीब। 21 साल में 2 पर्सेन्ट। 21 साल राज करने के बाद आप यह लगवा पाये हैं। दो पर्सेन्ट रुपया लगाया है सारे राजस्थान में। 30 साल में राजस्थान में जो 227 करोड़ की पूंजी लगाते हैं वे आज पूछते है कि 9 महीने में क्या किया। 30 साल में तो दो पर्सेन्ट रुपया लगाया है तो आप अन्दाज लगाइये। 8 माह के आंकड़े पूछते हैं और मैं आपको 30 साल के आंकड़े बताता हूं। इसलिये मैं विरोधी दल के नेता से निवेदन करूंगा कि....

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह तो मानते हैं कम हैं आंकड़े लेकिन आपने 9 महीने में पाइन्ट जीरो जीरो जीरो कितना बढ़ाया है।

श्री माणकचन्द सुराणा : यह तो उद्योग मन्त्री जी जवाब दे देंगे।

मैं निवेदन करना चाहता हूं उद्योगों के बारे में राजस्थान सरकार ने यह घोषित कर दिया है कि एक लाख से कम की जहां आबादी हैं, उन सब स्थानों पर उद्योग लगायेंगे और उनको 15 पर्सेन्ट अनुदान के रूप में राज्य सरकार से मिलेगा। राजस्थान के 14 जिले बैकवर्ड हैं, इन 14 बैकवर्ड जिलों के अन्दर आज कोई भी उद्योग लगाता है- एक लाख से कम वाले में लगाता है, चाहे 50 हजार की आबादी वाले में लगाता है, चाहे 30 हजार, 20 हजार की आबादी वाले में लगाता है और चाहे पांच हजार या पांच सौ की आबादी में लगाता है तो उसके बारे में राज्य सरकार की नीति घोषित हो चुकी है कि 15 प्रतिशत अनुदान देंगे। इसके बावजूद भी आप कहते हैं कि कोई उद्योगों के बारे में कदम नहीं उठाया। आपने 16 जिले अचीव किये हैं 30 साल में लेकिन राजस्थान की जनता सरकार ने 14 जिलों में भी एक लाख से कम पापूलेशन वाले में उद्योगों को बढ़ावा दिया है....

श्री खेतसिंह राठौड़ : हुजूर जिले 26 हैं आपने 30 कैसे कर दिये ?

श्री माणकचन्द सुराणा : 30 कह दिये हैं, तो करेक्ट कर लीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बहुत कुछ कहा गया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार गालियां दें तो यह शोभा नहीं देता है....

(व्यवधान)

कर्ज लिमिट जो डेढ़ सौ करोड़ की बनाई वह लिमिट....

(व्यवधान)

मेजर श्री फतहसिंह : जहां चार जिले कहीं बढ़े तो पांचवा जिला ब्यावर भी बढ़ा दिया जाय।

श्री माणकचन्द सुराणा : उस पर भी वित्त मन्त्री जी विचार करेंगे।

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल : जिलों की घोषणा हो रही है ?

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : हमारी मांग है 80 जिलों की, छोटे छोटे जिलों की।

(व्यवधान)

श्री माणक चन्द सुराणा : मैं यह निवेदन करूंगा कि पिछले मंत्री जी आ गये हैं। गलती दुरुस्त करें। गलती तो आपके ज़माने में बहुत हो चुकी हैं। कोई और पाइन्ट आपको मिलने वाला नहीं है।

तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, राजस्थान का नम्बर बिजली में सोलहवां है सातवें वित्त आयोग का जिक्र कर रहे थे उसमें राजस्थान किस मद पर कितने नम्बर पर है, वह रिपोर्ट इन्होंने पढ़ी है और हमने भी पढ़ी है……

श्री खेतसिंह राठौड़ : पहले बिजली कहां थी। हमने तो बढ़ाई……

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अन्धेरा कर दिया आपने सारा।

श्री माणक चन्द सुराणा : सोलहवां नम्बर है बिजली के मामले में राजस्थान का अब सोलहवें नम्बर से निकाल कर पांचवे, सातवे, नम्बर पर ले आयें यह जिम्मेदारी जनता सरकार पर है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष जी, साल भर में 16 से 15 वां नम्बर तो किया होता।

(व्यवधान)

श्री माणक चन्द सुराणा : आपको जानकारी है इस वर्ष पांच लाख कुओं को बिजली देने का टार्गेट है और वह जनता सरकार पूरा कर रही है। इस बात को आप अच्छी तरह जानते हैं कि पांच लाख कुओं को……

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : 20 हजार कुओं का टार्गेट है।

श्री मूलचन्द डागा : सात गुणा, आठ गुणा बढ़ा दिया गया।

श्री सूरजपाल सिंह : ये सारे आंकड़े इसी तरह के तो नहीं दे रहे हो ?

श्री परसराम मदेरणा : छठी पंचवर्षीय योजना का है, वह तो डेढ़ लाख का है। आप कम क्यों कर रहे हो।

श्री मूलचन्द डागा : वे तो पांच साल बता रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री माणक चन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में एक निवेदन करूंगा, जितनी बार भाषण सुना डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य का और जितनी बार

(श्री माणक चन्द सुराणा)

विरोधी पक्ष के नेता का भाषण सुना, सब में यह कहा गया है कि घाटे का बजट है, घाटे के बजट से इनफ्लेशन होगा और इनफ्लेशन होगा तो चीजों के भाव बढ़ेंगे। मैं निवेदन करूंगा यह आर्गूमेंट फैलेशस है। हर घाटे का बजट मुद्रा स्फीति को नहीं बढ़ाता है, यह कोई मैथेमेटिकल फार्मूला नहीं है कि महंगाई उसके हिसाब से बराबर उतनी ही बढ़ेगी। महंगाई इस बात पर निर्भर करती है······

(व्यवधान)

आप सुनेंगे भी।

हम अपने खर्चों के द्वारा पूंजी कितनी पैदा करते हैं, इस पर इनफ्लेशन निर्भर करता है। महंगाई बढ़ती है या नहीं बढ़ती है उससे उसका कोई मेल नहीं है।

मैं निवेदन करता हूं आज 200 करोड़ रुपया राजस्थान केनाल में लगा रहे हैं। वह रुपया ईरान की सरकार से उधार ले रहे हैं। यदि भारत सरकार इतना रुपया छाप भी दे तो भी उस लिमिट में महंगाई नहीं बढ़ेगी, क्योंकि पांच साल बाद जो पैदावार होगी तो आने वाले जितने केलकुलेशन अर्थशास्त्रियों के होंगे वे सब रह हो जायेंगे। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं यह कोई मैथेमेटिकल फार्मूला नहीं है बीसों बार कहा गया घाटे के बजट से महंगाई बढ़ेगी और गरीबों पर उसका वजन पड़ेगा, यह सही नहीं है। यह कोई अर्थशास्त्रियों का फार्मूला नहीं है। महंगाई बढ़ना तो इस बात पर मुनहसर है कि जो खर्च किया है उससे कितनी पूंजी पैदा की है। हमने प्रापर एम्पलायमेंट दिया तो निश्चितरूप से महंगाई नहीं बढ़ेगी अगर खर्चा शान-शौकत पर होगा तो महंगाई बढ़ेगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस फार्मूले के तौर पर मत चलिये।

श्री परस राम मदेरणा : यह तो इसलिये कह रहे हैं कि जो आर्थिक रचना विरासत में मिली है वह जर्जर मिली है। हमारा कहना है कि विरासत में आर्थिक रचना जर्जर नहीं मिली है। जर्जर नहीं मिली हैं, मजबूत मिली है तो आप इस घाटे के बोझ को भी सह सकते हैं। आपके वित्त मंत्री ने कहा है, सुब्रह्मण्यम स्वामी ने कहा है विरासत में जर्जर अर्थ व्यवस्था मिली है तो फिर आपने यह बोझ कैसे उठा लिया ?

श्री माणकचन्द सुराणा : सुब्रह्मण्यम स्वामी अपने विचार रखने को स्वतन्त्र है अर्थ शास्त्र की बीसों पुस्तकों में इस बात का आभास मिलेगा······

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, बिल्ली घूम रही है सदन में।

एक माननीय सदस्य : ना पक्ष से आई है।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे आशा है कि शोर क्रास नहीं करेगी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपके आगे बिल्ली निकल गई है शकुन अच्छा नहीं है।

श्री माणक चन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उनका इस तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अर्थशास्त्रियों ने इस बात को स्वीकार किया है······

श्रीमती सुमित्रा सिंह : चेयर की तरफ चली गई बिल्ली।

श्री माणकचन्द सुराणा : यह प्रपोजीशन सही नहीं अर्थशास्त्रियों के हिसाब से। इसमें कई फैक्टर्स हैं। सारे फैक्टर्स को देखने के बाद, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो हमारा 50 करोड़ के घाटे का बजट है और राज्यों में भी घाटे के बजट हैं, कुल मिलाकर सारे भारतवर्ष के राज्यों के करीब 1000 करोड़ ......

श्री खेतसिंह राठौड़ : इस पाइंट को ज्यादा डवलप मत करिये। इसका मतलब हम समझते हैं। घाटे का बजट हमारे वित्त मंत्रीजी जब पेश करते थे तो आप इधर बैठते थे तो यही लैंग्वेज बोलते थे जो आज हम बोलते हैं। हमने ऐसा नहीं किया है कि सोना बेचकर घाटा पूरा किया हो।

श्री माणकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि घाटे का बजट रखा है। आज कर्नाटक में आपकी सरकार ने 120 करोड़ का घाटा बजट में दिखाया है। वह बजट तो आपको स्वीकार है और राजस्थान सरकार ने यदि 35 करोड़ घाटे का बजट दिखाया है तो वह आपको अस्वीकार है क्योंकि यहां जनता पार्टी की सरकार है।

उपाध्यक्ष महोदय, निश्चितरूप से मैं यह कहता हूं कि राज्य सरकार जितने भी ऋण ले वह बात हाउस में आनी चाहिए और उस पर हाउस का कन्ट्रोल होना चाहिए, और हाउस की स्वीकृति उसमें होनी चाहिए। हाउस का फाइनेन्शियल कन्ट्रोल सरकार पर अधिक से अधिक हो, इस बात को मैं मानता हूं। कन्ट्रोल हाउस का उस पर होना चाहिए।

मैं इस बात को मानता हूं कि बजट जब आता है तो उसके साथ में निश्चित-रूप से फिजीकल टार्गेट्स भी आने चाहिए। डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य जब वित्त मंत्री थे तो फिजीकल टार्गेट्स बजट के साथ में उन्होंने दिये थे, परन्तु उनके बाद में उनकी सरकार के दूसरे वित्त मंत्री आये तो इस प्रक्रिया को उन्होंने चालू नहीं रखा। फिजीकल टार्गेट्स जब आपके ही वित्त मंत्री ने बजट के साथ नहीं रखे तो पिछली सरकार को इसमें कोई दिक्कत महसूस हुई होगी इसलिए उसको छोड़ दिया। मैं हाउस की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रक्रिया को दुबारा चालू किया जाना चाहिए और फिजीकल टार्गेट्स बजट के साथ दिये जाने चाहिए।

एप्रोप्रियेशन बिल जो सप्लीमेंट्री......

श्री शंकरलाल : यह बात हो चुकी है।

श्री उपाध्यक्ष : यह एप्रोप्रियेशन बिल है इस पर ही डिस्कशन होना चाहिए।

श्री मूलचन्द डागा : क्या बहस कर रहे हैं? कौन से बिल पर बोल रहे हैं ?

श्री माणकचन्द सुराणा : मैं खास तौर से निवेदन करना चाहता हूं कि एप्रोप्रियेशन बिल आता है सप्लीमेन्ट्री डिमाण्ड्स का तो उसके साथ में डिटेल्ड नोट होना चाहिए कि किस विभाग में किस मद में कितना खर्चा किया गया है, क्योंकि बजट में डिटेल्स होते हैं। और एप्रोप्रियेशन बिल में

(श्री माणक चन्द सुराणा)

डिटेल्स नहीं होते हैं। मेरा यह सुझाव है कि डिटेल्ड नोट भी इस सदन में निश्चित रूप से वितरित किया जाय ताकि माननीय सदस्यों को यह जानकारी हो कि राज्य सरकार का जितना बजट पहले पास हुआ है उससे अधिक खर्चा हुआ है तो किस कन्टीजेंसी में खर्च हुआ है।

इन्हीं शब्दों के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस एप्रोप्रिएशन बिल का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं वे काफी संख्या में हैं। शायद उनके सचेतक कुछ समय भी बढ़ायेंगे। मैं कम से कम यह विश्वास दिलाना चाहूंगा कि समय की वृद्धि को देखते हुए जिन माननीय सदस्यों ने पूर्व में सूचना दी है, उनको मैं अवश्य अवसर दूंगा।

श्री गुलाबचन्द कटारिया

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, नगरपालिकाओं की ओर से किये जाने वाले खर्च के बारे में विशेष तौर से उदयपुर को ध्यान में रख कर बात कहना चाहता हूं कि शहरों के विकास के लिये लाखों रुपये खर्च किये जाते हैं, लेकिन हमारे उन सरकारी विद्यालयों के भवनों के बारे में कभी भी विचार नहीं किया गया जिनमें गरीबों के बालक पढ़ा करते हैं। श्रीमन्, शहरों में जो पब्लिक स्कूल हैं वह विद्यार्थियों से फीस लेकर विद्यार्थियों को अध्ययन कराते है, लेकिन सरकारी विद्यालयों में वही बालक पढ़ते हैं जिनके मां-बाप की आय कम है। वहां पर एक-एक कमरे में 50-50, 60-60 विद्यार्थियों को ठूंसा जाता है। इसलिए इस व्यवस्था को बदलना चाहिए, और नगरपालिकाओं की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि शहरों में पढ़ने वाले सरकारी विद्यालयों के भवनों का निर्माण करायें।

इसी प्रकार शहरों में डिस्पेन्सरियों के भवनों के बारे में नगरपालिकाओं को विचार करना चाहिए।

श्रीमन् उदयपुर एक पर्यटक केन्द्र है। केवल प्राकृतिक सौन्दर्य के आधार पर ही नहीं ऐतिहासिक दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से भी उदयपुर में मेवाड़ का विशेष स्थान है। कई ऐतिहासिक और पवित्र स्थान वहां पर हैं पिछले सालों में उदयपुर का जरूर विकास करने का प्रयास किया गया है, लेकिन महाराणा प्रताप का जहां चावण्डा में अन्तिम संस्कार हुआ था, चाहे गोगुन्दा हो जहां कि उनका राजतिलक हुआ था, चाहे हल्दी घाटी हो, उनको और ध्यान नहीं दिया गया। पिछले दिनों जब हल्दीघाटी का 400 वां वर्ष मनाया गया था उस वक्त हल्दीघाटी का विकास जरूर किया गया लेकिन अभी भी वहां पर ठहरने की व्यवस्था नहीं है। कोई पर्यटक जाता है तो पहाड़ों को देखकर ही और उस पवित्र भूमि को प्रणाम करके ही उसे वापस लौटना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि वहां पर ठहरने की व्यवस्था की जाय ताकि पर्यटक को उस पवित्र भूमि पर कुछ दिन रहकर उससे प्रेरणा लेने का अवसर मिल सके। वहां पर एकलिंगजी का पवित्र मंदिर है उसके आगे देलवाड़ा का मन्दिर है जो आबू के देलवाड़ा मन्दिर के समकक्ष तो नहीं लेकिन वही कारीगरी उसमें है। उसको पर्यटन की दृष्टि से महत्व नहीं दिया गया है। मैं चाहता हूं कि उसको

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

पर्यटन की दृष्टि से महत्व दिया जाय। उस स्थान से आगे नाथद्वारा है और उसके आगे कांकरोली का पवित्र स्थान है। तो इस पूरी की पूरी बेल्ट को पर्यटन की दृष्टि से जोड़ा जाय।

श्रीमान, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने राजस्थान के विकास की दृष्टि से काफी योजनाएं बनाई हैं और काफी विकास के कार्यक्रम हमने हाथ में लिये हैं। पी० डब्लू० डी० के अन्दर आज करोड़ों रुपये का दुरुपयोग हो रहा है उसके बारे में, मैं विशेष निवेदन करना चाहता हूं। अभी उदयपुर में जितने इंजिन उतारे गये हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि खाली खोखे उतारे गये हैं। उनमें रोड को दबाने के इंजिन हैं यह कहकर उन खोखों को भेजा गया है, वह पहले से बिलकुल टूटे हुए हैं। मैंने प्रश्न पूछा था सदन में। वह प्रश्न यह कहकर स्थगित करा दिया गया है कि पूरी इन्फार्मेशन नहीं मिली है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे प्रश्न के कारण जोधपुर में जो सारा सामान इकट्ठा पड़ा हुआ था और घोटाला सब सामने हो दिखता था वह सारा सामान सारे राजस्थान में अलग अलग विभागों को, अलग अलग केन्द्रों को जोधपुर से गया है। मैं चाहता हूं कि उसकी जांच कराई जाय।

इसी प्रकार, श्रीमन् विद्युत् के बारे में, क्योंकि विद्युत् की डिमाण्ड पर सदन में डिस्कशन नहीं हुआ था, मैं इस समय निवेदन करना चाहता हूं। विद्युत् के बारे में विशेषरूप से उदयपुर के लिए कहना चाहूंगा कि उदयपुर में नये उद्योग स्थापित हुए हैं उनको विद्युत् की कठिनाई महसूस करनी पड़ रही है। उनके बारे में, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उनको यह नहीं मालूम होता है कि हमारे यहां बिजली कब गायब हो जायेगी बिजली गायब होने से चलती हुई मशीनें रुक जाती हैं। उसके कारण से कई बार मशीनें टूट जाती हैं जिसके कारण कई लोगों का व्यवसाय खत्म हो जाता है""

(व्यवस्था-सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष। माननीय सदस्य आपस में वार्ता नहीं करें। काफी डिस्टर्बेंस हो रहा है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : राज्य में यदि बिजली की कमी है और हम पूरी बिजली नहीं दे पायें तो इसके लिए निश्चित घोषणा होनी चाहिए कि एक घण्टे तक, आधा घण्टे तक इस समय में बिजली बन्द रहेगी। लेकिन चलती हुई मशीन में बिजली नहीं पहुंचे तो वह रुक जाती है, चाहे धागा हो, चाहे और कुछ हो, जो कुछ चल रहा है वह रुक जाता है और इससे मशीनें खराब हो जाती हैं, मशीनें जल जाती हैं। छोटे छोटे किसानों की मशीनें जल जाती हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि बिजली सही तरीके से उद्योगों को मिलनी चाहिए। सही तरीके से बिजली मिलने से कई बार जो बिजली वरदान है वह अभिशाप बन जाती है। मैं चाहूंगा कि विद्युत व्यवस्था के बारे में, माननीय मंत्री महोदय ध्यान दें।

इसी तरह से, श्रीमान्, उदयपुर औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। यहां पर झामरकोटड़ा की एक बहुत बड़ी खदान है जिससे खाद का कारखाना डवलप किया जा सकता है। यहां पर खाद के लिए रा-मैटीरियल काफी बड़ी तादाद में उपलब्ध

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

होता है। इतनी पर्याप्त मात्रा में रा-मैटीरियल उपलब्ध है कि सौ वर्ष तक भी हमको खाद के लिए राक-फास्फेट प्राप्त हो सकेगा मैं चाहूंगा कि उदयपुर के अन्दर खाद का बहुत बड़ा कारखाना स्थापित किया जावे। पूरे बजट में उदयपुर के लिए कुछ भी नहीं कहा गया है इसलिए मैं चाहूंगा, इसके बारे में आप घोषणा करें कि उदयपुर में निश्चित-रूप में खाद का कारखाना स्थापित किया जावेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं, अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में हम भी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपका नम्बर भी आ रहा है।

श्री नूरा : पार्टीवाइज हमको भी टाइम मिल जाय।

श्री उपाध्यक्ष : मैं नियमों से चलूंगा या परम्पराओं से। आप इस संबंध में नियम देख लीजिए।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान, यह जो अरब के करीब का एप्रोप्रियेशन बिल आप पास करा रहे हैं। मैं संक्षेप में यह कहना चाहता हूं कि इसमें से साढ़े छः अरब रुपया कम से कम, मैं आपके साथ बैठ कर बात कर सकता हूं, नोन-प्लान में खर्च होगा। मैं आपको निवेदन करूं कि जो उधर बैठने वाले माननीय सदस्य हैं, मैं उनकी बात सुनने को बड़ा इच्छुक हूं। मुझे बहुत पसन्द आती है उनकी बात। जनता पार्टी जब सरकार में आई तो मुझे बड़ी खुशी हुई मैंने बड़ी खुशी मनाई थी। श्रीमान, देश के अन्दर एक बड़ी क्रांति आएगी। इन्होंने बड़े अच्छे अच्छे नारे दिए थे कि सेल्स टैक्स खत्म होगा, आल्ट्राव बनी बाइसी, गरीब और धनवान के बीच की दूरी कम होगी। मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई कि भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। मेरे पास समय नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि जे. पी. साहब ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है :

"He was sorry that promises of Socio-Economic reforms made in the Janta Party manifesto mostly remained pious wishes. He doubted if the Janta Party had done even home work on this vital issue. He also pointed out that old rules and procedures still dominated administrative work and no fresh breath of air was blowing in the corridors of the Secretariat."

जे. पी. साहब ने स्टेटमेंट दिया कि मुझे जैसी आशा थी वह आर्थिक और सामाजिक क्रांति ला नहीं सके। आज भी नौकरशाही और सेक्रेटेरियट की वही हालत है। क्या पता, बाबू जयप्रकाशजी ने जो बात कही उसको सही मानेंगे या नहीं। आपका जो लोकल पत्र राजस्थान पत्रिका निकलता है, उसमें कल इस राज्य के बाबत प्रकाश डाला है :

(श्री मूलचन्द डागा)

"कानून की पकड़ ढीली है तथा प्रशासन निष्क्रिय एवं नौकरशाही असहयोगी बनी हुई है। ये लक्षण शासन की कुशलता के नहीं हैं और प्रशासन की यह स्थिति इसलिए खतरनाक है कि इसके कारण जो शून्य बनता है वह अन्य शक्तियों को उठने का अवसर देता है।"

यह कामगार डड्ढा का आर्टिकल है। मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहता। मैंने सोचा था कि जनता पार्टी नए कानून और नई राह देगी। मैं बहुत बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि हम शासन सचिवालय की बात करते हैं लेकिन मुझे आप क्षमा करें, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसी सचिवालय के बारे में कहना चाहता हूं और बड़े आदर के साथ कहना चाहता हूं कि जो यहां बड़े बड़े नौकर हैं, उच्च पदाधिकारी हैं उनको तो आपने एडहाक ग्रान्ट, भत्ता दिया है। सचिव को साढ़े बारह सौ रुपये दे दिये और सभी को दे दिये। जितने बड़े-2 अधिकारी हैं उनको दे दिया लेकिन जितने छोटे कर्मचारी हैं इस सचिवालय में उनको एक पैसा नहीं दिया। मैं यह कहना चाहता हूं कि ये आंकड़े हैं मेरे पास, आपने मानचन्द्र गोस्वामी को 885 रु. दिये।

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करूंगा, माननीय डागाजी, जो परम्परा है उसके अनुसार इस सचिवालय के बारे में चर्चा नहीं की जाती है।

श्री मूलचन्द डागा : मेरी यह प्रार्थना है, कृपा करके देखिये। मैं प्रार्थना करूंगा कि सचिवालय की जो मद है वह वोटेड है, चार्ज्ड नहीं है। मैं आपसे अर्ज करूंगा कि पिछले साल इस पर आब्जेक्शन किया गया। यह आडिट ने लिखा कि इस प्रकार से अधिकारियों को रुपया दिया जाना उचित नहीं है। यहां के स्टेनो, यहां के क्लर्क, यहां के चपरासी, इन लोगों को महरूम कर दिया गया है और यह कह दिया गया कि 240 घण्टे पूरे करोगे तो रुपया दिया जाएगा। श्रीमान् आप समाजवाद की बात करते हैं, मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस प्रकार से यहां पर बारह हजार रुपयों का वितरण हुआ है जो उच्चाधिकारियों को किया गया है। पिछले साल भी आडिट ने आब्जेक्शन किया था। आडिट ने कहा था :

"राज्याधिकारियों को मानदेय भत्ता किसी भी रूप में देय नहीं है। उक्त राजपत्रित अधिकारियों को पारिश्रमिक का भुगतान करना अनियमित था।"

यह पिछले टाइम में हुआ है जो रिकार्ड में है। आडिट ने आब्जेक्शन किया है, आडिट ने एतराज उठाया है कि यह रुपया नहीं दिया जा सकता। आज यहां के जितने छोटे छोटे कर्मचारी हैं, मैं मानता हूं कि बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि उनको भत्ता दीजिये, मैं इसमें अड़चन डालने वाला नहीं हूं। यह मैं नम्रता से कहना चाहता हूं। जो समाजवाद की बात करते हैं, जो कहते हैं कि हम गरीबों को ऊपर उठायेंगे, उनका इसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि क्या आप यह ठीक समझते हैं कि उन सारे गरीब लोगों, जो यहां पर काम करते हैं, को एक पैसा न दें और कुछ लोगों को सारा पैसा बांट दें....

श्री नवनीत पालीवाल : पहले भी दिलवाया था।

Page No 126

(126)

श्री मूलचन्द डागा : पिछले साल यह आब्जेक्शन हुआ है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं....

श्री कल्याणसिंह सांखला : कौन से साल का आडिट आब्जेक्शन है ? यह जरा बताने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागाजी, कृपा करके मेरा निवेदन सुनिए। एप्रोप्रियेशन बिल पर जो डिबेट हो सकती है वह किन किन मुद्दों पर हो सकती है उसके सम्बन्ध में नियम है, कृपया उसको देख लें।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : मैंने राइटिंग में दिया हुआ है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागाजी, मुझे सुनिये। आप उन्हीं मुद्दों पर बोल सकते हैं जो पब्लिक इम्पोर्टेंस में आते हों, इम्पोर्टेंट पालिसी मैटर्स से सम्बन्धित हो। ऐसी बहुत सी बातें हो सकती हैं जो माइनर इम्पोर्टेन्स की हैं। लेकिन एप्रोप्रियेशन बिल पर बहस करना चाहें तो जो पब्लिक इम्पोर्टेंस की बातें हैं या जिनमें एडमिनिस्ट्रेटिव पालिसी इन्वाल्व्ड हैं....

श्री मूलचन्द डागा : इसमें एप्रोप्रियेशन बिल पर बोलने के लिए दो बातें हैं। जिन डिमाण्ड्स पर डिस्कशन नहीं हुआ हो उन पर मैं बोल सकता हूं। साथ ही जो डिमाण्ड्स हाउस में डिस्कस हो चुकी है लेकिन कोई महत्वपूर्ण बात पब्लिक इम्पोर्टेन्स की रह गई है तो वह कह सकता हूं। ये दोनों बातें कहने का मुझे अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह प्रोविजन है It is rule 154 (4) :

"The debate on an Appropriation Bill shall be restricted to matters of public importance or administrative policy implied in the grants covered by the Bill which have not already been raised while the relevant demands for grants were under consideration."

अगर आप किसी पाइन्ट को इम्पोर्टेन्ट मानते हैं जिसके लिए इन्टीमेशन नहीं दे रखी है तो ऐसे मुद्दे, जिनको मैं पब्लिक इम्पोर्टेन्स का नहीं मानता हूं और जो पालिसी से सम्बन्धित नहीं हैं, आप रेज नहीं कर सकेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : अगर आप इजाजत नहीं देते तो मैं रेज नहीं करूंगा। मैं आपकी आज्ञा मानता हूं। मैंने भी रूल 154 पढ़ा है। जो मेरे प्रश्न हैं जिनको मैं यहां उठाना चाहता हूं, वे आपकी सेवा में आज से दस दिन पहले लिख कर दे दिए हैं।

आज जनता पार्टी की सरकार सारे हिन्दुस्तान में एक बात कहती है, बड़े बड़े मंत्री और नेतागण रोज कहते हैं कि हमने आजादी दिलवा दी है।

Page No 127

(127)

श्री नवनीत पालीवाल : जरूर दिलवा दी है ।

श्री मूलचन्द डागा : मैं आशा करता हूं कि जनता पार्टी की सरकार ने यह बात कही । श्रीमती इन्दिरा गांधी एलान नहीं करती कि चुनाव कराये जायं तो जनता सरकार के जो मंत्री हैं या नेता लोग हैं और मेरे दोस्त नवनीत जी पालीवाल हैं जो कहते हैं कि जनता ने आजादी दिला दी यह नहीं कह पाते । जनता ने कुछ किया, यह मैं मानता हूं आपने क्या किया ? मेहरबानी करके इस बात को बन्द करिये । आप इस बात को कहिये कि आपने क्या किया ? मैं कहता हूं कि जनता को जो कुछ करना था वह उसने कर दिया । अब आप बार बार यह कहें कि साहब हमने आजादी ले ली, यह कहना कहां तक उचित है ? मैं आपको विनम्रता से कहना चाहता हूं कि यह बात नहीं है । सवाल यह है कि आपकी जो पोलिसी है उसके बारे में आपका क्या कहना है । कितना बिजली में खर्च करेंगे । मैं आपको कहना चाहता हूं :

"All the benefits of these inves tments and the additional subsidies on agricultural inputs have been cornered by the rich while the poor have remained where they were before."

जब तक सीलिंग लॉ का इम्पलीमेन्टेशन नहीं हो जाता है तब तक जो धनराशि देंगे उसका गांव के जो बड़े बड़े काश्तकार हैं, जिनके पास ज्यादा जमीन है, वे ही लाभ उठाएंगे और जो गरीब हैं, वे उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे इसलिए मैं नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपके इस बिल से यह ध्वनि नहीं निकलती है कि आपने सीलिंग लॉ को पूरी तरह से लागू कर दिया है, इसके कारण गरीब लोगों को लाभ मिलता है । यह बात नहीं है । इसलिए इस मद में आपकी जो धनराशि लगेगी वह धन्य लोगों के लिए लगेगी ।

अब आपने आजादी दे दी । एक बड़ी बात कह दो । प्रेस को स्वतन्त्रता दे दी । रेडियो को स्वतन्त्रता दे दी । मैं आपको यह कहना चाहता हूं और जनता पार्टी पर मेरा यह चार्ज है कि यह जो आपका जन सम्पर्क विभाग इसको जो आप 68 लाख रुपये की ग्रान्ट मन्जूर कर रहे हैं, इस जनसम्पर्क विभाग में क्या हो रहा है, यह जनसम्पर्क विभाग क्या काम कर रहा है । सबसे पहले तो श्रीमान डाइरेक्टर जो हैं वह कोई पत्रकार नहीं, हैं जर्नलिस्ट नहीं हैं । जन सम्पर्क विभाग के जो आफिसेज खुले हुए हैं उनकी आप जांच कराएं कि कितने उनके द्वारा प्रेस नोट्स निकलते हैं ? कितने प्रेस नोटस् निकलते हैं, जिन प्रेस नोट्स के आधार पर खबरें हिन्दुस्तान में जाती हैं, केवल यहां से एक खबर निकलती है, मुख्य मंत्री ने यह भाषण दिया । यह भाषण मंत्री ने दिया । वह प्रेस नोट निकलता है । 50 प्रेस नोट निकलते हैं उनमें से 5 अंग्रेजी में निकलते हैं । हिन्दुस्तान में सारे पेपर अंग्रेजी में निकलते हैं । श्रीमन् इन्होंने एक कमेटी बनायी एक्रेडिशन कमेटी कैसे यह कमेटी बनी, यह बड़ा प्रश्न है । एक्रेडिशन कमेटी के अन्दर इधर उधर के लोग ले लिए गए, वे मेम्बर लिए गये जिनका पंजीकरण नहीं था । इसलिए हिन्दी के वरिष्ठ

(श्री मूलचन्द डागा)

समाचार पत्र प्रतिनिधि ने कहा, मैं इस कमेटी का मेम्बर नहीं रह सकता। तो वह जन सम्पर्क विभाग क्या काम करता है? जो 15 पी. आर. ओज. काम कर रहे हैं, 15 पी. आर. ओज. में से 13 को पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया। तो यह जन सम्पर्क विभाग क्या काम करता है? जनसम्पर्क विभाग विरोधी पार्टी की खबरें हाईलाईट नहीं करता। सदन के जो बड़े बड़े सदस्य हैं, कौशल किशोर जी और गुलाबचन्द कटारिया उनकी खबरों को हाईलाइट नहीं करता। किन की खबरें प्रकाशित करता है जन सम्पर्क विभाग? जन सम्पर्क विभाग मंत्रियों के पक्ष को छापेगा, जनसम्पर्क विभाग केवल चापलूसी का काम करेगा। मैं यह चार्ज लगाना चाहता हूं कि जन सम्पर्क विभाग के कर्मचारी प्राइवेट अखबार में काम करते हैं। इस विभाग का असिस्टेन्ट डाइरेक्टर अखबार के अन्दर पार्ट टाइम करता है। इस विभाग का फोटो ग्राफर, यहां का विज्ञापन देने वाला, यहां का स्टेनो अखबारों में पार्ट टाइम करता है। इस प्रकार का यह जन सम्पर्क विभाग है···

श्री रतन लाल वर्मा: इनके पास बोलने को कोई मैटर नहीं है। ऊट पटांग बात कह कर समय बिताना चाहते हैं।

श्री मूलचन्द डागा: इस प्रकार यह जन सम्पर्क विभाग काम कर रहा है। माननीय सदस्य ने मुझे रास्ता बताया, उसके लिए मैं अहसान मानता हूं। आप कहते हैं, बड़ी हिम्मत के साथ कहते हैं हमने प्रेस को स्वतन्त्रता दे दी। मैं आपको कहना चाहता हूं राजस्थान पत्रिका और तीन, चार लोकल पेपर हैं, उनके अलावा आपका एक्रेडिशन कमेटी किस प्रकार से समाचार पत्रों को विज्ञापन देती है? क्या आपकी नीति है? क्या आपकी रीति है इस प्रकार, श्रीमान, यह सारा जन सम्पर्क विभाग······

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

ठीक है, बोलने वाले दो घंटे बोल जाएं और हम को न बोलने दिया जाए······

श्री उपाध्यक्ष: विरोधी पक्ष के नेता काफी बोल गये हैं। संक्षेप में कह दें।

श्री शंकरलाल: सभी माननीय सदस्य बोल सकते हैं।

श्री मूलचन्द डागा: पुलिस विभाग पर काफी रुपया खर्च किया गया, इस बात को बार बार कहा गया। यह पुलिस विभाग का पब्लिकेशन है। आप इस पब्लिकेशन को पढ़ें। राज्य सरकार 25 करोड़ रुपये की धनराशि पुलिस डिपार्टमेण्ट को दे रही है। पुलिस विभाग का जो वार्षिक प्रतिवेदन है, उसमें उन्होंने क्या लिखा है, श्रीमान्, वह आपको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं:

अपराध वृद्धि का एक कारण यह भी रहा कि कुछ असामाजिक तत्व तथा आदतन अपराध प्रवृत्ति के लोग, जो पुलिस द्वारा अपराध निरोधात्मक कार्यवाही के अन्तर्गत आपातस्थिति के दौरान हिरासत में ले लिए गए थे, आपातस्थिति हट जाने पर जेलों से छूट गये और फिर अपराध करने लगे''

यह कहा गया है वह आपका प्रतिवेदन इमर्जेन्सी को जस्टिफाई करता है। वह आपका विभाग कहता है, मैं नहीं कहता हूं। आपात काल में जो असामाजिक तत्व जेलों में रखे गये थे, उनको छोड़ दिया गया उसके कारण

(श्री मूलचन्द डागा)

से यह अपराध बढ़ रहे हैं। 25 करोड़ के प्रावधान के बाद भी आपकी यह रिपोर्ट है। यह आपके पुलिस विभाग की रिपोर्ट है। मेरी नहीं है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं....

श्री कौशल किशोर जैन : हम भी जेलों में थे।

श्री मूलचन्द डागा : आप भी उसमें होंगे।

अगर 25 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद आज भी आप यह मानते हैं इसका मतलब है कि आपका जो एक्ट है, इसके जो प्राविजन्स हैं; उससे न तो आप लोगों की सुरक्षा कर पाते हैं, न लोगों की जन-धन की सुरक्षा कर पाते हैं। लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन खराब हो रही है।

अन्त्योदय की योजना आप चला रहे हैं, आपको मुबारक हो। अन्त्योदय योजना का कोई क्रिटिसिज्म मैं इसलिए नहीं करना चाहता हूं कि यह कोई योजना नहीं है...

श्री उपाध्यक्ष : इस पर काफी चर्चा हो गई। कोई नया विषय लें।

श्री मूलचन्द डागा : पब्लिक अण्डर-टेकिंग पर आपने रिपोर्ट पेश की है। जो रिपोर्ट पेश की है, उसमें हमें यह बताया है कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। 1977-78 के अन्दर जो आपका यह राजस्थान स्टेट केमिकल्स डीडवाना है, उसमें 13 लाख रुपयों का घाटा है। यह जो टेनेरी की आपकी स्टेट अण्डरटेकिंग है उसमें भी 12 लाख 50 हजार का घाटा है। कोई राजकीय उपक्रम जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद फायदे में नहीं चला है.....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री रतनलाल वर्मा : तीस साल तक कांग्रेस ने जो पाप किए हैं, उनको जनता पार्टी खोद खोद कर सामने लाएगी तब आपकी आंखें खुलेंगी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सदस्य टोका टांकी न करें।

श्री रतनलाल वर्मा : फलाने अखबार ने नाम नहीं छापा। अखबार वालों ने इनके नाम नहीं छापे। यही बात कह रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने आपका नाम लिया हो तो माफी चाहता हूं।

जनता पार्टी ने एक एलान किया, सरकार एलान करती है, घोषणा करती है, हम किसी को रि-अपाइन्टमेंट नहीं देंगे, किसी हालत में नहीं देंगे। मैंने एक सवाल उठाया था, प्राच्य विद्या के डा. फतहसिंह के रि-अपाइन्टमेंट के बारे में। उनके खिलाफ मैंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाये थे। उसकी आडिट रिपोर्ट है लेकिन क्या उत्तर था आपका। मैं यह एक उदाहरण देना चाहता हूं।

मैं आखरी बात कहना चाहता हूं। जो कुछ जे. पी. साहब ने कहा, वह पढ़ कर मैंने सुनाया। मैं वी. वी. जोन के आर्टिकल की दो लाइनें पढ़ कर आपको सुनाना चाहता हूं। मेरा यह भी निवेदन है कि जनता पार्टी अपने उद्देश्य की तरफ आवे

(श्री मूलचन्द डागा)

बढ़े, हम सहयोग देंगे। उन्होंने कहा "What the revolution would call for .. "

आपने कहा हम समग्र क्रान्ति लायेंगे, बहुत बढ़िया है, समग्र क्रान्ति आयेगी।

श्री नवनीत कुमार पालीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कांग्रेस को अब तक 1 घण्टा और 40 मिनट का समय मिल चुका है, जनता पार्टी को एक घण्टा और अभी कांग्रेस (आई), सी.पी. आई और सी. पी. एम. बाकी हैं।

श्री मूलचन्द डागा : आप कोई बात सुनना चाहें नहीं .. ...

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, एप्रोप्रिएशन बिल पर पार्टीवाइज टाइम का बंटवारा नहीं होता।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : अब तक जो बात हुई वह थोथा चना और बाजे घना हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वर्मा जी, विराजिये।

श्री मूलचन्द डागा : "What the revolution would call for is some hard hitting accounting of what each one puts into the common pool and what each one takes out of it. Everyone other than the children, the disabled and the aged, who expects to be paid more than he has worked for, will be reckoned to be an exploiter."

मैं यह कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी ने कहा, जे. पी. ने कहा और बार बार यह कहा गया, हम आने यहां पर शोषण-मुक्त समाज कायम करेंगे। शोषण-मुक्त समाज कायम करने की घोषणा के बाद मैंने आपको एक्सपेन्डीचर बताया कि नॉन-प्लान एक्सपेण्डीचर इतना बढ़ गया है। आज भी इस प्रकार से यह रुपया दिया जायगा, इसका यूटिलाइजेशन हो जायगा, इसमें मुझे शक है। इस रुपये का कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए इस एप्रोप्रिएशन बिल को मानने में मैं असमर्थ हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सचेतकजी से कोई महत्वपूर्ण सूचना सुनिये।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री नवनीत पालीवाल (मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 6 बजे तक बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि सदन का समय सायं 6 बजे तक बढ़ाया जाय?

(स्वीकृत)

सदन का समय सायं 6 बजे तक बढ़ाया गया।

मैं माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहूंगा कि सदन का समय बढ़ाया गया है, इसका [illegible]

(श्री उपाध्यक्ष)

यद्यपि काफी चर्चा हो चुकी है फिर भी जो माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं उनको मैं अवसर दूंगा। जिनको बोलने के लिए निमन्त्रित करूंगा, मैं चाहूंगा कि.......

(व्यवधान)

कृपया बीच में मत बोलिये। यह तो साधारण ज्ञान की बात है, मैं बोल रहा हूं उस समय तो कम से कम बीच में नहीं बोलना चाहिये।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि ज्यादा समय नहीं लें, पांच या दस मिनट मेग्जिमम लें। मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आप इसमें सहयोग दें जिससे आज का जो कार्य है वह निर्धारित समय में पूरा हो सके।

हां, अब बोलिये। माननीय शिवचरणसिंह जी, आप कुछ कहना चाहते थे।

श्री शिवचरणसिंह : मैं बोलने के लिए निवेदन कर रहा था।

श्री उपाध्यक्ष : आपको अवसर दूंगा। आप इनके बाद ही बोलेंगे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी बोलने का अवसर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी कोई प्रायर इन्टीमेशन तो नहीं है कि किस विषय पर आप बोलना चाहेंगी फिर भी मैं आपको अवसर दूंगा।

श्री शिवचरणसिंह : आप मुझको अवसर देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : इसके बाद ही आप बोलेंगे। श्री वृद्धिचन्द जैन।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विनियोग (संख्या 2) बिल, 1978 सदन के सामने प्रस्तुत है, इसके सम्बन्ध में अपने विचार रखना चाहता हूं। हम काफी बड़ी राशि का व्यय करने का अधिकार सुपुर्द करने जा रहे हैं। बिना एप्रोप्रिएशन बिल को स्वीकृत किये राजस्थान की गवर्नमेंट को इस राशि को खर्च करने का कोई भी अधिकार नहीं है। जब हम यह अधिकार देने जा रहे हैं तब हमें यह सोचना पड़ेगा कि इस राशि का उपयोग होगा या नहीं? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान एक पिछड़ा हुआ प्रान्त है, परन्तु इस राशि का जो उपयोग किया जाय उसमें यह भी देखना है कि राजस्थान में पिछड़े हुए ऐसे भी जिले हैं जहां कि विकास बहुत ही कम हुआ है। सीमावर्ती जिले हैं, जैसलमेर जिला है, बाड़मेर जिला है, जालोर जिला है इनमें आयोजनाओं में बहुत ही कम व्यय हुआ है और सबसे कम व्यय हुआ है। राज्य सरकार को यह सोचना होगा कि इन जिलों में हम अधिक व्यय करें। डिपार्टमेंटवाइज हमें यह बता दिया जाय ये फिजिकल टार्गेट्स हैं जो आपको प्राप्त करने हैं, दो महीनों में, तीन महीनों में। साथ में यह भी योजना प्रस्तुत कर दें कि सभी जिलों में 78-79 में किन-किन डिपार्टमेंट्स के द्वारा क्या व्यय किया जायगा। यह भी जानकारी प्रस्तुत करें तो उससे सारी स्थिति स्पष्ट हो जायगी। मैं तो यह चाहता हूं कि आगामी दस वर्षों के अन्दर इस प्रकार से व्यय करने का तरीका करें कि जहां विभिन्न जिलों में असमानता है, जहां विकास कम हुआ है,

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

वहां ज्यादा खर्च किया जाय। कहीं मरुधर प्रदेश का प्रश्न उठता है, मैं इसके बिल्कुल विरुद्ध हूं कि इस प्रकार का प्रदेश बनायें। यह संकीर्ण विचारधारा है, यह तरीका अच्छा नहीं है। हम यह कह सकते है कि पिछड़े हुए क्षेत्र को और विकसित किया जाय। परन्तु इस प्रकार की आवाज उठायें, दबाव डालें और प्रेशर डालें, यह तरीका कोई अच्छा नहीं है। आज जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, इसके सामने हम हमारी बात करते हैं, डेमोक्रेसी में वह वजन रखती है। इसलिये गवर्नमेंट इस दृष्टिकोण से सोचे कि विभिन्न जिलों में जो असमानता है, जो पहले कांग्रेस गवर्नमेंट में भी थी, आप उस असमानता को मिटायेंगे, तो आपको उपलब्धि होगी। किसी पार्टी का कोई ठेका नहीं है कि वही राज करे। आपकी पार्टी अच्छा शासन करेगी तो दूसरी दफा भी आपको मौका मिल सकता है और अच्छा शासन नहीं करेगी तो आपको अवसर नहीं मिलेगा। मैं विशेष तौर से यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान प्रान्त की विषम परिस्थिति है और आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है उसका विशेष कारण है। यहां अकाल बहुत ज्यादा पड़ता है। अकाल के कारण इस प्रदेश की स्थिति सुदृढ़ नहीं हो पाती। इस अकाल के कारण, 67-68 और 68-69 में राजस्थान की गवर्नमेंट ने 18 करोड़ में से हमारे जिले में खर्च किये। राजस्थान पर कर्जा जो अधिक है वह अकाल के कारण है। पहले केन्द्र देता था उसमें 11 परसेन्ट अनुदान देता था और 89 परसेन्ट लोन दिया जाता था, उस कर्जे का ब्याज चुकाना पड़ता था। तो मेरा निवेदन है कि नेचरल केलेमिटीज के बारे में सिक्स्थ फाइनेन्स कमीशन के सामने भी रिप्रेजेन्ट किया गया, उससे यह उपलब्धि हुई कि 10.90 करोड़ रुपया हमको प्रति वर्ष मिलता है वह लोन के रूप में नहीं बल्कि अनुदान के रूप में मिलता है। परन्तु यह राशि बहुत ही अपर्याप्त है। अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है, बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है और हमको जो 10.90 करोड़ मिलता है, उतना एक्सपेण्डीचर हो जाता है। उससे अधिक खर्च नहीं कर सकते। जब अधिक नहीं कर सकते तो हम अच्छी तरह से इस समस्या को फेस नहीं कर सकते और न हम इसको मीट कर सकते है। अभी भी जो अकाल स्थिति है, मैं बाड़मेर जिले की स्थिति के बारे में कहना चाहता हूं, अभी की रीसेन्ट रिपोर्ट है मेरे पास, उसके अनुसार सारे जिले में केवल एक हजार से कम संख्या में मजदूर लगे हुए हैं, रोड्स के वर्क्स चल रहे हैं, योजना के अन्तर्गत उन पर जो मजदूर काम कर रहे हैं उनकी भी संख्या इसमें सम्मिलित की गई है। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि अकाल की समस्या को फेस करने के लिए अगर फेमिन कोड में भी परिवर्तन करना पड़े तो परिवर्तन करना चाहिये। अकाल की समस्या को फेस करने के लिए, अभी गर्मियों में संकट का समय आने वाला है, उस समय इस समस्या को मीट आउट करने के लिए आप अधिक राशि बाड़मेर और जैसलमेर के एरिया में व्यय करें। अगर वहां पर अधिक राशि व्यय नहीं करेंगे तो यह स्थिति हो जायगी कि अकाल में पशु तो मरेंगे ही, परन्तु यह भी हो सकता है कि मनुष्यों के मरने की भी स्थिति पैदा हो जाय। मैं यह नहीं चाहता कि गवर्नमेंट इस प्रकार से बदनाम हो कि अकाल के कारण से मनुष्य मर

Page No 133

(133)

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

रहे हैं। हम भी यह पसन्द नहीं करते कि मनुष्य अकाल के कारण मरे। किसी भी सूरत में मैं यह पसन्द नहीं करना चाहता, इसलिए मेरा निवेदन है कि आप स्थिति को सुधारने का प्रयत्न करें।

जब तक आप रिसोर्सेज को नहीं बढ़ायेंगे तब तक अनिश्चित सी पोजीशन बनी रहेगी और कोई भी उपलब्धि नहीं होगी। मैं एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स के बारे में सुझाव देना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यदि सरकार लिबरल है तो बीस हजार जिसकी बेसिक इन्कम हो उस पर एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स लगाया जा सकता है। टेन थाउजेन्ड पर इन्कम टैक्स लगता है सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के द्वारा। हम उनसे पर्मीशन लेकर हमारे प्रान्त के अन्दर बीस हजार जिसकी इन्कम है उस पर एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स लगा सकते हैं। बीस हजार की इन्कम वाले वही लोग हैं जो पैसे वाले हैं, इसलिये यह टैक्स उन्हीं पर लगेगा जो रिच हैं। अगर आप यह नहीं लगायेंगे तो आप पूरी तरह से समस्या फेस नहीं कर सकेंगे। इसलिए इस बारे में ठोस कदम उठाना चाहिए। जरूर कुछ लोग इसका विरोध कर सकते हैं, सदन में भी इसका विरोध हो सकता है लेकिन वाकई आप समाजवाद लाना चाहते हैं और गरीबी को दूर करना चाहते हैं तो जिनके पास में अधिक पैसा है जो रिच है उनके ऊपर आप एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स लगाकर हमारे प्रान्त की स्थिति को सुदृढ़ बना सकते हैं।

इसके अलावा केन्द्र शुगर, तम्बाकू और क्लाथ पर एडीशनल एक्साइज ड्यूटी लगाता है, 1956 से पहले से शुगर, तम्बाकू और क्लाथ पर राज्य की ओर से टैक्स चार्ज किया जाता था। मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी सेन्टर से जो राशि मिलती है वह बहुत ही कम राशि मिलती है। इसलिये, शुगर, तम्बाकू और क्लाथ पर आप सेल्स टैक्स लगा दें, तो क्योंकि शुगर का कन्जम्पशन ज्यादा है, तम्बाकू का कन्जम्पशन ज्यादा है, क्लाथ का कन्जम्पशन ज्यादा है इसलिये मैं समझता हूं कि 25 करोड़ को आमदनी हो सकती है। अभी जो एक्साइज ड्यूटी का शेयर सेन्टर से हमको मिलता है वह कम मिलता है, हम सेल्स टैक्स लगाकर हमारे

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

रिसोर्सेज को बढ़ा सकते हैं, इसलिये सेन्टर से यह मांग करें, यह अधिकार हमको मिलना चाहिए।

अब एक समस्या और है, बिजली के बारे में अभी एक मिनट में—

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समय की मेरे सामने समस्या है, वैसे समस्यायें तो बहुत हैं।

श्री वृद्धि चन्द जैन : दो मिनट में समाप्त कर दूंगा।

आप बिजली बोर्ड का शायद बजट पेश करें या नहीं इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं, बाड़मेर और जैसलमेर जिले को औद्योगिक दृष्टि से देखा जाय तो बाड़मेर जिला 5.6 पर्सेन्ट कवर हो पाया है और जैसलमेर जिला केवल .02 पर्सेन्ट कवर हो पाया है, यह कुछ भी नहीं है। अगर

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

इस तरह से इन जिलों को पिछड़ा रखेंगे औद्योगिक दृष्टि से तो किस प्रकार से वहां प्रोडक्शन हो सकता है, किस प्रकार से वहां विकास हो सकता है? कोई प्रोडक्शन नहीं हो सकता। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां पर 132 के. वी. की लाइन लगाई जाय। वहां पर बिजली नहीं होगी तो क्या विकास करना संभव है? बिजली के बिना कोई उद्योग लगाना भी संभव नहीं है। जालोर से बालोतरा के लिए मैंने प्रश्न भी पूछा था, तो बताया था कि अक्टूबर, 78 तक 132 के. वी. की लाइन कम्पलीट हो जायेगी। उसके बाद बालोतरा से बाड़मेर का कार्य हाथ में नहीं लिया जाता है तो बाड़मेर का डवलपमेन्ट नहीं हो सकता। जैसलमेर से पोकरण तक 132 के. वी. लाइन लगाने का जो कार्यक्रम है वह हाथ में लिया गया है,

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जितने भी ट्यूब वैल्स लगाये जा सकते हैं, जितने भी कुओं में पम्पिंग सैट लगाये जा सकते हैं वह लगाये जाने चाहिए, तभी प्रगति हो सकती है। ये सीमावर्ती जिले हैं, देश की रक्षा के लिये प्रहरी हैं, अगर आप इनका विकास करना चाहते हैं, दूसरे जिलों के मुकाबले में इनको लाना चाहते हैं तो इन जिलों पर अधिक से अधिक व्यय करके इनकी स्थिति को मजबूत करिये जिससे देश की अच्छा तरह से रक्षा कर सकें और अच्छे प्रहरी बन सकें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रामकृष्णदास गुप्ता।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष जी, 78-79 का एप्रोप्रिएशन बिल पेश किया गया है जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा यह ऐप्रोप्रिएशन बिल नहीं है, मिस एप्रोप्रियेशन बिल है। अगले वित्तीय वर्ष में मिसयूज करेंगे या नहीं परन्तु इस वित्तीय वर्ष, जो कल समाप्त होने जा रहा है, मैं पिछले सात-आठ दिनों के अन्दर करोड़ों रुपयों का जो मिसयूज हो रहा है, जिस ढंग से खर्चा किया जा रहा है, वह सिर्फ इसलिए कि 31 मार्च तक कोई पैसा बाकी नहीं रहना चाहिए। अनाप-शनाप खर्चा किया जा रहा है, जहां जरूरत नहीं है वहां भी खर्च किया जा रहा है, माल के आर्डर बुक किये जा रहे हैं। एक तरफ 900 करोड़ का बजट है और दूसरी तरफ उस धन को ठीक प्रकार से खर्च नहीं किया जा रहा है। इसलिए इस बारे में विचार करने की आवश्यकता है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपके जरिये मैं जनता सरकार से कहूंगा कि बजट को चाहे कितना ही बड़ा बना दें परन्तु जब तक पावर और इरिगेशन की तरफ ध्यान नहीं देंगे तब तक राजस्थान का विकास नहीं हो सकता। चाहे आप राजस्थान को पिछड़ा हुआ क्षेत्र घोषित करें किन्तु यदि इरिगेशन और पावर नहीं होगी तो विकास नहीं हो सकता, कोई भी इण्डस्ट्री नहीं लग सकती। हां पापड़ की इण्डस्ट्री लग सकती है, कोई छोटा-मोटा काम हो सकता है परन्तु कोई भी ऐसी इण्डस्ट्री नहीं लग सकती जो इन्फ्रास्ट्रक्चर पैदा कर सके, जिससे छोटी-मोटी इण्डस्ट्री पैदा हो सके। राजस्थान में पावर नहीं, और ट्रांसपोर्टेशन के साधन नहीं। आज राजस्थान में

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)

जो हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर प्लान्ट है वह भी इर्रेगुलर है। जो कोटा का प्लान्ट है वह भी सिक-प्लाण्ट बन गया है। आज राजस्थान में वाटर क्राइसिस है, पावर क्राइसिस है और दूसरी तरफ आप टैक्स लगा रहे हैं, और जो टैक्स चोर है उनको आप अनुदान दिये जा रहे हैं। मेरा सुझाव है कि किसी भी इण्डस्ट्री को अनुदान नहीं देकर जो हैं उन्हीं को आप पूरी पावर और पानी दें, ट्रान्सपोर्टेशन की फैसिलिटीज दें तो कोई भी उद्योगपति आपके यहां आना पसन्द करेगा। आज भी आपने केवल इस 900 करोड़ के बजट में केवल 5 करोड़ कोटा के ताप बिजली घर के लिए रखा है। छठी पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सरकार ने 18500 मेगावाट बिजली का लक्ष्य रखा है पांच साल के अन्दर और हमारी सरकार 9 सौ करोड़ के बजट में केवल पांच करोड़ रुपया ताप बिजली घर के लिये खर्च कर रही है। बिजली कहां से आएगी ? आज 133 के. वी. की लाइन डाल दी जाए लेकिन जरूरत इस बात की है कि कुओं को कनैक्शन्स दिये जाय। आखिर कुए बिजली के बगैर कैसे चलेंगे ? इसलिए वित्त मंत्री जल्दी से जल्दी राजस्थान में कोयले पर आधारित ताप घर बनाने की योजना बनायें। उत्तर-पश्चिमी राजस्थान में बीकानेर से 12 मील दूर पलाना खान थी वहां ताप घर की योजना थी, लेकिन पिछली सरकार ने ध्यान नहीं दिया वह योजना जापान के कोलेबोरेशन से चालू हुई थी लेकिन वह छोड़ दी गई। प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार है। आप उस योजना को हाथ में ले और ताप घर की स्थापना करें। अगर बड़े तापघरों के लिए साधन नहीं हैं तो हर शहर में छोटे छोटे तापघरों की स्थापना करें चाहे बिजली के उत्पादन में खर्चा अधिक आता हो। आज का किसान महंगी बिजली भी लेने को तैयार है। आप 25 मिनी प्लान्ट्स लगाने को तैयार हैं लेकिन बिजली कहां से लायेंगे ? इस ओर आप ध्यान दें।

दूसरा मेरा सुझाव है कि उत्तर-पश्चिमी राजस्थान जो पिछड़ा हुआ है, मरु प्रदेश है, जहां अकाल पड़ता रहता है, कम आबादी है वहां रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन निगम के क्राइटेरिया के अनुसार बिजली नहीं लग सकेगा। जब तक राजस्थान के लिए निगम क्राइटेरिया चेंज नहीं करता तब तक उत्तर पश्चिमी राजस्थान के गांवों में बिजली लगाने के लिए कर्जा नहीं मिल सकेगा।

अब मैं राजस्थान नहर और सिंचाई के लिए कहना चाहता हूं। मेरा कांग्रेस सरकार पर सबसे बड़ा इल्जाम यह है कि जो योजना 200 करोड़ की थी वह अगर आज से 6 साल पहले पूरी हो जाती तो खर्चा 400 करोड़ से ऊपर नहीं आता, उससे 12 लाख एकड़ भूमि इरिगेट होती और करोड़ों रुपये का धान पैदा होता। इस परियोजना के लिए जनता सरकार ने इस नए वित्तीय वर्ष के लिए 30 करोड़ रुपये दे रहे हैं। जो जो राजस्थान व देश की बड़ी परियोजना है, जिस पर लाखों लोगों की आशायें व आकांक्षायें हैं, जो भूखे नंगे राजस्थान को समृद्धि की ओर ले जायगी, आजादी के साथ रोटी दिलायेंगी

श्री उपाध्यक्ष : एप्रोप्रिएशन बिल पर जो आप चर्चा कर रहे हैं, यह सब पहले जब ग्रांट्स वोट हुई थीं उस समय कह चुके हैं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैं सिंचाई विभाग पर बोल रहा था। दो मुद्दे हैं जिन पर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। बेसिक इश्यूज हैं, इस बजट में दोनों मुद्दों की ओर सरकार ने ध्यान नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बेसिक इश्यूज पर बेसिक टाइम में बोलें।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : जैसलमेर को आप पेयजल के लिए अधिक धन दें, बीकानेर व जोधपुर को अधिक धन दें। धन कहां से आएगा? हमारी सरकार ने करों के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा। जो सरकार खुशहाल लोगों से टेक्स नहीं ले सकती उसको सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। 30 सालों में जिन लोगों की कैपसिटी इन्क्रीज हुई है, आप उन पर कर लगायें। एक्सपेन्डीचर टैक्स लगायें। जिन लोगों की आय बढ़ी है, अगर वे अपने लिए खर्चा करते हैं तो उससे टैक्स लीजिए। यदि गांव व शहर को बराबर मानते हैं तो आप बड़े किसानों पर कर लगायें। शहर में काम करने वाले लेक्चरार्स, डाक्टर, अधिकारी, दुकानदार 10 हजार रुपये वार्षिक आय पर आयकर देते हैं तो क्यों नहीं एक किसान भी 10 हजार से ऊपर आमदनी करने पर कर दें? 80 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं, बजट का 70 प्रतिशत गांवों पर खर्च करते हैं तो उसी अनुपात में आप गांवों से क्यों नहीं वसूल करते हैं? आप जब अगली बार बजट लायें तो हिम्मत के साथ समाजवादी पैटर्न को ध्यान में रख कर, संविधान में जो गरीबों की गरीबी दूर करने के लिए अन्त्योदय योजना लागू करना चाहते हैं, उनके लिए कर उन पर लगायें जो देने की क्षमता रखते हैं, जो गरीबी लाइन के ऊपर हैं, 48 प्रतिशत ऊपर है।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : बैठता हूं।

अन्ततोगत्वा मैं चाहूंगा कि वित्त वर्ष में ऐसा प्रावधान रखें कि मार्च के महीने में रुपये का दुरुपयोग न हो।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल ये बातें कहना चाहूंगी जो बजट की मांगों पर डिस्कस नहीं की गई हैं। कारागारों में ऐसे लोग रहते हैं, जिनकी आवाज बाहर नहीं आ सकती। कारागारों में हमारी इन्डस्ट्री है जहां बन्दी लोग कार्य करते हैं, वह पिछले दिनों लगभग 2 महीने से बन्द पड़ी है। इस कारण हमारा नुकसान हो रहा है। 15 साल पहले कानून बना था कि बन्दी दो महीने में एक बार अपने परिवार के लोगों से मिल सकता है वही आज भी लागू है। जब हम मीसा में बन्द थे तब भी यह कानून हम पर एप्लाई किया गया था। दो महीने में केवल एक बार मिलने पर कितनी वेदना होती थी? क्या जरूरत है कि जो आजीवन कारावास भुगत रहे हैं उनको और उनके परिवार वालों को इस तरीके से सीधी सजा दें?

बंदियों के कल्याण के लिए योजना है, वे लोग हमारे लिए अपना समय कटवाते हैं और उद्योग उत्पादन के रूप में पैसा भी

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

देते हैं। हमारे लिए दरी, निवाड़ इत्यादि कुटीर उद्योग की वस्तुयें उपलब्ध कराते हैं। उन पर रहम करें और जो चीजें वे उत्पादित करते हैं उनका सारा पैसा उनके परिवारों को ही दें नहीं तो उनके लिए बड़ी सजा है। अगर यह पैसा उनको ही दें तो इससे यह होगा कि जब वे जेल से निकलेंगे तब तक इस रोजगार के जरिये काफी पैसा उन्होंने कमा लिया होगा जिससे बाहर आकर समाज में वे अपना स्थान बना सकेंगे और दर दर भटकने के लिए मजबूर नहीं होंगे। उनका बैंक बैलेंस बढ़ाया जाए, उनके नाम के खाते खोले जायें। उनको जो दैनिक मजदूरी मिलती है वह जब 13 किलो सूत खोल देते हैं, उससे अधिक यदि काम करते हैं तब उनको पैसा मिलता है। मुश्किल से 12 आने की इनकी कमाई हो पाती है क्योंकि 13 किलो सूत खोलने के बाद उनमें दम नहीं रहता, जितना भोजन उनको मिलता है उसके आधार पर वे ज्यादा काम नहीं कर सकते।

इसके अलावा उनका कमाया हुआ पैसा उनके घर वालों को दें ताकि बंदियों के बच्चों की पढ़ाई हो सके। इसी तरह जो महिला जेल में हैं वह भी पैसा अपने बच्चों को भेज सके ताकि उनका पालन हो सके। दो महीने में परिवार से मिलने के लिए जो उनको बाध्य किया जा रहा है, अविलंब यह कन्ट्रोल हटाया जाए जिससे वे प्रति सप्ताह जैसे और बंदी अपने परिवारों से मिलते हैं वैसे ही मिल पायें। जो काफी समय से कारखाना बंद पड़ा है उसको चालू करें ताकि फिर से उत्पादन शुरू हो सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इस पर हमने विचार नहीं किया। यह बहुत बड़ा उद्योग है, काफी पैसा हमने इससे कमाया है। पिछले दिनों में इससे काफी पैसा मिला है और 1977-78 में भी यह काफी पैसा देगा।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जो पर्यटन केन्द्र हैं उनका विकास किया जाना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान एक ऐतिहासिक स्थान है, यहां पर कई ऐतिहासिक केन्द्र हैं जो कि दर्शनीय स्थान हैं। यहां पर कई किले है, कई मीनारें हैं और कई पुराने मन्दिर हैं तथा और भी कई दर्शनीय स्थान हैं। इन दर्शनीय स्थानों को बाहर से, विदेशों से तथा हमारे देश के पर्यटक भी देखने आते हैं। मेरा निवेदन है राज्य सरकार को कि इन स्थानों की रक्षा की जाय और इन्हें और सुन्दर बनाने की व्यवस्था की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, आपने काफी कह दिया है। यों आप हर पोइन्ट पर पांच पांच मिनट बोलेंगी तो 8 घन्टे में समाप्त नहीं होगा आपका भाषण। आप एप्रोप्रियेशन बिल के बारे में बोलें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब थोड़ा आवासीय समस्या के बारे में निवेदन करना चाहूंगी। उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल में आवासीय समस्या के बारे में कोई प्रोविजन नहीं किया है जो कि करना बहुत ही आवश्यक है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप काफी बोल चुकी हैं। आप कृपया समाप्त करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अच्छा साहब

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

मैं अपना स्थान ग्रहण करती हूं। आपने मुझे बोलने का जो समय दिया उसके लिये मैं आपकी आभारी हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल। आप माननीय सदस्य, बहुत ही जल्दी यानि पांच मिनट में ही समाप्त कर दें।

श्री शंकरलाल : (जेतारण) : उपाध्यक्ष महोदय, आप कहें तो मैं बिलकुल ही नहीं बोलू। बैठ जाऊं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आप बोलें, पर बहुत ही संक्षेप में बोलें मुझे विश्वास है कि आप मुख्य मुख्य बातें पांच मिनट में ही कह कर समाप्त कर देंगे।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो मेरा दुर्भाग्य ही है। मैं सुबह से ही बोलने का प्रयास कर रहा था। अब अन्त में जाकर मुझे बोलने का समय भी मिला तो वह भी सिर्फ पांच मिनट का। खैर, उपाध्यक्ष महोदय, फिर भी मुख्य मुख्य बातों की ओर ही राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करके मेरा भाषण समाप्त कर दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में राजस्थान विनियोग विधेयक पेश हुआ है वह 9 अरब 6 करोड़ और 40 लाख रुपये का है। उपाध्यक्ष महोदय, जब विनियोग विधेयक हाउस में प्रस्तुत होता है तो सदन के सभी माननीय सदस्यों को यह उम्मीद रहती है कि इस बिल के माध्यम से राज्य सरकार आगे आने वाले वर्ष में नयी घोषणायें जन हित के लिए करने वाली है। वैसे अमूमन यह सोचा जाता है कि जिस पार्टी की सरकार होती है उसी पार्टी की नीति के अनुरूप उस बिल में प्रोविजन्स किये जाते हैं। वैसे तो मुझे जैसा कि याद पड़ता है, आप तो गान्धीवादी विचारों के पहले से ही थे लेकिन आपकी जनता पार्टी की सरकार ने गान्धीजी की नीति को अपनाने का फैसला किया था, उनकी नीतियों को क्रियान्वित करने की घोषणा की थी। गान्धी ने कहा था कि मेरे स्वप्नों का भारत ऐसा होगा कि उसमें बड़े से बड़े कर्मचारी और छोटे छोटे से कर्मचारी की तन्ख्वाह में बहुत थोड़ा अन्तर होगा। उन्होंने कहा कि मेरी नीति के अनुसार बड़े से बड़े अधिकारी को 600 रुपए मिलने चाहिये और छोटे से छोटे कर्मचारी को कम से कम 100 रुपये मिलने चाहिये। पर अब चूंकि महंगाई बढ़ गयी है इसलिये ऐसा होना चाहिये कि बड़े से बड़े कर्मचारी को 1000 रुपये मिलने चाहिये और छोटे से छोटे कर्मचारी को 300 रुपया मिलने चाहिये। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि पिछली कांग्रेस सरकार भी ऐसा नहीं कर सकी मैं जब कांग्रेस पार्टी सरकार में थी तब यहां पर हाउस में उनकी नीतियों के बारे में आलोचना किया करता थी। गान्धीजी की मूर्ति के सामने जिन लोगों ने सौगन्ध खायी थी जनता पार्टी के नेताओं ने, उस जनता पार्टी की सरकार ने जब 9 महीने के बाद यह प्रस्तुत किया है तो कोई गान्धीवादी नीति का परिचय नहीं दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, नौ महीने के बाद जब बच्चा पेट में से बाहर आता है, मां के कुम्भ में से बाहर आता है तो बच्चा तो दिखता है लेकिन यह नौ महीने के बाद जो बच्चा निकला है वह ऐसा दिखता है कि जिसको न तो आंख का पता न टांग का पता है और यह भी नहीं कह

(श्री शंकरलाल)

सकते कि लड़का है या लड़की। न्यूटरल जेण्डर है या क्या है। कुछ भी पता नहीं लग पाता है। तो मेरा निवेदन है कि आपने क्या यह प्रोविजन्स किये है। जहां तक गान्धीवादी नीति को अपनाने का सवाल है आप आज भी बिलकुल नहीं अपना रहे हैं। आपके राज्यपाल महोदय के वही शाही ठाठ हैं वही मन्त्रियों के ठाठ है। आज आपके जो गवर्नर की इन्स्टीट्यूशन है यह बिलकुल बेकार है, फालतू है। इनके पास कोई काम नहीं है। आप उन पर लाखों रुपये खर्च करने जा रहे हैं और वह अपने शाही ठाठ के लिये और पैसा मांग रहे हैं। दूसरी ओर आपने होटल निगम के बेचारे कर्मचारियों को, जो कि करीब 150 हैं, निकाल दिया है। उनको आपने वापिस नहीं रखा। आज आपके सेक्रेटेरियट में कई पोस्ट्स है, डिप्टी सेक्रेटरी और असिस्टेन्ट सेक्रेटरीज सैकड़ों की तादाद में बैठे हैं वह वहां पर कोई काम नहीं करते है, रैड टेपिज्म बढ़ाते हैं, फाल्तु पंखे चलाते रहते हैं, चाय पीते रहते हैं और अपने घर पर टेलीफोन पर बातें करते रहते हैं। इनको हटाइये आप।

आपने अन्त्योदय की योजना बनाई उसमें आप खर्च करने जा रहे हैं। पर आपके पास पैसा कहां है? आपने कहा था कि आपने कोन्स्टीट्यूशन में राइट आफ प्रोप्रटी को खत्म कर दिया है तो क्यों नहीं आप लैण्ड टैक्स लगा रहे है? क्यों नहीं आप प्रोपर्टी टैक्स लगा रहे हैं? आप लीजिये। उन लोगों से जो कि सामर्थ्यवान है और फिर अपनी योजनाओं को चालू कीजिये।

दूसरी बात जो है कहना चाहूंगा वह अन-एम्पलायमेन्ट को समाप्त करने के लिये आपने कुछ भी नहीं किया है। आपको चाहिये था कि आप प्रोविजन रखते, जिस प्रकार कि वेस्ट बंगाल में किया गया है बेरोजगारों का भत्ता देने की बात रखते, इसके अलावा आज बिहार, महाराष्ट्र और यू. पी. की तरह दूसरी जातियों, जो कि पिछड़ी हुई है अदर दैन शिडयूल्ड कास्टस और टाइब्स जो पिछड़ी है, को आप भी 26 प्रतिशत आरक्षण दें सर्विसेज में और प्रमोशन्स में। वह भी पिछड़ा वर्ग है। आपको उसके बारे में प्रोविजन करने चाहिये। इसके लिए मैंने पहले जब मुख्य मन्त्री जी हरिदेव जोशी जी थे उन्हें कहा था उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और आखिर वह घर गये। आपको भी मैंने यहां पर पंचायतों के चुनाव के लिए कहा था। आपने चुनाव कराये पंचायतों के उसके लिए तो मैं आपको बधाई देता हूं लेकिन ऐसे पिछड़े वर्ग के लोग 57 प्रतिशत हैं अगर आपने उनके बारे में नहीं सोचा तो वह लोग आन्दोलन करेंगे। इसलिए मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से वित्त मन्त्री जी को कहना चाहूंगा कि इस ओर विशेष रूप से ध्यान दें। नहीं तो मुझे डर है कि कहीं यह लोग भी आन्दोलन नहीं कर बैठें। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आप समाजवादी नीति को मानते हैं उस के उपरांत आप बेकार राज्य में पैसा खर्च कर रहे हैं। जैसा कि मैंने निवेदन किया कि गवर्नर साहब के बंगले पर साढ़े तीन लाख रुपये खर्च किये जा रहे हैं, उनकी शान शोकत के ऊपर खर्च किये जा रहे हैं। एक तरफ हमारे राष्ट्रपति जी एक छोटे मकान में जाना चाहते हैं दूसरी तरफ हमारे राजस्थान के राज्यपाल महोदय कहते हैं कि

(श्री शंकरलाल)

हमारे ऊपर और ज्यादा खर्च करो, हमारी शान बढ़ाओ, यह कितना अनुचित है।

इसके अलावा आपने उद्योग खोलने के बारे में भी कोई नीति नहीं रखी है। आप एच. एम. टी. के कारखाने को पाली में क्यों नहीं खोल रहे हैं? वहां सभी प्रकार की फेसीलिटीज हैं पर पता नहीं आप क्यों अपनी गलत नीतियों को चला रहे हैं? इस प्रकार से दूसरे इलाकों का उपहास किया जाता है। इसके कारण ही आज पश्चिमी राजस्थान से आवाज उठ रही है कि मरु प्रदेश बनाया जाय। इसका कारण है कि मरु प्रदेश-राजस्थान के पश्चिमी इलाके की उपेक्षा की जा रही है। मैं समझता हूं कि जयप्रकाश नारायण जनता पार्टी के नेता हैं उन्होंने कहा है कि छोटे छोटे प्रांत होने चाहिये। तो आपको छोटे छोटे प्रांतों की मांग को प्रोत्साहन देना चाहिये। मरु प्रदेश की जो लोग मांग करते हैं वह ठीक है, इससे रेगिस्तानी इलाके का विकास हो सकेगा। गांधी जी भी यही चाहते थे और जे. पी. भी इस बात के हामी हैं, फिर आपको क्या दिक्कत है। ऐसा होने से कम से कम सभी जगह बराबर विकास तो हो सकेगा।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री शंकरलाल : बस इतनी ही बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवचरणसिंह।

श्री शिवचरणसिंह (बयाना) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में राजस्थान विनियोग विधेयक पेश हुआ है जो कि 906 करोड़ और 40 लाख रुपये का है। उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल को देखने से पता लगता है कि जिस तरह से पिछले तीस सालों से हमारे पूर्वी राजस्थान की उपेक्षा की गई है उसी तरह जनता पार्टी की सरकार भी पूर्वी राजस्थान की उपेक्षा ही कर रही है। उपाध्यक्ष महोदय, पूर्वी राजस्थान में इण्डस्ट्रियलाइजेशन के चान्सेज ज्यादा हैं। पूर्वी राजस्थान में लैण्ड कम है, जो भी जमीन है उसमें आबादी अधिक है और जमीन के छोटे छोटे प्लाट अधिक हैं जिससे कि वहां पर खेती भी ज्यादा नहीं हो सकती है। यही कारण है लोग गरीब हैं। पूर्वी राजस्थान में इरिगेशन के लिए आपने 94 करोड़ रुपये रखे हैं यह बहुत कम है। इसके लिए आपको अधिक राशि रखनी चाहिये थी। वैसे भी पूर्वी राजस्थान को बहुत भारी मात्रा में पिछले तीस साल से इगनोर किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने इगनोर किया और जनता पार्टी की सरकार भी उसी के पद-चिन्हों पर चल रही है। इसका एक कारण यह भी है कि अभी पश्चिमी राजस्थान वालों ने मांग की थी मरु प्रदेश की। उसके सामने जनता पार्टी की सरकार ने अपने घुटने टेक दिए पश्चिमी राजस्थान के लोगों के सामने घुटने टेक कर आपने एक काम्प्रोमाइज किया कि हम पश्चिमी राजस्थान वालों के लिए पूर्वी राजस्थान वालों का एक्सप्लोइटेशन करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, यह एक साजिश की गई थी पूर्वी राजस्थान वालों के खिलाफ में। उपाध्यक्ष महोदय, पूर्वी राजस्थान की आबादी घनी है और लैण्ड की छोटी छोटी होल्डिंग्स है, इसलिये इसमें एग्रीकल्चर इकोनोमी का विकास कम होने के चान्सेज हैं। मैं सरकार से सुझाव के रूप में

(श्री शिवचरण सिंह)

निवेदन करना चाहूंगा कि आप यहां पर लैंण्ड होल्डिंग छोटी छोटी होने से कृषि का तो अधिक डवलपमेंट नहीं कर सकेंगे इसलिए आप यहां पर ज्यादा से ज्यादा औद्योगीकरण करें। मैं जब कांग्रेस में था तब भी मैंने कांग्रेस की सरकार को और जो पार्लियामेंट के मेम्बर्स थे उन्हें कहा था कि आप यह कोशिश करो कि केन्द्रीय सरकार ने जो अपनी पूंजी का सिर्फ दो प्रतिशत भाग ही राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिये लगाया है उस दो प्रतिशत से अधिक खर्च कराने का प्रावधान केन्द्रीय सरकार से करायें ताकि यहां पर केन्द्रीय धन से ज्यादा से ज्यादा उद्योग खुल सकें। जो अभी तक दो प्रतिशत से ज्यादा केन्द्रीय सरकार का बजट राजस्थान में खर्च नहीं किया गया है। मेरा चेलेन्ज है जनता पार्टी को, चाहे फाइनेन्स मिनिस्टर हों या अन्य कोई नेता हो, केन्द्रीय बजट की चार पर्सेन्ट, 6 पर्सेन्ट, दस पर्सेन्ट पूंजी लगाकर आप पूर्वी राजस्थान का उत्थान नहीं कर पाये। केन्द्रीय सरकार जिस प्रकार प्रांतों को पूंजी दे रही है और जिस प्रकार से राजनैतिक निर्णय होते हैं वैसे नहीं होने चाहिये। आपको पूर्वी राजस्थान के बारे में अलग कोई योजना बनानी चाहिये।

बजट सरकार की नीति का एक प्रतिबिम्ब होता है। राजस्थान के बजट में एक प्रकार से हमको धोखा दिया गया है। माननीय माणकचंद जी कह रहे थे कि छठी योजना में 42 पर्सेन्ट प्रावधान एग्रीकल्चर के लिये किया है। आपने यह भी कहा है कि 80 पर्सेन्ट बिजली इन्डस्ट्री को जाती है और 20 पर्सेन्ट बिजली कृषि को जाती है। आपका सबसे बड़ा खर्चा बिजली पर होता है लेकिन केवल 20 पर्सेन्ट बिजली का उपयोग कृषि में होता है। आपने घोषणा नहीं की कि आप कृषि पर अधिक खर्च करेंगे। आपने यह घोषणा भी नहीं कि कि आप बेरोजगारी भत्ता देंगे। आपने यह भी घोषणा नहीं की कि एग्रीकल्चर इनश्योरेन्स करवायेंगे। आपने यह भी घोषणा नहीं की कि एग्रीकल्चर प्रोटेक्शन के लिये आप बोनस देंगे। राजस्थान केनाल पर, आपने कहा, इतना खर्चा होगा। आपने यह कहा कि खाद्य पदार्थ सस्ते होंगे। तो क्या आपकी यह नीति है कि कृषि प्रोडक्शन की कास्ट बढ़ जाय और प्रोड्यूसर को उसका कोई लाभ न मिले? आपने इसको बिलकुल टाइट कर रखा है। आपकी केन्द्र के अन्दर भी सरकार है और आपकी यहां पर भी सरकार है किन्तु चाहे बड़े होल्डिंग हों या छोटे होल्डिंग हों उनकी इकोनोमी की क्या सिक्योरिटी है इसको आपने नहीं देखा। लैंड सीलिंग में आप आगे बढ़ते, सेटलमेंट की कोई बात करते, भूमि सुधारों की कोई आप बात करते लेकिन कहीं भी इस प्रकार की कोई बात नहीं की। माणकचन्दजी का बहुत बड़ा सहयोग आपको उपलब्ध है, मैं समझता…

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

था कि आप समाजवाद की ओर आगे बढ़ेंगे लेकिन इससे यह दृष्टिगोचर नहीं होता है। क्या आप यह सोचते हैं कि पूर्वी राजस्थान के लोग चिल्लाते रहें, उनमें कोई दम नहीं है? मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आपने पूर्वी राजस्थान का इसी प्रकार से एक्सप्लोइटेशन किया और किसी प्रकार से उसके लिये कोई आपने उपयोगी योजना नहीं बनायी तो आपकी भी वही

(श्री शिवचरण सिंह)

दशा होगी जैसी पहले की सरकार की हुई है। इसलिये आप एन्सीलियरी इन्डस्ट्रीज बनाइये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री शिवचरणसिंह : एक सैकिन्ड।

उत्तर प्रदेश की सरकार मथुरा की रिफाइनरी के सिलसिले में पांच जिलों का सर्वे करवा रही है। सर्वे शुरू भी हो गया है। कृषि का आपने एक्सप्लोइटेशन किया लेकिन पूर्वी राजस्थान को कोई हक नहीं मिला है। मैं इस बजट का समर्थन और विरोध कुछ भी नहीं करते हुए यह कहूंगा कि आपका करोड़ों का जो खर्चा हुआ है वह कागजों पर हुआ है और इसकी आप जांच करायें।

श्री उपाध्यक्ष : मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्रीजी उत्तर दें।

श्री नूरा : आपका व्यवहार हमारी पार्टी के साथ ऐसा ही रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको फिर समय दूंगा। लास्ट स्टेज और आवेगी तब मैं आपको समय दे दूंगा।

श्री आदित्येन्द्र (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, आज से छः महीने पहले जब वर्तमान सरकार ने 77–78 के परिवर्तित बजट अनुमान प्रस्तुत किये थे उस समय विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने भी उस बजट की सराहना की थी परन्तु अब छः महीने के बाद जब 78–79 का यह बजट प्रस्तुत किया गया तब मैंने यह देखा कि विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य बजट की आलोचना कर रहे हैं और इस बजट को बिलकुल निरर्थक, निकम्मा और गतिहीन बता रहे हैं। मैं नहीं समझ सका कि यह परिवर्तन इन छः महीनों में क्यों हुआ ? मैं ऐसा मानता हूं कि शायद वे इसको अच्छी तरह से समझते हैं कि यह विरोध करने की नीति क्यों अपनायी गयी। इस सम्बन्ध में मैं पड़ना नहीं चाहता, न ही इसका विश्लेषण करना चाहता हूं। जो हमारे विरोधी पक्ष के माननीय नेताजी ने कहा और दूसरे माननीय नेता माननीय श्री मथुरादासजी माथुर ने जो आपत्ति उठायी और आलोचना की मैं तो उसका ही उत्तर देना चाहता हूं।

विरोधी दल के माननीय नेता जी ने यह कहा कि जिस समय परिवर्तित अनुमान पेश किये गये थे और अब जो बजट में संशोधित अनुमान रखे गये हैं इन छः महीनों में आय में कोई वृद्धि नहीं हुई है। मितव्ययता का ढिंढोरा पीटा गया लेकिन कोई मितव्ययता नहीं होगी। मैं एक दो उदाहरण देकर सिद्ध करना चाहता हूं कि इसमें कितना परिवर्तन किया है और सुधार किया है। जिस समय परिवर्तित अनुमान रखे गये थे उस समय राजस्व प्राप्तियां 449.41 करोड़ थी और व्यय के आंकड़े 456.93 करोड़ के थे। इस प्रकार से राजस्व खाते में 7.52 करोड़ का घाटा दिखाया गया था। अब यह संशोधित जो बजट अनुमान 77–78 के रखे गये हैं उसमें राजस्व प्राप्तियां 483.35 करोड़ था और अब 468.57 करोड़ होगी। इस प्रकार घाटे की स्थिति एक प्रकार से लाभ की स्थिति होगी और 14.78 करोड़ की हानि की जगह पूरा

(श्री श्रादित्येन्द्र)

लाभ होगा। इस प्रकार से 21 करोड़ रुपये की बचत की है और 78-79 के जो आंकड़े रखे गये हैं उनमें भी 533.16 करोड़ की प्राप्तियां और 503.71 करोड़ का व्यय रखा गया है इस प्रकार 30 करोड की बचत होगी। इसका अर्थ यह है कि हम निरन्तर इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि राजस्व खाते में हानि की जगह लाभ हो। पहले हानि दिखाई गई थी 7 करोड़ के करीब फिर वह 14 करोड़ लाभ में बदल गयी और अब 1978-79 के जो बजट अनुमान रखे गये है उनमें यह लगभग 30 करोड़ है। तो इस तरह से यह एक प्रकार से उपलब्धि है और यह जो कुछ बचत होती है इसका पूंजीगत खाते में विनियोजन कर दिया जाता है।

दूसरी बात हमारे माननीय सदस्य श्री माथुर साहब ने कही कि यह एक प्रकार से एप्रोप्रियेशन बिल नहीं है यह मिस-एप्रोप्रियेशन बिल है। यह ठीक है कि उन्होंने चिन्ता भी व्यक्त की है। मैं समझता हूं कि हरएक को इस बात के लिए चिन्ता ही करनी चाहिए। परन्तु एक बात जरूर है कि अगर आप आंकड़े देखें 1976-77 के तो उस समय जो कर्जे की प्राप्ति की गयी थी याने जो कर्जे लिए गए थे वह 181 करोड़ 50 लाख के थे और जो परिवर्तित बजट है उसमें वृद्धि 55 करोड़ 61 लाख की है। 1978-79 में जो यह बजट अनुमान रखे गये हैं उनमें यह वृद्धि घट कर 20 करोड़ 73 लाख हो गई है। इसका अर्थ यह है कि हम धीरे धीरे जो कर्जे लेने की गति है उसको कम करते जा रहे हैं जबकि 1976-77 में कर्ज की प्राप्ति 181 करोड़ कर दी गई थी। उसमें 55 करोड़ की वृद्धि थी, अब अगले बजट में घटाकर 20 करोड़ के करीब रखी गई है। इसका अर्थ यह है कि हम यह चाहते हैं कि हमारी अर्थ व्यवस्था स्वावलम्बी हो, हम अपने साधनों से कामों को पूरा कर सकें और अगर हमारे साधन ज्यादा नहीं भी हों तो कम से कम हम अपने खर्चों को घटायें। इस प्रकार हमने इस गति को एक प्रकार से घटाया है।

दूसरी बात उन्होंने यह कही है कि हमारी कोई औद्योगिक नीति नहीं है। केन्द्रीय सरकार की औद्योगिक नीति नहीं है और हमारी तो कोई नीति है ही नहीं। खास तौर से कल हमारे उद्योग मंत्री ने कहा था कि हम ब्ल्यू प्रिंट तैयार करेंगे। उसमें हम चाहते हैं कि सभी का पूर्ण सहयोग लें और पूर्ण सहयोग के साथ वह ब्ल्यू प्रिंट तैयार करें लेकिन इसकी जो गाइड लाइन्स हैं उसको अगर आप समझें तो जो पिछली सरकार रही है उसकी नीति यह रही है कि विशाल उद्योग लगायें, जैसे कोटा में बहुत से उद्योग लगाये। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि उद्योग नहीं लगाये जायेंगे। बड़े उद्योग भी लगेंगे लेकिन जितने बड़े उद्योग लगेंगे उससे कहीं ज्यादा छोटे छोटे उद्योग लगेंगे। अब हमारी नीति ग्रामोद्योग, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देने की है। मैं समझता हूं कि इस नीति का प्रभाव अभी मालूम नहीं हो सका है और न इस ओर आकर्षण है लेकिन थोड़े दिनों के बाद आप देखेंगे कि वास्तव में यही नीति ठोस है। इस नीति के परिणाम थोड़े दिनों के बाद बहुत लाभदायक होंगे, अभी केवल हमें 6 महीने हुए हैं। इन 6 महीनों में कोई दावा हमने नहीं किया कि कोई जादू हो

(श्री आदित्येन्द्र)

जायेगा या कोई बहुत बड़ा काम हो जायेगा । केवल इस समय हम यह कह सकते हैं कि एक मोड़ देने का प्रयत्न किया है। अभी तक जो व्यय होता था वह बड़े उद्योगों में होता था और बड़े लोगों को लाभ पहुँचाने के लिए होता था लेकिन अब डाइवर्शन किया है। इस बात की कोशिश की गयी है कि जो भी उत्पादन हो उसका लाभ छोटे आदमियों को मिले, इसीलिए यह अन्त्योदय योजना रखी गयी है । यह मैं पहले भी कह चुका हूं, इस संबंध में मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है । मैं इतना ही कहूंगा कि अन्त्योदय योजना से केवल इतना होगा कि हमारे हाथ निर्धनतम व्यक्ति की ओर बढ़ेंगे । हम यह सोच कि इन लोगों की भलाई में ही हमारी भलाई है । हम इस प्रकार का वातावरण बना सकें तो मैं यह समझता हूं कि आज जो स्थिति है या जो गरीब और अमीर में अन्तर है यह अन्तर धीरे धीरे कम होता चला जायेगा।

पहले 'गरीबी हटाओ' का नारा लगाया था, आज से चार पांच वर्ष पहले यह कहा गया था कि गरीबी जल्दी हट जायेगी। एक साल के बाद में अखबारों में मैंने पढ़ा कि गरीबी कोई एक दिन में हटने वाली नहीं है । गरीबी हटाने में बहुत समय लगेगा । उसके लिए घोर परिश्रम करना पड़ेगा और अनुशासन रखना पड़ेगा । यह तो सिद्धान्त की बातें हैं लेकिन आज जो जनता पार्टी ने घोषणा की है उस घोषणा में जो बात कही है और जो समय रखा है वह न तो कम रखा है और न अधिक रखा है । एक औसत दस साल का रखा है कि हम दस साल में गरीबी हटायेंगे । गरीबी हटाने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री मोरारजी ने एक बार नहीं कई बार बड़े विश्वास के साथ कहा है । जो जो भी उनके भाषण हुए हैं उनमें सबसे नजदीक का जो भाषण है उसमें और भी ज्यादा विश्वास व्यक्त किया है । उन्होंने कहा है कि हमें पूर्ण विश्वास है कि दस वर्षों के अन्दर तो हम ऐसा करेंगे ही और यह भी हो सकता है कि कुछ समय पहले ही इस काम को पूरा कर सकें ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह रहेंगे तो ?

श्री आदित्येन्द्र : एक प्रश्न उठाया है, जो बहुत महत्वपूर्ण है । मैं मानता हूं कि जो वित्त आयोग है जिसकी समय समय पर, हर पांच वर्ष के बाद स्थापना होती है उस वित्त आयोग का हमें ठीक तरह से उपयोग करना चाहिए । उसके सामने हमें अपनी बातें हिम्मत के साथ रखनी चाहिए । सेन्टर और स्टेट रिलेशन्स में क्या समस्यायें हैं उसके प्रसंग में यह बात कही है । इस संबंध में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि पांचवा, छठा और चौथा जो वित्त आयोग था इसके द्वारा हमें अनुदान काफी कम मिला लेकिन यह जो कुछ हुआ यह पिछली सरकारों के कारण हुआ । आज की सरकार के ऊपर तो आप इस आरोप को नहीं लगा सकते । आज की जो सरकार है इस सरकार ने जो भी ज्ञापन दिया है वित्त आयोग के सामने उसमें वह सब बातें सुझाई हैं और जो कुछ हमने गलतियां की हैं उसके उपचार भी बताये हैं । साथ ही राहत कार्यों के लिए 30 करोड़ के प्रावधान के लिए मांग की है क्योंकि यह प्राकृतिक आपदायें सदा ही राजस्थान में आती हैं । कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि और कभी अकाल और अभाव की स्थिति

(श्री भादित्येन्द्र)

होती है। उसके लिए यह भी सुझाव दिया है कि जहां वह 30 करोड़ हर वर्ष इस बात के लिए दे वहां यह भी कहा है कि ऐसा राष्ट्रीय कोष स्थापित होना चाहिए कि जिस राष्ट्रीय कोष में से जो राजस्थान में प्राकृतिक आपदायें आती हैं उनके लिए पूरा व्यय दिया जाना चाहिए।

कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य श्री रामकृष्णदास गुप्ता ने यह कहा है कि कोटा तापघर के लिए केवल 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उन्होंने साथ में यह भी कहा है कि ज्यादा प्रावधान इसके लिए करना चाहिए था, शायद उन्होंने गलती से ऐसा कह दिया है। यह 5 करोड़ का प्रावधान नहीं है, 7 करोड़ कोटा तापघर के लिए रखे गये हैं और उनसे यह भी कहा गया है कि 2½ करोड़ रुपये का एल. भाई. सी. से लोन ले सकते हैं। इस प्रकार 10 करोड़ का प्रावधान है।

मैं अब और ज्यादा न कह कर के एक दो बातें और कहूंगा क्योंकि माननीय माणकचन्द सुराणा ने बहुत सी बातों का उत्तर दे दिया है और मेरा बोझ हल्का किया है, मैं इसके लिये उन्हें धन्यवाद देता हूं। जो सुझाव माननीय सदस्य श्री माथुर साहब और विरोधी दल के नेता ने दिये हैं वास्तव में मैं मानता हूं, वह शायद और जोर से इसलिये कहते हैं, शायद उनको यह फिक्र इसलिये होती है, कि हम पिछले वर्षों की उन्हें याद दिलाते हैं। इसलिये ही शायद वे हमारे लिये इतना कहते हैं, हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। मैं यह मानता हूं कि इस प्रकार के आरोप और प्रत्यारोप लगाने से कोई काम चलेगा नहीं। 30 वर्षों में जो भी उन्नति की है वह ठीक है। मैं नहीं कहता कि उन्नति नहीं की है और 30 वर्ष बेकार गये हैं। परन्तु मेरा इतना कहना जरूर है कि अगर ठीक दिशा में चलते और ठीक प्रकार के विचार मिलते तो जितनी उन्नति हुई है, इससे अधिक उन्नति होती। हमारा जो देश है, गांधीजी का देश कहलाता है। गांधीजी राष्ट्रपिता हैं राष्ट्रपिता के आप भी भक्त है और सत्तारूढ़ पार्टी है चाहे केन्द्र में हो, चाहे राज्य में हो, वह भी उनकी भक्त है। उन्होंने भी शपथ ली है राजघाट की समाधि पर। आप कम से कम यह तो कहेंगे कि जो हम 25-30 सालों में भूल गये थे उस चीज को दुबारा उन्होंने याद दिलाया है और कोशिश इस बात की है कि हम ठीक रास्ते पर चलें। कोई भी मर्ज हो, हम एक अच्छे डाक्टर की खोज करते हैं। मरीज की यह इच्छा रहती है कि उसका मर्ज चला जाये। तब तक मरीज ठीक नहीं हो सकता जब तक अच्छा डाक्टर न हो, डाक्टर की अच्छी डाइगनोसिस न हो। मैं पूरी तरह से नहीं कहता, मेरे से बहुत ज्यादा विद्वान अर्थ शास्त्री हैं, उन्होंने हमारे देश का अध्ययन किया है लेकिन अध्ययन के बाद उन्होंने कहा है कि एक प्रकार से अपने रास्ते से कुछ दूर हो गये और पश्चिमी सभ्यता और पश्चिमी चमक-दमक में चले गये। जो विकसित देश हैं उन्होंने जो टेक्नोलोजी अपनाई, हमने अंधे होकर वह 100 फी सदी यहां पर अडाप्ट करली। अडाप्ट करने में जो भी कमियां रही हमने समझा कि इलाज हो रहा है, बीमारी दूर हो जायेगी किन्तु बीमारी दूर हुई नहीं। बीमारी घटी नहीं। इसलिए अब मैं ऐसा समझता हूं, इस बात को कम से कम आप एप्रीशिएट करेंगे कि यह जो कुछ भी रास्ता अपनाया है यह रास्ता ठीक है। यह

(146)

(श्री आदित्येन्द्र)
केवल प्रारम्भ मात्र है, यह बिगनिंग है। अगर हम इस रास्ते पर चले तो परिणाम, आप यह समझें, 6 महीने में आ जायें, साल भर में आ जायें, यह समझना ठीक नहीं। उसमें दो, तीन, चार वर्ष लगेंगे। मेरा ऐसा ख्याल है, अगर इस रास्ते पर चले तो निश्चित रूप से दो-तीन वर्षों के अन्दर-अन्दर बहुत ही अच्छे परिणाम होंगे और गरीब से गरीब आदमी के लिये परिणाम अच्छी तरह से निकलेंगे। अब यह अन्त्योदय योजना, समग्र ग्राम विकास योजना रखी गई है। यह भी अन्त्योदय योजना को सफल बनाने के लिये है। इसी प्रकार की मद्य निषेध की योजना है, वह भी इसको सफल बनाने के लिये है। मद्य निषेध की योजना पूरी तरह से सफल होती है तो मैं समझता हूं अन्त्योदय योजना को पूरी सफलता मिलेगी। गम्भीरता से कभी भी हमने विचार नहीं किया है। हमने एक नैतिक प्रश्न समझा है। आर्थिक प्रश्न कभी समझा ही नहीं। मद्य निषेध को अगर लागू किया जाता है तो आप भी देखेंगे कि लाखों परिवार इससे कहीं ज्यादा लाभान्वित होंगे और हमेशा हमेशा हमारे लिये धन्यवाद देंगे। मैं और ज्यादा न कह कर बस इतना ही आपसे निवेदन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1978 को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री आदित्येन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1978 को पारित किया जाये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हमने आपको सुना। जो भ्रांतियां थी, वह आपने काफी दूर कर दीं। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बारे में डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा था कि आपको लोन लिमिट बढ़ाने के लिये रिजोल्यूशन लाना चाहिए था। रिजोल्यूशन आया नहीं, उसको बाई पास करके 400 करोड़ तक लोन पहुंच गया। इस लिमिट के बारे में क्या सोच रहे हैं? इसके बारे में कुछ उत्तर दें तो ज्यादा अच्छा हो।

श्री आदित्येन्द्र : यह ठीक है आपका कहना, यह मैं मानता हूं....

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं आपसे मिल लूंगा।

विधेयक का पारण

श्री उपाध्यक्ष : अब काफी चर्चा हो चुकी है।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1978 को पारित किया जाये।

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1978 बहुमत से पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही कल प्रात: 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 5.58 बजे शुक्रवार दिनांक 31 मार्च, 1978 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की गई)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 597 की सूची)
गत एक वर्ष में असिस्टेन्ट रजिस्ट्रारों के
पद पर पदोन्नत किये गये अधिकारियों
की सूची

दिनांक 2-5-1977

1- श्री हनुमानसहाय जोशी
2- श्री हजारीलाल विश्नोई
3- श्री बलवीरसिंह

दिनांक 2-1-1978

1- श्री एस. एल. यादव
2- श्री पी. एन. भार्गव
3- श्री एन. एम. माथुर
4- श्री जी. पी. गर्ग
5- श्री के. बी. माथुर
6- श्री शिव प्रसाद वैद
7- श्री एन. के. लिमिया
8- श्री आशाराम सोनी
9- श्री पी. एन. माथुर
10- श्री एस. एल. सादा
11- श्री एस. एल. आदित्य
12- श्री एन. पी. गुप्ता
13- श्री सी. एस. ओझा
14- श्री आर. डी. माथुर
15- श्री रामपाल मोरवाल
16- श्री प्रेमरतन सेन
17- श्री परसराम शर्मा

Page No 148

(148)

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 601 की सूची)

बून्दी जिले में भूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित किये गये गांवों के नाम

पंचायत समिति तालेड़ा

क्र. सं.	गांव के नाम
1	गिरधरपुरा
2	बालिता
3	गोरधन पुरा
4	देवनगर
5	नोताड़ा
6	बल्लपुरा
7	बेलुन्दा
8	तीतरवाड़ा
9	डबलाबदा
10	बाजड़
11	ठिकरिया बलान
12	छिपरदा
13	सातेडी
14	जालरदा
15	बासधरा
16	बलका खेड़ा
17	ऐबरा
18	कालून्दा
19	मेहराना
20	सिन्ता
21	बिनायका
22	तीरथ
23	देहित
24	भवानी पुरा
25	खिदरी
26	चांदनहेली
27	सुंवासा
28	गणेशपुरा
29	सांगर
30	लाडपुरा
31	हाथीहेरा
32	पादरा
33	भामाखेड़ा
34	बरकबाड़ा
35	कोविजा
36	माइया
37	विजय नगर
38	रंगपुरिया
39	निमोदा
40	डबयानी

पंचायत समिति केशोराय पाटन

क्र. सं.	गांव के नाम
1	इसर नगर
2	विजय नगर
3	रंगपुरिया
4	इतनापुर
5	रंगराजपुरा
6	सरसला
7	अन्तपुरा
8	भीया
9	इन्द्रपुरिया
10	केशवनगर
11	लाखेरी
12	श्योनगर
13	माधोराजपुरा
14	जगनाथिया
15	खेड़ली
16	निमोदा
17	अगरन
18	गवाठा
19	दिरज
20	अरनेठा
21	रही
22	बड़ी
23	श्री पुरा
24	केशोराय पाटन

Page No 149

(149)

परिशिष्ट 3

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं पूछे जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर)

राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन मामले

606. श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर): क्या विधि एवं न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान उच्च न्यायालय में 1-2-77 से 31-1-78 तक कितने अवधि लगे मामलों का निपटारा हुआ ?

(2) जब एकीकृत न्यायालय था तब 1-2-76 से 31-1-77 तक कितने अवधि लगे हुए मामलों का निर्णय हुआ है ?

(3) राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों व उच्च न्यायालय के कर्मचारियों का दैनिक भत्ता व यात्रिक भत्ता के रूप में 1-1-77 से 31-12-77 तक कितनी राशि खर्च हुई ? एकीकृत हाईकोर्ट के समय 1-1-76 से 31-12-76 तक कुल कितनी राशि खर्च हुई ?

उत्तर

(1) राजस्थान उच्च न्यायालय में 1-2-77 से 31-1 78 तक की अवधि में कुल 3080 अवधि लगे मामलों का निपटारा हुआ।

(2) जब एकीकृत न्यायालय था तब 1-2-76 से 31-1-77 तक की अवधि में कुल 3058 अवधि लगे हुए मामलों का निर्णय हुआ।

(3) राजस्थान उच्च न्यायालय में माननीय न्यायाधीशों व उच्च न्यायालय के कर्मचारियों के दैनिक भत्ता व यात्रिक भत्ता के रूप में दिनांक 1-1-77 से 31-12-77 तक की अवधि में कुल 1,66,807-09 रुपये खर्च हुए। एकीकृत हाईकोर्ट के समय दिनांक 1-1-76 से 31-12-76 तक की अवधि में कुल 53,259-07 रुपये खर्च हुए।

चौमू क्षेत्र में लोहे की खानें

607. श्री रामेश्वरदयाल यादव (चौमू) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चौमू क्षेत्र में ग्राम मोरीजा व बन्दोल की लोहे की खानें कब चालू हुई थी ? और कब बन्द हुई तथा इसके क्या कारण थे ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने ग्राम मोरीजा में लोहे के धातु की कोई खोज करवाई थी ? यदि हां, तो उसके परिणाम क्या रहे ?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम मोरीजा में मिनी इस्पात कारखाने की स्थापना करने की गुंजाइश है ? यदि हां तो कारखाना कब तक स्थापित किया जा रहा है ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) चौमू क्षेत्र के ग्राम मोरीजा में खनिज लोहे के दो खनन पट्टे श्री दामोदर

(खनिज मंत्री)

दास खण्डेलवाल के नाम से दिनांक 21/5/1953 एवं 1/12/1955 से स्वीकृत हुए थे। दिनांक 20/5/1973 को प्रथम खनन पट्टे की अवधि समाप्त हो गई तथा पार्टी ने नवीनीकरण नहीं कराया एवं दूसरा खनन पट्टा पार्टी द्वारा संविदा की शर्तों का उल्लंघन करने के कारण राज्य सरकार के आदेश दिनांक 6/1/76 द्वारा दण्डित कर दिया गया। इस कारण दोनों खानें बन्द हो गई।

(2) जी हां, मोरीजा क्षेत्र में विभाग द्वारा सर्वेक्षण कार्य सन 1954-55, 1955-56 एवं 1964-65 में कराया गया। इस क्षेत्र में लोहे, खनिज उपलब्ध है जिसमें 64 से 69 प्रतिशत तक लोहा धातु है। फासफोरस बहुत ही कम मात्रा में है। सर्वेक्षण के अनुसार इस क्षेत्र में लगभग 2 लाख 30 हजार टन लोह खनिज का अनुमान लगाया गया।

(3) कारखाना लगाने के लिए जो आधार भूत सुविधायें जैसे बिजली, कोयला चाहिये जो यहां बहुत कम है। यदि बिजली की अधिकता हो सके तो बिजली पर आधारित मिनी इस्पात कारखाने लगाने की सम्भावनाओं पर विचार किया जा सकता है।

मंडावर व भरैंया जिला सीकर के गांवों को सड़क से जोड़ने का कार्य

608 श्री रामदेवसिंह (धोद) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि मंडावरा व भरैया तहसील सीकर जहां से कि करीब 50 ट्रक पत्थर हर रोज सीकर के बाहर व अन्य स्थानों को जाते हैं ये दोनों जगह सड़क से जुड़ी हुई नहीं है? यदि हां, तो राज्य सरकार इन दोनों स्थानों को कब तक सड़क से जुड़वा देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

मंडावरा व भरैया से पत्थर निकाला जाता है और यह सीकर हर्ष सड़क से 3 कि. मी. दूरी पर है जहां सड़क बनी हुई नहीं है। इस पर माइन्स रोड को प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जावेगा धनाभाव के कारण अभी विचाराधीन नहीं है।

कृषि पर्यवेक्षकों की वेतन श्रृंखला :

609. श्री शिवनारायण (थानागाजी) क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वरिष्ठ शासन सचिव, कृषि ने कृषि पर्यवेक्षकों को चयनित वेतन श्रृंखला दिये जाने के आदेश दिनांक 20-4-77 को निकाले और 27-8-77 को आदेश संख्या एफ. 3 (81) कृषि/जी. आर./72 द्वारा निर्देश दिये गये कि सन् 72 की वरिष्ठता सूची को ही आधार मानकर चयनित वेतन श्रृंखला दी जावे? यदि हां, तो दिनांक 20-4-77 के आदेशों में ही संशोधन क्यों नहीं किया गया।

(2) क्या यह सही है कि उक्त संशोधन नहीं करने से राज्य सरकार को सेवा न्यायाधिकरण में उपस्थित होना पड़ रहा है?

(श्री शिवनारायण)

(3) क्या यह सही है दिनांक 20-4-77 के आदेश भूतपूर्व सरकार ने अपना अन्तिम समय मानकर कुछ व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से वरिष्ठता एवं स्थायीकरण को नजरअन्दाज कर निकाले ? यदि हां, तो वर्तमान सरकार क्या इस पर पुनर्विचार करेगी ?

उत्तर

(1) (क) दिनांक 20-4-77 को प्रसारित आदेश अध्यादेश था, जबकि दिनांक 20-8-77 को प्रसारित अर्ध शासकीय पत्र में चयनित वेतन श्रृंखला दिये जाने हेतु केवल प्रशासकीय निर्देश दे।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) प्रशासन राज्य सेवा न्यायाधिकरण में कुछ कर्मचारियों ने अपीलें प्रस्तुत की हैं। ये संशोधन न जारी करने के कारण प्रस्तुत की गई है, सही नहीं है।

(3) (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम दरोली में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों की भूमि

610 श्री कमलेन्द्र सिंह (वल्लभ नगर): —क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम दरोली (जिला उदयपुर) में कितनी जमीन ऐसी है जो अनुसूचित जाति और जनजाति व्यक्तियों के नाम से सन् 1957 से 1970 तक सवर्ण जाति के व्यक्तियों के नाम पर हस्तांतरित हुई हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार इन व्यक्तियों के खिलाफ फौजदारी का मुकदमा चलाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) ऐसी भूमि का रकबा 9 बीघा 19 बिस्वा है।

(2) इन अवैध हस्तान्तरणों के बाबत नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु जिलाधीश को आदेश दिये जा रहे हैं।

डेगाना जिला नागौर में तहसीलदार द्वारा जब्त की गई खेजड़ी की लकड़ी

613. श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि डेगाना जिला नागौर तहसीलदार श्री जगदीश प्रसाद स्वर्णकार ने फरवरी मार्च, 1977 में ग्राम बापणा में सड़क पर खेजड़ी की लकड़ी जप्त की ? अगर हां तो यह लकड़ी कितनी और किसकी थी ? इसको कितने रुपये में किसको नीलाम किया गया ?

(2) नीलामी से लकड़ी लेने वाले व्यक्ति ने किस किस तारीख को कितनी धनराशि जमा कराई ? तहसीलदार ने धनराशि कब प्राप्त की व किस तारीख को वह ट्रेजरी में जमा हुई ? किस तारीख को लकड़ी खरीदने वाले को सौंपी गई ?

(3) लकड़ी किन नियमों के अन्तर्गत पकड़ी गई व किन नियमों के अन्तर्गत नीलाम की गई ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है कि श्री जगदीश प्रसाद स्वर्णकार, तहसीलदार डेगाना ने फरवरी मार्च, 1977 में ग्राम बापणा में सड़क पर खेजड़ी की लकड़ी जब्त की।

(2) जब इन्होंने लकड़ी जब्त ही नहीं की तो नीलामी आदि का सवाल ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्राम कटोली के चारागाह पर तारबन्दी का कार्य

614. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनू): क्या भेड़ व ऊन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है ग्राम कठोली तहसील जायल जिला नागौर में विभाग द्वारा भेड़ों के लिए चारागाह पर कोई तार बन्दी कराई गई है या कराई जा रही है ? यदि हां, तो किस ठेकेदार से और उस पर कितनी लागत आयेगी ?

(2) क्या यह भी सही है कि ठेकेदार द्वारा खराब सामान लगाने या कम सामान लगाने व कार्य नियमानुसार नहीं होने की शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो कब कब किस किस के द्वारा और उस पर क्या कार्यवाही हुई ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या ठेकेदार को पूरा भुगतान कर दिया गया ?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम कठोली में विभाग द्वारा भेड़ों के लिये डी.पी.ए.पी. योजना के अन्तर्गत आवंटित चारागाह पर तार बन्दी कराई गई है। तारबन्दी का कार्य श्री राम देव निवासी कटोली से करवाया गया है। इस कार्य की लागत 11,819/- रुपये आई।

(2) एक शिकायत परियोजना निदेशक नागौर को प्रेषित करते हुये परियोजना अधिकारी, नागौर को प्रति 17-2 78 को प्राप्त हुई है। यह शिकायत हरजीराम पुत्र चूनाराम निवासी कटोली एवं अन्य 10 व्यक्तियों के द्वारा की गई है। अब तक हुई कार्यवाही का ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) जी हां

गांव कटोला जिला नागौर में 100 हैक्टर भूखण्ड भेड़ चरागाह विकास के लिए आवंटित हुआ था। कार्यक्रम के अनुसार इस भू खण्ड पर तारबन्दी करने की कार्यवाही परियोजना अधिकारी (भेड़ विकास) नागौर द्वारा की गई। तारबन्दी का कुल लागत रुपया 11,819/— आई है। परियोजना निदेशक, डी. पी. ए. पी. नागौर को श्री हरजीराम जाट, निवासी कटोली, एवं अन्य 10 व्यक्तियों ने शिकायत की कि इस भू खण्ड पर तारबन्दी का कार्य नियमानुसार नहीं हो रहा है। रोड़ी की जगह कंकड़ लगा रहे हैं और न ही पूर्ण सीमेंट लगाया जा रहा है एवं गड्ढे की गहराई भी कम रखी है। इस शिकायत की प्रति परियोजना अधिकारी (भेड़ विकास) नागौर को 16-2-78 को प्राप्त हुई डी. पी. ए. पी. कार्या

(भेड़ एवं ऊन मंत्री)

भाग के सहायक अभियन्ता ने कार्य का निरीक्षण कर रिपोर्ट दी कि तारबन्दी का कार्य 12-2-78 को पूरा हो चुका है और यह ठेके की शर्तों के माफिक ही हुआ है। इस रिपोर्ट के आधार परियोजना अधिकारी, भेड़ विकास, नागौर के ठेकेदार श्री रामदेव को 28-2-78 को भुगतान कर दिया।

सहायक अभियन्ता ने यह भी तथ्य जाहिर किया कि शिकायत कर्ता श्री हरजी राम की करीब 15 बीघा जमीन जो उसके नाजायज कब्जे में थी चरागाह भूखण्ड के अन्दर आने के कारण वह इस कार्य में रोड़े अटकाता है। श्री हरजीराम ने परियोजना अधिकारी, भेड़ विकास नागौर को 18-1-78 को प्रार्थना पत्र दिया कि इस भू खण्ड में 12 बीघा जमीन उसके कब्जे काश्त है। तहसीलदार जायल ने उसके क्लेम के खिलाफ फैसला दिया था जिसकी अपील श्री हरजी राम ने अतिरिक्त जिलाधीश, नागौर के अदालत में कर रखी है और वहां से दिनांक 15-11-77 तक स्टे आर्डर बेदखली न करने के लिए दिया हुआ था। दिनांक 17-1-78 को ही अतिरिक्त जिलाधीश, नागौर ने बेदखल नहीं किये जाने हेतु स्टे आर्डर की अवधि दिनांक 17-2-76 तक बढ़ाई है।

श्री हरजीराम द्वारा की गई शिकायत पर परियोजना अधिकारी, भेड़ विकास, नागौर पहले से ही जांच कर रहे थे। अब इस तारबन्दी के समस्त कार्य की जांच हेतु निदेशालय के लेखाधिकारी को इसकी प्रारम्भिक जांच हेतु मनोनीत किया गया है एवं उन्हें अपना जांच प्रतिवेदन 15 अप्रेल, 1978 तक प्रस्तुत करने हेतु कहा गया है।

मुन्सिफ मजिस्ट्रेट नैनवा का रिक्त पद

615. श्री माणकलाल ठाकोर (नैनवा): क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) क्या यह सही है कि नैनवा (जिला बून्दी) में स्थाई मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कार्य कर रहे थे किन्तु 2 वर्ष से अधिक से वहां से मुन्सिफ मजिस्ट्रेट का स्थानान्तरण कर देने के पश्चात् स्थायी मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की नियुक्ति नहीं की गई ?

(2) नैनवा की मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की कोर्ट में कुल कितने मुकद्दमें पेंडिंग हैं और इतने मुकद्दमों में कितने न्यायालयों के स्थापित होने की आवश्यकता है ?

(3) कम से कम एक मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कब की जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। नैनवा (जिला बून्दी) में मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थाई न्यायालय है। वहां से अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाने पर न्यायिक अधिकारियों की कमी के कारण इस न्यायालय में करीब दो वर्ष से पूर्णकालीन अधिकारी पद स्थापित नहीं किया जा सका और अन्य अधिकारी को ओपन कार्य के अतिरिक्त मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनवा नियुक्त किया गया था। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 2-3-78 द्वारा नैनवा में मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के रिक्त पद पर अधिकारी पद स्थापित कर दिया है।

(विधि मंत्री)

(2) मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, नैनवा के न्यायालय में दिनांक 1-1-78 को सभी प्रकार के कुल 1701 मुकद्दमें विचाराधीन थे। मुकद्दमों की संख्या को देखते हुए वहां एक अतिरिक्त न्यायालय स्थापित करने की आवश्यकता है। अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(3) एक मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जा चुकी है, मगर अभी तक चार्ज नहीं लिया। पुन: माननीय उच्च न्यायालय को लिखा गया है।

जालोर जिले में प्रति व्यक्ति व्यय की गई राशि

616. श्री टीकमचन्द कांत (जालोर): क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पिछले पांच वर्षों में बजट खर्च की प्रति व्यक्ति दर राजस्थान में कितनी रही ?

(2) इसकी तुलना में जालोर जिले की बजट खर्च की प्रति व्यक्ति दर कितनी रही ?

(3) यदि जालोर जिले की दर न्यून है तो अब उसकी विकास दर बढ़े इस हेतु राज्य सरकार क्या कदम उठायेगी ?

उत्तर

(1) राजस्थान में पिछले पांच वर्षों 1972-73 से 1976-77 में प्रति व्यक्ति व्यय (राजस्व एवं पूंजीगत) क्रमश: रु० 111.64, 125.71, 131.09, 150.76, तथा 168.25 रु० रहा।

(2) बजट खर्च का हिसाब जिलेवार नहीं रखा जाता है, अत: जालोर जिले में बजट खर्च प्रति व्यक्ति दर बताना सम्भव नहीं है।

(3) प्रश्न 2 के उत्तर के क्रम में इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

कृष्णा मिल्स ब्यावर की मशीनें

617. श्री नूरा (मसूदा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कृष्णा मिल्स ब्यावर जिला अजमेर ने अपनी 31 मशीनें स्थाई रूप से बन्द कर मिल से हटा ली हैं? यदि हां, तो कब और क्यों ? क्या मशीनें हटाने के बारे में राज्य सरकार ने कोई स्वीकृति दी है ? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत ? यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार इस बारे में कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(2) इन 31 मशीनों का स्थाई तौर पर बन्द करने और खोल देने से उत्पादन का कितना नुकसान प्रतिदिन हो रहा है तथा कितने श्रमिकों को बेरोजगार होना पड़ा है ?

उत्तर

(1) इस मिल पर राज्य सरकार का परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से कोई नियंत्रण नहीं है। उत्तर में जो सूचना उपलब्ध कराई

(उद्योग मंत्री)

गई है वह विभाग के अधिकारियों को भेज-कर एकत्रित की गई है जो निम्न प्रकार है:-

यह सही नहीं है कि मैसर्स कृष्णा मिल ब्यावर ने 31 मशीन स्थाई रूप से बन्द करके हटादी हैं। चूंकि मशीनें हटाई नहीं गई है अत: राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त करने व अन्य कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

(2) 31 मशीनों को न तो स्थाई रूप से बन्द किया है और ना ही सील रखा है। अत: मिल को उत्पादन में किसी प्रकार की हानि होने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसी प्रकार श्रमिकों को बेरोजगार नहीं होना पड़ा है।

नागौर क्षेत्र के लिये चिलिंग प्लान्ट

619. श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या नागौर क्षेत्र में स्वेत क्रांती के संदर्भ में राज्य सरकार अलग में चिलिंग प्लांट लगा रही है? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इसका उल्लेख बजट में क्यों नहीं किया?

उत्तर

नागौर में सूखा सम्भावित कार्यक्रम के अन्तर्गत इस वर्ष (1977-78) में एक चिलिंग प्लांट लगाने की स्वीकृति प्रसारित कर दी गई है। स्वेत क्रांति के नाम से पृथक से कोई कार्यक्रम प्रभावी नहीं है। चूंकि वर्ष 1977-78 में चिलिंग प्लांट स्वीकृत किया जा चुका है। अतः वर्ष 1978-79 के बजट में चिलिंग प्लांट लगाने का उल्लेख करना आवश्यक नहीं था।

रेडीमेड वस्त्र पर टैक्स

620. श्री उमरावसिंह गूजर (महुवा): क्या वित्त मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जनता सरकार ने चुनाव घोषणा-पत्र में सेल्स टैक्स समाप्त किये जाने की बात कही थी? यदि हां, तो कब तक समाप्त किया जा रहा है।

(2) यदि नहीं तो क्या राज्य सरकार व्यापारियों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए सेल्स टेक्स की कोई एक समान दर निकट भविष्य में निर्धारित करने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कोई निश्चित तिथि बताने का कष्ट करें।

(3) राज्य सरकार का क्या ग्रामीण रेडीमेड वस्त्र को 15 रुपये तक की कीमत के वस्त्र को कर मुक्त रखा जाने का विचार था क्योंकि इस उद्योग में देहात तथा कस्बों में रहने वाले छोटे दुकानदार दर्जी व विधवा औरत कार्यरत हैं तथा हल्की कीमत के कपड़े में काम आने वाले वस्त्र कुर्ते तथा कमीज छोटे बच्चों के कपड़े तथा स्कूल ड्रेस इत्यादि बनाते हैं?

उत्तर

(1) जी हां। इस बारे में केन्द्र सरकार ने इन डायरेक्ट टेक्सेशन इनक्वारी कमेटी की रिपोर्ट राय देने हेतु भेजी है इस पर विचार किया जा कर राय भेजी जायेगी इसके उपरांत केन्द्र सरकार के विचार विमर्श किया जावेगा। तत्पश्चात अन्तिम निर्णय लिया जावेगा।

(2) सेल्स टैक्स की एक समान दर निर्धारित करना युक्तिसंगत नहीं है अत: इस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है।

(वित्त मंत्री)

(3) ऐसे वस्त्रों पर बिक्री कर 8 प्रतिशत की दर से लगता है और वार्षिक 10,000 रु. के मूल्य के वस्त्र बनाने वाले कारीगरों को कर से मुक्त किया गया है। रेडीमेडगार्मेन्ट से सम्बन्धित मामला सरकार के विचाराधीन है।

सहायक अभियन्ता राजगढ़ का मुख्यावास

621. श्री समर्थलाल (राजगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

क्या सहायक अभियन्ता राजगढ का मुख्यालय अलवर से राजगढ में ही करने का राज्य सरकार का इरादा है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

जी नहीं। सहायक अभियन्ता राजगढ़ के नाम से कोई कार्यालय स्वीकृत नहीं है। राजगढ, लक्ष्मणगढ, मालाखेड़ा तहसील एवं अलवर तहसील का कुछ भाग सहायक अभियन्ता उप–खण्ड 1 अलवर के अंतर्गत आते है ? प्रशासनिक दृष्टिकोण तथा कार्य क्षेत्र को देखते हुए मुख्यावास अलवर ही रखा गया है।

महेश टाकीज गंगापुर के विरुद्ध कार्यवाही

622. श्री गोविन्द सहाय (गंगापुर): क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे.-

(1) क्या यह सही है कि महेश टाकीज गंगापुर में इन्सपेक्टर ने कई बार गलत टिकट तथा विदाउट टिकिट दर्शकों को पकड़ा है।

(2) क्या यह सही है कि महेश टाकीज के खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

(3) दिसम्बर 75 से फरवरी 78 तक महेश टाकीज ने प्रतिमाह कितना पैसा टेक्स का जमा कराया है। सूची सदन की मेज पर रखी जाये।

(4) क्या यह सही है कि गंगापुर में डेढ़ वर्ष से कैलाश टाकीज दूसरा सिनेमा चल रहा है कैलाश टाकीज चालू हुआ है तब से फरवरी 78 तक का प्रतिमाह कितना टेक्स जमा कराता है। सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी नहीं।

अभियोग जो बनाये गये उन पर कार्यवाही की गई व की जा रही है। विवरण (परिशिष्ट 'क') सदन के पटल पर रख दिया है।

महेश टाकीज द्वारा दिसम्बर, 75 से फरवरी, 78 तक माहवार जमा कराई गई राशि के विवरण की सूची (परिशिष्ठ ख) सदन की पटल पर रख दी गई है।

(3) जी हां।

(4) गंगापुर में डेढ 2 वर्ष से केलाश टाकीज नाम का दूसरा सिनेमा चल रहा हैं जिससे जुलाई, 1976 से फरवरी, 1978 तक प्रतिमाह जो राशि मनोरंजन कर वसूल हुई है उसकी सूची (परिशिष्ठ ग) सदन के पटल पर रख दी गई है।

परिशिष्ट 'क'

मैसर्स महेश टाकीज, गंगापुर सिटी के विरुद्ध बनाये गये अभियोग एवं उन अभियोगों पर की गई कार्यवाही की सूचना

अभियोग क्रमांक	दिनांक	अभियोग का विवरण	कर	शास्ति	योग	निर्णय दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
120|76-77	27-11-75	टे क्लास में 17 दर्शक बिना टिकट पाये गये	16.80	51.00	67.80	31-5-76
128|76-77	25-12-76	छोटे क्लास में 13 दर्शक बिना टिकट पाये गये	12.35	50.00	62.35	31-5-76
287|76-77	18- 9-76	12 दर्शक बिना टिकट पाये गये	16.20	60.00	76.20	8-3-77
343|76-77	10-11-76	क्लास बाहज दर्शकों में अन्तर कुछ पाया गया	5.85	40.00	45.85	8-3-77
342|76-77	17-11-76	छोटे क्लास से बड़े क्लास में पाये गये	5.70	25.00	30.70	8-3-77
365|76-77	22-12-76	2 दर्शक बिना टिकट	2.75	31.00	33.75	8-3-77
49|77-78	4- 4-77	9 दर्शक बिना टिकट	4.95	27.00	31.95	30-7-77
97|77-78	12- 5-77	13 „ „ „	14.80	65.00	79.80	30-7-77
96|77-78	17- 5-77	34 „ „ „	35.60	170.00	205.60	30-7-77
137|77-78	12- 7-77	22 „ „ „	16.45	110.00	126.45	30-7-77
142|77-78	16- 7-77	5 दर्शक छोटे क्लास से बड़े क्लास में पाये गये	1.25	25.00	26.25	30-7-77
		योग	132.70	654.00	786.70	

(88)

1. इस छविगृह का जयपुर को फ्लाइंग स्क्वाड ने भी आकस्मिक रूप से दिनांक 25-11-77 में निरीक्षण किया लेकिन कोई अभियोग नहीं बना।

2. वर्ष 75-76 में 21,076.30 की अतिरिक्त मांग कायम की गई। श्रीमान् जिलाधीश, सवाई माधोपुर के स्तर पर लाइसेन्स का नवीनीकरण करवाया गया जिस कारण सिनेमा भी बन्द रहा। एक मुश्त रकम अतिरिक्त मांग की वसूली करके समायोजित की गई।

3. कर निर्धारण के समय वर्ष 75-76 व 76-77 में क्रमशः 381/- व 126 की शास्तियां अन्य अनियमितताओं के लिए लगाई गई थी।

मैसर्स महेश टाकीज, गंगापुरसिटी के अभियोग जो अभी पेन्डिंग है जिन पर अलग से कार्यवाही चालू है :—

क्र.सं.	अभियोग क्रमांक	दिनांक	अभियोग विवरण
1.	2	3	4
1.	190/77-78	31-8-77	निरीक्षण के समय ए. डी. सी. रजिस्टर नहीं मिलना एवं मुद्रांक का स्थापन न होना।
2.	197/77-78	15-9-77	19 दर्शक बिना टिकट मिलने पर।
3.	224/77-78	27-16-77	रिटर्न सिस्टम पर चलाना एवं टिकटों का प्रमाणीकरण नहीं कराना।
4.	245/77-78	13-11-77	पिछले माह की 2990/-रुपये मनोरंजन कर राशि जमा नहीं कराना एवं 12-11-77 तक 955.25 भी जमा नहीं कराना।
5.	259/77-78	26-11-77	मनोरंजन कर के मुद्रांक ऊपर क्लासों के टिकटों पर लगे हुये पाया जाना एवं छोटे क्लास के टिकटों पर मुद्रांक नहीं लगाना।
6.	341/77-78	22-1-78	छविगृह को रिटर्न सिस्टम पर चलाने से पूर्व टिकटों का प्रमाणीकरण नही करवाना एवं अनुमति प्राप्त नहीं करने सम्बन्धी।

———

परिशिष्ट 'ख'

मैसर्स महेश टाकीज, गंगापुर द्वारा दिसम्बर, 1975 से फरवरी, 1978 तक माहवार मनोरंजन कर की राशि जमा कराई गई की सूचना का विवरण :-

माह का नाम	कर की राशि
दिसम्बर, 75	15, 413/-
जनवरी, 76	12, 291/-
फरवरी, 76	12, 005/-
मार्च, 76	11, 740/-
अप्रेल, 76	9, 888/-
मई, 76	12, 571|-
जून, 76	10, 132/-
जुलाई, 76	6, 776/-
अगस्त, 76	6, 543/-
सितम्बर, 76	8, 671/-
अक्टूबर, 76	9, 401/-
नवम्बर, 76	10, 394/-
दिसम्बर, 76	10, 743/-
जनवरी, 77	12, 656/-
फरवरी, 77	8, 918/-
मार्च, 77	8, 475|-
अप्रेल, 77	6, 308|-
मई, 77	10, 967/-
जून, 77	7, 891/-
जुलाई, 77	99, 67/-
अगस्त, 77	14, 719/-
सितम्बर, 77	10, 019/-
अक्टूबर, 77	12, 023/-
नवम्बर, 77	8, 601/-
दिसम्बर, 77	9, 403/-
जनवरी, 78	7, 579/-
फरवरी, 78	6, 129|-

परिशिष्ट 'ग'

मैसर्स कैलाश टाकीज, गंगापुर सिटी द्वारा जुलाई, 1976 से दिसम्बर, 78 तक मनोरंजन कर की राशि जो माहवार जमा कराई गई की सूचना ।

माह का नाम	मनोरंजन कर की राशि
जुलाई, 76	36, 572/-
अगस्त, 76	24, 169/-
सितम्बर, 76	38, 952/-
अक्टूबर, 76	22, 713|-
नवम्बर, 76	20, 683|-
दिसम्बर, 76	27, 467/-
जनवरी, 77	31, 058/-
फरवरी, 77	33, 858/-
मार्च, 77	27, 492/-
अप्रेल, 77	25, 647|-
मई, 77	30, 643/-
जून, 77	32, 259/-
जुलाई, 77	29, 426/-
अगस्त, 77	20, 564/-
सितम्बर, 77	23, 988/-
अक्टूबर, 77	30, 803/-
नवम्बर, 77	24, 584/-
दिसम्बर, 77	29, 313/-
जनवरी, 78	34, 980/-
फरवरी, 78	27, 499/-

इटावा में भू-संरक्षण का कार्य

623. श्री हीरालाल आर्य (पीपलदा): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पंचायत समिति इटावा में भू-संरक्षण विभाग द्वारा किसानों के खेतों की लेवलिंग की गई थी ? यदि हां, तो किस किसान की कितनी बीघा तथा प्रत्येक के कुल कितने रुपये का काम हुआ ? गांव वार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इन किसानों में प्रत्येक से कुल कितनी रकम वसूल हो चुकी है ? तथा कितनी बाकी है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) इन रकम के वसूल नहीं होने का क्या कारण है ? राज्य सरकार इस हेतु क्या प्रयत्न कर रही है ? क्या राज्य सरकार इस हेतु विचार करेगी ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति इटावा के क्षेत्र में कृषि विभाग भू-संरक्षण द्वारा काश्तकार के खेतों में लेवलिंग का कार्य 1968-71 में किया गया था। काश्तकारों की गांव वार सूची जिनके यहां पर कार्य हुआ मय खर्च के साथ संलग्न है।

(2) ऋण राशि कोटा भूमि सहकारी विकास बैंक कोटा द्वारा दी गई थी तथा वसूली का कार्य भी भूमि विकास बैंक द्वारा ही किया जाता है।

(3) कोटा भूमि विकास बैंक कोटा द्वारा दिये गये ऋणों की वसूली अन्य बैंकों के ऋणों की तरह ही स्वयं भूमि विकास बैंक को ही करना होता है तथा राज्य सरकार इस वसूली के लिये उत्तरदायी नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जय समन्द नहर का धोरा

624. श्री माधजी भाई (सलूम्बर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जयसमंद नहर से ग्राम गातोड़ के लिये धोरा निकलता है ? यदि हां, तो क्या यह धोरा कच्चा बना हुआ है और उसका पानी बेकार जाता है ?

(2) क्या इस धोरे को पक्का बनाने का राज्य सरकार का इरादा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक पक्का बना दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। जय समन्द की दाईं नहर श्यामपुरा से ग्राम गातोड़ के लिये काश्तकारों द्वारा एक धोरा निकाला हुआ है जो कि कच्चा है व इससे सिंचाई होती है। कच्चा होने के कारण धोरे से पानी का क्षरण भी होता है।

(2) जी नहीं। धोरों की देखरेख व रखरखाव नियमानुसार सम्बन्धित काश्तकारों का ही उत्तरदायित्व है।

ग्राम पंचायत झूंठा के चुनाव की शिकायत पर कार्यवाही

625. श्री हनुवन्तसिंह राठावत (बाली): क्या चुनाव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत झूंठा पंचायत समिति रायपुर जिला पाली के पंचायत चुनाव में श्री प्रेमराज द्वारा किन्हीं अधिकारियों के विरुद्ध चुनाव में दबाव एवं हेराफेरी के आरोप लगाकर राज्य सरकार को तार द्वारा शिकायत की गई है? यदि हां, तो ये अधिकारी कौन कौन हैं? इस संदर्भ में राज्य सरकार ने आज तक क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त चुनाव में मत पेटियां मतदान केन्द्र से काफी दूर व दूसरे दिन तहसील कार्यालय में बिना सील के भेजी जाकर वहां सील की गई? यदि हां, तो मत पेटियां कितने घंटे बाद सील की गई?

उत्तर

(1) जी हां। श्री प्रेमराज ने जो शिकायत की है उसमें मतदान दल के अधिकारी, उप जिलाधीश जैतारण एवं श्री सी. डी. देवल के नाम हैं। निर्वाचन विभाग द्वारा चुनाव प्रक्रिया सम्बन्धी जांच करवाई गई है।

(2) जी हां। विभागीय प्रारंभिक जांच कराई जाने पर प्राइमाफेसी रूप से यह जानकारी मिली है कि मतगणना के बाद मतपत्र मतगणना स्थल पर सील न किये जाकर तहसील रायपुर में सील किये गये।

भेड़ प्रजनन फार्म

626. श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा): क्या भेड़ व ऊन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) भेड़ व ऊन विभाग में कितने भेड़ प्रजनन फार्म हैं?

(2) उपरोक्त फार्म की जमीन का क्षेत्रफल कितने एकड़ में है?

(3) विभाग द्वारा कृषि कार्य कितनी भूमि पर गत तीन वर्षों में किया गया और उपरोक्त कार्य से कितने रुपये की उपजाऊ घास पैदा हुई?

(4) फार्म की भेड़ों के लिये गत तीन वर्षों में कितने रुपयों का चारा दाना क्रय किया गया?

उत्तर

(1) भेड़ व ऊन विभाग में पांच प्रजनन फार्म हैं।

(2) जयपुर फार्म 556 एकड़ में, चित्तौड़गढ़ 657 एकड़ में, बांकलिया 302 एकड़ में, जोड़बीड़ 2,000 एकड़ में, तथा फतेहपुर 9,880 एकड़ में स्थित है।

(3) कृषि व घास उत्पादन कार्य 3,198 एकड़ में गत तीन वर्षों में किया गया। जिससे 12,75,158/—रुपयों की उपज पैदा हुई।

(4) उक्त फार्मों पर गत तीन वर्षों में भेड़ों के लिये 12 लाख 51 हजार 616 रुपयों का चारा दाना क्रय किया गया।

मेंहदीपुर बालाजी एवं टोडाभीम की सड़क का कार्य

627. श्री बत्तीलाल मीणा (टोडाभीम) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि मेंहदीपुर बालाजी और टोडाभीम के बीच वाली घाटी पर पिछले अनेकों वर्षों से सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है ?

(2) यदि हां, तो राज्य सरकार क्या इसे शीघ्र पूरा कराने का इरादा रखती है ? यदि हां तो कब तक ? इसके लिए वर्तमान बजट में क्या व्यवस्था की गई है ?

उत्तर

(1) जी हां। सन् 1974 से कार्य प्रगति पर है।

(2) इस कार्य को पूरा कराने के लिये 6.00 लाख रुपये की आवश्यकता होगी जिसके उपलब्ध कराने की चेष्टा की जावेगी। वर्तमान बजट में इस वर्ष 60,000 रुपये का प्रावधान हो सका है।

ऊन वर्गीकरण केन्द्र नवलगढ़ के भवन निर्माण का कार्य

628. श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : क्या भेड़ व ऊन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नवलगढ़ में ऊन वर्गीकरण केन्द्र के लिए भवन का निर्माण कब किया गया तथा इस भवन पर कितनी धन राशि व्यय की गई ?

(2) क्या यह सही है कि इस भवन को ऊन वर्गीकरण उद्देश्य के लिए बनाया गया था परन्तु अभी तक यह बन्द पड़ा है? यदि हां, तो विभाग इसे कब से पुनः चालू करने पर विचार कर रहा है ?

उत्तर

(1) विभाग द्वारा सन् 1965 में ऊन वर्गीकरण केन्द्र, नवलगढ़ का भवन बनाया गया था। इसके निर्माण पर 1.67 लाख रुपये व्यय किये गये थे।

(2) जी हां। यह भवन अक्टूबर 1965 से 1967 तक ऊन वर्गीकरण केन्द्र के काम आया। 1967 में आर्थिक कटौती के कारण यह बन्द किया गया। इस भवन में अब भेड़ व ऊन प्रसार केन्द्र स्थापित है।

वर्गीकरण केन्द्र के पुनर्स्थापना के बारे में ऊन वर्गीकरण एवं विपणन मंडल द्वारा विचार किया जाएगा जिसे ऊन वर्गीकरण एवं विपणन का कार्य सौंपा गया है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 4-3-78)

राजकीय क्षेत्र के उद्योग

42. श्री विजयेन्द्र पाल सिंह (आसीन्द): क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कितने व कौन कौन से उद्योग राजकीय क्षेत्र में स्थापित किये गये हैं ?

(2) इनकी स्थापना से अब तक प्रतिवर्ष प्रत्येक उद्योग/उपक्रम को कितनी हानि अथवा लाभ हुआ ?

Page No 164

(164)

(श्री विजयेन्द्र पाल सिंह)

(3) प्रत्येक उद्योग/उपक्रम के हानि में आने के क्या कारण हैं ?

(4) उद्योग/उपक्रम लाभ में चलें उसके लिये राज्य सरकार द्वारा और क्या क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) राजकीय उपक्रम विभाग/उद्योग एवं खनिज विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में निम्न उद्योग राजकीय क्षेत्र में स्थापित हैं :—

1–गंगानगर शुगर मिल्स लि. जयपुर।
2–राजस्थान स्टेट टेनरीज लि. टोंक।

3–हाईटेक प्रेसीजन ग्लास लि. धौलपुर।

4–राजकीय ऊनी मिल्स, बीकानेर।
5–राजकीय लवण स्रोत, पचपदरा।
6–राजकीय लवण स्रोत, डीडवाना।
7–राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, डीडवाना।

8–राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम जयपुर।

9–राजस्थान स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लि. जयपुर।

10–राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लि.

(2) इनकी स्थापना से अब तक उद्योगों/उपक्रमों को जो लाभ हानि हुई उसका ब्योरा संलग्न है।

(3) उद्योगों/उपक्रमों के हानि में रहने के निम्न कारण हैं :—

1–गंगानगर शुगर मिल्स लि. जयपुर:—

इस संस्थान में पिछले 20 वर्षों के कार्यकाल में केवल 3 वर्षों में हानि रही। वर्ष 1963–64 में हानि का मुख्य कारण गन्ने की कमी तथा रिकवरी प्रतिशत कम होना था। वर्ष 1971–72 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के कारण गन्ने एवं चुकन्दर की फसल को एक ओर तो नुकसान हुआ और दूसरी ओर युद्ध की वजह से मिल का क्रशिंग सीजन देरी से प्रारम्भ हुआ। जिससे रिकवरी प्रतिशत पर भी प्रभाव पड़ा। वर्ष 72–73 में भी शुगर फैक्टरी के लिये कम गन्ना एवं चुकन्दर उपलब्ध होने से शुगर मिल केवल 64 दिन ही चली एवं रिकवरी का प्रतिशत कम रहा।

2–राजस्थान स्टेट टेनरीज लि. टोंक:—

इस संस्थान में प्रारम्भ में होने वाले खर्चों की अधिकता के कारण कार्यशील पूंजी में कमी होना, क्षमता से कम उत्पादन होना, माल की मांग कम होना, कम्पनी को चमड़े के अन्य लम्बे समय से सुव्यवस्थित कारखानों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना, चमड़े के विश्व बाजार में गिरावट एवं आर्थिक मन्दी। भारत सरकार द्वारा निर्यात की परिभाषा में परिवर्तन करना।

3. हाईटेक प्रेसीजन ग्लास लि. धौलपुर

यह संस्थान राजकीय कम्पनी के रूप में वर्ष 62-63 से कार्य कर रहा है। इस संस्थान में हानि के निम्न कारण रहे हैं:—

(1) फैक्ट्री का अपूर्ण हालत में प्रारम्भ किया जाना।

(राजकीय उपक्रम समिति)

(2) गोदामों के अभाव में कांच के सामान की भारी टूट-फूट होना।

(3) उचित एवं पर्याप्त भण्डारण् क्षमता के अभाव में भट्टी के तेल पर बहुत हानि होना।

(4) शक्ति का उत्पादन डीजल जेनरेटिंग सैट के माध्यम से किया जाने के कारण महंगा पड़ना।

(5) कच्चा माल, डीजल, फर्नेस आयल काफी दूर से मंगाया जाना जिसकी वजह से उत्पादन लागत काफी ऊंची होना।

मन्त्री मण्डल के निर्णय के अनुसार इस संस्थान को एक जुलाई, 68 से गंगानगर शूगर मिल्स को लीज पर दे दिया गया है अतः उसके पश्चात् के जो लाभ-हानि के आंकड़े दर्शाये गये हैं वह गंगानगर शूगर मिल्स से प्राप्त लीज राशि के आधार पर हैं।

4. राजकीय ऊनी मिल्स, बीकानेरः—

राजकीय ऊनी मिल्स, बीकानेर में हानि के निम्न मुख्य कारण रहे हैं :

(1) अधिष्ठापित क्षमता का पूर्ण उपयोग न किया जाना।

(2) ऊंची उत्पादन लागत।

(3) अपर्याप्त वितरण व्यवस्था।

(4) सक्षम स्पीनिंग मास्टर की सेवाएं प्राप्त न कर सकना।

(5) जनवरी, 1974 से कालीन धागे की कीमतों में निरन्तर विश्वव्यापी गिरावट।

5. राजकीय लवण स्रोत पचपदराः—

इस संस्थान में विभिन्न वर्षों में हानि होने के मुख्य कारण उत्पादकों एवं राज्य सरकार के मध्य वार्ता का होना, न्यायालय के आदेशानुसार अधिक उत्पादन दर देना, रेल्वे द्वारा उपयुक्त मात्रा में खाली गाड़ियों का आवश्यकतानुसार उपलब्ध न होना है। इसके अतिरिक्त नमक उत्पादन के लिये मौसम का अनुकूल होना भी आवश्यक है। यह स्रोत राजस्थान के दूरस्थ स्थान पर स्थित है जहां से व्यापारियों का नमक ले जाने में काफी असुविधा होती है।

6. राजकीय लवण स्रोत, डीडवाना—

इस संस्थान में वर्ष 1973-74 में 0.37 लाख रुपया की हानि रही जिसका प्रमुख कारण नमक उत्पादकों द्वारा नमक का विक्रय विभाग को न करके सीधा ही बाजार में किया जाना है।

7. राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स डीडवाना :—

इस संस्थान में निम्नलिखित इकाइयां हैं:—

(1) सोडियम सल्फेट वर्क्स।

(2) सोडियम सल्फेट प्लांट।

(3) सोडियम सल्फाइड फैक्टरी

सोडियम सल्फेट वर्क्स में प्रारम्भ से अब तक लाभ की स्थिति रही है।

सोडियम सल्फेट प्लांट में प्रारम्भ के 3 वर्षों में लाभ की स्थिति रही। शेष वर्षों में हानि के निम्न कारण हैं :—

(1) बिजली में व्यवधान आना।

(राजकीय उपक्रम समिति)

(2) फर्नेश आयल की कीमतों में निरन्तर वृद्धि होना।

(3) रेयन मिलों के द्वारा बाई-प्रोडक्ट के रूप में इस रसायन का उत्पादन करना जिसके कारण बाजार में इसका प्रचुर मात्रा उपलब्ध होना।

(4) पूर्व में इस रसायन की विक्रय दर 1800/- रुपया प्रति टन हो गई थी जबकि वर्तमान में विक्रय दर 600/ रुपये से 625/ रुपये प्रति टन है। इसी प्रकार फर्नेश आयल की दरों में पूर्व की अपेक्षा चार गुना से भी अधिक वृद्धि हो गई है।

सोडियम सल्फाइड फैक्टरी में शुरू के वर्षों में हानि रही जो कि नई इकाई के लिये स्वाभाविक है। वर्ष 71-72 से यह इकाई निरन्तर लाभ की स्थिति में चल रही है।

8. राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम :—

इस इकाई में वर्ष 1974-75 एवं 76-77 में हानि रही जिसके मुख्य कारण निम्न प्रकार से है :—

(1) निगम के विनियोजन का अधिकांश भाग राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के कार्य क्षेत्र में लगाना जैसे; औद्योगिक क्षेत्रों का विकास, निजी क्षेत्र की कम्पनियों में हिस्सा पूंजी का सहयोग, उद्यमियों को मुफ्त परामर्श एवं मार्गदर्शन इत्यादि में लगता है।

(2) निगम द्वारा प्रारम्भ की गई इकाइयां औद्योगिक परियोजनाएँ हैं जो अभी शैशवकाल में है। इन परियोजनाओं में जब तक व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ नहीं हो जावेगा निगम को विनियोजित राशि पर लाभांश प्राप्त नहीं होगा।

(3) निगम कुछ खनिजों की माइनिंग लीज लेकर खनन कार्य कर रहा है। कुछ खानों पर विकास कार्य करना पड़ता है। कुछ खानों पर "रिजर्व" खत्म हो जाने के पश्चात् भी काम बन्द नहीं किया जा सकता है क्योंकि वहां पर जनजाति के श्रमिक बेरोजगार हो जाते हैं।

(4) निगम द्वारा स्थापित टेलीविजन फैक्टरी में फरवरी, 77 से व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ किया गया है इसमें कुछ हानि हुई है।

9. राजस्थान स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लि० :—

इस संस्थान के अन्तर्गत निम्न इकाइयां कार्यरत है :—

(1) फर्नीचर मेकिंग सेन्टर, जयपुर।

(2) राजस्थान वस्टेड स्पीनिंग मिल्स चूरू एवं लाडनूं।

(3) मयूर बीड़ी इन्डस्ट्रीज, टौंक।

फर्नीचर मेकिंग सेन्टर प्रारम्भ से ही लाभ में चल रहा है।

राजस्थान वस्टेड स्पीनिंग मिल्स, चूरू एवं लाडनूं में प्रारम्भ के 5 वर्षों में काफी हानि रही जिसका मुख्य कारण यह है कि मिल्स का स्थापना खर्च काफी अधिक था तथा नई इकाई होने के कारण उत्पादन भी कम हो रहा था। प्रारम्भ में इस मिल में लेफा (टाप्स) का उत्पादन नहीं होता था तथा उनका क्रय बाहर से किया जाता था जो महगा पड़ता था। इन मिलों में चार चार सो तकुए और लगाए गए साथ ही

(राजकीय उपक्रम समिति)

कार्डिंग मशीनें पोलेण्ड से टाप्स के उत्पादन हेतु मंगाने पर ये इकाइयां लाभांश में परिवर्तित हुई। वर्ष 74-75 में इन मिलों को पुनः हानि उठानी पड़ी जिसका मुख्य कारण मरीनो ऊन की खरीद कर लिये जाने के पश्चात् उसकी कीमत में भारी गिरावट आना है। वर्ष 75-76 से ये मिलें पुनः लाभांश में चल रही हैं।

मयूर बीड़ी इन्डस्ट्रीज, टोंक में हानि के निम्न कारण हैं :—

(1) प्रारम्भ में भारी तादाद में तेन्दू पत्ते की खरीद।

(2) उत्पादन मूल्य अधिक होना।

(3) बिक्री कम होना।

(4) वर्ष 1972 के मुकाबले निरन्तर मजदूरी दर में वृद्धि होना।

10. राजस्थान माइन्स एण्ड मिनरल्स लि० :—

यह इकाई लाभ में रही है।

(4) उद्योग/उपक्रम लाभ में चले इसके लिये राज्य सरकार द्वारा निम्न प्रयास किये जा रहे हैं :—

1- शुगर फैक्टरी की मशीनरी 70 साल पुरानी है एवं अपना जीवन लगभग पूरा कर चुकी है। इसके आधुनिकरण हेतु एक योजना हाथ में ली गई है जिसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। उनके द्वारा इस योजना के लिये 1.34 करोड़ रुपया का ऋण स्वीकृत हो चुका है। इसके साथ ही शुगर फैक्टरी की उत्पादन क्षमता को 1000 टन से 1500 टन प्रतिदिन तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। गन्ने की रिकवरी में वृद्धि हेतु जल्दी पकने वाली गन्ने की किस्म को प्रचलित किया जा रहा है। कम्पनी ने ऐसी किस्मों को लोकप्रिय बनाने हेतु 1.50 रु. प्रति क्विंटल प्रिमीयम देने का भी निश्चय किया है।

2-राजस्थान स्टेट टेनरीज लि. के कार्यों को सुचारु रूप से चलाने के लिये नये तकनिकी संचालक की नियुक्ति की गई है जो इस व्यवसाय के हैं। प्रबन्धक संचालक का कार्यालय जयपुर से टोंक स्थानान्तरित किया जा रहा है। कार्यशील पूंजी की कमी को दूर करने के लिये बैंकों से प्रबंध किया जा रहा है।

3-हाईटेक प्रेसीजन ग्लास लिमिटेड वर्तमान में गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड के पास लीज पर है। उत्पादन लागत को कम करने की दृष्टि से फैक्टरी में दो फर्नेस बनाई गई हैं जिनमें से एक 10 टन की कोल फायर्ड फर्नेस है जिससे आबकारी बोतल बनाई जा रही है। लेबोरेटरी ग्लास वेयर्स के उत्पादन के लिए तेल से चलने वाली फर्नेस लगाई गई है। लेबोरेटरी ग्लास वेयर्स की बिक्री के लिए सतत् प्रयत्न किये जा रहे हैं जिसकी वजह से इनकी बिक्री में पिछले वर्षों की तुलना में आशातीत वृद्धि हो रही है। फैक्टरी में उत्पादन डायवर्सीफाई करने की दृष्टि से टम्बलर बनाने के लिये प्रेसिंग मशीन लगाने का निर्णय लिया गया है जिससे टम्बलर्स का उत्पादन इसी माह में प्रारम्भ हो जाने की आशा है।

4-वर्तमान में राजकीय ऊनी मिल्स, बीकानेर मैसर्स जगन्नाथ जीवनलाल वूलन मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर को रुपया 18,12,012/- प्रति वर्ष पर दस वर्ष के लिये पट्टे पर दी हुई है, जैसा कि मंत्री मण्डल के द्वारा निर्णय लिया गया था।

(राजकीय उपक्रम समिति)

5-राजकीय लवण स्रोत, पचपदरा में नमक की खानों को रिनोवेट कराया जा रहा है ताकि उत्तम नमक का उत्पादन हो सके। विक्रय दर में सुधार किया गया और सभी मंडियों में माल पहुंचे इसके लिये रेल्वे से वेगन प्राप्त करने की चेष्टा की जा रही है। बड़े रसायन उद्योगों को कास्टिक सोड़ा बनाने के लिये नमक उपलब्ध कराया जा रहा है। साल्ट यार्ड लगाने की योजना पर विचार किया जा रहा है। खानों से नमक निकालने के बाद जो बिटर्न बचता है उसको बाहर फेंकने के लिये पम्प की खरीद करने पर विचार किया जा रहा है। जिससे एक तरफ नमक की शुद्धता पर असर पड़ेगा एवं दूसरी ओर उत्पादन भी बढ़ेगा।

6-राजकीय लवण स्रोत, डीडवाना में निजी तौर पर नये क्यार बनाकर नमक उत्पादन शुरू किया गया है एवं नमक बाजार को मद्देनजर रखकर नमक की किस्म व उत्पादन में बढ़ोत्तरी के प्रयास किये जा रहे हैं।

7-राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, डीडवाना में सोडियम सल्फेट एवं सोडियम सल्फाइड की इकाइयों को लाभांश में लाने के लिये निम्न कदम उठाये जा रहे हैं :—

1-सोडियम सल्फेट संयंत्र को कोयले पर चलने वाले बायलर द्वारा चलाये जाने पर विचार किया जा रहा है। इसके लिये नेशनल प्रोडक्टिविटी कौन्सिल द्वारा जांच कराई जा रही है। जांच परिणाम लाभदायक पाये जाने पर वांछित डिजाइन में बदलाव किया जावेगा।

2-वर्तमान में स्टाक की प्रचुरता को देखते हुए उत्पादन में कमी कर दी गई है। जिससे माल ज्यादा संग्रहित न हो एवं उसके ब्याज आदि का भार विभाग पर न पड़े।

8-राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम जयपुर में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये उपयुक्त अनुदान दिया जावे। नये उद्योगों को परिवर्तन के लिये निगम को धनराशि की मांग की आवश्यकता पर लम्बी अवधि के लिये ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त होना चाहिये जैसे कि दूसरे राज्यों में हुआ है। खनन परियोजनाएं जो रिजर्व के खत्म होने से अव्यवसायिक हो गई है उन्हें बन्द कर देना चाहिए।

9-राजस्थान स्मॉल स्केल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड को फर्नीचर मेकिंग सेन्टर में निरन्तर लाभ हो रहा है फिर भी लाभांश में वृद्धि के लिये प्रयास जारी है। राजस्थान वर्स्टेड स्पिनिंग मिल्स, चूरू एवं लाडनूं में उत्पादन में निरन्तर वृद्धि हो रही है जिसके विक्रय हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। प्रारम्भ में उत्पादित धागा पंजाब, लुधियाना व अमृतसर में विक्रय किया जाता था। अब श्रीनगर, आगरा, दिल्ली व जयपुर में भी कार्पेट यार्न काफी तादाद में विक्रय करना प्रारम्भ कर दिया हैं। मयूर बीड़ी इण्डस्ट्रीज टोंक में वन विभाग के गोदामों में देखकर व परखकर तेन्दू पत्ता खरीदने की कार्यवाही जारी है। कमीशन एजेन्ट के माध्यम से बिक्री बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं। इसके लिये आई. एस. आई. मार्का प्राप्त कर लिया गया है। प्रमुख समाचार पत्रों में समय समय पर विज्ञापन प्रकाशित किये जा रहे हैं। रक्षा विभागों में भी बीड़ी विक्रय के प्रयास किये जा रहे हैं। इसकी बिक्री में बढ़ोत्तरी होने पर उत्पादन कीमत में कमी होने के फलस्वरूप ही यह लाभांश में परिवर्तित हो सकती है।

10-राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लि. निरन्तर लाभ में रहा है फिर भी लाभांश में वृद्धि के लिये प्रयास किये जा रहे हैं।

इकाइयों में लाभ व हानि का ब्यौरा

क्र. सं.	इकाई का नाम	1956-57	57-58	58-59	59-60	60-61	61-62	62-63	63-64	64-65
1	गंगानगर शुगर मिल्स	6.05	8.62	2.79	5.94	4.69	1.43	0.48	(-)3.37	5.25
2	राजस्थान स्टेट टेनरीज लि.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	हाइटेक प्रीसिजन ग्लास लि.	—	—	—	—	—	—	—	—	(-)3.43
4	राजकीय ऊन मिल्स, बीकानेर	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	राजकीय लवण स्रोत, पचपदरा	—	—	—	—	(-)0.60	1.58	4.73	1.24	0.18
6	राजकीय लवण स्रोत, डीडवाना	—	—	—	—	—	—	—	—	4.91
7	राज. स्टेट केमिकल वर्क्स, डीडवाना									
	(क) सोडियम सल्फेट प्लांट	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(ख) सोडियम सल्फाइड	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(ग) क्रूड सोडियम सल्फेट वर्क्स	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	राजस्थान राज्य औद्योगिक खनिज विकास निगम	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	राजस्थान स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड									
	(1) फर्नीचर मेकिंग सेन्टर, जयपुर	—	—	—	—	—	—	—	0.10	0.12
	(2) राजस्थान वर्स्टेड स्पीनिंग मिल्स, चूरू	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(3) राजस्थान वर्स्टेड स्पीनिंग मिल्स लाडनूं	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(4) मयूर बीड़ी इन्डस्ट्रीज, टोंक	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	राज. स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लि.	—	—	—	—	—	—	—	—	—

क. सं.	इकाई का नाम	1965-66	66-67	67-68	68-69	69-70	70-71	71-72	72-73
1	गंगानगर शुगर मिल्स लि.	6.55	6.56	5.94	1.62	2.85	1.61	(–)11.60	(–)1.55
2	राजस्थान स्टेट टेनरीज लि.	—	—	—	—	—	—	—	—
3	हाइटेक प्रेसीजन ग्लास लि.	4.07	(–)4.58	0.18	(–)0.76	(–)1.00	(–)0.16	0.01	0.03
4	राजकीय ऊनी मिल्स, बीकानेर	—	—	—	(–)5.24	(–)11.05	(–)14.51	16.11	(–)13.02
5	राजकीय लवण स्रोत पचपदरा	0.51	(–)0.57	0.91	2.88	1.21	1.08	1.07	(–)0.13
6	राजकीय लवण स्रोत, डीडवाना	5.28	5.40	10.98	11.07	6.67	5.88	5.90	1.60
7	राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, डीडवाना								
	(क) सोडियम सल्फेट	2.95	5.93	5.77	(–)3.75	2.34	(–)5.63	(–)13.27	(–)6.89
	(ख) सोडियम सल्फाइड	—	—	2.69	(–)0.37	0.96	(–)0.83	(–)1.23	1.99
	(ग) क्रूड सोडियम सल्फेट	0.48	5.49	13.01	7.35	5.46	4.10	5.66	8.72
8	राजस्थान राज्य प्रोद्योगिक एवं खनिज विकास निगम	—	—	—	—	0.15	5.88	7.29	1.20
9	राजस्थान स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को. लि								
	(i) फर्नीचर मेकिंग सेन्टर, जयपुर	11.00	15.00	22.00	53.00	29.00	76.00	91.00	1.13
	(2) राजस्थान वर्स्टेड स्पीनिंग मिल, चूरू	—	—	(–)2.04	(–)1.89	(–)1.32	(–)1.24	(–)0.68	0.13
	(3) राजस्थान वर्स्टेड स्पीनिंग मिल, लाडनूं	—	—	(–)1.67	(–)1.95	(–)1.38	(–)1.14	(–)0.54	0.25
	(4) मयूर बीड़ी इन्डस्ट्रीज, टोंक	—	—	—	—	—	—	(–)0.14	(–)0.67
10	राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लि.	—	—	—	—	—	—	—	—

क्र. सं.	इकाई का नाम	1973-74	74-75	75-76	76-67	विशेष विवरण
1.	गंगानगर शुगर, मिल्स लि.	24.47	7.63	12.08	11.84	इस इकाई का वित्तीय वर्ष जुलाई से, जून होता है।
2.	राजस्थान स्टेट टैनरीज लि.	—	—	(-) 20.92	(-) 17.04	इस इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन मई, 75 से प्रारम्भ हुआ था।
3.	हाईटेक प्रेसीजन मिल्स ग्लास लि.	0.04	0.02	(-)0.33	0.08	इस इकाई का वित्तीय वर्ष अगस्त-सितम्बर होता है। वर्ष 76-77 के लेखे अपेक्षित हैं। यह इकाई जुलाई 68 से गंगानगर शुगर मिल्स को लीज पर दी हुई है गंगानगर शुगर मिल्स इस इकाई के कार्यकलापों के हानि लाभ का ब्योरा उनके ब्योरे में सम्मिलित है।
4.	राजकीय ऊनी मिल्स, बीकानेर	(-)10.30	(-)29.77	(-)31.60	0.54	यह इकाई अप्रैल, 68 में स्थापित की गई थी व उत्पादन वर्ष 1969 से प्रारम्भ हुआ। जून 76 से यह मिल मैसर्स जगन्नाथ जोवनमल ऊनन मिल्स प्रा. लि. को रु. 18, 12, 012 वार्षिक पट्टे पर 10 वर्ष के लिये दी हुई है। वर्ष 76-77 के लेखे अपरिक्षित है।
5.	राजकीय लवण स्रोत पचपदरा	(-)3.81	(-)3.62	0.13	(-)1.60	वर्ष 76-77 के लेखे अपरिक्षित हैं।
6.	राजकीय लवण स्रोत डीडवाना	(-)0.37	17.96	7.17	9.24	वर्ष 76-77 के लेखे अपरिक्षित हैं।

1	2	3	4	5	6	7
7.	राजस्थान स्टेट केमिकल्स डीडवाना					इस इकाई को वर्ष 1970 से वाणिज्यिक संस्थान घोषित किया गया है। सोडियम सल्फेट संयंत्र के लेखे बनाये जा रहे हैं। सोडियम सल्फाइड के लेखे तैयार हो गये हैं एंव वर्ष 76-77 के लेखे अपरिक्षित है।
	(क) सोडियम सल्फेट	8.07	(-)6.88	(-)39.34	(-)13.90	
	(ख) सोडियम सल्फाईड	3.19	1.77	1.67	2.10	
	(ग) कूड सोडियम सल्फेट	14.21	19.22	4.28	7.56	
8.	राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम	0.56	(-)0.63	4.05	(-)16.36	निगम की स्थापना वर्ष 1969-70 में हुई थी।
9.	राजस्थान स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि.					
	(1) फर्नीचर मेंकिग सेन्टर, जयपुर	0.70	2.04	1.85	1.56	उद्योग निदेशालय से निगम को दि. 1-2-62 से हस्तान्तरित हुई है।
	(2) राजस्थान वर्स्टेड स्पीनिंग मिल्स, चुरू	0.33	(—)1.72	0.35	2.49	ग्रामिण औद्योगीकरण विकास योजना के अन्तर्गत सन् 1967 में स्थापित हुई। 1968
	(3) ,, ,, ,, लाडनू	0.02	(—)2.58	0.06	0.99	
	(4) मयूर बीड़ी इंडस्ट्रीज लि, टोंक	0.84	(—)0.76	(—)2.14	(—)2.90	
10.	राजस्थान स्टेट माइन्स एंड मिनरल्स लि.	5.12	21.65	11.50	35.60	

परिशिष्ट 4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 404 की सूची)

सूची-(क)

क्र.सं.	निर्माण कार्य का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का क्रमांक व दिनांक	स्वीकृत राशि	अब तक का कुल व्यय	विशेष विवरण
1.	कन्सट्रक्शन आफ थाटव हट गवर्नमेंट कालेज कोटपूतली	एफ 21 (22) शिक्षा | जी आर 5|73 दिनांक 2-2-74	6000	4652	
2.	कन्सट्रक्शन आफ साईकिल स्टेण्ड गवर्नमेंट डिग्री कालेज कोटपूतली	एफ 5 (8) शिक्षा | जी आर | 5-3-76 दिनांक 11-8-76	10000	8890	
3.	कन्सट्रक्शन आफ क्लास रूम गवर्नमेंट डिग्री कालेज कोटपूतली	एफ 21 (2) शिक्षा | जी आर | 5 | 75 दिनांक 20-2-72	50000	54488	इस कार्य पर प्रशासनिक स्वीकृति से अधिक व्यय स्थानीय जेल अधिकारियों द्वारा वांछित कार्य कराने पर हुआ है जिसकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता महोदय के पत्र सं. 6-120 (ए) कक्ष 2-डी-6681 दिनांक 4-3-1976 द्वारा प्रदान की गई थी।
4.	कन्वर्शन आफ ओल्ड टाईप लेट्रीन व फ्लश टाईप लेट्रीन एट सब जेल, कोटपूतली	एफ 17 (4) कारा|76 | दिनांक 4-3-76	5780	21384	
5.	कन्सट्रक्शन आफ लाइब्रेरी बिल्डिंग गवर्नमेंट कालेज कोटपूतली	एफ 5 (8) शिक्षा । जी आर | 5 |76 दिनांक 18-9-76	167000	62210	कार्य चल रहा है।

(173)

(सूची-ख)

क.सं.	भवन का नाम
1.	बी.डी.एम. होस्पिटल, कोटपूतली
2.	डिग्री कालेज, कोटपूतली
3.	साइन्स ब्लाक डिग्री कालेज, कोटपूतली
4.	सरदार सेकेन्डरी स्कूल कोटपूतली
5.	सरदार जनाना होस्पिटल कोटपूतली
6.	एम. एम. कोर्ट बिल्डिंग, कोटपूतली
7.	बोयाईज होस्टल, कोटपूतली
8.	रेस्ट हाउस, पावटा

175

परिशिष्ट 5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 408 का ब्योरा)

List of Roads and Bridges Works Sanctioned During 1977-78

Name of Distt. 1	Name of work 2	Sanctioned cost 3	No. & date of 4	Present stage 5
			No. F.2(37)PW/AS/77/ D-1357/S Dated 14-11-77	
1 Jaipur	1 Approach road to Rajnota from NH. 8 near Gordhanpura.	10.00 lacs		
	2 Bhandraj Lalsar Road.	1.00 lac		
	3 Lalsot Bandh Meerasagar.	1.00 lac		
	4 Dausa Teenga Lawan Road.	1.50 lac		
	5 Kaithoon Lalsot Road.	1.50 lac		
	6 Sambhar Kuchaman.	7.00 lacs		
	7 Jobner Renwal.	1.50 lac		
	8 Jaipur Goner.	1.00 lac		
	9 Sanganer Malpura Road.	0.75 lac		

1	2	3	4	5
10	Jaipur Tonk Road.	15.00 lacs		
11	Bandikui Sikandra Geejgarh Road.	1.00 lac		
12	Dudu Phagi Road.	0.75 lac		
13	Dausa Nawa Sambher Road	3.00 lacs		
14	Chomu Chandawaji	2.50 lacs		
15	Dausa Nagota.	2.00 lacs		
16	Chomu Road Amarsar.	3.00 las		
17	Bansur Road.	1.00 lac		
18	Shahpura Neem Ka Thana.	1.50 lac		
19	Belwari Maid Road.	1.00 lac		
20	Chomu Renwal.	3.00 lacs		
21	Dudu Malpura.	3.00 lacs		
22	Link road to Dhami Kalan from Jaipur Ajmer Road.	3.00 lacs	F.2 (2) PW|AS/78 Dt. 21-1-78	Work in pro gress not yet-completed
23	L/R Pachar from Jaipur Kalwara Road.	4.00 lacs	—do—	—do—
24	L/R to Budal Via Manpur Macheri from Chomu Chandawaji Road	3.00 lacs	—do—	—do—
25	A/R to Ginoi from Chomu Harsoli Road.	5.00 lacs	—do—	—do—

1	2	3	4	5
2 S. Madhopur	1 Kaila Devi Karanpur Nadigon Silipur (26.5 Kms.)	16.50 lacs	F.2 (52)PW/AS/59 Dt. 2nd Aug. 77	Not yet started
	2 Karauli Mandrail to Morina.	33.00 lacs	—do—	—do—
	3 Karauli Machilpur to Jagner.	20.00 lacs	—do—	—do—
	4 Bridge over Banas river on Dausa S. Madhopur Road.	76.00 lacs	F.2(92)PW|AS|71| Sec. II Dt. 10th Jan. 78	Work in progress not yet completed
	5 Approaches and Guide bund for Banas Bridge on Dausa S. Madhopur Road.	30.00 lacs	—do—	—do—
	6 Jat Nagla to Sherpur on Gangapur Hindaun.	5.00 lacs	Dt. 21-1-78	—do—
	7 L/R to Jhareda from Hindaun Karauli Road.	5.00 lacs	—do—	—do—
	8 Todra Falodi.	25.00 lacs	Dt. 14-11-77	—do—
	9 Choth Ka Barwada from S. Madhopur.	24.00 lacs	—do—	—do—
	10 Bundi Indergarh S. Madhopur Road.	3.00 lacs	Dt. 29-12-77	—do—
	11 Tonk Shivpur S. Madhopur Road.	5.00 lacs	—do—	—do—
	12 Baraunda Khandar Road.	3.00 lacs	—do—	—do—
	13 Jasthana Bonli Road.	1.00 lacs	—do—	—do—
	14 Bonli Newai Road.	1.00 lacs	—do—	—do—
	15 Karauli Gangapur Road.	3.00 lacs	—do—	—do—

1	2	3	4	5
	16 Mandawar Hindaun Karauli Road.	5.00 lacs	Dt. 29-12-77	Work in progress not yet completed
	17 Karauli Sarmathura Road.	1.50 lacs	—do—	—do—
	18 Kargnon Sapotra Road.	2.00 Lacs	29-12-77	Work in progress.
	19 Sapotra Narainpur Tatwara.	3.00 "	-do-	-do-
	20 Gangapur Nadoti Gudha Chandarji Road	5 00 "	-do-	-do-
	21 Nadogti to Shri Mahaveerji Road.	1.00 "	-do-	-do-
	22 Todabhim Balaji Road.	0.50 "	-do-	-do-
	23 Bayana Hindaun Road.	2.00 "	-do-	-do-
3 Banswara	1 Bridge across Mahi River and Banswara Ratlam Road, its approaches and realignment.	259.60 "	-do-	-do-
	2 Diversion Banswara Ratlam	9.35 "	8-12-77	-do-
4 Bharatpur	1 Karauli Sir Mathura Dholpur to NH. No. 3	31.00 "	7-8-77	Not Started
	2 Bharatpur Dholpur Road Through U.P.	30.00	-do-	Not yet Started
	3 Bridge over Gambhir River on Bayana Baretha	17.00 "	10-1-78	In progress
	4 Bridge on Gambhir River on Hindaun Bayana	14.00 "	-do-	-do-

1	2	3	4	5
5	Approaches to Gambhir Bridge on Bayana Baretha	11.00 Lacs	10-1-78	In progress
6	Approaches on Gambhir Bridge on Bayana Hindaun	43.00 ,,	-do-	-do-
7	L/R Thehrongala to Sunari	5.00 ,,	21-1-78	-do-
8	L/R from Kasoda to Helak	5.00 ,,	-do-	-do-
9	Senthra to Jatoli Via Biloti	5.00 ,,	-do-	-do-
10	Bharatpur Deeg Nagar Alwar Road	4.11 ,,	29-12-77	-do-
11	Bharatpur Rupbas	8.00 ,,	-do-	-do-
12	Kherli Pathena Road	6.00 ,,	-do-	-do-
13	Bharatpur Bayana Road	5.00 ,,	-do-	-do-
14	Uchain Saola Baretha Road	1.00 Lac	29-12-77	In Progress
15	Bayana Budhwak Rupbas Road	2.00 ,,	—do—	—do—
16	Bayana Barethan Baseri Road	1.50 ,,	—do—	—do—
17	Bayana weir Bhusawar Chonkarwara	1.50 ,,	—do—	—do—
18	Benada Talchiri Road	1.00 ,,	—do—	—do—
19	Antra Lalita Mundia to weir	5.00 ,,	—do—	—do—
20	Uchain to Pingora Rlw. Station	3.46 ,,	—do—	—do—
21	Dehra Mod to Keladevi	0.50 ,,	—do—	—do—
22	Kama Byepass	5.00 ,,	—do—	—do—
23	Bharatpur Jagina	1.5[illegible] ,,	—do—	—do—

1	2	3	4	5
	24 Bhartpur Sonkh Road	1.0? Lacs	29-12-77	In progress
	25 Dholpur Bari Sirmathura Karauli Road	3.50 „	—do—	—do—
	26 Dholpur Saipau Rupabas upto U. P. Border	2.?0 „	—do—	—do—
	27 Saipan Basawi Nawab Road upto U.P-Border	2.50 „	—do—	—do—
	28 Kumher Sonkh Road	1.00 „	—do—	—do—
5 Kota	1 Baran Shahbad Kasba Thana Road including	50.00 „	2-8-1977	—do—
	2 New Bridge ever Chambal at Kota	250.00 „	2-12-1977	—do—
	3 Atru Gaughat Shalpura Chippa Barod Road	30.00 „	14-11-77	—do—
	4 Chhabra Kewai Road	15.00 „	—do—	—do—
	5 Jahalwar Road to Ranpur	5.?0 „	21-1-78	—do—
	6 Ramganj Mandi to Julmi	5.00 „	—do—	—do—
	7 Kota Baran Road	7 50 „	do—	—do—
	8 Kota Jhalawar Road	7.50 „	29-12-77	—do—
	9 Baran Atru Gaughat	6.00 „	—do—	—do—
	10 Kota Bundi Deoli Road	10.00 „	—do—	—do—
	11 S. Madhopur Indergarh Mangrol Road	5.00 „	—do—	—do—

1	2	3	4	5
15 Udaipur	1 Bhim Kukra Road.	5.00 Lacs	14-11-77	In progress
	2 Khelawara Amet Road.	1.50 ,,	-do-	-do-
	3 Approach road to Kalibeet from Bansi Kanor Rd.	5.00 ,,	21-1-78	-do-
16 Chittorgarh	1 Bansi Bari Sadri Road.	2.00 ,,	14-11-77	-do-
17 Nagour	1 L/R Khax Bher Via Chawandia.	2.00 ,,	21-1-71	-do-
	2 Jodhpur Nagour Road.	9.00 ,,	29-12-77	-do-
	3 Nagour Deedwana Sambhar.	12.00 ,,	-do-	-do-
	4 Nagour Merta City Road.	1.00 ,,	-do-	-do-
	5 Parbhatsar Harsor.	1.30 ,,	-do-	-do-
	6 Mertacity Barunda Badi Chati Road.	2.50 ,,	-do-	-do-
18 Jalore	1 Raniwara Mandar (Repairs to Badagaon Bridge.)	5 00 ,,	-do-	-do-
19 Pali	1 L/R to Bhatoonda.	3.00 ,,	21-1-78	-do-
	2 L/R to Baroonda	5.00 ,,	-do-	-do-
	3 Jodhpur Jalore Road at Vaed to Chenda Mandawas.	10 00 ,,	-do-	-do-

1	2	3	4	5
	4 A/R to Ras via Babra from Pali Bewar Road.	18.00 Lacs	14.11.1977	In progress
	5 Sumel Babra Road.	10.00 "	-do-	-do-
	6 A/R to Bagri	7.00 "	-do-	-do-
	7 A/R to Kushalpura	12.00 "	-do-	-do-
	8 Pali Kherawa Road.	15.00 "	-do-	-do-
	9 A/R to Kantalia	15.00 "	-do-	-do-
	10 Marwar Junction Jujawar Road.	40.00 "	-do-	-do-
	11 Rani Dhani Road.	1[illegible].00 "	-do-	-do-
	12 Bali to Nana Road	30.00 "	-do-	-do-
	13 Anandpur Kalu to Martacity Jaitaran Road.	5.00 "	-do-	-do-
20 Barmer	1 L/R Khereon from Khareen Rly. Station.	5.00 "	21-1-79	-do-
	2 Pachpadra Patodi Road.	10.00 "	-do-	-do-
	3 Tapra Padru Road.	12.00 "	-do-	-do-
	4 Semdari Balotra Road.	14.00 "	-do-	-do-
	5 Kawas Batadu Road.	10.00 "	-do-	-do-

1	2	3	4	5
6 Jhalawar	1 Bhawani Mandi Dug Road	33.50 Lacs	14-11-77	In Progress
7 Tonk	1 A/R to Kantoli Village on Lamba Hari Singh Dadu Road.	3.00 „	21-1-78	„
8 Ajmer	1 L/R Kaleara to Budhwara.	5.00 „	„	„
	2 Pranheda to Bindas on Kekri Kadera Road.	3.00 „	„	„
	3 Shirkhani to Bijay Nagar.	5.00 „	„	„
9 Alwar	1 L/R to village Jiwali.	5.00 „	„	„
	2 Malakhera Laxmangarh.	3.00 „	„	„
	3 A/R to Bichgaon to Jhaltra.	5.00 „	„	„
	4 Kishangarh Kotkashim Road.	6.00 „	28-12-77	„
	5 Ramgarh Govindgarh.	5.00 „	„	„
	6 Rajgarh Alwar.	2.80 „	„	„
	7 Alwar Delhi Road.	8.00 „	„	„
	8 Shahpura Alwar.	4.65 „	„	„
	9 Tijara Bhiwani Road.	5.00 „	„	„
	10 Alwar Bansur Road.	2.00 „	„	„
	11 Alwar Behror.	2.00 „	„	„
	12 Alwar Jaipur Road.	3.00 „	„	„

1	2	3	4	5
10 Sikar	1 A/R Mandoli from Neem ka thana Khetri.	1.00 Lacs	14-11-77	In progress
	2 Bai Danta Road.	10.00 „	„	„
	3 Mau Nathusar Deorala Ajitgarh Road.	25.00 „	„	„
	4 A/R to Jaitusar from Reengus Swai Madho pur Road.	2.00 „	„	„
	5 A/R to Jharli.	1.30 „	„	„
	6 A/R to Kured from Ramgarh Chomu Rd.	6.00 „	21-1-76	„
11 Jhunjhunu	1 Jhunjhunu Malsisar Road.	11.00 „	14-11-77	„
	2 Chirawa Mandrella Road.	25.00 „	„	„
	3 Ardawata Sultana Road.	1.00 Lac	14-11-77	In progress.
	4 Jhajar Parasarampura.	6.50 „	-do-	-do-
	5 Jhajar Khiror Via Basawa.	7.00 „	-do-	-do-
	6 A/R to Budhana.	4.00 „	-do-	-do-
12 Ganganagar	1 Approach road to Talwara.	25.00 Lacs	-do-	-do-
	2 Approach road to 9 PEM.	6.00 „	-do-	-do-
	3 Approach road to Jesena.	8.00 „	-do-	-do-
13 Churu	1 A/R to Dariba	1.00 „	-do-	-do-
14 Bikaner	1 Bikaner Ganganagar Road to Kupurisar.	8.00 „	21-1-78	-do-

परिशिष्ट 6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 417 का आदेश)

(भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-11, खण्ड-3, उप खण्ड (1) प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय,

न्याय विभाग

नई दिल्ली, तारीख 8 दिसम्बर, 1976

अधिसूचना

सा. का. नि. 91 (अ) राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का 37) की धारा 51 की उप धारा (2) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जैसा कि उपधारा के अधीन अपेक्षित है ।

राजस्थान उच्च न्यायालय (जयपुर में स्थाई न्यायपीठ की स्थापना) आदेश, 1976

राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का 37) की धारा 51 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, राजस्थान के राज्यपाल तथा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्याय मूर्ति से परामर्श करने के पश्चात् निम्नलिखित आदेश देते हैं, अर्थात :—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ (1) यह आदेश राजस्थान उच्च न्यायालय (जयपुर में स्थाई न्यायपीठ, की स्थापना) आदेश, 1976 कहलायेंगे ।

(2) ये आदेश जनवरी 1977 के 31 में दिन से लागू होंगे ।

2. जयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थाई न्यायपीठ की स्थापना जयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय की एक स्थाई न्यायापीठ स्थापित की जावेगी और राजस्थान के उच्च न्यायालय के पांच से अन्यून ऐसे न्यायाधीश, जिन्हें उस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायामूर्ति समय समय पर नाम निर्दिष्ट करे, अजमेर, अलवर, भरतपुर, बूंदी, जयपुर, झुंझनू, कोटा, सवाई माधोपुर, सीकर तथा टोंक जिलों में उद्भूत होने वाले मामलों के बारे में उस उच्च न्यायालय में तत्समय निहित अधिकारिता और शक्ति का प्रयोग करने के लिये जयपुर में बैठेंगे ?

परन्तु उस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, अपने विवेक से, यह आदेश दे सकेगा कि ऐसे किसी जिले में उद्भूत होने वाला कोई मामला या मामलों का वर्ग जोधपुर में सुना जावेगा ।

फखरुद्दीन अहमद,
राष्ट्रपति

का. सं. 1712174-न्याय

ह०

(प्रेम प्रसाद मय्यूर)

अवर सचिव, भारत सरकार

भारत सरकार

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय

(न्याय विभाग)

सेवा में,

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. राजस्थान के राज्यपाल के सचिव, जयपुर।
3. राजस्थान के मुख्य मंत्री के सचिव, जयपुर।
4. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।

नई दिल्ली 110001 दिनांक 20 दिसम्बर 1976, 29 अग्रहायण 1898

विषय: —जयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थाई न्यायपीठ की स्थापना।

महोदय,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राष्ट्रपति ने राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति तथा राजस्थान के राज्यपाल के परामर्श से राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 51 (2) के अधीन, अधिसूचना द्वारा तारीख 31 जनवरी, 1977 से जयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के एक स्थाई न्यायपीठ की स्थापना कर दी है। इस संबंध में जारी की गई तारीख 8 दिसम्बर, 1976 की अधिसूचना सं. 10–12–74-न्याय की एक प्रतिलिपि इस पत्र के साथ संलग्न है।

भवदीय

ह. आर. वासुदेवन

उप सचिव भारत सरकार

फोन नं. 375630

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न 421 का विवरण)

मैसर्स प्रेम इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन, कोटा को आयातित कच्चे माल के आवंटन सम्बन्धी विवरण

क्र. सं.	परमावश्यक प्रमाण-पत्र अवधि	कच्चे माल का प्रकार	परमावश्यक प्रमाण-पत्र की मात्रा (मूल्य	विशेष विवरण
1.	अप्रैल/सितम्बर, 61	ई. सी. एल्यूमिनियम वायर रोड़	100 टन (2,45,000 रु.)	आयात लाइसेन्स प्राप्त नहीं हुआ।
2.	अप्रैल/सितम्बर, 61	एच. टी. स्टील वायर	70 टन (84,000 रु.)	64,000 रु. का आयात लाइसेन्स प्राप्त हुआ।
3.	अक्टूबर, 61/मार्च, 62	ई. सी. एल्यूमिनियम वायर रोड़	100 टन	आयात लाइसेन्स प्राप्त नहीं हुआ।
4.	अक्टूबर, 61/मार्च, 62	एच. टी. स्टील वायर	70 टन (84,000 रु.)	माल प्राप्त नहीं हुआ।
5.	अप्रैल, 62/सितम्बर, 62	एच. टी. स्टील वायर रोड़	(98,000 रु.)	आयात लाइसेन्स प्राप्त नहीं हुआ।
6.	अप्रैल, 62/सितम्बर, 62	एच. टी. स्टील वायर	14 टन (16,800 रु.)	आयात लाइसेन्स प्राप्त नहीं हुआ।
7.	लाइसेन्स क्रमांक बी. एल. 12/64/डी-1102/36 दिनांक 30-4-63	एच. टी. ग्रैलवनाईज्ड शीट	(60,302 रु.)	कच्चा माल प्राप्त नहीं हुआ।

188

परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 39 का विवरण)

परिशिष्ट-क

नाम जिला	रजिस्टर्ड साहूकारान की संख्या	कानून उल्लंघन के मामलों की संख्या	उल्लंघन के मामलों में की गई कार्यवाही प्रोसी. का विवरण क्रमश.	
1 अलवर	813	—	—	—
2 भीलवाड़ा	814	—	—	—
3 बीकानेर	97	—	—	—
4 बाड़मेर	601	173	166	7
5 चित्तौड़गढ	607	2	2	—
6 गंगानगर	657	257	257	
7 जोधपुर	670	59	57	2
8 जैसलमेर	200	27	18	9
9 झालावाड़	303	28	—	-
10 कोटा	530	114	—	-
11 नागौर	1570	494	442	—
12 पाली	701	—	—	—
13 स. माधोपुर	7	—	—	—
14 सीकर	694	54	54	—
15 सिरोही	233	16	—	—
16 टोंक	834	—	—	
17 उदयपुर	2951	—	—	—
18 झुंझनु	320	—	—	—
19 डूंगरपुर	721	173	—	—
20 जालोर	729	41	41	—
21 अजमेर	626	30	—	2
22 भरतपुर	547	57	34	—
23 चुरू	91	—	—	—
24 बून्दी	26	20	6	—
25 बांसवाडा	645	32	32	—
26 जयपुर	970	120	120	44

परिशिष्ट — 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 41)

	नाम जिला	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	प्रभावित जमीन का क्षेत्रफल	राशि लगान जो माफ हो गया	कुल भूमि का कितना प्रतिशत लगान माफ होगा	कुल वार्षिक आय राजस्व लगान	कितनी माफ हो गई
1	अलवर	35,00/	50,000 हैक्टर	4,33,000	10%	43,33,000	4,33,000
2	बांसवाड़ा	99,537	1,14,371 हैक्टर	3 76,865	40-2%	9,37,164	3,76,865
3	भरतपुर	1,44,313	1,84,525 हैक्टर	14,09,828	29%	48,14,173	14,09,828
4	भीलवाड़ा	23,427	53,438 हैक्टर	1,33,593	12%	—	53,438
5	बीकानेर	676	3,772 बीघा 18 बिस्वा	700	10% से कम	12,00,055	700
6	बून्दी	31,389	18,099 हैक्टर	1,55,000	20%	23,00,000	1,55,000
7	गंगानगर	13,501	1,53,000 बीघा	70,705	1-8%	53,24,678	70,705
8	जयपुर	1,29,524	1,54,189 हैक्टर	10,51,800	17%	71,66,000	10,51,000
9	जैसलमेर	4,784	1,35,325 बीघा 10 बिस्वा	13,370	4-2%	3,11,627	13,370
10	झालावाड़	33,800	32,25,897 हैक्टर	2,06,477	6%	32,02,827	2,06,477
11	झुंझुनू	85,058	2,64,304 हैक्टर	11,23,781	51%	22,03,695	11,23,781
12	कोटा	71,798	84,321 हैक्टर	4.12,255	9%	44,53,388	4,12,255
13	नागौर	65,495	1,68,611 हैक्टर	6,80,693	12%	55,48,219	6,80,563
14	पाली	62,342	1,37,671 हैक्टर	4,43,492	15%	51,21,930	4,43,492
15	सवाई माधोपुर	77,286	74,034 हैक्टर	3,81,233	7%	49,98,154	3,81,233
16	सीकर	1,13,195	7,22,840 हैक्टर	12,84,585	41%	31,37,408	12,84,535
17	टोंक	44,900	50,723-66 हैक्टर	2,09,586	6.94 %	30,16 240	2,09 586
18	उदयपुर	1,28,071	2,51,771 हैक्टर	5,98,010	13%	44,67,657	5,98,010